वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

NHIDCL
अवसंरचना निर्माण – राष्ट्र निर्माण

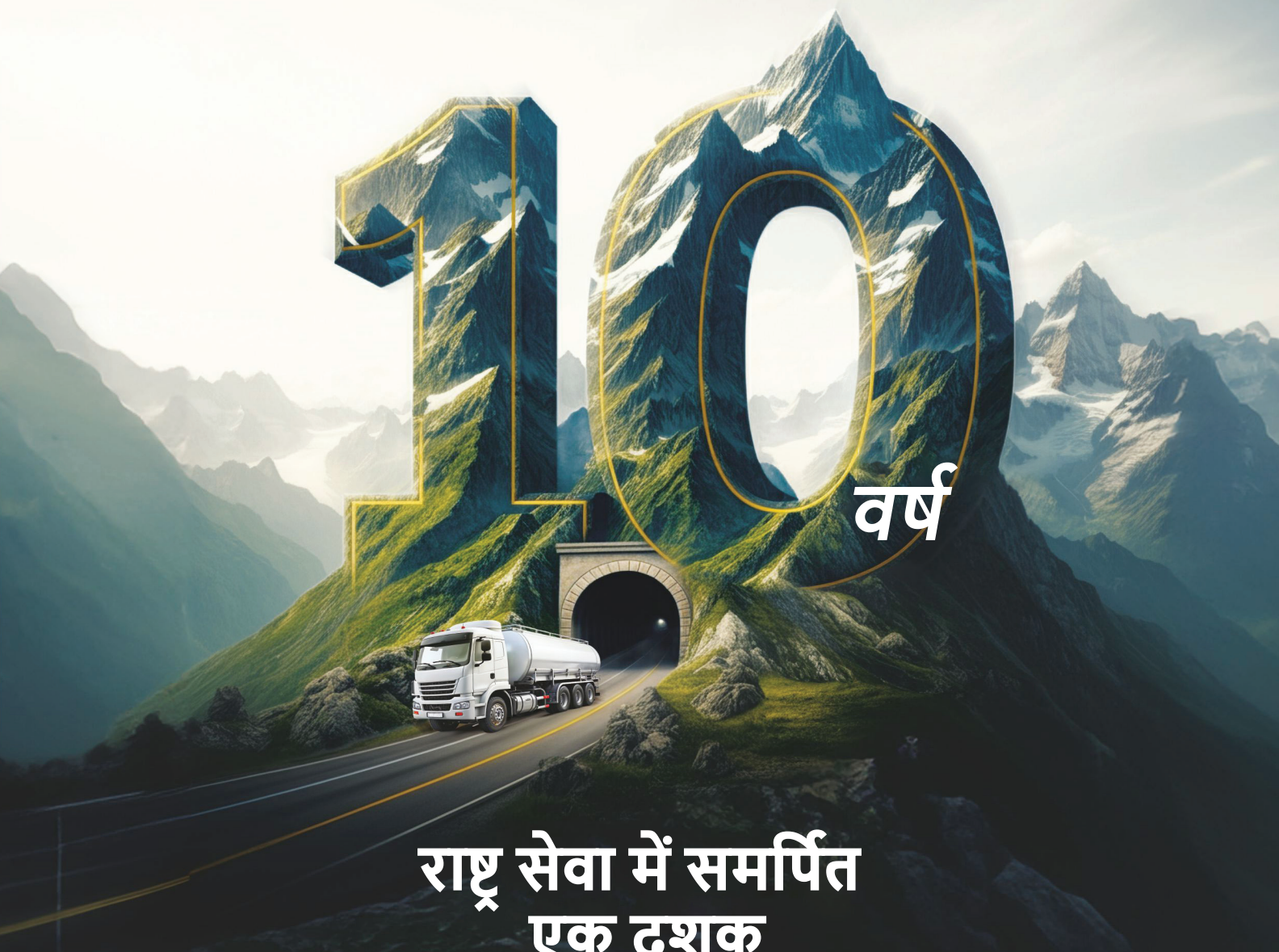

राष्ट्र सेवा में समर्पित एक दशक

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी)

विषय-सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	खंड I – रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के बारे में	
1	परिचय	
	हमारी भविष्य दृष्टि, हमारा मिशन, हमारा अधिदेश	4-6
	संगठन-चार्ट	7
	निदेशक मंडल का संक्षिप्त जीवन-वृत्त	8-11
	अध्यक्ष का संदेश	12
	प्रबंध निदेशक का संदेश	13-14
	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी का संदेश	15
2.	**मानव संसाधन, प्रशासन और सतर्कता**	
	2.1 कॉरपोरेट कार्यालय	16
	2.2 क्षेत्रीय कार्यालय, परियोजना अनुवीक्षण एकक और स्थल कार्यालय	16-22
	2.3 भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	23-25
	2.4 आंतरिक शिकायत समिति एवं महिला सशक्तीकरण	25
	2.5 सतर्कता जागरूकता	26-27
	खंड II – वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए संगठन की रिपोर्ट	
3.	प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी पहल : 2023-24	28-34
4.	4.1 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की आदेश पुस्तिका	35
	4.2 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के चालू कार्यों का सिंहावलोकन	36
	4.3 वित्तीय वर्ष 2023-24 : निर्माण लक्ष्य और उपलब्धियां	37
	4.4 निर्माण हेतु सौंपे गए राज्यवार कार्य लक्ष्य	38
5.	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सभी सिविल कार्यों का राज्यवार सिंहावलोकन	39-70
	खंड III – वित्त और लेखा	
6	दसवीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन हेतु सूचना	71-72
7	परोक्ष (प्रॉक्सी) प्रारूप	73-74
8	निदेशकों की रिपोर्ट अनुलग्नक क से घ सहित	75-117
9	वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	118-138
10	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण	139-193
	खंड IV	
11	फोटोग्राफर की नजर से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं / घटनाओं की झलकियां	194-199

खंड - I

1.परिचय

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड) को 18 जुलाई, 2014 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था। इस निगम की अनुमोदित शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 1 करोड़ रुपये है। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचना के निर्माण को तीव्र गति से संपन्न करना है, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और उन रणनीतिक क्षेत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। इस पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे स्थानीय जनसंख्या को समग्र आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से अधिक प्रभावशाली ढंग से जोड़ा जा सके। कंपनी ने 22 सितंबर, 2014 से अपने कार्य संचालन की प्रभावी शुरुआत की है ।

श्री चंचल कुमार, 31.07.2023 तक प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। भारत सरकार में सचिव के पद पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, श्री महमूद अहमद, (अपर सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) को 14.08.2023 से 13.02.2024 तक रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। उनके पद मुक्त होने पर, श्री कृष्ण कुमार, आईएएस (ओडी 2002) को 14.02.2024 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस दौरान, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1994 बैच के अधिकारी श्री अंशु मनीष खलखो को निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) के पद पर नियुक्त किया गया।

वर्तमान में रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के पास 396 स्वीकृत पद हैं, जिन्हें या तो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा सीधे संविदा पर भरा जाएगा। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने आउटसोर्स सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से 910 तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भी नियुक्ति की है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड) भारत के अवसंरचना क्षेत्र में प्रगति का एक प्रमुख प्रतीक है। यह मिशन दक्षता, पारदर्शिता और हितधारकों के लाभ की प्राथमिकता को बढ़ावा देता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है, जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को रणनीतिक रूप से बढ़ावा देता है। इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय, 46 परियोजना अनुवीक्षण एकक और 75 स्थल कार्यालय व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं, जिससे परियोजना निष्पादन में उत्कृष्टता सुनिश्चित होती है। इसका विविध पोर्टफोलियो भारत की अवसंरचना पर इसके गहरे और व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की साझा कनेक्टिविटी के प्रति प्रतिबद्धता, भारत की रणनीतिक सीमाओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाती है। सुदूर और सीमा क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक निर्माण द्वारा रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में समृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड) इस समय 262 चालू परियोजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल लंबाई 5,338 किमी है और जिनकी अनुमानित कुल लागत 1,30,435 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 90 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जिनकी कुल लंबाई 1,681 किमी है। जिन पर कुल व्यय 21,851 करोड़ रुपये हुआ है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की वित्तीय प्रगति अत्यंत प्रभावशाली है, जिसकी आय 2018 में 94.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 474.22 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) की 38% को दर्शाती है। इसका शुद्ध लाभ (पीएटी) और लाभांश पिछले वित्तीय वर्ष में दोगुना हो गया है, जो इसकी वित्तीय मजबूती और स्थिरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

आगे की ओर दृष्टि रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड) ने 63 आगामी परियोजनाओं की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिनकी कुल लंबाई 4,940 किमी है और अनुमानित लागत 1,46,088 करोड़ रुपये है। ये पहल न केवल देश की अवसंरचना और परिवहन संपर्क को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, बल्कि विकास और प्रगति के प्रति संगठन की गहरी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती हैं। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के कार्यों की सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यापक दृष्टिकोण है, जो गुणवत्ता, कार्यकुशलता और नवाचार पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।

नेपाल में परामर्श परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड), विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को नवीनीकरण करने का प्रयास कर रहा है, ताकि विदेश मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को अन्य रणनीतिक देशों में जारी रखा जा सके। इसके अतिरिक्त, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड और नॉर्वेजियन जियोटेक्नीकल इंस्टीट्यूट (एनजीआई) ने वैश्विक स्तर पर सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और सुधार के लिए एक नई साझेदारी के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश के सबसे सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र सुलभ हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर-पूर्व, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में सभी मौसमों में आवागमन योग्य सड़कें, सुरंगें और पुल बनाए जा रहे हैं। लोग अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर जीवनयापन के अवसरों तक पहुँच रहे हैं, जो नए रोजगार के अवसर खोल रहे हैं। बेहतर सीमा पार पहुंच के साथ व्यापार और पर्यटन को विकास के नए रास्ते मिल रहे हैं। इनामप्रो, इनामप्रो+, बीआईएमएस, इन्फ्राकॉन, ई-पेस और पीएमआईएस जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म जानकारी को पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाते हुए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं।

हमारी भविष्य दृष्टि

- पूर्वोत्तर क्षेत्र, सीमावर्ती और सामरिक क्षेत्रों के निकट वाले क्षेत्र जैसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखण्ड राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचनात्मक निर्माण कार्य में तेजी लाना।
- दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संपर्कों (लिंकों) को सुदृढ़ करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान करना।

हमारा मिशन

एक ऐसी पेशेवर कम्पनी बनना, जो सभी हितधारकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सर्वाधिक दक्षतापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य करती हो और समयबद्ध आधार पर अवसंरचना परियोजनाओं को डिजाइन, विकसित और पूरा करती हो।

हमारा अधिदेश

- ऐसी अवसंरचनाओं के निर्माण का प्रभार जिसमें मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), हिमालयी क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सड़कें, राजमार्गों, सुरंगें तथा अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क सम्मिलित हैं।
- सरकार की कार्य योजना के तहत 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को प्रभावी रूप से लागू करना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। इसका प्रमुख उद्देश्य एनईआर के प्रत्येक जिले को न्यूनतम 2-लेन का सड़क संपर्क प्रदान करना है।
- एसएआरडीपी-एनई का प्रभावी कार्यान्वयन और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- भारत माला परियोजना (बीएमपी) का कार्यान्वयन, जिसके अंतर्गत सीमा सड़कें, आर्थिक गलियारों, आंतरिक जलमार्गों के लिए फीडर सड़कें, अवरुद्ध और संकुलन बिंदुओं का सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें विकसित करना सम्मिलित है।
- एक 'संवेदनशील और प्रभावी' संगठन जो सीमित कर्मचारियों के साथ काम करता है, और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता से लैस है, जिससे त्वरित निर्णय लेने के माध्यम से लागत-प्रभावी निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
- एक समावेशी विकास रणनीति के माध्यम से अवसंरचना विकास प्रक्रिया में व्यापक सुधार।
- विशेषज्ञतापूर्ण तरीके और बेहतर तकनीकी ज्ञान के साथ राज्यों में अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा लिए गए समय को कम करना ।
- हिमालयी क्षेत्र में सुरंगों की योजना बनाना और निर्माण करना।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी पहल का क्रियान्वयन करना। इनमें ई-पेस, इनामप्रो, इनामप्रो+, इन्फ्राकॉन और एसएपी जैसी प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी पहल सम्मिलित हैं।
- स्वचालित पार्किंग, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और बस पोर्ट्स का विकास।
- मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य अवसंरचनात्मक कार्य, जिनमें परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ भी सम्मिलित हैं।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का संगठन-चार्ट

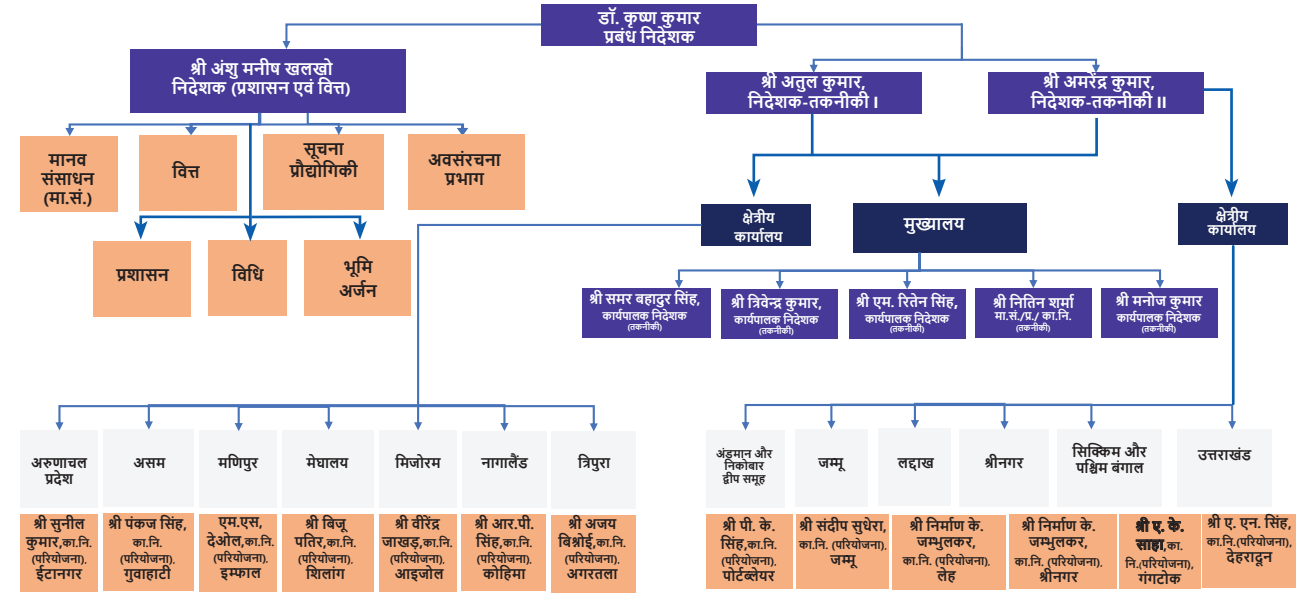

स्रोत: रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड वेबसाइट

अध्यक्ष, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

श्री वी. उमाशंकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) के 1993 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में, वे भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा. मंत्रालय) में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का दायित्व संभालने से पहले, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान की हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की उपाधि प्राप्त की है और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बैंगलोर से लोक नीति एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। सिविल सेवा में शामिल होने से पूर्व, उन्होंने निजी क्षेत्र में डिज़ाइन इंजीनियर के रूप में भी अपनी उत्कृष्ट सेवाएँ दी हैं।

श्री उमाशंकर को केंद्रीय और राज्य सरकार में लगभग 31 वर्षों का व्यापक सरकारी सेवा अनुभव प्राप्त है। हरियाणा वह पहला राज्य, था जिसने विद्युत अधिनियम, 2006 के लागू होने से पहले विद्युत क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया शुरू की। 1999 में हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (हरियाणा रा.वि.बो.) के विघटन के बाद उन्होंने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (हरियाणा बिज.वि.नि.लि.) स्थापित किया तथा इसके प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। 1998 में वे फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त रहे, जहां उन्होंने संपत्ति कर वसूलने की एक नई विधि तैयार की, जिसे बाद में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में लागू किया। 2006-08 के दौरान सिरसा के उपमंडल अधिकारी के रूप में उन्होंने राज्य के पहले जिले के रूप में सभी राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया। 2007-08 में डेरा सच्चा सौदा – सिख समुदाय विवाद के समाधान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो उत्तर भारत में एक प्रमुख कानून और व्यवस्था संकट बन गयी थी। 2009 में, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा निदेशक के रूप में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल कीं, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा वित्त निगम की स्थापना सम्मिलित है। वे दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव भी रहे, जहां उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए आधिकारिक फाइबर केबल लिंक की शुरुआत की। उन्होंने 2015 में पहली सूचना प्रौद्योगिकी (आरओडब्ल्यू) नियमों की रूपरेखा तैयार की और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में भी संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। 2017 में उन्होंने हरियाणा में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण की स्थापना की, जो राज्य का पहला मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हरियाणा के परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी किया, जो बिना आवेदन और अनुमोदन के सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए एक अनूठी सामाजिक रजिस्ट्री थी। उन्होंने राज्य सरकार के डिजिटलीकरण प्रयासों का नेतृत्व किया, जिसमें किसानों की रजिस्ट्री, फसल की रजिस्ट्री और खाद्य खरीद प्रक्रिया का प्रबंधन सम्मिलित था, जिससे राज्य के किसानों को वास्तविक मूल्य प्रदान करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल का क्रियान्वयन किया, जो सभी कार्य संविदाओं के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी प्रणाली थी।

प्रबंध निदेशक, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

डॉ. कृष्ण कुमार, 2002 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) ओडिशा कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने 14 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व, वे वाणिज्य विभाग (वा.वि.) में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने प्रमुख रूप से उत्तरी अमेरिका, जी -20, व्यापार संवर्धन, भारत मंडपम और भारत-कनाडा मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख वार्ताकार के रूप में कार्य किया।

डॉ. कुमार ने ओडिशा राज्य में कई प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है, जिनमें उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। वे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के मुख्य प्रशासक भी रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यों में, उन्होंने भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, भुवनेश्वर नगर निगम के आयुक्त, और ओडिशा के गंजम, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। उनके विशेषज्ञता क्षेत्र में नीति और शासन, अवसंरचना, शहरी प्रणालियाँ, प्रौद्योगिकी और धरोहर सम्मिलित हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से पूर्व, डॉ. कुमार ने मुंबई के सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी।

निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

श्री अंशु मनीष खलखो, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1994), ने 09 जनवरी, 2023 को रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड, नई दिल्ली के निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व, श्री अंशु मनीष खलखो रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) कार्यालय (मुख्यालय), नई दिल्ली में रक्षा लेखाओं के संयुक्त महानियंत्रक के पद पर कार्यरत थे।

श्री खलखो ने आरडीवीवी, जबलपुर से एम.एससी. की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने रक्षा लेखा से जुड़े विभागों में विभिन्न पदों पर वित्त, लेखाओं, लेखा परीक्षा एवं भुगतान प्रकार्यों संबंधी विविध प्रकार के कार्यों का प्रबंधन किया है। इसके साथ-साथ उन्होंने रेलटेल, कोलकाता में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर भी कार्य किया है।

श्री खलखो ने पश्चिमी नौसेना कमान (नौसेना), दक्षिणी कमान (थलसेना), पूर्वी कमान (आईएफए), मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक (कारखाने), भुगतान और लेखा कार्यालय (पीएओ), आयुध कारखाना बोर्ड, आयुध कारखाना (प्रशासन) और सीएसडी (कैन्टीन भंडार विभाग) में भी विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 62वें पाठ्यक्रम (2022) में भाग लिया।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड में, कंपनी के विकास की गति को और तेज करना तथा स्थायी संवर्ग की स्थापना करना उनके सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त, वे सार्वजनिक जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता लाने और रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण, भूमि अर्जन और वन-संबंधी मंजूरी प्राप्त करने जैसी बड़ी बाधाओं का प्रभावी हल तलाशने की दिशा में प्रयत्नशील हैं।

वह नियमित रूप से कार्य स्थल के दौरों के साथ-साथ वीडियों कॉनफ्रेन्सिंग के माध्यम से जारी परियोजनाओं की विकास-प्रक्रिया की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं और तकनीकी प्रभाग, मानव संसाधन और प्रशासन से संबंधित रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के विधिक मामलों की भी देख-रेख कर रहे हैं।

स्वतंत्र निदेशक का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

श्री प्रदीप कुमार सरावगी ने दिनांक 05.01.2022 से रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। श्री सरावगी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में एम.ए. हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। वह जिला ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष तथा अव्यावसायिक मल्लखंब संघ, उत्तर प्रदेश के सदस्य भी हैं।

श्री सरावगी, छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा उन्होंने विभिन्न प्रकार से गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करके समाज की बेहतरी के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने निरंतर प्रयासों से, युवाओं में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने और प्रोत्साहन देने के लिए खेल के क्षेत्रों में अनेक युवाओं को आर.एस.एम.एफ. के माध्यम से सहायता प्रदान की है। विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, अपने सतत प्रयासों द्वारा वह समाज के लिए बहुत योगदान कर रहे हैं।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारको,

कंपनी की 10वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि हम 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हैं, देश की आर्थिक प्रगति और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना विकास के माध्यम से कई महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। पिछले दशक में पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप सहित अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश ने अवसंरचना के क्षेत्र को नई गति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, अब परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी और लचीलेपन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक वृद्धि में अवसंरचना विकास से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करेगा और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देगा।

कंपनी के निदेशकों का प्रतिवेदन और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, साथ ही उस पर आधारित लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन पहले ही वितरित किया जा चुका है और इन्हें पढ़ा हुआ माना जाता है।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 487.67 करोड़ रुपये की कुल आय और 181.66 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप, कंपनी ने अपने समस्त शेयरधारकों को 54.59 करोड़ रुपये का कुल लाभांश घोषित किया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने 1,160 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य पूरा किया। साथ ही, कंपनी को 23,055 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 1,000 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 2/4 लेन में विस्तारित करने की परियोजनाएँ प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया।

वर्ष भर, कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर.) के तहत 393.03 लाख रुपये का योगदान किया, जो 380.35 लाख रुपये की निर्धारित राशि से अधिक है। कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र में 'भूख और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता', शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास, और 'पर्यावरणीय स्थिरता' से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ सफलता पूर्वक संचालित कीं।

कंपनी निरंतर सशक्त कॉर्पोरेट अभिशासन और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए विकास और संपत्ति सृजन को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। हमारी पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता का उद्देश्य संचालन और रिपोर्टिंग के सभी पहलुओं में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में एक विस्तृत कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल की गई है, जिसमें संबंधित दिशा-निर्देशों के पालन की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र भी संलग्न है, जिसे कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया है।

कंपनी की ओर से, मैं आपके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे ही हम 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को साकार करने की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि कंपनी इस लक्ष्य को साकार करने में हमेशा नेतृत्व प्रदान करेगी और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

(वी. उमाशंकर)

सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अध्यक्ष, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय हितधारको,

मैं आप सभी को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएँ देता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मुझे अत्यधिक सम्मान और गर्व का अनुभव हो रहा है।

यह वास्तव में एक सम्मान का विषय है कि आपकी कंपनी ने 10 वर्षों की सफल संचालन यात्रा पूरी की है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में, आपकी कंपनी ने 1,160 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। कंपनी को 2/4 लेन निर्माण के लिए लगभग 1,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ 23,055 करोड़ रुपये की राशि सौंपी गई है। मार्च, 2024 तक, कंपनी 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5,338 किलोमीटर लंबाई वाली 262 परियोजनाओं का संचालन कर रही है। आपकी कंपनी ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 29 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन सभी प्रयासों के बावजूद, संचालन क्षेत्र में लघु कार्यकाल, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियाँ उपस्थित हैं, फिर भी आपकी कंपनी समयबद्ध तरीके से सड़क की गुणवत्ता को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

आपकी कंपनी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन कर रही है, जो देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क नेटवर्क, सड़क/रेल/जल परिवहन कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से सुधारने के साथ-साथ बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा पार कनेक्टिविटी भी स्थापित करेंगी। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र -

- धुबरी (उत्तरी किनारा, असम) और फूलबाड़ी (दक्षिणी किनारा, मेघालय) के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर रा.रा.-127बी पर चार लेन पुल तथा इसके मार्ग की पहुँच सड़कों का निर्माण।
- जोगीघोपा, असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण।
- शिलांग से डॉकी तक सड़क का निर्माण, जो मेघालय को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए मार्ग उपलब्ध कराएगा।
- इंफाल-मोरेह सड़क और मोरेह बाइपास सड़क का निर्माण, जो म्यांमार के साथ व्यापार को सुगम बनाएगा।
- इंफाल-जीरीबाम सड़क का निर्माण और मिजोरम में आइजोल से तुइपांग तक रा.रा.54 की दो लेन का निर्माण, जो म्यांमार के साथ व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कंपनी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरेगी और सड़क निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को पार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। मेरी शुभकामनाएँ कंपनी के प्रत्येक सदस्य के साथ हैं, जिनकी वृत्तिक दक्षता, समर्पण और अथक परिश्रम ने कंपनी के लिए एक सफल वर्ष सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, विशेष रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी हितधारकों, विशेष रूप से कंपनी के कर्मचारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अनमोल समर्थन और सहयोग ने हमें सफलता दिलाई है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमें इसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृष्ण कुमार

प्रबंध निदेशक

निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी का संदेश

प्रिय हितधारको,

मैं, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड) के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्राप्त करके अत्यंत गौरवान्वित और कृतज्ञ महसूस करता हूँ। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और अन्य सामरिक क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का समग्र विकास न केवल वहां की प्रगति सुनिश्चित करेगा, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुगुणात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड सड़क अवसंरचना के तहत एमएमएलपी, एएमएलसीपी, कार्यालय भवनों, दृश्य स्थलों (व्यूपॉइंट्स) और विभिन्न लंबाइयों की सुरंगों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुझे यह व्यक्तिगत रूप से बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा कुल राजस्व 2021-22 में 347.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 500.55 करोड़ रुपये हो गया है, जो 44% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही, कर पूर्व लाभ में भी पिछले वर्ष (2021-22) की तुलना में 100.12% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने केंद्रीय सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में विभिन्न ई-पहल को अपनाकर महत्वपूर्ण योगदान किया है, जैसे कि ई-प्रोक्योरमेंट, ई-पेस, एसएपी, ई-टेंडरिंग, इन्फ्राकॉन, इनाम प्रो+, ईडीएमएस, पीएमआईएस, ई-दिशा। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड में हम, सभी हितधारकों के लिए ठोस और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता और हितधारकों के साथ संवाद को अपने कार्य संचालन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। हम प्रदर्शन और परिणाम-उन्मुख प्रणालियों में विश्वास करते हैं।

मैं, अपना अटूट विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं कि कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति, उसके उत्पादक कर्मचारियों में निहित है। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता अद्वितीय है और वे हमारे संगठन की मुख्य क्षमता का प्रतीक हैं।

मैं, इस सम्मानित अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, लेखा परीक्षकों, बैंकरों और अन्य संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका दृढ़ समर्थन हमारी सफलता में सहायक रहा है।

अंशु मनीष खलखो

निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी,

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड

मानव संसाधन और प्रशासन

2.1 कॉर्पोरेट कार्यालय

दिनांक 18 जुलाई, 2014 को निगमीकरण के पश्चात, कंपनी ने शुरूआत में अपने पंजीकृत कार्यालय कमरा संख्या 509, परिवहन भवन, नई दिल्ली से कार्य करना शुरू किया। फरवरी, 2015 में कंपनी पी.टी.आई. भवन (तीसरा तल), संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में स्थित अपने कॉरपोरेट कार्यालय में स्थानांतरित हो गई। वर्तमान में कंपनी का कार्यालय टॉवर ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, प्रथम एवं द्वितीय तल, नई दिल्ली – 110029 पर स्थित है।

2.2 क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ), परियोजना अनुवीक्षण एकक (पीएमयू) और स्थल कार्यालय (एस ओ)

कंपनी ने 13 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है, जिनमें प्रत्येक का संचालन एक कार्यपालक निदेशक (परियोजना) द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 47 परियोजना अनुवीक्षण एककों और 72 स्थल कार्यालय (नेपाल के 02 स्थल कार्यालय सहित) स्थापित किए गए हैं। इन सभी का विस्तृत विवरण नीचे तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना अनुवीक्षण एकक (पीएमयू)	स्थल कार्यालय
1.	क्षेत्रीय कार्यालय-पोर्ट ब्लेयर: वार्ड नं. 23, वायु सेना स्टेशन के समीप, प्रोथरापुर, गरचर्मा (डाकघर), पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह – 744105। दूरभाष: 03192-296755 ईमेल: edp.portblair@nhidcl.com	1. पीएमयू, मायाबंदर: आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर,ग्राम-लखनऊ, डाकघर- वेबी मायाबंदर-744204, उत्तर और मध्य अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दूरभाष: 03192-273188, 203168	
		2. पीएमयू- बाराटांग: निरीक्षण बंगला, आज़ाद हिंद फौज सेतु गांव के पास, राजीव नगर, डाकघर-कदमतला	स्थल का.-रंगट स्थल का.-डिगलिपुर, स्थल का.-फेरारगंज
2.	क्षेत्रीय कार्यालय-ईटानगर: वीआईपी सड़क, बैंक्वेट हॉल के पास, नीति विहार, ईटानगर-791111, अरुणाचल प्रदेश	1. पीएमयू-जीरो: टीडी बिल्डिंग, हापोली, जिला- लोअर सुबानसिरी ज़िरो- अरुणाचल प्रदेश -791120	स्थल का.-पालिन स्थल का.-संग्राम स्थल का.-कोलोरियांग स्थल का.-दिरांग स्थल का.-लादा स्थल का.-बामेग/ सेप्पा स्थल का.-नाचो स्थल का.-डापोरिजो स्थल का.-बोमडिला स्थल का.-लामनियो
		2. पीएमयू-बसर: ऊपरी कॉलोनी, बसर टाउन, जिला: लेपराड़ा अरुणाचल प्रदेश-791101	स्थल का.-यिंगकियोंग स्थल का.-मेचुका स्थल का.-मनिगोंग/ ताडाडोगे
		3. पीएमयू-रोइंग: एज़ेंगो III, रोइंग, बॉम गोदाम के पास, सी.सी. सड़क, रोइंग, जिला लोअर दिबांग घाटी	स्थल का.-हुनली स्थल का.-इटानिल स्थल का.-अनिनि स्थल का.-मिपि स्थल का.-देंबुएन स्थल का.-ग्रीन फ्लाइड एलाइन्मेंट

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना अनुवीक्षण एकक (पीएमयू)	स्थल कार्यालय
		4. पीएमयू-नामसाई:तायगुमिन भवन, दूसरी माइल, पियॉंग सड़क, मार्फेद चाय फैक्ट्री के पास,नामसाई जिला, अरुणाचल प्रदेश	स्थल का.- पासीघाट स्थल का.- कानुबैर स्थल का.- हेयुलियांग स्थल का.- हवाई स्थल का.- तेजू (लोहित)
3.	क्षेत्रीय कार्यालय-गुवाहाटी: दूसरी और तीसरी मंजिल, अग्निशांति बिज़नेस पार्क, एजीपी कार्यालय के सामने, जीएनबी सड़क, अंबारी, गुवाहाटी, पिन -781001 दूरभाष: 0361-2730546 ईमेल: edpnhidclghy1@gmail.com या edpghy@nhidcl.com	1.पीएमयू-तेज़पुर: सर्राफ टावर, पहली मंजिल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल के सामने, मझगांव, एनएच-37 ए, तेजपुर, असम - 784001	
		2. पीएमयू-सिल्चर: पेसकर लेन, सोनाई सड़क, कनकपुर पार्ट-I, सिल्चर, असम - 788006	स्थल का.- हाफलांग
		3.पीएमयू- जोरहाट: ब्रह्मपुत्र एकेडमी के सामने, पहली मंजिल, मार्फत रुपज्योति कालिता बोरा के राजातिया गांव, मालो अली, जोरहाट, असम - 785001	
		4. पीएमयू-डिब्रूगढ़: मालिक का नाम- रूपा दत्ता, मकान नं. 526,ईस्ट मिलन नगर, आईसीआईसीआई बैंक के सामने, मांकोटा सड़क, डाकघर, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, डिब्रूगढ़-786003, असम	
		5. पीएमयू-दीफू: पीडब्लूडी (सड़क) आईबी, पीडब्लूडी कॉलोनी, लुमडिंग सड़क, दीफू, कार्बी आंग्लोंग, असम-782460	
		6. पीएमयू-धुबरी: जीटीबी सड़क, भूतनाथ मंदिर के सामने,धुबरी-783324, असम	
		7.पीएमयू-बोंगाईगांव: चापागुरी सड़क, पारस प्वाइंट चौथी मंजिल, पीएनबी बैंक के पास बोंगाईगांव, असम-783380	स्थल का.- जोगीगोपा स्थल का.- बोको

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना अनुवीक्षण एकक (पीएमयू)	स्थल कार्यालय
4.	क्षेत्रीय कार्यालय-जम्मू: मकान नं. 261, सेक्टर - 6, चन्नी हिम्मत, जम्मू, जम्मू और कश्मीर - 180015	1. पीएमयू-किश्तवार: मकान नं. 89, वार्ड नं. 9, शीतला सड़क, कुलेड चौक के पास,किश्तवार, जम्मू और कश्मीर	स्थल का.- चतरू
		2.पीएमय-अखनूर: संगम सिटी, जेके हैचरी के पास, (रायपुर-डोमाना सड़क), जम्मू-181123	स्थल का.- चेनानी
		3.पीएमय-डोडा: चेनाब व्यू गेस्ट हाउस, सैनिक बोर्ड के सामने, आईओसीएल पेट्रोल पंप के पास, डोडा, जम्मू और कश्मीर	स्थल का.- खेल्लानी
5.	क्षेत्रीय कार्यालय-श्रीनगर: बदर रेजीडेंसी, इकबाल इस्लामिया हाई स्कूल के सामने, कर्पोरा, ब्रेन, निशात, आईजी सीआरपीएफ कार्यालय के पास, श्रीनगर-191121 ई-मेल: rosrinagarnhidcl@gmail.com	1. पीएमयू- सोनमर्ग: ज़ेड-मोर टनल कैंप साइट, गाँव-गंगनगीर, तहसील और डाकघर: गुंड, जिला: गंदरबल, सोनमर्ग, जम्मू और कश्मीर - 191202 ई-मेल: nhidcl.sonamarg@gmail.com	स्थल का.- बारामुल्ला
		2. पीएमयू- अनंतनाग: मोमिनाबाद, बोंडियालगाम, जैकफेड सीआरपीएफ कैम्प के सामने, अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर, पिन कोड: 192101	
6.	क्षेत्रीय कार्यालय- लद्दाख: यर्त्सा हाउस, चांगस्पा फार्म के पास, चांगस्पा- यूटी ऑफ लद्दाख- 194101 दूरभाष: 01982-295517 ई-मेल: ro-ladakh@nhidcl.com	1. पीएमयू-इंफ्रा (लेह): खारपोन विला, शंकर खांगशाल, लेह - लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, पिन-194101	
		2. पीएमयू-कारगिल: जजीरा हैंगआउट सर्कुलर सड़क, बाल्ती बाज़ार, कारगिल, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, पिन-194103	स्थल का.- पदुम स्थल का.- द्रास स्थल का.- पारकाचिक

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना अनुवीक्षण एकक (पीएमयू)	स्थल कार्यालय
7.	क्षेत्रीय कार्यालय- इंफाल: दूसरी मंजिल, ट्रांजिट होस्टल, ऑफिसर्स क्लब लांपफेल, जिला- इंफाल पश्चिम, मणिपुर - 795001 ई-मेल: ro-imphal@nhidcl.com	1. पीएमयू-चूराचांदपुर: मिनी-सचिवालय भवन परिसर, ब्लॉक नं. बी-1 तुइबोंग, चूराचांदपुर, जिला-चूराचांदपुर-795128	स्थल का.- थालोन स्थल का.- मौलनॉम
		2.पीएमयू-उखरुल: 37/5, कंफासोम,ईस्टर्न सर्कुलर सड़क, केटीएल एक्सल उच्च विद्यालय के पास, उखरुल, मणिपुर-795142, मणिपुर	स्थल का.- फाइबुंग स्थल का.- जेस्सामी
		3.पीएमयू-नोने: लोंगमाई कॉमन ग्राउंड, जिला-नोने - 795159	स्थल का.- जिरिबम स्थल का.- नुनगबा
		4. पीएमयू-सेनापति: एल.एस. थाइशो, क्रिस्चियन कॉलोनी, सेनापति जिला मुख्यालय, जिला-सेनापति - 795106	स्थल का.- विलोंग
		5. पीएमयू-तेंग्नोपल: तेनगौपाल बाजार, तेंग्नोपल पुलिस स्टेशन के सामने, मणिपुर - 795131	
		6. पीएमयू-तामेंगलोंग: मिनी सचिवालय परिसर, जिला-तामेंगलोंग, मणिपुर - 795141	स्थल का.- ताउसेम
8.	क्षेत्रीय कार्यालय- शिलांग: पहली मंजिल, पार्कसाइड बिल्डिंग, बीएसएनएल के पास, लेडी हाइडरी पार्क बारिक के सामने, शिलांग - 793001, मेघालय	1.पीएमयू-तुरा: मकान नं. 91, मार्फत श्री पी.के. संगमा के पास, रोंगखोन सोंगिट्टल, डिक्की बांदी स्टेडियम के पास, डाकोप्रे, तुरा - 794101	
		2.पीएमयू-बाघमारा: आरडी कॉम्प्लेक्स, बोलसालग्रे, इनडोर के पास, दक्षिण गारो हिल्स, भागमारा - 794102, मेघालय	स्थल का.- रोंगरा स्थल का.- नोंगजरी
		3.पीएमयू-मेयलियम: मदन लिंगसियेम, लिंडेल गेस्ट हाउस, ईस्ट खासी हिल्स जिला, मेयलियम - 793009	स्थल का.- सुमेर स्थल का.- पिनुरसला स्थल का.- नोंगस्टॉइन स्थल का.- दरुगिरी

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना अनुवीक्षण एकक (पीएमयू)	स्थल कार्यालय
9.	क्षेत्रीय कार्यालय- आइजोल: तीसरा तल, टी-86, तुइखुआतलंग, आइजोल, मिजोरम - 796001 ईमेल: ro-mizoram@nhidcl.com	1. पीएमयू-सेलिंग: टूरिस्ट लॉज, पीडब्ल्यूडी सरकार, मिजोरम, थिंगसुलथलियाह, हॉस्पिटल सड़क, त्लांगपुई - 796161 (लैंडमार्क - एसडीओ कार्यालय के पास)	स्थल का.- सेरचिप स्थल का.- नगोपा स्थल का.- खाउजोल
		2.पीएमयू-कोलासिब: टीबीसी विला, प्रथम तल, कॉलेज वेंग, जिला न्यायालय के पास, कोलासिब - 796081	स्थल का.- सैरंग
		3.पीएमयू-लुंगलेई: एच.नं.-सी-2, ह्युनलुई वेंग लुंगलॉन, असम राइफल्स कैम्प गेट-1 के पास, लुंगलेई - 796701	स्थल का.- लुंगसेन स्थल का.- ह्नाथियाल
		4.पीएमयू-लॉंगतलाई: मकान नं. 227 ए, चांदमारी, एलआईकेबीके विधानसभा कार्यालय के पास, लॉंगतलाई-796891, मिजोरम	
10.	क्षेत्रीय कार्यालय- कोहिमा: पीडब्लूडी विश्रामगृह, पीडब्लूडी कॉलोनी, कोहिमा, नागालैंड - 797001	1.पीएमयू-दीमापुर: मकान नं. 63(ए), प्रथम तल, एनएसटी कॉलोनी, सिटी टॉवर बिल्डिंग के पीछे, जिला दीमापुर, नागालैंड - 797112	
		2.पीएमयू-फुत्सेरो: मेनीत्सेदा वार्ड, मकान नं. 167, फुत्सेरो ग्लोरी पीक के पास, फुत्सेरो टाउन, जिला फेक, नागालैंड - 797107	स्थल का.- सटाखा स्थल का.- मेलुरी स्थल का.- वेझीहो स्थल का.- पेरेन
		3.पीएमयू-जाखमा: मकान नं. 85 और 86, उरा कॉटेज, फेसेमा गांव, डाकघर- जाखमा, जिला कोहिमा, नागालैंड - 797001	
		4.पीएमयू-मोन टाउन: वांगली कॉम्प्लेक्स, एसबीआई मुख्य शाखा के पास, मोन, जिला मोन, नागालैंड - 798621	स्थल का.- चांग्तोंग्या

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना अनुवीक्षण एकक (पीएमयू)	स्थल कार्यालय
11.	क्षेत्रीय कार्यालय- गंगटोक: डॉ. सुंदीन प्रधान भवन, सिचे लिंक सड़क, मिडल सिचे, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम - 737101 (सिक्किम) ईमेल: ro.sikkim@nhidcl.com	1.पीएमयू-रानीपूल: स्माइललैंड, गिडांग बस्ती, रानीपूल, पूर्वी सिक्किम - 737135 ईमेल: pmu-ranipool@nhidcl.com	स्थल का.- सिंगटम
		2.पीएमयू-रेहनॉक: मार्फत लेफ्टिनेंट गणेश चंद्र दहल हाउस के पास, रेहनॉक सरकारी कॉलेज, के पास रुंडगडुंग, पोस्ट/पुलिस स्टेशन - रेहनॉक, जिला - पोक्योंग, सिक्किम - 737133 ईमेल: pmu-rhenock@nhidcl.com	स्थल का.-चोचेनफेरी स्थल का.-मेनला
		3.पीएमयू-ग्यालसिंग:8वीं माइल, न्यू ग्यालसिंग, एसएसबी कैम्प के पास, वेस्ट सिक्किम - 737111 ईमेल: pmu-gyalshing@nhidcl.com	स्थल का.-रवांगला
		4.पीएमयू-कालिमपोंग: नारायणा स्कूल के पास, एसएसबी के पास माउंट कार्मल स्कूल, एसएसबी ग्राउंड, वार्ड नं. 13, कालिमपोंग (वेस्ट बंगाल)-734301 ईमेल: pmu.kalimpong@nhidcl.com	स्थल का.-बागराकोट
12.	क्षेत्रीय कार्यालय- अगरतला: द्वितीय तल, यूडी भवन, रविंद्र भवन के पास, शकुंतला सड़क, अगरतला, त्रिपुरा - 799001 दूरभाष: 0381-2328776 ईमेल: edp-agartala@nhidcl.com	1.पीएमयू- कुमारघाट: प्रथम और द्वितीय मंजिल, अजित घोष बिल्डिंग, रामकृष्ण मंदिर के पास, विवेकानंद चौमुहोनी, निदेवी, कुमारघाट, उनाकोटी, त्रिपुरा - 799264	
		2.पीएमयू- धर्मनगर: दूसरी मंजिल, बीना रानी चक्रवर्ती बिल्डिंग, थाना सड़क, धर्मनगर, नोर्थ त्रिपुरा - 799250	स्थल का.-कंचनपुर
		3.पीएमयू- खोवाई: (मार्फत जाहर नाग), दूसरी मंजिल, गांकी, खोवाई, खोवाई जिला, त्रिपुरा - 799202	स्थल का.-तेलियामुरा
		4.पीएमयू- उदयपुर: उदयपुर नगर, मार्फत किशोर साहा, कोइलारमठ, डी.डब्ल्यू.एस. कार्यालय के पास, उदयपुर, गोमती जिला, त्रिपुरा - 799120	

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना अनुवीक्षण एकक (पीएमयू)	स्थल कार्यालय
13.	क्षेत्रीय कार्यालय- देहरादून: सी-24, अजबपुर कलां, टीएचडीसी कॉलोनी, बैडमिंटन अकादमी के पास, देहरादून, उत्तराखंड - 248121	1.पीएमयू- बड़कोट: भंडारी भवन, मार्फत हरदेव सिंह भंडारी, पौंती पुल के पास, बड़कोट, उत्तरकाशी, उत्तराखंड - 249141	स्थल का.-उत्तरकाशी
		2.पीएमयू- चमोली: मैथाना मार्केट, रा.रा. 7, चमोली, उत्तराखंड	स्थल का.-रुद्रप्रयाग
कुल	**13**	**47**	**70***

* इसके अतिरिक्त, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के नेपाल में 02 स्थल कार्यालय हैं, जो काठमांडू और बिरगंज में स्थित हैं।

2.3 भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड) में भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक हिंदी विभाग कार्यरत है, जिसमें वर्तमान में एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक कनिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) और अन्य सहायक कर्मचारी सम्मिलित हैं।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति – दिल्ली उपक्रम-2 (नराकास) का सदस्य है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने इन समितियों की सभी बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया है और समय पर सभी आवश्यक रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया है।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड में सभी दस्तावेज़, जैसे सामान्य आदेश, परिपत्र आदि, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर राजभाषा नियम 5 के तहत केवल हिंदी में दिया जाता है। जिन पत्रों का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, उनके लिए स्वीकृति पत्र हिंदी में भेजे जाते हैं। इसी प्रकार, 'क' और 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का प्रयास किया जाता है और जो पत्र उत्तर के लिए आवश्यक नहीं होते, उनके लिए स्वीकृति पत्र हिंदी में भेजे जाते हैं।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड में वर्षभर के दौरान 'ख' क्षेत्र से प्राप्त मूल पत्राचार का प्रतिशत 100% रहा है, जबकि 'ग' क्षेत्र से यह लगातार निर्धारित 65% के लक्ष्य से अधिक रहा है। 'क' क्षेत्र से प्राप्त मूल पत्राचार का प्रतिशत भी लगभग 92% रहा है, और इसे 100% तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड में फाइलों/दस्तावेज़ों पर किए गए हिंदी-नोटिंग का प्रतिशत 67% से अधिक रहा है, और इसे 75% के निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड में अधिकारियों के हिंदी ज्ञान और संवाद कौशल को सुदृढ़ करने हेतु कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस कार्यशाला में हिंदी के वरिष्ठ अधिकारी और भाषा विशेषज्ञों का आमंत्रित किया जाता है, जो राजभाषा से संबंधित विविध विषयों पर व्याख्यान देते हैं और अपने गहन ज्ञान से अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हैं।

प्रत्येक तिमाही में रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों की समीक्षा कार्यालय प्रमुख (प्रबंध निदेशक) की अध्यक्षता में की जाती है। साथ ही, कार्यालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त, सहायक निदेशक (राजभाषा) और रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं और मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रत्येक दिन एक प्रशासनिक शब्द द्विभाषी (हिंदी- अंग्रेजी) रूप में और एक प्रेरणादायक विचार डिजिटल बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के हिंदी ज्ञान को समृद्ध करने के उद्देश्य से कार्यालय में विद्वानों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हिंदी से संबंधित प्रेरक उद्धरण भी प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं।

केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और हिंदी में कार्य करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने 01 सितंबर, से 30 सितंबर, 2023 तक ''हिंदी पखवाड़ा'' का भव्य आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएँ जैसे हिंदी निबंध, हिंदी टाइपिंग, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, हिंदी भाषण, हिंदी कविता-पाठ आदि आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान और दो सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनकी राशि 5,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपये (प्रत्येक) थी। हिंदी माह के दौरान, कार्यालय के तीन ऐसे कर्मचारियों को जो वर्षभर में सर्वाधिक हिंदी कार्य करते थे, उन्हें एक विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस पखवाड़े के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी अपने स्तर पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

10 जनवरी, 2024 को विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय में एक दिवसीय 'हिंदी उत्सव' का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड मुख्यालय के सभी 164 कंप्यूटरों और 52 लैपटॉप्स में यूनिकोड इंस्टॉल कर उन्हें हिंदी में टाइप करने के योग्य बनाया गया है। इसके अलावा, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की वेबसाइट मुख्य रूप से द्विभाषी है, और अधिकारियों की अभिव्यक्ति क्षमता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने 11 जनवरी, 2024 को नराकास के विभिन्न सदस्य पीएसयू के लिए स्कोप ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह आयोजन अत्यधिक सफल रहा। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए हमें नराकास की 6 महीने की आवधिक बैठक में एक शील्ड से सम्मानित किया गया।

पिछले वर्षों में राजभाषा के संदर्भ में देहरादून, जम्मू, गुवाहाटी और अगरतला स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इन सभी निरीक्षणों को अत्यंत सफलता मिली। वहां के कर्मचारियों ने पूरी तत्परता और सहयोग के साथ हिस्सा लिया, और उन्हें कार्यालय में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में गहन जानकारी प्रदान की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के प्रति संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और कार्यालय में राजभाषा के संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर समर्पित है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा आयोजित समारोह में शील्ड प्राप्त करते हुए रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के अधिकारी

हिंदी पखवाड़ा - 2023 के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह

2.4 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2024 का समारोह

डॉ. कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड, और श्री अंशु मनीष खलखो, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए मंच संभाला और संगठन के भीतर प्रतिभाशाली महिलाओं के बीच 'नारी शक्ति' – सशक्तीकरण और प्रेरणा की संस्कृति को बढ़ावा दिया। इस वैश्विक उत्सव के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की सफलता में महिलाओं के अमूल्य योगदान को स्वीकार किया और उन्हें भविष्य में भी इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

2.5 सतर्कता जागरूकता

(**क**) श्री दिनेश कुमार, उप सचिव (वर्तमान में निदेशक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 06 जुलाई ,2023 से रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का सतर्कता विभाग, सीवीसी और व्यक्तिगत एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए निवारक उपायों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का आयोजन 30.10.2023 से 05.11.2023 तक कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम का विषय था "भ्रष्टाचार का विरोध करें: राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"।

(**ख**) सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत 30 अक्टूबर, 2023 को प्रातः 11:00 बजे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्टाफ द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजना अनुवीक्षण एकक में 'ईमानदारी की शपथ' लेने से हुई। कर्मचारियों को रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ई-शपथ लेने के लिए भी प्रेरित किया गया, जिसके लिए रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की वेबसाइट (www.nhidcl.gov.in) पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट (www.cvc.gov.in) का लिंक उपलब्ध कराया गया था।

(**ग**) सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के इस वर्ष के विषय के बारे में नागरिकों और रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजना अनुवीक्षण एककों में हिंदी और अंग्रेजी में विभिन्न स्टैंडियों और दीवारों पर लगे पोस्टर/बैनर डिज़ाइन कर प्रदर्शित किए गए। इन पोस्टरों को हमारे देश के सुदूर क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी तैयार किया गया था, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलायी जा सके।

(**घ**) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने पास के विद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन किया, ताकि अधिकारियों और हितधारकों को जागरूक किया जा सके। उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए पीआईडीपीआई संकल्प के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, इस सप्ताह के दौरान रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड मुख्यालय और कई क्षेत्रीय कार्यालयों , परियोजना अनुवीक्षण एकक के कार्यालयों के साथ-साथ कुछ नजदीकी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने नजदीकी विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया, ताकि बच्चों में भ्रष्टाचार और पीआईडीपीआई के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

(**ङ**) सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के समापन पर, श्री बानी ब्रत राय, निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 03.11.2023 को रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के सम्मेलन हॉल में 'निवारक सतर्कता' और सामान्य सतर्कता मामलों पर एक व्याख्यान दिया और अधिकारियों को निवारक सतर्कता के प्रति संवेदनशील किया। अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस व्याख्यान में जुड़े और उन्होंने प्रश्न पूछकर अपने संदेहों को दूर किया, जिनका समाधान निदेशक, सीवीसी ने किया। निदेशक, सीवीसी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के दौरान रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड मुख्यालय में आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के अवसर पर रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा ली गई ईमानदारी और प्रतिबद्धता की शपथ

खंड-II
संगठन की रिपोर्ट

3. परियोजना कार्यान्वयन और प्रबंधन हेतु प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी पहल

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने अपनी परियोजनाओं और संबंधित व्यावसायिक कार्यों के प्रभावी प्रबंधन हेतु वेबसाइट, वेब अनुप्रयोगों और विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ किया है। यह संगठन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न अनुप्रयोगों का उपयोग करके प्रभावी सहयोग और साथ ही साथ एकीकरण सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना की शुरुआत, कार्यान्वयन और प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड को दो प्रमुख अनुप्रयोगों की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड अपनी कार्यकुशलता और प्रभावी प्रबंधन हेतु कई एनआईसी अनुप्रयोगों और सेवाओं का भी लाभ उठाता है।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग लगातार रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर विकास के लिए समर्पित रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विभाग की प्रमुख पहलें आगामी अनुभागों में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई हैं।

3.1 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के आंतरिक अनुप्रयोग

3.1.1 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड वेबसाइट

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की वेबसाइट को आईटी विभाग द्वारा आंतरिक रूप से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। यह वेबसाइट संगठन की जानकारी और प्रमुख गतिविधियों के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करती है, साथ ही रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के अनुप्रयोगों के साथ-साथ विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के अनुप्रयोगों से भी जोड़ती है। वेबसाइट पर नवीनतम अद्यतन, समाचार, परियोजना संबंधी गतिविधियाँ, निविदाएँ, नौकरी के अवसर और सोशल मीडिया के माध्यम से लक्षित दर्शकों तक सरल पहुँच प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सभी लागू परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट आरटीआई अधिनियम के तहत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। वेबसाइट में एकीकृत प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:

क) कर्मचारी पोर्टल

कर्मचारी पोर्टल रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों का एक समृद्ध संग्रहालय है, जिसमें कार्यालय आदेश, परिपत्र, बैठक की कार्यवृत्तियाँ, आईएस कोड, आईआरसी प्रकाशन, नीतियाँ आदि सम्मिलित हैं। इस पोर्टल में रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के सभी शाखा कार्यालयों और कर्मचारियों का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध है।

ख) नौकरी पोर्टल

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक विशेष नौकरी पोर्टल विकसित किया है, जिसका उद्देश्य आवेदन पत्रों को सहजता से आमंत्रित करना है। यह पोर्टल उपयोगकर्ता-अनुकूल और संवेदनशील इंटरफेस है, जो विज्ञापित अवसरों के लिए आवेदन पत्र को त्वरित और सरल तरीके से भरने में सहायक है।

ग) बैंक गारंटी प्रबंधन प्रणाली

यह अनुप्रयोग रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा प्राप्त बैंक गारंटियों के डिजिटल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से एजेंसियाँ अपनी संबंधित परियोजनाओं से जुड़ी बैंक गारंटियाँ आसानी से जमा कर सकती हैं। यह प्रणाली आंतरिक सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है और बैंक गारंटी की स्थिति के बारे में सभी हितधारकों को समय पर सूचना प्रदान करती है।

घ) विचारों का बैंक

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजमार्गों और संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के प्रभावी और सुरक्षित निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए नए विचारों और नवाचारों में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अभिनव प्रणाली की परिकल्पना की है। विचार बैंक प्रणाली, पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त ऐसे विचारों को कागज रहित रूप में एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली के माध्यम से, उन नवोन्मेषी और परिवर्तनकारी विचारों का चयन किया जाता है, जो परियोजनाओं में व्यावहारिक, संभावित और लाभकारी पाए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है।

ङ) प्रतिक्रिया पोर्टल

सामान्य जनता या इच्छुक हितधारक रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया की गंभीरता के आधार पर, उसकी प्राथमिकता तय कर उन पर कार्रवाई की जाती है।

3.1.2 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

ई-दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) एक वेब-आधारित एप्लिकेशन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य परियोजना से संबंधित दस्तावेजों को भेजने, प्राप्त करने, ट्रैक करने, प्रबंधित करने और संग्रहीत करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। यह प्रणाली महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे परिवर्तन सीमा (सीओएस), जानकारी के लिए अनुरोध (आरएफआई), समय विस्तार (ईओटी), बिलों का प्रस्तुतीकरण, पूरक प्रमाणपत्र आदि को प्रबंधित करने में मदद करती है। ईडीएमएस सूचना और डेटा के शीघ्र पुनः प्राप्ति और लचीली खोज में सहायक है। यह मैन्युअल दस्तावेज़ प्रसंस्करण को कम करता है और अंततः इसे समाप्त करने में मदद करता है, जिससे कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि होती है।

ईडीएमएस पोर्टल को कार्यप्रवाह-आधारित अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाने और परियोजना-संबंधित निरीक्षण अनुरोध (आरएफआई) के लिए मापन पुस्तिका को डिजिटाइज़ करने हेतु एक प्रमुख उन्नयन के लिए सक्रिय रूप से विकसित किया जा रहा है। इस प्रणाली को और अधिक उन्नत बनाया गया है ताकि यह सभी हितधारकों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करने के लिए व्यापक डैशबोर्ड और रिपोर्ट निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराए। यह प्रणाली महत्वपूर्ण जानकारी तक त्वरित और सटीक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और सशक्त हो जाती है।

3.1.3 पीएमपी-रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड पोर्टल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशानुसार, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के लिए एनएचएआई का डेटा लेक इंस्टैन्स विकसित किया जा रहा है, जिसे पीएमपी-रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड पोर्टल के नाम से जाना जाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सड़क परिवहन और राजमार्ग अवसंरचना विकास परियोजनाओं के संपूर्ण जीवनचक्र को सुसंगत और सरल बनाना है। यह पोर्टल परियोजना की शुरुआत से लेकर पूर्व-निर्माण, निर्माणाधीन और रखरखाव के चरणों तक की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटाइज़ करेगा। यह एनएचएआई के मौजूदा डेटा लेक पोर्टल का एक उन्नयन है, जो रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की परियोजनाओं की स्वचालित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी को सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही, यह प्रणाली अनुकूलित सजगता जारी करने, लंबित मुद्दों के समाधान और उनके त्वरित निस्तारण, रिपोर्ट निर्माण, और एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जैसी उन्नत सुविधाएँ प्रदान करेगी। यह परियोजनाओं के प्रबंधन और निगरानी को न केवल अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सशक्त करेगा।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के लिए एनएचएआई वन एप्लिकेशन का एकीकरण भी किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं की प्रगति के दौरान आवश्यक विशेषज्ञों की साइट पर उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और समयबद्ध निरीक्षण प्रक्रिया को सशक्त बनाया जा सके। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संपन्न की गई हैं और पूर्व-निर्माण चरण हेतु आवश्यक मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।पीएमपी-रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड पोर्टल को 30 दिसंबर, 2024 तक रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का डिफ़ॉल्ट परियोजना निगरानी पोर्टल बनाए जाने की संभावना है। यह पोर्टल परियोजनाओं की निगरानी और प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

3.1.4 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड डायरेक्टरी एंड्रॉइड एप्लिकेशन

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड डायरेक्टरी एप्लिकेशन को संगठन की महत्वपूर्ण संपर्क जानकारी को केंद्रीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। इस एप्लिकेशन में उपयोगकर्ताओं को पदनाम, विभाग, स्थान आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर संपर्कों को खोजने की सुविधा प्रदान की गई है। विशेष रूप से, इस एप्लिकेशन में सम्मिलित सभी फ़ोन नंबर और ईमेल पते संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन से सीधे जुड़े हुए हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को संपर्क स्थापित करने में त्वरितता और सहजता मिलती है। यह एप्लिकेशन संगठन के भीतर संचार को अधिक कुशल और व्यवस्थित बनाने में सहायक है।

3.2 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुप्रयोग

3.2.1 एसएपी – ईआरपी

एसएपी प्रणाली को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई-दिशा टीम द्वारा लागू किया गया है, और इसे रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के वित्त विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की कंफिगरेशन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई-दिशा टीम के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के देशभर में स्थित सभी कार्यालयों में परियोजना के जीवनचक्र को अब एसएपी प्लेटफॉर्म पर दर्ज और प्रबंधित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक निर्बाध पहुंच, साथ ही प्रणाली-आधारित परियोजना लेखांकन और प्रगति निगरानी को सक्षम बनाता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड एसएपी के सभी मॉड्यूल का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है, जिसमें लेखांकन, पेरोल, संपत्ति प्रबंधन और कर्मचारियों के पुनर्भुगतान अनुमोदन सम्मिलित हैं। इसी तरह, सभी विक्रेता भुगतान भी एसएपी पर किए जा रहे हैं। एसएपी के माध्यम से स्वचालित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पीएफएमएस भुगतान प्रणाली को एसएपी से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

3.2.2 परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली

परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पी.एम.आई.एस.) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई-दिशा टीम द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशानुसार इसे रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड को सौंपा गया है। यह पोर्टल रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें पूर्व-निर्माण गतिविधियाँ (डीपीआर, एलए, एफसी, आदि), निर्माणाधीन/ कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएँ (ईपीसी,बीओटी (एन्युटी), हाइब्रिड परियोजनाएँ, जिसमें विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ, एई गतिविधियाँ आदि सम्मिलित हैं), और पश्चात-निर्माण गतिविधियाँ (संचालन और रखरखाव से संबंधित परियोजनाएँ) सम्मिलित हैं।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड पीएमआईएस का उपयोग परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए करता है, ताकि पीएमआईएस पोर्टल द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट और विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाइयाँ की जा सकें, जो डैशबोर्ड पर उचित उपयोगकर्ता स्तर पर मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं। आईटी विभाग पीएमआईएस उपयोगकर्ताओं को पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाता है, इसके लिए वह ई-दिशा टीम के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान करता है और उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

3.2.3 भूमिराशि पोर्टल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज़ करने के लिए भूमिराशि पोर्टल का विकास किया है। भूमि अर्जन के सक्षम प्राधिकरण (सीएएलए) द्वारा ड्राफ्ट भूमि अर्जन अधिसूचनाएँ अब ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती हैं। मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के बाद, इन अधिसूचनाओं को ई-गजट के माध्यम से भारत सरकार प्रेस को ऑनलाइन भेजा जाता है, जिससे सम्पूर्ण भूमि अर्जन प्रक्रिया पूरी तरह से कागज़ रहित और पारदर्शी हो जाती है।

भूमिराशि पोर्टल के माध्यम से रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड परियोजनाओं के लाभार्थियों को सीएएलए द्वारा ऑनलाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं।

3.2.4 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एनओसी पोर्टल उपयोगिता अनुमति श्रेणी के तहत औद्योगिक और सार्वजनिक उपयोगिताएँ (जैसे ओएफसी पाइपलाइंस, तार, पेट्रोल पंप, आदि), मार्ग के किनारे की सुविधाएँ और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए पहुँच प्रदान करता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड इस पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करने के बाद, केंद्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सभी अनुरोधों को सक्रिय रूप से मंजूरी प्रदान करता है।

3.2.5 पीएमजी पोर्टल

पीएमजी एक संस्थागत तंत्र है जो उन परियोजनाओं में उत्पन्न हो रही देरी या राज्य और/या केंद्रीय मंत्रालयों से नियामक मंजूरी का इंतजार कर रही परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान में मदद करता है। यदि किसी कंपनी को केंद्रीय और/या राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त करने में कोई रुकावट आती है, तो वह परियोजना और उससे जुड़े मुद्दों को पीएमजी पोर्टल पर अपलोड कर सकती है, बशर्ते उसने पोर्टल पर खाता और लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाए हों। सत्यापन के बाद, पीएमजी संबंधित प्राधिकरणों के साथ इन मुद्दों को उठाता है और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड अपनी सभी परियोजना से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करता है और अपनी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक इनपुट और समाधान प्राप्त करता है।

3.2.6 विधिक सूचना प्रबंधन और समीक्षा प्रणाली

विधिक सूचना प्रबंधन और समीक्षा प्रणाली (एल.आई.एम.बी.एस.) एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधायी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली एक ही मंच पर विधिक डेटा उपलब्ध कराती है, जिससे भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे सभी मुकदमेबाजी मामलों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड विभिन्न न्यायालयों में चल रहे सभी विधिक मामलों की सक्रिय रूप से निगरानी करता है, ताकि समय पर निर्णय और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

3.2.7 विधिक मामले प्रबंधन

विधिक मामले प्रबंधन (एल.सी.एम.), जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, विधिक मामलों की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखने की सुविधा प्रदान करता है और दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करने तथा एक व्यवस्थित समय सारणी तैयार करने में सहायता करता है।

3.2.8 केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.) एक अत्याधुनिक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो नागरिकों को 24x7 अपनी शिकायतें सार्वजनिक अधिकारियों के पास दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सेवा वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। यह एक एकल पोर्टल है, जो भारत सरकार

और राज्यों के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से सीधे जुड़ा हुआ है। सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. में दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय प्राप्त अद्वितीय पंजीकरण आईडी के माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड इस प्रणाली का सक्रिय उपयोगकर्ता है, और इस पोर्टल पर सौंपे गए सभी शिकायतों का निवारण गंभीरता और समर्पण के साथ किया जाता है।

3.2.9 वीआईपी संदर्भ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 'ई-दिशा' के अंतर्गत एक ऑनलाइन वीआईपी संदर्भ प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों और केंद्रीय मंत्रालयों आदि द्वारा प्रेषित वीआईपी संदर्भों को सुगमता से ट्रैक करना और उनका निपटान सुनिश्चित करना है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड इस पोर्टल पर सौंपे गए सभी अनुरोधों और प्रश्नों का सक्रियता से अनुसरण करता है तथा इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

3.2.10 ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली

ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओ.सी.एम.एस.) एक ऐसा डेटाबेस है जिसे आईपीएमडी, एमओएसपीआई द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले सभी केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित डेटा का संग्रह, विश्लेषण और वितरण सुनिश्चित करना है।

3.3 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा प्रबंधित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अनुप्रयोग

3.3.1 इनामप्रो+

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अवसंरचना और सामग्री प्रदाताओं के लिए एक वेब पोर्टल इनाम-प्रो विकसित किया, जिसे औपचारिक रूप से 10.03.2015 को लॉन्च किया गया। केवल दो वर्षों की अल्प अवधि में इनाम-प्रो का उपयोग 800 से अधिक निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जा चुका है। अपनी स्थापना के बाद से ही इनाम-प्रो ने मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन को प्रभावी रूप से रोकने, समय पर सामग्री आपूर्ति के माध्यम से परियोजना निष्पादन में देरी को कम करने, अधिकतम मूल्य सीमा तंत्र (सीलिंग प्राइस मेकैनिज़्म) के माध्यम से मूल्य हेजिंग द्वारा लागत वृद्धि को नियंत्रित करने, ऑनलाइन भुगतान तंत्र के माध्यम से आपूर्ति में विलंब को समाप्त करने और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कीमतों के कारण बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

इस पोर्टल को उन्नत करके इनाम-प्रो+ के रूप में विकसित किया गया है। इस उन्नत संस्करण में निर्माण सामग्री, उपकरण/मशीनरी और सेवाओं की खरीद, किराये या लीज़ पर उपलब्धता से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। इसमें नई और प्रयुक्त सामग्री एवं सेवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे सड़क चिह्न, एंबुलेंस, रूट पेट्रोलिंग, वृक्षारोपण/वृक्ष प्रत्यारोपण आदि, की खरीद/किराये/लीज़ की सुविधा उपलब्ध है।

3.3.2 इन्फ्राकॉन पोर्टल

इन्फ्राकॉन एक पोर्टल है जो विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र, विशेषकर सड़क और राजमार्गों के लिए कार्य कर रही परामर्श फर्मों और परामर्शकों के लिए है। इस पोर्टल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि परामर्श फर्में और प्रमुख कर्मी अपनी प्रमाणिकताएँ ऑनलाइन अपलोड कर सकें और उनकी तकनीकी प्रस्तावों का प्रणाली-आधारित मूल्यांकन किया जा सके। इस पोर्टल में फर्मों और कर्मियों के सीवी और प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन होस्ट करने की भी सुविधा है, जिसमें डेटा सत्यापन और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आधार से लिंकिंग की व्यवस्था भी प्रदान की गई है।

350 क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सरकारी संगठनों, जैसे स.प.रा.मंत्रालय, रा.रा.प्रा., रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड, भा.पु.इं.सं., सी.सी.स., के.लो.नि.वि., राज्य लो.नि.वि, और स्थानीय निकायों से पोर्टल पर

जोड़ा गया है। 973 परामर्श फर्में अपनी पूरी प्रोफ़ाइल के साथ पंजीकृत हैं। स्थापना से अब तक कुल 2471 फर्मों और 43618 प्रमुख कर्मियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस पोर्टल पर 10000 सक्रिय प्रोफ़ाइल्स हैं, जिनके सीवी पूर्ण हैं। 5300 टेंडर इस पोर्टल पर क्लाइंट द्वारा अथॉरिटी इंजीनियर और डीपीआर के लिए अपलोड किए गए हैं।

पोर्टल अब ई-साइन प्रमाणीकरण से सक्षम है, जो ऑनलाइन समझौतों या संविदाओं को औपचारिक रूप से वैध बनाता है, जिससे वे विधिक रूप से बाध्यकारी और सुरक्षित हो जाते हैं। आधार प्रमाणीकरण भी एकीकृत किया गया है, जो आधार विवरण का उपयोग करके व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करता है, जो देश में कई सरकारी और निजी सेवाओं के लिए आवश्यक है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) टोकन का भी उपयोग किया जा रहा है, जो दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रूप से हस्ताक्षरित करने का एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है। सॉफ़्टवेयर में डीएससी टोकन का एकीकरण डिजिटल दस्तावेजों और लेन-देन की प्रामाणिकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है।

पोर्टल प्रमुख कर्मियों के पृष्ठभूमि सत्यापन के लिए स्वचालित अलर्ट उत्पन्न करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संबंधित हितधारकों को किसी भी कमी या विसंगति की त्वरित जानकारी दी जा सके। प्रमुख कर्मियों की प्रोफ़ाइल की पुनरावृत्ति (डुप्लिकेट प्रोफ़ाइल) से बचने के लिए आधार कार्ड आधारित ई केवाईसी को भी एकीकृत किया जा रहा है, जो पहचान का त्वरित और प्रमाणित सत्यापन सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख कर्मियों की प्रोफ़ाइल की पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए उनके सीवी क्षेत्रों को और अधिक व्यापक और उन्नत बनाया गया है, जिससे आवश्यक डेटा का सटीक और विस्तृत संग्रह किया जा सके।

प्रणाली-चालित तकनीकी मूल्यांकन को और अधिक परिष्कृत और सक्षम बनाया गया है, ताकि सभी मापदंडों का पूर्णतः स्वचालित तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए अतिरिक्त इनपुट्स को सम्मिलित किया गया है। पोर्टल पर कई नए इनपुट फ़ॉर्म विकसित किए गए हैं और उन्हें मौजूदा मॉड्यूल्स के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

इन्फ्राकॉन की दक्षता बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी कमजोरियों को दूर करने के उद्देश्य से विंडोज़-12 सर्वर से विंडोज़-16 सर्वर पर स्थानांतरित किया गया है।

राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए इन्फ्राकॉन को प्रथम सेमी-फाइनलिस्ट एसकेओसीएच अवार्ड - इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्ड 2024 से सम्मानित किया गया।

3.4 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा उपयोग में लाए जा रहे एनआईसी अनुप्रयोग।

3.4.1 ई-मेल सेवाएँ

एनआईसी ने रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड को ई-मेल सेवाएँ प्रदान की हैं, जिसमें 'nhidcl.com' डोमेन पीएसयू के रूप में उपलब्ध कराया गया है। एनआईसी मेल खातों में समृद्ध विशेषताएँ हैं और यह उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त मेलबॉक्स स्टोरेज स्पेस सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टोरेज स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार, कुल 1200 मेल अकाउंट्स का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें पर्याप्त मेल स्टोरेज क्षमता है। उच्च उपयोग वाले खातों के लिए अतिरिक्त 2 टीबी स्टोरेज भी प्राप्त किया गया है।

3.4.2 ई-ऑफिस

ई-ऑफिस का उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना है। ई-ऑफिस 'ओपन आर्किटेक्चर' प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जो इसे एक पुनः प्रयोज्य ढांचा बनाता है, जिसे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लागू किया जा सकता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ई-ऑफिस का उपयोग फाइलों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचलन और ट्रैकिंग के लिए कर रहा है। यह प्रणाली कार्यक्षमता को बढ़ाती है, काम के समय को कम करती है, और पारदर्शिता तथा जवाबदेही स्थापित करती है।

3.4.3 ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली और जीईएम

ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत वस्तुएं, सेवाएं आदि इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदी जाती हैं। इस सुविधा से निविदा चक्र का समय काफी कम हो जाता है, अप्रत्यक्ष लागतों में कमी आती है और खरीदारी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थाओं और पीएसयू द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है। जीईएम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और गति को बढ़ावा देना है। यह ई-बिडिंग, रिवर्स ई-ऑक्शन और मांग समाग्रह के उपकरण प्रदान करता है, जिससे सरकारी उपयोगकर्ता सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। सीपीपी पोर्टल/ई-टेंडर पोर्टल और जीईएम पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की सभी निविदा और खरीदारी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो आईटी विभाग द्वारा पूरी तरह से समर्थित है।

3.5 सोशल मीडिया टीम

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने 29.03.23 को एक एजेंसी नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया सेल टीम का गठन करना था, ताकि भारत के सबसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं को सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर उजागर किया जा सके और संगठन को एक ब्रांड पहचान मिल सके। यह संगठन अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में, सुदूर स्थानों पर सड़क निर्माण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। इस वर्ष के दौरान, सोशल मीडिया टीम ने अभियान और क्रिएटिव्स तैयार किए, जिससे सार्वजनिक रूप से रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा की जा रही अवसंरचना विकास गतिविधियों को उजागर किया गया और जनसमूह को इसके बारे में जागरूक किया गया।

निम्नलिखित अभियानों का आयोजन किया गया:

- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा चल रही परियोजनाओं की निर्माण संबंधी सूचनाएँ।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में नई तकनीकों के उपयोग पर अभियान।
- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा किए जा रहे अवसंरचनात्मक विकास की जानकारी।
- "मेरे दृष्टिकोण" और "सिटिजन्स कॉर्नर" अभियान के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया।
- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की उपलब्धियों पर अभियान।
- सड़क सुरक्षा पर अभियान।
- वाहन रखरखाव पर अभियान।
- पर्यटन स्थलों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रचार।
- सड़क संकेतों के प्रति जागरूकता अभियान।
- मीडिया द्वारा सड़क/परियोजनाओं से संबंधित गलत रिपोर्टिंग पर प्रतिक्रिया अभियान।
- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं पर अभियान।
- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ब्लॉग
- हर घर तिरंगा, स्वच्छता अभियान, सतर्कता सप्ताह, सड़क सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय आयोजनों/अभियानों की प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, परियोजना अनुवीक्षण एकक और मुख्यालय से कवरेज।

4.1 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की आदेश पुस्तिका

क्र. सं.	राज्य	सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई	चालू सिविल कार्य	सुरंगों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संबंधी कार्य	भारत माला परियोजना के अलावा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	सिद्धांत रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
1	अंडमान और निकोबार	331	179	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1,219	363	0	243	219
3	असम	1,283	1,062	45	123	0
4	जम्मू और कश्मीर	448	193	88	117	94
5	लद्दाख	234	213	0	0	0
6	मणिपुर	1,481	894	0	404	0
7	मेघालय	367	393	0	384	0
8	मिज़ोरम	912	782	0	0	0
9	नागालैंड	690	572	0	3	839
10	सिक्किम	256	181	0	49	0
11	त्रिपुरा	879	326	0	100	0
12	उत्तराखंड	100	104	2	0	0
13	पश्चिम बंगाल	98	77	0	19	0
	कुल योग	**8,298**	**5,338**	**135**	**1,442**	**1,152**

नोट: सभी आंकड़े किलोमीटर (कि.मी.) में हैं।

4.2 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के चालू कार्यों का सिंहावलोकन

क्र. सं.	राज्य	कुल चालू परियोजनाएँ		
		परियोजनाओं की संख्या	लंबाई (कि.मी. में)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रूपये में)
1	अंडमान और निकोबार	8	179	1,460
2	अरुणाचल प्रदेश	16	363	5,552
3	असम	51	1,062	39,672
4	जम्मू और कश्मीर	16	193	14,964
5	लद्दाख	10	213	2,250
6	मणिपुर	44	894	14,078
7	मेघालय	17	393	7,219
8	मिज़ोरम	30	782	17,870
9	नागालैंड	28	572	10,178
10	सिक्किम	13	181	4,494
11	त्रिपुरा	17	326	7,883
12	उत्तराखंड	7	104	3,205
13	पश्चिम बंगाल	5	77	1,611
	कुल योग	**262**	**5,338**	**1,30,435**

4.3 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निर्माण लक्ष्य और उपलब्धियाँ

सभी आंकड़े किलोमीटर (कि.मी.) में हैं।

क्र. सं.	राज्य	निर्माण लक्ष्य (2022-23)	कुल लम्बाई (डीबीएम) पूर्ण की गई
1	अंडमान और निकोबार	16	11
2	अरुणाचल प्रदेश	130	66
3	असम	410	170
4	जम्मू और कश्मीर	121	82
5	लद्दाख	157	81
6	मणिपुर	395	196
7	मेघालय	173	114
8	मिज़ोरम	286	203
9	नागालैंड	161	114
10	सिक्किम	128	55
11	त्रिपुरा	118	47
12	उत्तराखंड	4	0
13	पश्चिम बंगाल	14	21
	कुल योग	**2,115**	**1,160**

4.4 वर्ष 2024-25 के लिए निर्माण हेतु सौंपे गए राज्यवार कार्य लक्ष्य

सभी आंकड़े किलोमीटर (कि.मी.) में हैं।

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लक्ष्य	
		सौंपे गए	निर्माण
1	अंडमान और निकोबार	-	25
2	अरुणाचल प्रदेश	520	50
3	असम	219	277
4	जम्मू और कश्मीर	112	30
5	लद्दाख	-	66
6	मणिपुर	67	238
7	मेघालय	173	90
8	मिज़ोरम	26	115
9	नागालैंड	20	165
10	सिक्किम	48	70
11	त्रिपुरा	100	65
12	उत्तराखंड	-	3
13	पश्चिम बंगाल	19	6
	कुल योग	**1,304**	**1,200**

5. दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सभी सिविल कार्यों का राज्यवार सिंहावलोकन

5.1 अंडमान और निकोबार

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रा.रा.-4 पर दक्षिण अंडमान और बाराटांग द्वीपों को जोड़ने वाले 106.590 किलोमीटर से 108.553 किलोमीटर के बीच मिडिल स्ट्रेट क्रीक पर स्थित प्रमुख पुल का शेष निर्माण कार्य।	2	31-03-15	263	कार्य अभी सौंपा जाना है।	-	-	-
2	ईपीसी आधार पर संघ शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हार्ड शोल्डर के साथ रा.रा.-223 (नया रा.रा.-4) के 242.0 किलोमीटर से 298.0 किलोमीटर तक 2 लेन के भाग का पुनरुद्धार और उन्नयन।	55	28-03-17	410	05-12-17	93.11%	92.25%	04-12-19
3	ईपीसी आधार पर पैकेज-III A के अंतर्गत संघ शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हार्ड शोल्डर सहित रा.रा.-04 के 107.760 किलोमीटर से 129.445 किलोमीटर (मिडल स्ट्रेट से हम्फ्री तक) और 130.600 किलोमीटर से 138.00 किलोमीटर (हम्फ्री से कदमतला तक) 2 लेन भाग का पुनरुद्धार, उन्नयन और शेष कार्यों की पूर्णता।	29.405	27-02-18	391	14.03.2024	0%	0%	12-09-2025
4	ईपीसी आधार पर पैकेज-III B के अंतर्गत संघ शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हार्ड शोल्डर सहित रा.रा.-04 के 155.00 किलोमीटर से 181.00 किलोमीटर (जर्वा से रंगत तक) तक के खंड का पुनरुद्धार, उन्नयन और शेष कार्यों की पूर्णता।	26.000	27-02-18	391	कार्य अभी सौंपा जाना है।	-	-	-
5	संघ शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में (पैकेज-IV) के अन्तर्गत हार्ड शोल्डर सहित रा.रा.-04 (पुराना रा.रा.-223) के 206.00 किलोमीटर से 239.425 किलोमीटर तक के मध्यवर्ती लेन खंड का पुनरुद्धार और उन्नयन।	33	14-03-18	234	04-09-18	78.5%	75%	03-09-20
6	पैकेज-VIII के अन्तर्गत हार्ड शोल्डर सहित रा.रा.-04 के 298.00 किलोमीटर से 330.662 किलोमीटर (कराला से कालिपुर तक) तक के मध्यवर्ती लेन खंड का पुनरुद्धार।	33	09-03-19	109	01-07-21	56.64%	53.25%	01-07-23
7	चार लघु पुलों का निर्माण।	0.14	05-06-2020	31.32	23-11-2020	100%	99.54%	23-05-2021
8	रा.रा.-04 के 298.000 किलोमीटर से 330.662 किलोमीटर (कराला से कालिपुर तक) तक 94 नालों का निर्माण।	-	14.06. 2022	20.62	09-04-2021	100%	98.38%	03-01-2022

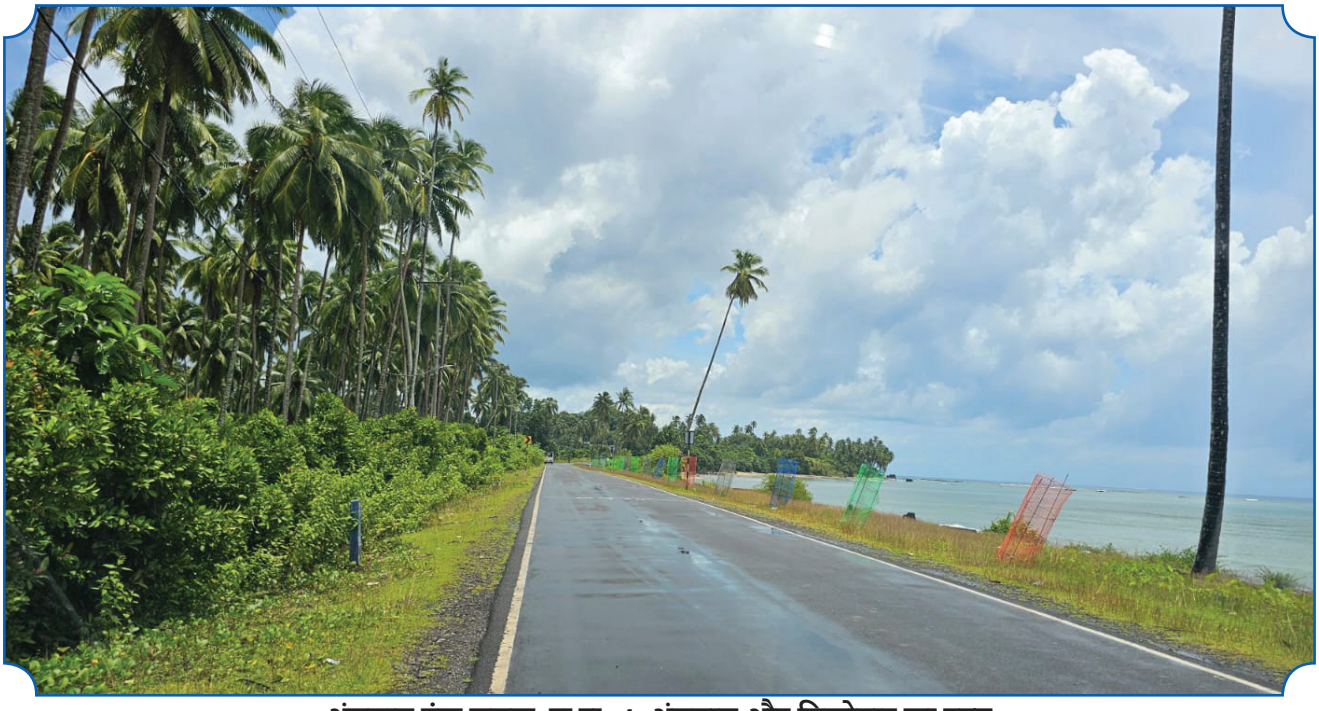

अंडमान ट्रंक सड़क, रा.रा.-4, अंडमान और निकोबार का दृश्य

रा.रा.-04 के 129.420 से 130.600 किलोमीटर के बीच हम्प्री स्ट्रेट क्रीक पुल का दृश्य

5.2 अरुणाचल प्रदेश

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	ईपीसी आधार पर पैकेज-III के अन्तर्गत हयुलियांग - हवाई सड़क, डिज़ाइन 34.000 किलोमीटर से 51.825 किलोमीटर तक [मौजूदा 26.625 किलोमीटर से 45.050 किलोमीटर (हयुलियांग – हवाई सड़क)] पर 2 लेन का निर्माण।	18	15-02-17	263	10-11-17	100%	98%	09-11-20
2	ईपीसी आधार पर पैकेज-IV के अन्तर्गत हयुलियांग – हवाई बाइपास सड़क के शेष कार्य का डिज़ाइन 51.825 किलोमीटर से 63.131 किलोमीटर तक, मौजूदा 45.050 किलोमीटर (हयुलियांग - हवाई सड़क) से हवाई टाउन तक 2 लेन निर्माण।	11	15-02-17	257	03-05-21	90%	83%	02-05-23
3	ग्रीन फील्ड एलाइन्मेंट के अन्तर्गत रोइंग - हुनली सड़क के मौजूदा 16.00 किलोमीटर से 74.00 किलोमीटर तक (अनिनी रोड के मौजूदा 21.50 किलोमीटर के पास इथुन ब्रिज) के लिए 2-लेन सड़क का निर्माण।	75	25-01-17	1719	05-03-18	67%	62%	04-03-22
4	(सीओएस कार्य) के अंतर्गत मौजूदा च. 23+650 (डिज़ाइन च. 23+550) और च. 28+200 (डिज़ाइन च. 28+200) पर 160 मीटर के पुल स्पैन के साथ मौजूदा हुनली-अनिनी रोड (पैकेज 1) के 21.500 किलोमीटर से 37.500 किलोमीटर तक 2 प्रमुख पुलों का निर्माण।	0.32	25-04-16	30.00	17-12-21	70%	70%	19-06-23
5	पैकेज-III के अन्तर्गत 53.500 किलोमीटर से 92.500 किलोमीटर तक हुनली-अनिनी सड़क का 2-लेन निर्माण।	39	09-09-16	569	16-12-16	99%	98%	15-12-19
6	पैकेज-V के अन्तर्गत 106.20 किलोमीटर से 120.00 किलोमीटर तक हुनली-अनिनी सड़क का 2-लेन निर्माण।	14	07-12-16	200	19-01-17	100%	99%	18-01-20
7	ईपीसी आधार पर पैकेज-2 के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश राज्य में डिज़ाइन 33.00 किलोमीटर से 65.810 किलोमीटर तक (मौजूदा 36.00 किलोमीटर से 71.00 किलोमीटर) अकाजान-लिकाबाली-बामे सड़क के 2-लेन के शेष कार्य का निर्माण।	33	22-07-15	118	01-09-21	100%	99%	03-03-23
8	पैकेज-III के अन्तर्गत जोरम-कोलोरियांग रोड (रा. रा.-713) के मौजूदा 50.050 किलोमीटर से 70.00 किलोमीटर तक [डिज़ाइन 44+989 किलोमीटर से 61.547 किलोमीटर तक] 2-लेन के शेष कार्य का निर्माण।	17	15-02-17	229	01-10-20	95%	93%	02-04-22
9	पैकेज-IV के अन्तर्गत जोरम-कोलोरियांग रोड (रा. रा.-713) के मौजूदा 70.00 किलोमीटर से 88.700 किलोमीटर तक [डिज़ाइन 61.547 किलोमीटर से 78.724 किलोमीटर तक] 2-लेन के शेष कार्य का निर्माण ।	17	15-02-17	294	01-10-20	93%	92%	02-04-22
10	(पैकेज-V) के अन्तर्गत जोरम-कोलोरियांग रोड मौजूदा 88.700 किमी से 104.850 किमी तक [डिज़ाइन किमी 78.724 से किमी 93.724] 2-लेन के शेष कार्य का निर्माण।	15	15-02-17	230	01-10-20	100%	96%	02-04-22
11	पैकेज-VI के अन्तर्गत जोरम-कोलोरियांग रोड (रा. रा.-713) मौजूदा 104.850 किलोमीटर से 122.600 किलोमीटर तक [डिज़ाइन 92.724 किलोमीटर से 108.724 किलोमीटर तक] के 2-लेन के शेष कार्य का निर्माण ।	15	15-02-17	199	01-10-20	100%	99%	02-04-22

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
12	पैकेज-VII के अन्तर्गत जोरम-कोलोरियांग रोड (रा.रा.-713) , मौजूदा 122.600 किलोमीटर से 138.00 किलोमीटर तक [डिज़ाइन 108.724 किलोमीटर से 123.714 किलोमीटर तक] (डिज़ाइन लंबाई = 14.99 किलोमीटर) 2-लेन के शेष कार्य का निर्माण।	15	15-02-17	185	01-10-20	90%	87%	02-04-22
13	एसएआरडीपी-एनई (पैकेज-VIII) (डिज़ाइन लंबाई - 16.035 किलोमीटर) के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर (पैकेज-VIII) पेव्ड शोल्डर के साथ जोरम-कोलोरियांग रोड (रा.रा.-713) के मौजूदा 138.000 किलोमीटर से 158.000 किलोमीटर तक [डिज़ाइन 122+353 किलोमीटर से 138+389 किलोमीटर तक] 2-लेन के शेष कार्य का निर्माण। ।	16	15-02-17	244	07-05-22	85%	84%	06-11-23
14	रा.रा.(ओ)-एनई के अन्तर्गत हार्ड शोल्डर के साथ, एरोवा-खुपा-हयुलियांग रा.रा.-113 के (च.68.550 से च.91.633 तक) खंड का 2-लेन निर्माण।	23	31-07-20	301	25-10-20	55%	52%	27-04-22
15	ईपीसी आधार पर रा.रा.-एनई के अन्तर्गत हार्ड शोल्डर के साथ डेमवे-ब्रह्मकुंड रा.रा.-13 के (च.0.00 किलोमीटर से 18.464 किलोमीटर तक) खंड का 2-लेन निर्माण।	18	19-08-20	354	05-11-20	25%	16%	08-05-22

हुनली-अनीनी सड़क का दृश्य, पैकेज-III

5.3 असम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि. मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	ईपीसी आधार पर रंगागड़ा से कालियाभोर तिनियाली तक (रा. रा.-37) पर 297.00 किलोमीटर से 315.315 किलोमीटर तक 4-लेन का निर्माण।	18.32	12-01-2016	289.99	23-10-2017	86.86	84.91	21-04-2020
2	रा.रा.-52 पर जामुगुरी से बिश्वनाथ चिरियाली तक (182 किलोमीटर से 208 किलोमीटर तक) 4-लेन का निर्माण ।	26.00	31-03-2015	520.01	19-12-2016	90.01	84.18	19-06-2019
3	डेरगांव बाईपास को छोड़कर (टोल प्लाजा सहित) नुमालीगढ़ से जोरहाट तक 402.500 किलोमीटर से 453.000 किलोमीटर तक (डिज़ाइन 403.200 किलोमीटर से 454.240 किलोमीटर तक) 4-लेन का निर्माण।	39.72	31-10-2014	814.56	23-05-2015	99.3	96.7	21-05-2018
4	पैकेज-1 के अन्तर्गत जोरहाट से झांझी तक 4-लेन का शेष कार्य।	10.00	31-10-2014	738.15	14-02-2024	1.2	0	11-08-2024
5	पैकेज-2 के अन्तर्गत जोरहाट से झांझी तक 4-लेन का शेष कार्य ।	14.00	31-10-2014		14-02-2024	1.3	0	11-08-2024
6	पैकेज-3 के अन्तर्गत जोरहाट से झांझी तक 4-लेन का शेष कार्य।	13.80	31-10-2014		14-02-2024	2.35	0	11-08-2024
7	पैकेज-4 के अन्तर्गत (संरचनाएं और टोल प्लाजा) जोरहाट से झांझी तक 4-लेन का शेष कार्य, ।	0.00	31-10-2014		14-02-2024	1.05	0	11-08-2024
8	(टोल प्लाजा सहित) झांझी जंक्शन से डेमोव तक 491.050 किलोमीटर से 535.250 किलोमीटर तक, (डिज़ाइन 490.800 किलोमीटर से 534.800 किलोमीटर तक) 4-लेन का निर्माण।	44.08	31-10-2014	1369.02	21-09-2022	31.56	29.54	21-03-2024
9	ईपीसी आधार पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के साथ रा. रा.-37 पर डेमोव से मोरान बाईपास के अंत तक 534.800 किलोमीटर से 561.700 किलोमीटर तक 4-लेन का निर्माण।	26.90	14-01-2016	385.57	20-01-2023	35.72	35.35	21-07-2024
10	असम राज्य में पूर्व-पश्चिम कोरिडोर परियोजना के अन्तर्गत बाला चेरा-हरंगजाओ (रा.रा.-54) 275.00 किलोमीटर से 244.00 किलोमीटर तक के खंड का 4-लेन निर्माण।	25.25	08-09-2017	887.68	26-12-2017	99.2	93.7	24-06-2020
11	बीएमपी के अन्तर्गत रा.रा.-117 की हापाचारा से तुलंगिया रोड तक (डिजाइन 0.00 किलोमीटर से 14.050 किलोमीटर), तथा (डिज़ाइन 0.000 किलोमीटर से 14.660 किलोमीटर), (डिज़ाइन लंबाई - 14.660 किलोमीटर) मौजूदा दो लेन का 4-लेन में पेव्ड शोलडर के साथ निर्माण एवं उन्नयन।	14.66	17-03-2020	220.19	26-06-2020	90.82	85.94	26-12-2022
12	बिलासिपुरा-गुवाहाटी सड़क (रा.रा.-17) के तुतुलंगिया जोगीघोपा पुल एप्रोच खंड (पैकेज-5) के 52.470 किलोमीटर से च. 71.500 किलोमीटर (डिज़ाइन च. 48.655 किलोमीटर से च. 67.556 किलोमीटर) पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	18.90	31-03-2021	691.53	09-07-2021	99.47	99.14	10-01-2023
13	जोगीघोपा में रा.रा.-17 पर ब्रह्मपुत्र नदी पर 0+000 किलोमीटर से 4+385 किलोमीटर तक इसके सम्पर्क सड़कों के साथ नए 2-लेन पुल का निर्माण।	4.38	09-09-2021	746.76	12-11-2021	47.9	43.31	10-11-2024
14	ईपीसी आधार पर बीएमपी के अन्तर्गत बिलासिपुरा गुवाहाटी रोड (रा.रा. 17) के जोगीघोपा ब्रिज एप्रोच (पंचरत्ना के पास)- एजीआईए (निचिंटा के पास) खंड (पैकेज-6) के च. 75.330 किलोमीटर से च. 88.00 किलोमीटर (डिज़ाइन च. 71.800 किलोमीटर से 84.100 किलोमीटर) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन का चौड़ीकरण/ सुधार।	11.78	07-07-2020	208.84	26-10-2020	77.21	74.22	19-04-2022

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि. मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
15	बिलासिपुरा-गुवाहाटी सड़क (रा.रा.-17) के कृष्णाई बाईपास खंड (पैकेज-7) की शुरुआत करने के लिए सगुनबाशी वन (निचिंटा के पास) के च. 88.000 किलोमीटर से 99.930 किलोमीटर (डिज़ाइन च. 84.100 किलोमीटर से च. 96.000 किलोमीटर) तक पेव्ड शोलडर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	11.90	30-03-2021	286.72	25-10-2023	9.28	5.29	25-10-2025
16	रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-8) के अन्तर्गत आर्थिक गलियारों में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ईपीसी मोड पर असम राज्य में रा.रा.-17 पर बिलासिपुरा-गुवाहाटी सड़क के (पाइकन से धूपधारा शहर) के 99+930 किलोमीटर से 143+680 किलोमीटर (डिज़ाइन च. 96+000 से 139+750) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन का चौड़ीकरण/सुधार करना (परियोजना की लंबाई – 43.750 किलोमीटर)।	43.75	07-03-2023	1457.59	27-12-2023	4.51	1.12	26-12-2026
17	असम राज्य में आर्थिक गलियारों में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ईपीसी मोड पर च. 143+680 कि.मी. से च. 177+372 कि.मी. (डिज़ाइन च. 139+750 किलोमीटर से च. 173+434 किलोमीटर तक) बिलासिपुरा-गुवाहाटी सड़क का रा. रा.-17(खंड: धूपधारा शहर से मिलमिला रिज़र्व फॉरेस्ट(चयागांव बाजार से पहले) (परियोजना की लंबाई – 33.684 किलोमीटर)) रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-9) पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	33.68	07-03-2023	1000.27	11-12-2023	2.2	0	11-06-2026
18	असम राज्य में हवाई अड्डे के जंगशन (वीआईपी चौक) के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत च.177+372 कि.मी. से च. 203+783 कि.मी. (डिज़ाइन चेनिज 173+434 कि.मी. से 200+750 कि.मी. तक) बिलासिपुरा-गुवाहाटी सड़क (रा.रा.-17) (खंड: मिलमिला आर.एफ. (चायगांव बाजार से पहले) के लिए आर्थिक गलियारों (परियोजना लंबाई – 27.316 किलोमीटर) में संपर्क करने के लिए (पैकेज-10) ईपीसी मोड से पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	27.31	31-03-2023	1264.90	18-12-2023	2.25	0	18-06-2026
19	असम राज्य में ईपीसी आधार पर (पैकेज-1) के अन्तर्गत डबोका बायपास सहित डबोका-पारोखावा (रा.रा.-29) के 38+500 कि. मी. से 51.246 कि.मी. (डिज़ाइन चेनिज 38.500 से 50.959) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	12.46	05-01-2023	516.88	30-11-2023	13	12.92	29-11-2025
20	गणपथ गौर गाँव-क़ारम तारो गाँव के 95+400 कि.मी. से 113+830 कि.मी. (डिज़ाइन चेनिज 96+400 से 113+830) तक डबोका-दीमापुर खंड को 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार (पैकेज-5)।	17.43	31-03-2021	288.85	12-07-2021	50.54	49.02	12-01-2023
21	क़ारम तारो गाँव के113+300 कि.मी. से 146+230 कि.मी. (डिज़ाइन चेनिज 113+830 से 145+712) तक दिल्लई खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार (पैकेज-6)।	31.88	09-09-2021	625.64	14-07-2022	60.54	53.15	13-07-2024
22	दिल्लई-लहोरिजन के 146+230 कि.मी. से 157+460 कि.मी. (डिज़ाइन चेनिज 145+712 से 156+502) तक के खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार। (पैकेज-7)	10.79	23-11-2021	204.09	20-01-2023	51.9	42.09	20-07-2024
23	रा.रा.-127B पर धुबरी (उत्तरी तट, असम) और फुलबाड़ी (दक्षिणी तट, मेघालय) के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर एप्रोच के साथ 4-लेन पुल।	19.28	06-05-2019	4997.04	15-12-2020	45.64	44.55	12-09-2028
24	रा.रा.-127बी के श्रीरामपुर (भैरिगुरी गाँव के पास) से काचुखाना हरिचरा पगलागंज (पैकेज-1) खंड के 0.000 कि.मी. से 28.050 कि.मी. (डिज़ाइन किलोमीटर 0.000 से 27.650) तक पेव्ड शोल्डर के साथ मौजूदा एकल लेन सड़क को 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	27.65	11-03-2022	613.89	15-02-2023	5.05	0	14-02-2025
25	रा.रा.-127बी के काचुखाना हरिचरा पगलागंज से धुबरी-फुलबाड़ी पुल एप्रोच (पैकेज-2) खंड के 28.050 कि.मी. से 55.060 कि.मी. (डिज़ाइन 27.650 से 54.154 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ मौजूदा एकल लेन सड़क को 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	26.50	11-03-2022	909.02	02-01-2023	53.28	47.08	01-01-2025

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
26	ईपीसी आधार पर रा.रा-37 के डेरगाँव टाउन के 426.800 कि.मी. से 437.800 कि.मी. (कुल लंबाई-11.00 कि.मी.) खंड तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन।	10.60	10-01-2020	287.63	30-06-2020	99.64	97.63	19-06-2022
27	रा.रा.(ओ)-एनई [पैकेज-1] के अन्तर्गत रा.रा-37 के 581+700 कि.मी. से 606+300 कि.मी. तक के मौजूदा डिब्रूगढ़-लाहोवाल-छाबुआ बायपास (लेपेटकेटा से कंदुलीबाड़ी ग्रांट गाँव) खंड का पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	24.60	24-02-2022	215.27	25-07-2022	70.78	65.51	24-07-2024
28	रा.रा. (ओ)-एनई [पैकेज-2] के अन्तर्गत रा.रा-37 के 606+300 कि.मी. से 626+030 कि.मी. तक के मौजूदा लाहोवाल-छाबुआ बायपास (कंदुलीबाड़ी ग्रांट गाँव से नलानीहुल्ला) खंड का पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	19.73	25-02-2022	170.95	25-07-2022	75.23	70.31	24-07-2024
29	रा.रा.(ओ)-एनई (पैकेज-3) के अन्तर्गत मौजूदा टिनसुखिया-माकुम बायपास (रा.रा.-15, पुराना रा.रा.-37) पर नलानीहुल्ला गाँव (626+030 कि.मी.) से छोटाहपजन (650+450 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार और रा.रा.-315 (पुराना रा.रा.-38) के मौजूदा 0+000 कि.मी. (छोटाहपजन से 16+900 कि.मी. बोगापानी) खंड तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन का मजबूतीकरण।	41.32	03-01-2023	458.59	19-05-2023	22.35	13.09	17-05-2025
30	असम राज्य के टिनसुखिया जिले में ईपीसी आधार (खंड-4) के अन्तर्गत रा.रा.-315 (पुराना रा.रा.-38) के मौजूदा डिब्रूगढ़ से लेडो खंड के बोगापानी (16+900 कि.मी.) से गोलाई गाँव (27+150 कि.मी.) तक और प्रस्तावित डिगबोई बायपास (ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड) का पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	10.25	04-01-2023	356.65	08-12-2023	0.7	0	08-12-2025
31	भारतमाला परियोजना (पैकेज-5) के अन्तर्गत आर्थिक गलियारों में रा.रा.-315 (पुराना रा.रा.-38) के मौजूदा डिब्रूगढ़ से लेडो खंड के गोलाई गाँव (27+150 कि.मी.) से लेडो (47+682 कि.मी.) तक और प्रस्तावित मार्गेरिटा-लेडो बायपास (ग्रीनफील्ड) का पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में चौड़ीकरण/सुधार।	20.53	23-03-2023	643.42	05-12-2023	4.6	0	05-12-2025
32	असम राज्य में भारतमाला परियोजना [पैकेज-1] के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-37 के सिलचर-वैरेंगते-सैरेंग रोड पर मौजूदा 263+800 कि.मी. से रा.रा.-306 के 12+920 कि.मी. (डिज़ाइन चेनिज किलोमीटर 0+000 से 20+000) तक सिलचर-धनेहरी खंड को 4-लेन बनाना (परियोजना लंबाई – 20.00 किलोमीटर)।	20.00	28-02-2023	1256.90	22-01-2024	8.13	0	23-07-2026
33	रा.रा. (ओ)-एनई के अन्तर्गत असम राज्य में भारतमाला परियोजना [पैकेज-2] के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर 4 सिलचर-वैरेंगते-सैरेंग रोड पर रा.रा.-306 के मौजूदा किलोमीटर 12+920 से किलोमीटर 43+000 (डिज़ाइन चेनिज 20+000 से 49+360 कि.मी.) तक धनेहरी-लैलापुर/वैरेंगते खंड को 4-लेन बनाना (परियोजना लंबाई – 29.360 कि.मी.)।	29.36	31-03-2023	1716.21	14-02-2024	12.91	0	14-08-2026
34	असम राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत आर्थिक गलियारों में ईपीसी आधार पर रा.रा.-37 (पुराना रा.रा.-53) के सिलचर-चुरैबाड़ी खंड पर कलिनगर भाग-II गाँव (डिज़ाइन चेनिज 15+500 कि.मी.) से सिद्धेश्वर भाग-I गाँव के पास रा.रा.-6 (पुराना रा.रा.-44) के क्रॉसिंग (डिज़ाइन चेनिज 27+300 कि.मी.) तक पंचग्राम बायपास का 4-लेन निर्माण।	11.80	16-03-2023	728.97	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
35	असम राज्य में भारतमाला परियोजना (पैकेज-5) के अन्तर्गत आर्थिक गलियारों में ईपीसी आधार पर रा.रा.-37 (पुराना रा.रा.-44) पर सिद्धेश्वर भाग-I गाँव के पास रा.रा.-6 (पुराना रा.रा.-44) के क्रॉसिंग (डिज़ाइन चेनिज 27+300 कि.मी.) से कंदीग्राम चैत गाँव (डिज़ाइन चेनिज 38+600 कि.मी.) तक बदरपुर बायपास का 4-लेन निर्माण।	11.10	28-02-2023	574.26	09-02-2024	9.86	0	09-08-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
36	रा.रा. (ओ)-एनई, (असम भाग) के अन्तर्गत असम राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-217 (पुराना रा.रा.-62) के दूधनोई-दैनादुभी खंड के मौजूदा 0+000 कि.मी. से 8+600 कि.मी. (डिज़ाइन चेनिज किलोमीटर 0+000 से 8+415) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण/ सुधार।	8.41	24-03-2023	88.56	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
37	रा.रा. (ओ)-एनई, (असम भाग) पैकेज-8 के अन्तर्गत असम राज्य में ईपीसी आधार पर तमेंगलोंग से महुर (रा.रा.-137) 116.480 कि.मी. हैंगरम के पास से 136.500 कि.मी. हेजयचाक तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	20.02	29-03-2023	904.04	29-08-2023	19.12	8.11	29-08-2025
38	रा.रा. (ओ)-एनई, (असम भाग) पैकेज-8 के अन्तर्गत असम राज्य में ईपीसी आधार पर तमेंगलोंग से महुर (रा.रा.-137) 136.500 कि.मी हेजयचाक के पास से पी. लाइकुल के पास (156.489 कि. मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	19.99	31-03-2023	860.37	29-08-2023	17.4	7.05	29-08-2025
39	रा.रा. (ओ)-एनई, (असम भाग) पैकेज-10 के अन्तर्गत असम राज्य में ईपीसी आधार पर तमेंगलोंग से महुर (रा.रा.-137) (156.489 कि.मी.) पी. लाइकुल के पास से बोरावापु के पास (176.410 कि.मी.) तक, पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	19.92	31-03-2023	890.33	29-08-2023	14.61	6	29-08-2025
40	असम राज्य में भारतमाला परियोजना (पैकेज-1) के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-515 के कंदुलीजान गाँव (0+800 कि.मी.) से सिमेन चापोरी (27+701 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन सड़क का चौड़ीकरण/सुधार।	26.90	28-03-2023	609.16	18-10-2023	27.06	19.07	17-04-2026
41	असम राज्य के धेमाजी जिला में भारतमाला परियोजना (पैकेज-2) के अन्तर्गत सिमेन चापोरी (27+701 कि.मी.) से नगाबांग गमसुक (55+000 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन सड़क का चौड़ीकरण/सुधार।	27.30	29-03-2023	562.05	11-08-2023	25.05	17.96	08-02-2026
42	तमेंगलोंग-महुर रोड (पैकेज-7)	19.68	11-12-2023	846.82	04-03-2024	0	0	04-03-2026
43	असम और अरुणाचल प्रदेश में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर नगाबांग गमसुक (55+000 कि.मी.) से ओयान (82+514 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में सड़क का चौड़ीकरण/सुधार। (लंबाई: 27.514 कि.मी.)	27.52	31-03-2023	665.47	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
44	4-लेन बिलासिपारा-तुलुंगिया-असम-गुवाहाटी (पैकेज-1) - (एचएएम)।	17.74	07-02-2024	1081.15	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
45	4-लेन बिलासिपारा-तुलुंगिया-असम-गुवाहाटी (पैकेज-2) - (एचएएम)।	26.82	30-11-2023	1338.61	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
46	बदरपुर बायपास के प्रस्तावित अंत (च. 38.600) से सिलचर-चुरैबाड़ी च. 62.80 तक 4-लेन सड़क - (एचएएम)। (पैकेज-4)	24.20	28-02-2024	1319.55	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
47	नीलामबाजार/चरागी बायपास (च. 62.800) से सिलचर-चुरैबाड़ी च. 87.700 तक 4-लेन सड़क - (एचएएम)। (पैकेज-5)	24.90	27-02-2024	1258.13	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
48	चांदखिरा गाँव (च. 87.700) से सिलचर-चुरैबाड़ी च. 106.500 तक 4-लेन सड़क - (एचएएम)। (पैकेज-6)	18.80	04-03-2024	870.00	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
49	करिमगंज-सुतरकंडी (डिज़ाइन च. 0+000 से 14+250) सिलचर-चुरैबाड़ी तक 4-लेन सड़क - (एचएएम)। (पैकेज-7)	14.36	28-02-2024	791.79	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
50	असम में सिलचर आईएसबीटी (सिलचर बायपास के प्रारंभ बिंदु) से रा.रा.-37 और रा.रा.-6 के जंक्शन धलेस्वरी तक (पैकेज-1) - (एचएएम)।	15.97	11-03-2024	1181.55	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
51	4-लेन सिलचर-असम-जिरीबाम - (एचएएम) (पैकेज-1)	20.00	24-01-2024	957.95	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-

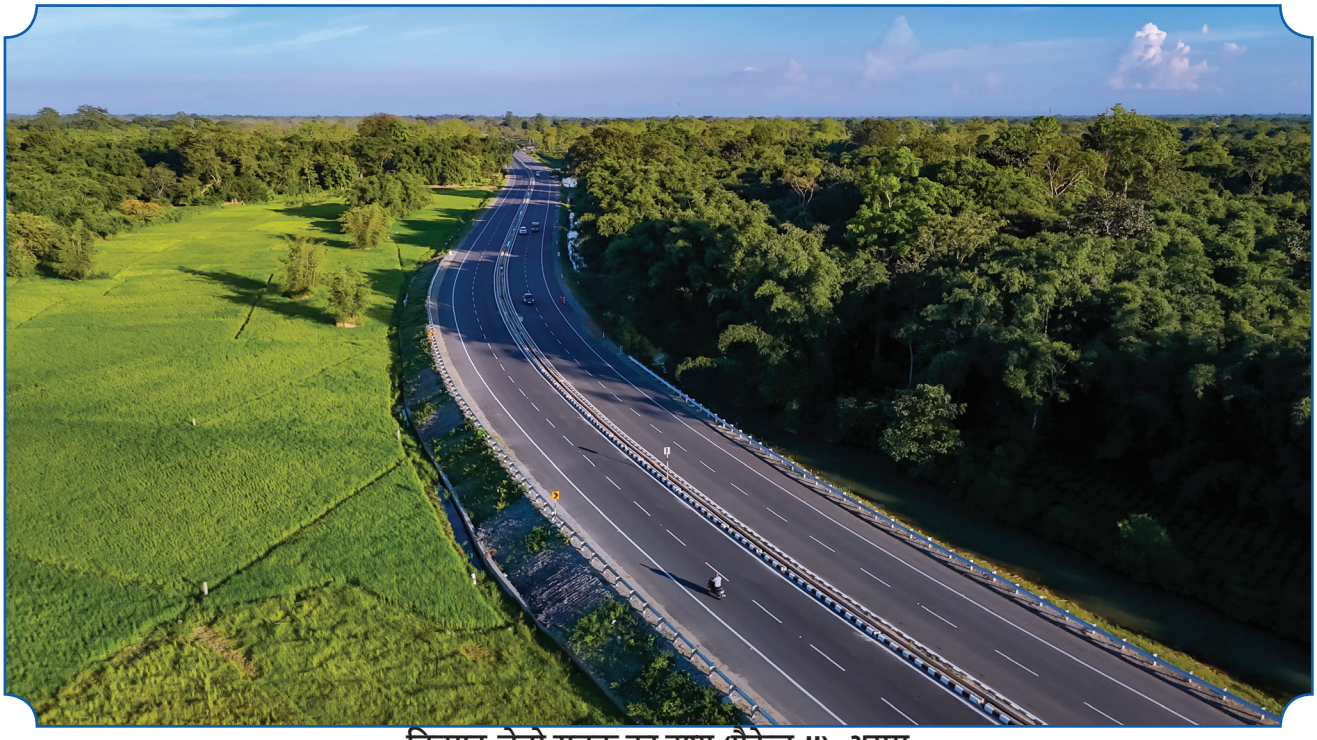

डिब्रूगढ़-लेडो सड़क का दृश्य (पैकेज-II), असम

डिब्रूगढ़-लेडो सड़क का दृश्य (पैकेज-II), असम

5.4 जम्मू और कश्मीर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	डीबीएफओटी (एन्युटी आधार) पर संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर में श्रीनगर-लेह खंड में रा.रा.-1 (श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी सड़क) पर सोनमर्ग और कुलन के बीच नए संरेखण पर द्विदिशात्मक सिंगल ट्यूब ज़ेड-मोरह सुरंग (6.412 कि.मी. लंबी) के साथ समानांतर 6.426 कि.मी. लंबी एस्केप ट्यूब और 0.6 कि.मी. लंबी वेंटिलेशन सुरंग के साथ 6.434 कि.मी. लंबी एप्रोचेस (69.000 कि.मी. से 81.300 कि.मी.तक) के साथ 2-लेन का निर्माण, संचालन और रखरखाव ।	12	06-07-16	2717	24-06-20	82%	-	21-12-23
2	पीएमडीपी के अन्तर्गत रा.रा.-01 पर द्विदिशात्मक सिंगल ट्यूब जोजिला सुरंग, जोजिला पास पर सोनमर्ग - कारगिल खंड में (I) ज़ेड-मोरह सुरंग से जोजिला सुरंग तक सड़क जोड़ना (सड़क लंबाई = 18.475 कि.मी.) और (II) 14.150 कि.मी. लंबी 2-लेन का निर्माण।	33	18-01-18	6809	01-10-20	48%	43%	29-09-26
3	(पैकेज-1) के अन्तर्गत रा.रा.-144 के जम्मू-अखनूर सड़क खंड पर चौथे तवी ब्रिज (डी.च. 0.000) से भगवती चौक के पास कनल हेड (डी.च. 1.350) तक कॉन्फ़िगरेशन और सेवा सड़क सहित पेव्ड शोलडर के साथ एक 4-लेन फ्लाईओवर का निर्माण।	1	12-07-22	245	10-01-23	0%	0%	09-01-25
4	पैकेज-3ए के अन्तर्गत रा.रा.-144ए के जम्मू-अखनूर सड़क खंड का गणेश विहार (6.000 कि.मी.) से खटी चौक (6.350 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन उन्नयन ।	20	12-07-22	436	12-07-19	71%	66%	12-07-21
5	(पैकेज-3बी) के अन्तर्गत रा.रा. 144ए के जम्मू-अखनूर खंड पर चेनाब नदी पर पुल निर्माण सहित 26.350 कि.मी. (डिजाइन चैनज 26+615) (खटी चौक) से 30.097 कि.मी. (डिजाइन चैनज 30+359) (हनुमान चौक) तक पेव्ड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन के साथ मौजूदा 2-लेन को 4-लेन में उन्नयन।	4	12-07-22	198	14-03-23	0%	0%	13-03-25
6	रा.रा.-244 के चेनानी - सुधमहादेव खंड पर 0.000 कि.मी. से 16.990 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2-लेन चौड़ीकरण और उन्नयन। (चरण-I)।	17	14-03-18	264	22-11-18	79%	76%	22-11-20
7	(पैकेज I) के अन्तर्गत रा.रा.-244 के गोहा-खेलानी खंड पर 7.450 कि. मी. लंबाई 12.850 कि.मी. से 20.300 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का उन्नयन और 2.016 कि.मी. का गोहा गाँव के लिंक रोड निर्माण।	9	14-07-20	228	01-10-20	56%	53%	01-04-22
8	(पैकेज II) के अन्तर्गत रा.रा.-244 के गोहा-खेलानी खंड पर 8.730 कि.मी. लंबाई का 20.300 कि.मी. से 29.030 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का उन्नयन।	9	14-07-20	211	01-10-20	66%	66%	01-04-22
9	(पैकेज III) के अन्तर्गत रा.रा.-244 के खेलानी सुरंग और उसकी एप्रोच सड़क का एकल-दिशात्मक 1.574 कि.मी. लंबी का 2.419 कि.मी. लंबाई के 29+030 कि.मी. से 31+449 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर कॉन्फ़िगरेशन के साथ 2-लेन का उन्नयन।	2	29-01-21	750	25-03-21	51%	48%	25-03-23
10	ईपीसी आधार पर संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर (खेलानी- किश्तवाड़) में रा.रा.-244 पर 83 कि.मी. पर 495 मीटर लंबी द्विदिशात्मक सुरंग का निर्माण, जिसमें 664 मीटर लंबी एप्रोच सड़क और 82.675 कि.मी. से 82.925 कि.मी. तक 110 मीटर लंबा एक बड़ा पुल का निर्माण।	1	27-11-19	91	08-06-20	42%	38%	07-06-22
11	(पैकेज-1) के अन्तर्गत खेलानी - किश्तवाड़ - छत्रू खंड पर 20.251 कि. मी. लंबाई के डिज़ाइन 31.449 कि.मी. (खेलानी) (44.946 कि.मी. पूर्व) से 51.700 कि.मी. (प्रेम नगर) (68+617 कि.मी. पूर्व) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण और उन्नयन।	20	02-02-21	486	29-03-21	73%	61%	27-09-22
12	(पैकेज-2) के अन्तर्गत चेनानी-सुधमहादेव-गोहा खेलानी-किश्तवाड़-वैल्यू-डोनिपावा-अशाजीपोरा खंड पर 14.835 कि.मी. डिज़ाइन लंबाई के डिज़ाइन च. 51+700 कि.मी. (प्रेमनगर, पर 66+315 कि.मी.) से 66+535 कि.मी. न्यू ठतरी (83वें किलोमीटर की शुरुआत पर, सुरंग 82+665 किलोमीटर) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण और उन्नयन।	15	30-03-21	512	26-08-21	31%	25%	24-02-23

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
13	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में रा.रा. (ओ)-जन (पैकेज-3) के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-244 के चेनानी-सुधमहादेव-गोहा-खेलानी-किश्तवार-वैलो-डोनिपावा-अशाजिपोरा खंड पर डिजाइन 12.870 कि.मी. लंबाई के च. 67.805 कि.मी. (83 कि.मी. सुरंग के अंत) (83+905 पूर्व कि.मी.) से लेकर 80.675 कि.मी. (किश्तवार बाइपास के प्रारंभ) (97+0751 पूर्व कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण और उन्नयन।	13	30-03-21	399	01-07-21	40%	38%	30-12-22
14	(पैकेज-4) के अन्तर्गत खेलानी - किश्तवाड़ - चत्तरो खंड में और किश्तवाड़ नगर को जोड़ने वाला लिंक रोड पर 14.88 कि.मी. लंबाई, डिज़ाइन 80.675 कि.मी. (दुलहस्ती) से लेकर कि.मी. 95.550 (बंदरकूट) तक, और लिंक रोड च. 0+000 से च. 1+871 (लंबाई 1.871 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ किश्तवाड़ बायपास का 2-लेन में निर्माण।	17	30-03-21	860	24-08-21	12%	11%	23-08-23
15	(पैकेज-5) के अन्तर्गत रा.रा.-244 के चेन्नानी-सुधमहादेव-गोहा-खेलानी-किश्तवाड़-वैळू-डोनिपावा-आशाजिपोरा खंड पर 15.52 कि.मी. लंबाई का डिज़ाइन 95.55 कि.मी. (गंदरकूट) से 111.06 कि.मी. (चत्तरो) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण/उन्नयन।	16	31-03-21	497	24-08-21	33%	33%	19-02-23
16.	(पैकेज-7) के अन्तर्गत रा.रा.-44 पर 8.470 कि.मी. लंबाई के डिज़ाइन 176+532 कि.मी. (मौजूदा 263+070; कि.मी. (डोनिपावा) से लेकर डिज़ाइन 185+002 कि.मी. (खुदवानी के पास, मौजूदा 238+500 कि.मी.) तक आलस्टॉप, आशाजिपोरा के माध्यम से रा.रा.-244 और रा. रा.-44 को जोड़ने के लिए नई 2-लेन बायपास का निर्माण ।	8	30-03-21	260	15-06-21	90.35%	79.78%	16-12-22
17	(पैकेज-7) के अन्तर्गत रा.रा.-44 पर 8.470 कि.मी. लंबाई के डिज़ाइन 176+532 कि.मी. (मौजूदा 263+070; कि.मी. (डोनिपावा) से लेकर डिज़ाइन 185+002 कि.मी. (खुदवानी के पास, मौजूदा 238+500 कि.मी.) तक आलस्टॉप, आशाजिपोरा के माध्यम से रा.रा.-244 और रा. रा.-44 को जोड़ने के लिए नई 2-लेन बायपास का निर्माण ।	8	30-03-21	260	15-06-21	37%	35%	16-12-22
18	बारामुला-गुलमर्ग खंड पर 42.820 कि.मी. लंबाई के 0.00 कि.मी. से लेकर 42.82कि.मी. तक मौजूदा कैरिजवे का मध्यस्थ लेन में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।	43	31-07-20	146	08-10-20	99%	98%	05-04-22

जोजिला सुरंग का आंतरिक दृश्य, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।

जोजिला सुरंग का दृश्य, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।

5.5 लद्दाख

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	(पैकेज-I) के अन्तर्गत रा.रा.-301 के क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर 30.040 कि.मी. लंबाई के डिज़ाइन 0.000 कि.मी. (0.000 पूर्व कि.मी.) से लेकर 30.040 कि.मी. (30.000 पूर्व कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण और उन्नयन।	30	31-03-21	384	01-07-21	25.68%	22.5%	02-01-23
2	(पैकेज-II) के अन्तर्गत रा.रा.-301 के क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर 26.960 कि.मी. लंबाई के डिज़ाइन 30.940 कि.मी. (30.000 पूर्व कि.मी.) से लेकर डिज़ाइन 57.000 कि.मी. (57.905 पूर्व कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण और उन्नयन।	27	31-03-21	405	01-07-21	35.84%	34.8%	02-01-23
3	(पैकेज-III) के अन्तर्गत रा.रा.-301 के क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर 30.000 कि.मी. लंबाई के डिज़ाइन कि.मी. 57.000 (पूर्व कि.मी. 57.905) से लेकर कि.मी. 87.000 (पूर्व कि.मी. 88.2491) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण और उन्नयन।	30	31-03-21	381	01-07-21	52.55%	50.76%	02-01-23
4	पैकेज-IV के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (पूर्व में जम्मू और कश्मीर राज्य) में ईपीसी आधार पर रा.रा.-301 के क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर 87+00 कि.मी. से 98+524 कि.मी. तक मिट्टी के शोल्डर के साथ इंटरमीडिएट लेन का उन्नयन।	12	03-01-21	81	02-03-21	38.66%	36.49%	01-03-24
5	पैकेज-V। के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (पूर्व में जम्मू और कश्मीर राज्य) में ईपीसी आधार पर रा.रा.-301 क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर 117+180 कि.मी. से 148+320 कि.मी. तक इंटरमीडिएट लेन का उन्नयन।	31	03-01-21	240	24-05-21	100%	96.39%	23-05-24
6	पैकेज-VII के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (पूर्व में जम्मू और कश्मीर राज्य) में ईपीसी आधार पर रा.रा.-301 क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर 148+320 कि.मी. से 196+250 कि.मी. तक इंटरमीडिएट लेन का उन्नयन।	48	03-01-21	309	14-06-21	100%	97.59%	13-06-24
7	(पैकेज-VIII) के अन्तर्गत रा.रा.-301 क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर 33.770 कि.मी. लंबाई के डिज़ाइन 196.250 कि.मी. (पूर्व कि.मी. 194.1901) से लेकर डिज़ाइन 230.020 कि.मी. (पूर्व कि.मी. 231.692) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण और उन्नयन।	34	31-03-21	398	01-07-21	52.57%	49.16%	02-01-23
8	रा.रा.-301, क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर अप्रोच के साथ 125.493 कि.मी. पर, 1x15 मीटर स्पैन पुल, 125.852 कि.मी. पर 1x20 मीटर स्पैन पुल, और कि.मी. 129.445 पर 1x10 मीटर स्पैन पुल का निर्माण (पुल 1)	0.19	31-03-21	20.72	01-06-2021	95.74%	95.72%	01-06-2024
9	रा.रा.-301, क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर अप्रोच के साथ 1x45 मीटर स्पैन पुल का निर्माण। (पुल 2)	0.95	31-03-21	11.95	01-07-2021	96.55%	96.52%	01-07-2024
10	रा.रा.-301, क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क पर अप्रोच के साथ 165.296, कि.मी., 172.965 कि.मी. और 185.509 कि.मी. पर 1x25 मीटर स्पैन पुल का निर्माण। (पुल 3)	0.23	31-03-21	19.41	01-06-2021	100%	99.98%	01-06-2024

क़ारगिल-ज़ांस्कर सड़क का दृश्य, लेह

रा.रा.-301 रांगडुम सड़क, लेह का दृश्य

5.6 मणिपुर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	रा.रा.-129ए पर मारम-पेरेन खंड (पैकेज-2ए, लंबाई- 16.840 कि.मी.) की मौजूदा सड़क को डिज़ाइन चेनिज 40.000 कि.मी. से 56.840 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधारना।	16.84	11-02-2021	204.58	15-09-2021	100	97.3	18-03-2023
2	(अनुबंध पैकेज I) के अन्तर्गत रा.रा. 39 के इंफाल-मोरह खंड का 330.000 कि.मी. से 350.000 कि.मी. तक 4-लेन में निर्माण।	20.00	16-08-2017	820.56	01-06-2020	100	97.23	31-05-2023
3	इंफाल-जिरीबाम सड़क खंड (95.50 कि.मी.) पर इरंग नदी पर 4-लेन पुल का निर्माण।	0.13	12-10-2018	49.31	04-01-2021	92.46	84.67	16-10-2022
4	(पैकेज-1) के अन्तर्गत रा.रा.-37 के इंफाल से जिरीबाम खंड पर डिज़ाइन चेनिज 3.275 कि.मी. से 15.940 कि.मी. तक (कुल लंबाई=12.665 कि.मी.) पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	12.67	31-03-2021	139.38	01-07-2021	41.29	40.22	02-01-2023
5	(पैकेज-2) के अन्तर्गत रा.रा.-37 के इंफाल से जिरीबाम खंड पर डिज़ाइन चेनिज 15.940 कि.मी. से 33.120 कि.मी. तक (मौजूदा चेनिज 15.946 कि.मी. से 33.395 कि.मी. तक) (कुल लंबाई=17.180 कि.मी.) पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	17.18	02-09-21	195.14	11-06-2021	49.8	49.16	13-12-2022
6	(पैकेज-3) के अन्तर्गत रा.रा.-37 के इंफाल से जिरीबाम खंड पर डिज़ाइन चेनिज 33.000 कि.मी. से 66.390 कि.मी. तक (मौजूदा चेनिज 33.395 कि.मी. से 67.496 कि.मी. तक) पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	33.16	31-03-2021	467.00	15-09-2021	68.67	66.36	19-03-2023
7	(पैकेज-4) के अन्तर्गत रा.रा.-37 के इंफाल से जिरीबाम खंड पर डिज़ाइन चेनिज 66.110 कि.मी. से 101.280 कि.मी. तक (मौजूदा चेनिज 67.496 कि.मी. से 103.557 कि.मी. तक) पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	35.17	02-09-2021	579.63	27-06-2022	44.61	40.51	29-12-2023
8	(पैकेज-5) के अन्तर्गत रा.रा.-37 के इंफाल से जिरीबाम खंड पर डिज़ाइन चेनिज 101+280 कि.मी. (खोंगसांग गांव के पास) से 131+280 कि.मी. (पुइलोन (कंबिरोन) गांव के पास) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	30.00	03-12-2021	410.68	09-11-2022	43.02	37.66	12-05-2024
9	(पैकेज-6) के अन्तर्गत रा.रा.-37 के इंफाल से जिरीबाम खंड पर डिज़ाइन चेनिज कि.मी. 131.280 से 169.570 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	38.29	13-12-2021	504.76	07-02-2023	24.51	19.96	06-02-2025
10	रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-7) के अन्तर्गत जिरीबाम जिले में रा. रा.-37 के इंफाल से जिरीबाम खंड पर डिज़ाइन चेनिज 69+570 कि.मी. (नुंगकाओ गांव के पास तामेंगलोंग जिले के तहत) से 205+974 कि.मी. (जिरीबाम पुल के पास) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	36.40	03-01-2023	760.16	30-12-2023	8.5	1.65	28-12-2025
11	मणिपुर राज्य में (पैकेज-1) के अन्तर्गत तमेंगलोंग से महुर तक 0.000 कि.मी. तमेंगलोंग से 10.000 कि.मी. डायलोंग के पास तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण।	10.00	30-03-2021	185.80	15-09-2021	90.23	90.13	16-03-2023
12	(पैकेज-2) के अन्तर्गत रा.रा.-137 के तमेंगलोंग-तौसेम-लिसांग-महुर सड़क पर डायलोंग गांव के पास 10.000 कि.मी. से लेकर बाराक नदी के पास 31.430 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण।	21.43	20-07-2021	483.87	15-09-2021	90.34	90.04	16-03-2023
13	मणिपुर राज्य में (पैकेज-3) के अन्तर्गत तमेंगलोंग से महुर तक 20.500 कि.मी. पुराना तमेंगलोंग से 30.800 कि.मी. फेलोंग के पास तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण।	12.05	30-03-2021	234.08	21-06-2021	86	85.45	20-12-2022
14	मणिपुर राज्य में (पैकेज-4) के अन्तर्गत तमेंगलोंग से महुर तक पेलोंग 34+000 कि.मी. से अजुराम के पास 44+700 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण।	10.70	30-03-2021	198.77	15-09-2021	76	75.4	16-03-2023
15	मणिपुर राज्य में (पैकेज-5) के अन्तर्गत रा.रा.-137 पर तमेंगलोंग से महुर तक अजुराम के पास 54.180 कि.मी. से लेकर माण्डेउ के पास 80.630 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण।	26.45	09-09-2021	477.86	18-11-2021	76.3	75.31	19-05-2023
16	(पैकेज-6) के अन्तर्गत रा.रा.-137 पर तमेंगलोंग से महुर तक माण्डेउ के पास 80.630 कि.मी. से जिरी नदी के पास 96.870 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण।	16.24	13-09-2021	311.18	19-11-2021	66.8	64.06	20-05-2023
17	(अनुबंध पैकेज-I का हिस्सा) के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-202 के यिंगांगपोक्पी - फिंच कॉर्नर सड़क खंड पर 0.000 कि.मी. से 16.900 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन सड़क का चौड़ीकरण/सुधार।	16.90	13-03-2020	478.81	01-07-2020	54.39	52.05	30-06-2022

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
18	(अनुबंध पैकेज-II का हिस्सा) के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-202 के यिंगांगपोक्पी - फिंच कॉर्नर सड़क खंड का 16.900 कि.मी. से 30.970 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण/सुधार।	14.07	13-03-2020	478.81	01-07-2020	61.25	54.51	30-06-2022
19	मणिपुर राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-5) भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-202 के चोइथार से मरेम खुलेन खंड (इंफाल-उखरूल-जेसामी आर्थिक गलियारा) का डिज़ाइन चेनिज 53.110 कि.मी. से 95.700 कि.मी. तक मिट्टी के शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण/सुधार।	42.59	31-03-2023	564.05	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
20	मणिपुर राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-6) भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-202 के मरेम खुलेन से जेसामी खंड (इंफाल-उखरूल-जेसामी आर्थिक गलियारा) का डिज़ाइन चेनिज 95.700 कि.मी. से 140.180 कि.मी. तक मिट्टी के शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण/ सुधार।	44.48	29-03-2023	554.66	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
21	मणिपुर राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-6) भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-29 के जेसामी से लेनन ब्रिज (नगालैंड सीमा) तक खंड (इंफाल-उखरूल-जेसामी आर्थिक गलियारा) का 0.000 कि.मी. से 11.009 कि.मी. तक मिट्टी के शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण/सुधार।	11.01	31-03-2023	164.89	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
22	मणिपुर राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-6) के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-102ए के उखरूल तोलोई - तडुबी खंड का डिज़ाइन चेनिज 9+450 कि.मी. से 50+850 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण।	41.40	07-03-2023	578.98	01-03-2024	0	0	28-02-2026
23	(पैकेज-3) के अन्तर्गत रा.रा.-102ए के उखरूल - तोलोई - तडुबी खंड का डिज़ाइन चेनिज 50.850 कि.मी. से 81.870 कि. मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण।	31.02	09-09-2021	315.56	23-07-2023	19.58	12.53	22-01-2025
24	(पैकेज-4) के अन्तर्गत रा.रा.-102ए के उखरूल - तोलोई - तडुबी खंड का डिज़ाइन चेनिज 81.870 कि.मी. से 105.825 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण।	23.96	07-09-2021	310.76	27-08-2022	58.04	50	28-02-2024
25	(पैकेज-Iबी) के अन्तर्गत रा.रा.-102बी चुराचंदपुर से तुईवाई खंड का 13.747 कि.मी. से 32.835 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण ।	19.09	27-04-2020	241.52	01-07-2020	77.19	70.51	30-06-2022
26	(पैकेज-IIए) के अन्तर्गत रा.रा.-102बी के चुराचंदपुर से तुईवाई खंड का 32.835 कि.मी. से 48.587 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण ।	15.75	27-04-2020	232.99	01-07-2020	84.48	82.21	30-06-2022
27	(पैकेज-IIबी) के अन्तर्गत रा.रा.-102बी के चुराचंदपुर से तुईवाई खंड का 48.587 कि.मी. से 69.875 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	21.88	18-06-2020	365.53	05-08-2020	77.36	75.73	04-08-2022
28	(पैकेज-3) के अन्तर्गत रा.रा.-102बी के चुराचंदपुर से तुईवाई खंड का डिज़ाइन चेनिज 69.875 कि.मी. से 121.769 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	51.89	31-03-2021	673.27	25-08-2021	67.11	61.15	24-08-2023
29	(पैकेज-IV-ए) के अन्तर्गत रा.रा.-102बी के चुराचंदपुर से तुईवाई खंड का 118.850 कि.मी. से 130.00 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	11.15	27-04-2020	204.12	01-07-2020	69.89	69.51	30-06-2022
30	(पैकेज-IV-बी) के अन्तर्गत रा.रा.-102बी के चुराचंदपुर से तुईवाई खंड का 130.00 कि.मी. से 141.029 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण।	11.03	15-06-2020	177.76	05-08-2020	80.53	78.28	04-08-2022
31	पैकेज-1ए के अन्तर्गत रा.रा.-129ए के मारम-पेरेन खंड की मौजूदा सड़क का डिज़ाइन चेनिज 0.000 कि.मी. से 22.340 कि.मी. (लंबाई 22.340 कि.मी.) तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार।	22.34	11-02-2021	226.32	21-06-2021	47.72	44.01	22-12-2022
32	पैकेज-1बी के अन्तर्गत रा.रा.-129ए के मारम-पेरेन खंड की मौजूदा सड़क का डिज़ाइन चेनिज 22.340 कि.मी. से 40.000 कि.मी. (लंबाई 17.660 कि.मी.) तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार।	17.66	11-02-2021	188.36	21-06-2021	77.3	70.44	22-12-2022
33	पैकेज-2बी के अन्तर्गत रा.रा.-129ए के मारम-पेरेन खंड की मौजूदा सड़क का डिज़ाइन चेनिज 56.840 कि.मी. से 75.000 कि.मी. (लंबाई 18.160 कि.मी.) तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार।	18.16	11-02-2021	232.63	21-06-2021	100	95.18	22-12-2022

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
34	(पैकेज-III) के अन्तर्गत रा.रा.-129ए के मारम-पेरेन खंड की मौजूदा सड़क का डिज़ाइन चेनिज 75+000 कि.मी. से 109+494 कि.मी. (लंबाई - 34.494 कि.मी.) तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार।	34.49	21-09-2021	467.41	26-11-2021	73.75	69.18	25-11-2023
35	(पैकेज-4ए) के अन्तर्गत इंफाल-कोहिमा रोड के ताफ़ो कूकी से डैली खंड के मौजूदा 2-लेन (डिज़ाइन चेनिज: 262.175 से 274.610 कि.मी.) का 4-लेन डिवाइडेड हाइवे में सुधार/उन्नयन ।	12.44	01-09-2020	379.39	15-10-2020	43.87	44.06	18-04-2022
36	(पैकेज-4बी) के अन्तर्गत इंफाल-कोहिमा रोड के डैली से कूड़ापोक्पी खंड के मौजूदा 2-लेन (डिज़ाइन चेनिज: 274.610 से 287.00) कि.मी.) का 4-लेन डिवाइडेड हाइवे में सुधार/उन्नयन ।	12.39	01-09-2020	268.98	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
37	(पैकेज-5ए) के अन्तर्गत इंफाल-कोहिमा रोड के कूड़ापोक्पी से सेकमाई खंड के मौजूदा 2-लेन (डिज़ाइन चेनिज: कि.मी. 287.00 से 297.700) का 4-लेन डिवाइडेड हाइवे में सुधार/उन्नयन।	10.70	01-09-2020	228.97	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
38	(पैकेज-5बी) के अन्तर्गत रा.रा.-39 पर इंफाल-कोहिमा रोड के सेकमाई से निलखुथी खंड के मौजूदा 2-लेन (डिज़ाइन चेनिज: कि.मी. 297+700 से कि.मी. 308+729) 4-लेन डिवाइडेड हाइवे में सुधार/उन्नयन ।	11.03	30-03-2021	211.70	20-07-2021	11.56	9.02	21-01-2023
39	(पैकेज-III) के अन्तर्गत रा.रा.-39 पर इंफाल-मोरेह खंड का कि.मी. 395.680 से कि.मी. 406.000 तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण और सुधार।	9.85	19-09-2019	259.31	21-06-2021	98.27	95.55	20-12-2022
40	(पैकेज-IV) के अन्तर्गत रा.रा.-39 पर इंफाल-मोरेह खंड का 406.000 कि.मी. से 425.411 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का चौड़ीकरण और सुधार।	19.41	19-09-2019	277.99	20-07-2021	96.76	94.75	19-01-2023
41	ईपीसी आधार पर भारत-म्यांमार सीमा के पास रा.रा.-39 पर 421.950 कि.मी. से 425.411 कि.मी. (लंबाई = 2.52 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ मोरेह बाईपास का 2-लेन में निर्माण।	2.37	26-02-2020	68.14	01-07-2020	74.25	72.99	31-12-2021
42	(पैकेज-1) के अन्तर्गत उखरूल-तोलोई-तडुबी खंड पर उखरूल बाईपास - मणिपुर।	6.57	07-12-2023	204.3	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
43	पैकेज-4 के अन्तर्गत (उखरूल-जेसामी रोड) - मणिपुर पर उखरूल से चोइथार तक (डिज़ाइन चेनिज 45.600 से 54.212 कि.मी.)।	8.61	19-02-2024	26.25	कार्य अभी सौंपा जाना है।	0	0	-
44	(पैकेज-II) के अन्तर्गत नगालैंड-मणिपुर में रा.रा.-202 पर अकाश ब्रिज - जेसामी खंड का डिज़ाइन चेनिज कि.मी. 325.440 से कि.मी. 340.160 तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण।	14.72	28-03-2022	152.11	20-02-2023	51.65	44.95	19-02-2025

इंफाल-मोरेह सड़क का दृश्य पैकेज-IV, मणिपुर

5.7 मेघालय

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	(पैकेज-1) रानीकोर-नोंगह्यलम-महेशकोला-भागमारा का (डिज़ाइन च. 0.000 से च. 129.385) पैकेज- I: मौजूदा च. 0.000 से च. 31.700 तक 2-लेन।	30.2	09-03-19	306	30-09-19	100%	98.89%	30-03-22
2	मेघालय राज्य में रा.रा.(ओ)-एनई (पैकेज-2) के अन्तर्गत आर-एम-बी पैकेज 2 रानीकोर- महेशकोला-भागमारा परियोजना के एसएच-4 खंड पर नोंगजरी (डिज़ाइन च. 30.00 कि.मी.) से महेशकोला (डिज़ाइन च. 55.525 कि.मी.) तक मिट्टी के शोल्डर के साथ 2-लेन सुधार/चौड़ीकरण।	25.53	17-11-21	261.4	19-12-22	70.68%	64.87%	19-06-24
3	एसएच-4 रानीकोर-भागमारा परियोजना (पैकेज-3) के अन्तर्गत महेशकोला से कणाई (मौजूदा च. 59.270 से च. 85.970) (डिज़ाइन च. 55.525 से च. 79.680) तक मिट्टी के शोल्डर के साथ 2-लेन सुधार/चौड़ीकरण।	24.15	31-03-21	260.21	28-06-21	89.14%	83.9%	28-12-22
4	ईपीसी आधार पर (पैकेज-4) के अन्तर्गत रानीकोर-महेशकोला-भागमारा सड़क खंड का कणाई से रोंगरा (मौजूदा च. 85.970 से च. 102.345) तक (डिज़ाइन च. 81.100 कि.मी. से च. 96.000 कि.मी.) डिज़ाइन लंबाई-14.763 कि.मी. तक मिट्टी के शोल्डर के साथ 2-लेन सुधार/चौड़ीकरण।	14.76	08-10-20	146.92	24-10-20	97.49%	94.22%	25-04-22
5	ईपीसी आधार पर (पैकेज-5) के अन्तर्गत रानीकोर-महेशकोला-भागमारा सड़क खंड का रोंगरा से पांडा (मौजूदा च. 102.345 से च. 119.810) तक (डिज़ाइन च. 96.00 से च. 112.300) तक डिज़ाइन लंबाई-16.30 कि.मी मिट्टी के शोल्डर के साथ 2-लेन सुधार/ चौड़ीकरण।	16.3	12-10-20	146.88	24-10-20	96.01%	92.48%	25-04-22
6	मेघालय राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-6) के अन्तर्गत एसएच-4 रानीकोर- महेशकोला-भागमारा परियोजना के खंड पर पांडा (डिज़ाइन च. 112.300 कि.मी.) से भागमारा (डिज़ाइन च. 129.385 कि.मी.) तक मिट्टी के शोल्डर के साथ 2-लेन सुधार/चौड़ीकरण।	17.09	12-11-21	145	30-09-22	87.95%	82%	31-03-24
7	मेघालय राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई (पैकेज-1) के अन्तर्गत मेघालय-असम सीमा तक नोंगस्टोइन-रामबाई-कीर्शाई सड़क का कि.मी. 0.335 से कि.मी. 34.039 तक 2-लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन।	33.7	21-09-21	359.86	27-05-22	77.91%	74.08%	25-05-24
8	तुरा-डालू सड़क का 85.000 कि.मी. से 95.000 कि.मी.तक भू-रचनात्मक सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण। और तुरा-डालू खंड का 101.000 कि.मी. से 145.000 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में बनाना।	51.54	20-04-17	610.09	15-09-18	67.06%	65.03%	14-09-21
9	(पैकेज-1) रा.रा.-40 खंड का 81+740 कि.मी. से 93+490 कि.मी. (डिज़ाइन कि.मी. 0+000 से कि.मी. 10+670) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार/चौड़ीकरण। और रा.रा.-44 के शिलांग-डावकी खंड पर डिज़ाइन 0.00 कि.मी. से 0.930 कि.मी. तक 4-लेन बनाना।	11.6	13-07-20	351.12	23-10-23	24%	20.98%	22-10-25
10	(पैकेज-2) रा.रा.-40 के शिलांग-डावकी खंड पर 10.670 कि.मी. से 37.550 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार/ चौड़ीकरण	26.55	13-07-20	525.67	09-02-24	139%	10.31%	07-08-26
11	(पैकेज-4) रा.रा.-40 के शिलांग-डावकी खंड पर 45.760 कि.मी. से 63.530 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार/ चौड़ीकरण	17.77	13-07-20	445.51	19-04-24	5.7%	0%	19-04-26
12	(पैकेज-5) रा.रा.-40 के शिलांग-डावकी खंड पर (दावकी पुल की लंबाई 368 मीटर) के साथ 151+330 कि.मी. से 163+400 कि.मी. (डिज़ाइन कि.मी. 63.530 से कि.मी. 71.520 तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन/ 4-लेन में सुधार/चौड़ीकरण।	7.99	13-07-20	284.21	17-05-24	1.5%	0%	13-11-26
13	मेघालय राज्य में एसएआरडीपी-एनई 'फेज़ ए' के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर (ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट) शिलांग पश्चिमी बाईपास का रा.रा.-06 के पास लदुमसाव (पुराना रा.रा.-40 का मौजूदा 60.900 कि.मी.) से रा.रा.-106 (पुराना रा.रा.-44ई) 0+000 कि.मी. से 12+800 कि.मी. (पैकेज-I) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन निर्माण।	12.8	07-03-23	620.3	02-09-24	0%	0%	01-09-26

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
14	मेघालय राज्य में एसएआरडीपी-एनई 'फेज़ ए' के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर (ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट) शिलांग पश्चिमी बाईपास का रा. रा.-06 के पास लदुमसाव (पुराना रा.रा.-40 का मौजूदा 60.900 कि.मी.) से रा.रा.-106 (पुराना रा.रा.-44ई) (पैकेज-II) 12+800 कि.मी. से 24+700 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन निर्माण।	11.99	16-03-23	686.03	02-09-24	0%	0%	01-09-26
15	मेघालय राज्य में एसएआरडीपी-एनई 'फेज़ ए' के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर (ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट) शिलांग पश्चिमी बाईपास का रा. रा.-06 के पास लदुमसाव (पुराना रा.रा.-40 का मौजूदा 60.900 कि.मी.) से रा.रा.-106 (पुराना रा.रा.-44ई) (पैकेज-III) 24+700 कि.मी. से 38+256 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन निर्माण।	13.56	13-03-23	562.48	02-09-24	0%	0%	01-09-26
16	मेघालय में बीएमपी (लॉट-1) पैकेज-1बी (मेघालय खंड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217 (दैनादुबी-दारुगिरी खंड) का डिज़ाइन 0+000 कि.मी. से 40+840 कि.मी. (डिज़ाइन लंबाई=40.840 कि. मी.) (पुराना रा.रा.-62 का मौजूदा 8+600 कि.मी. से 53+000 कि. मी. तक) पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार/चौड़ीकरण।	40.84	22-03-23	705.83	कार्य अभी सौंपा जाना है।			
17	भारतमाला परियोजना (लॉट-1) पैकेज-1बी (मेघालय खंड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 127बी (दारुगिरी-सांगसाक-विलियमनगर जंक्शन खंड) का डिज़ाइन 0+000 कि.मी. से 36+635 कि.मी. (डिज़ाइन लंबाई=36.635 कि.मी.) (पुराना रा. रा.-127बी का मौजूदा 112+000 कि.मी. से 151+060 कि.मी. तक) पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार/चौड़ीकरण।	36.64	13-03-23	801.07	कार्य अभी सौंपा जाना है।			

नोंग्सटोइन-राम्बराई सड़क का दृश्य पैकेज-I, मेघालय

रानीकोर-महेशखोला-बागमारा सड़क का दृश्य पैकेज-I, मेघालय

रानीकोर-महेशखोला-बागमारा सड़क का दृश्य पैकेज-I, मेघालय

5.8 मिज़ोरम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	रा.रा.-6 के आर्थिक गलियारे के डिज़ाइन चैनिज़ 00+000 कि.मी. से 13+510 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ पुनरुद्धार और उन्नयन। (सेलिंग-डुल्ते- I)	13.51	18-03-20	219.33	01-07-20	90.05%	89.04%	30-06-22
2	रा.रा.-6 के आर्थिक गलियारे के डिज़ाइन चैनिज़ 27+400 कि.मी. से 45+040 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ पुनरुद्धार और उन्नयन। (सेलिंग-डुल्ते- III)	17.64	18-03-20	331.17	01-07-20	83.09%	78.66%	30-06-22
3	रा.रा.-6 के आर्थिक गलियारे के डिज़ाइन चैनिज़ 45+040 कि.मी. से 62+200 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ पुनरुद्धार और उन्नयन। (सेलिंग-डुल्ते- IV)	17.16	17-03-20	253.41	01-07-20	100%	96.20%	30-06-22
4	रा.रा.-6 के डुल्ते-ख्वालकुल्ह सड़क(अंतर्राष्ट्रीय गलियारा) का डिज़ाइन चैनिज़ 54.400कि.मी. से 72.350 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का उन्नयन (पैकेज-I)	17.95	31-03-21	318.92	25-06-21	100%	98%	25-12-22
5	रा.रा.- 6 के ख्वालकुथ-खवज़ॉल सड़क (अंतर्राष्ट्रीय गलियारा) का डिज़ाइन चैनिज़ 72.350 कि.मी. से 84.800 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का उन्नयन (पैकेज-II)	12.05	31-03-21	233.25	25-06-21	94.70%	89.73%	25-12-22
6	रा.रा.-6 के खवज़ॉल-चंपाई सड़क (अंतर्राष्ट्रीय गलियारा) का डिज़ाइन चैनिज़ 84.800 कि.मी. से 111.580 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का उन्नयन (पैकेज-III)	26.8	31-03-21	674.71	25-06-21	100%	99.21%	25-06-23
7	मिजोरम राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एनएच (ओ)-एनई के अन्तर्गत रा.रा.-306 के वैरेंगटे-छिमलुआंग खंड का (पैकेज-3) सिलचर- वैरेंगटे- सैरंग सड़क पर डिज़ाइन चैनिज़ कि.मी. 46+000 से कि.मी. 60+850 तक 4-लेन बनाना। (पैकेज-1 और 2 असम राज्य में)	14.85	03-12-21	491.39	कार्य अभी सौंपा जाना है।	-	-	-
8	मिजोरम राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-306 और रा.रा.- 6 के छिमलुआंग-कोलासिब खंड के सिलचर-वैरेंगटे- सैरंग सड़क पर मौजूदा चैनिज़ 59+700 कि.मी. से 86+000 कि.मी. तक (डिज़ाइन चैनिज़ 61+000 कि.मी. से 77+500, कि.मी.) तक 4-लेन बनाना। (पैकेज-4)	16.5	20-12-21	561.91	कार्य अभी सौंपा जाना है।	-	-	-
9	मिजोरम राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एनएच (ओ)-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-6 के कोलासिब-सेथावन खंड (पैकेज-5) का सिलचर-वैरेंगटे- सैरंग सड़क पर मौजूदा चैनिज़ 86+000 कि.मी. से 107+850 कि.मी. तक (डिज़ाइन चैनिज़ 77+500 कि.मी. से 95+500, कि.मी.) तक 4-लेन बनाना (वैरेंगटे - सैरंग पैकेज-5)	18	17-11-21	720.40	कार्य अभी सौंपा जाना है।	-	-	-
10	मिजोरम राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एनएच (ओ)-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-6 के सेथावन-एन. कावनपुई खंड (पैकेज-6) का सिलचर-वैरेंगटे- सैरंग सड़क पर मौजूदा चैनिज़ 107+850 कि.मी. से 126+315 कि.मी. तक (डिज़ाइन चैनिज़ 95+500 कि.मी. से 111+850 कि.मी.) तक 4-लेन बनाना (वैरेंगटे - सैरंग पैकेज-6)	23.35	20-12-21	595.65	कार्य अभी सौंपा जाना है।	-	-	-
11	मिजोरम राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एनएच (ओ)-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-6 के सैरंग-फैबॉक खंड पर आइज़ोल बायपास का 0.000 कि.मी. से 10.600 कि.मी. तक (पैकेज-1) 2-लेन का निर्माण।	10.6	28-02-23	329.70	कार्य अभी सौंपा जाना है।			
12	मिजोरम राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत एनएच (ओ)-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-6 के सैरंग-फैबॉक खंड पर आइज़ोल बायपास का 15.200 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक (पैकेज-3) 2-लेन का निर्माण।	19.3	28-02-23	720.72	कार्य अभी सौंपा जाना है।			
13	रा.रा.-302 के लुंगलेई से चुमखुम तक डिज़ाइन चैनिज़ 0.000 कि.मी. से 37.420 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर कोन्फ़िग्रेशन के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण (पैकेज-ए)	37.42	30-03-21	698.45	30-06-21	31.21%	24.37%	30-12-22
14	रा.रा.-302 के चुमखुम से तबलुंग तक डिज़ाइन चैनिज़ 37.420 कि.मी. से 74.950 तक हार्ड शोल्डर कोन्फ़िग्रेशन के साथ 2-लेन सड़क का निर्माण (पैकेज-बी)	37.53	28-06-21	740.58	10-07-21	30.69%	23.33%	09-01-23
15	आइज़ोल-तुइपांग खंड पर 8.00 कि.मी. से 65.00 कि.मी.तक (पैकेज-1) पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	56.96	03-11-22	1286.35	24-01-20	91.50%	85.81%	25-07-23
16	आइज़ोल-तुइपांग खंड पर 65.00 कि.मी. से 125.00 कि.मी. तक (पैकेज-2) पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	50.87	03-11-22	988.23	23-12-19	99.25%	89.91%	23-06-23
17	आइज़ोल-तुइपांग खंड पर 125.00 कि.मी. से 166.00 कि.मी. तक (पैकेज-3) पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	40.2	03-11-22	785.65	25-10-19	85.20%	83.30%	25-04-23

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
18	आइज़ोल-तुइपांग खंड पर 166.00 कि.मी. से 208.00 कि.मी. तक (पैकेज-4) पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	42.53	03-11-22	789.05	25-10-19	85.41%	81.36%	25-04-23
19	आइज़ोल-तुइपांग खंड पर 208.00 कि.मी. से 250.00 कि.मी. तक (पैकेज-5) पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	33.8	03-11-22	688.25	25-10-19	79.92%	76.55%	25-04-23
20	आइज़ोल-तुइपांग खंड पर 250.00 कि.मी. से 298.00 कि.मी. तक (पैकेज-6) पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	45.46	03-11-22	906.76	16-12-19	82.07%	80.84%	16-06-23
21	आइज़ोल-तुइपांग खंड पर 298.00 कि.मी. से 339.00 कि.मी. तक (पैकेज-7) पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	39.12	03-11-22	750.32	01-10-20	77.20%	71.49%	01-04-24
22	आइज़ोल-तुइपांग खंड पर 339.00 कि.मी. से 380.00 कि.मी. तक (पैकेज-8) पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन।	39.95	03-11-22	746.39	16-03-20	83.55%	80.27%	15-09-23
23	रा.रा.-54 के आइज़ोल-तुइपांग खंड पर छियाथलांग-सेरचिप बायपास का 2-लेन का निर्माण (पैकेज-1)	14.4	19-03-20	247.25	15-10-20	99.84%	95.99%	15-10-22
24	रा.रा.-54 के आइज़ोल-तुइपांग खंड पर हनाथियाल बायपास का 2-लेन का निर्माण (पैकेज-2)	6.996	19-03-20	124.61	01-10-20	67.78%	67.02%	03-04-22
25	रा.रा.-54 के आइज़ोल-तुइपांग खंड पर लॉन्गतलाई बायपास का 2-लेन का निर्माण (पैकेज-3)	2.273	19-03-20	48.45	20-11-20	79.48%	74.48%	23-05-22
26	रा.रा.-102बी के ख्राकवां (तुयवाई नदी के ऊपर पुल से) नगोपा खंड का आइज़ोल-इंफाल आर्थिक गलियारे पर मौजूदा चैनिज़ 0.000 कि.मी. से 32.796 कि.मी. तक [डिज़ाइन चैनिज़ 0.000 कि.मी. से 31.280 कि.मी. तक] पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में उन्नयन (पैकेज-1)	31.28	21-09-21	492.94	26-11-21	78.89%	78.49%	20-05-23
27	रा.रा.-102बी के नगोपा - पौलरंग खंड का आइज़ोल-इंफाल आर्थिक गलियारे पर मौजूदा चैनिज़ 32.796 कि.मी. से 72.030 कि.मी. तक [डिज़ाइन चैनिज़ 31.280 कि.मी. से 68.170 कि.मी. तक] पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में उन्नयन (पैकेज-2) केइफांग-तुयवाई पैकेज-2	36.89	21-09-21	523.78	01-09-23	19.20%	18.18%	22-02-25
28	भारतमाला परियोजना (केइफांग-तुयवाई पैकेज-3) के अन्तर्गत रा.रा.-102बी के आइज़ोल-इंफाल आर्थिक गलियारे पर पौलरंग - रुलचावम खंड का मौजूदा चैनिज़ 72.030कि.मी. से 104.129 कि.मी. तक, जिसमें तुयवाई नदी से रुलचावम तक 2.459 कि.मी. पुन:सज्जित खंड शामिल है जो रा.रा.-6 के 48.150 कि.मी. से जुड़ता है [डिज़ाइन चैनिज़ 68.170 कि.मी. से 98.579 कि.मी. तक] पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में उन्नयन (पैकेज-3)	30.41	13-12-21	500.88	15-11-23	18.6%	17.49%	08-05-25
29	मिजोरम राज्य में रा.रा.(ओ)-एनई, आईएमबीआर खंड के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-502ए क ज़ोरिनपुरी-लॉन्गमासु खंड का 0.000 कि.मी. से 28.244 कि.मी. तक 2-लेन बनाना।	28.244	16-02-23	781.85	कार्य अभी सौंपा जाना है।	–	–	–
30	मिजोरम राज्य में ईपीसी आधार पर रा.रा.-6 के आइज़ोल बायपास सुरंग का 2.5 कि.मी. लंबी ट्विन ट्यूब यूनि-डायरेक्शनल सुरंग और इसके 2.1 कि.मी. के एप्रोच, 10.600 कि.मी. से 15.200 कि.मी. तक निर्माण (पैकेज-2)।	4.6	10-02-2024	1313.28	कार्य अभी सौंपा जाना है।	–	–	–

दुल्ते-चंपाई सड़क का दृश्य पैकेज-III, मिजोरम

आइज़ोल-तुइपांग सड़क का दृश्य पैकेज- II, मिजोरम

5.9 नागालैंड

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	नागालैंड राज्य में एसएआरडीपी-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर डिमापुर-कोहिमा सड़क का डिज़ाइन 123.840 कि.मी. से 138.775 कि.मी. तक 4-लेन का बनाना (पैकेज - I)	14.935	31-03-16	534.41	16-09-16	99.81%	98.86%	15-09-2019
2	नागालैंड राज्य में एसएआरडीपी-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर डिमापुर-कोहिमा सड़क का डिज़ाइन 138.775 कि.मी. से 152.490 कि.मी. तक 4-लेन का बनाना (पैकेज - II)	13.715	31-03-16	486.19	03-08-16	100%	98.53%	02-08-2019
3	एसएआरडीपी-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर डिमापुर और कोहिमा बायपास को छोड़कर, डिमापुर-कोहिमा सड़क के शेष कार्य का डिज़ाइन 152.490 कि.मी. से 166.700 कि.मी. (मौजूदा 156.000 कि.मी. से 172.900 कि.मी.) तक 4-लेन का बनाना (पैकेज - III)	14.210	31-03-16	794.74	29-09.23-	17.83%	13.86%	28-09-2025
4	नागालैंड राज्य में ईपीसी आधार पर रा.रा.-36 और 39 के डबोका-डिमापुर खंड (डिमापुर बायपास) का 132.375 कि.मी. से 153.058 कि.मी. (कुल नई संरेखण लंबाई 20.683 कि.मी.) तक 4/6 लेन में निर्माण।	20.683	16-02-17	688.12	05-09-17	99.20%	99.06%	04-09-2020
5	ईपीसी आधार पर दीमापुर बायपास (असम हिस्सा) का मौजूदा 159.400 कि.मी. से 102.500 कि.मी. रा.रा.-36 से रा.रा.-39 और असम के अंतिम बिंदु तक [डिज़ाइन 118.050 कि.मी. से डिज़ाइन 132.375 कि.मी.] (लंबाई 14.325 कि.मी.) 4/6 लेन का परिपथ निर्माण।	14.35	09-03-18	698.81	25-11-2019	94.43%	92.67%	25-11-2022
6	ईपीसी आधार पर चाकबामा-जुनहेबोटो (सी-जेड) सड़क का [डिज़ाइन 50-75 कि.मी.] हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण पैकेज-III	25	22-03-18	285.68	03-09-2022	100%	96.31%	03-09-2022
7	चाकबामा-जुनहेबोटो (सी-जेड) सड़क का 75-95 कि.मी. हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण पैकेज-IV	20	22-03-18	315	13-12-2018	100%	99.79%	12-12-2021
8	चाकबामा-जुनहेबोटो (सी-जेड) सड़क का 95-115.534 कि.मी. हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण पैकेज-V	20.534	28-03-18	256	20-12-2018	100%	97.12%	19-12-2021
9	मेरांगकोंग-तामलू-मोन (एमटीएम) सड़क का 20-40 कि.मी. हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण पैकेज-II	20	22-03-18	215.79	22-08-2023	24.40%	19.21%	21-08-2025
10	मेरांगकोंग-तामलू-मोन (एमटीएम) सड़क का 40-59 कि.मी. हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण पैकेज-III	19	22-03-18	272.88	24-10-2019	100%	95.72%	22-10-2022
11	मेरांगकोंग-तामलू-मोन (एमटीएम) सड़क का 63.800-86.835 कि.मी. हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण पैकेज-IV (शेष कार्य)	23.035	22-03-18	323.98	11-09-2023	16.03%	14.00%	09-09-2025
12	एसएआरडीपी-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर मेरांगकोंग-तामलू-मोन सड़क (वाकचिंग टाउन हिस्सा) का मौजूदा चेनिज़ 59+000 कि.मी. से 73+640 कि.मी. [डिज़ाइन 59+000 कि.मी. से 72+450 कि.मी.] (डिज़ाइन लंबाई - 13.450 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज-V)	13.450	31-03-21	161.73	08-09-2023	23.33%	20.38%	06-09-2025
13	ईपीसी आधार पर चांगटोंग्या-लॉन्गलेन सड़क का मौजूदा 0.00 कि.मी. से 16.592 कि.मी. [डिज़ाइन 0.00 कि.मी. से 18.779 कि.मी.] (डिज़ाइन लंबाई-18.779 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज-1)	18.779	07-01-20	278.95	01-07-2020	100%	99.04%	30-06-2022
14	ईपीसी आधार पर चांगटोंग्या-लॉन्गलेन सड़क का मौजूदा 16.592 कि.मी. से 29.530 कि.मी. [डिज़ाइन 18.779 कि.मी. से 33.428 कि.मी.] (डिज़ाइन लंबाई-14.649 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज-2) 2019-20	13	27-02-20	184.74	25-01-2024	99.40%	98.52%	24-01-2025
15	रा.रा.-39 (नई रा.रा.-02), रा.रा.-150 (नई रा.रा.-02), रा.रा.-61 (नई रा.रा.-29) और रा.रा.-39 (नई रा.रा.-02) को जोड़ते हुए, कोहिमा-बायपास सड़क का डिज़ाइन 0.00 कि.मी. से 10.500 कि.मी. तक [डिज़ाइन लंबाई- 10.500 कि.मी.] पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज-1)	10.500	16-12-22	350.88	09-11-2023	1.34%	0.00%	08-11-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
16	रा.रा.-39 (नई रा.रा.-02), रा.रा.-150 (नई रा.रा.-02), रा.रा.-61 (नई रा.रा.-29) और रा.रा.-39 (नई रा.रा.-02) को जोड़ते हुए, कोहिमा-बायपास सड़क का डिज़ाइन 10.500 कि.मी. से 21.00 कि.मी. तक [डिज़ाइन लंबाई- 10.500 कि.मी.] पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण, (पैकेज- 2), जिसमें 500 मीटर लंबी सुरंग शामिल है।	10.500	07-07-20	277.44	15-10-2020	62.16%	60.99%	15-10-2022
17	रा.रा.-2, 29 को जोड़ते हुए, कोहिमा-बायपास सड़क का डिज़ाइन 21.0 कि.मी. से 32.268 कि.मी. तक [डिज़ाइन लंबाई- 11.268 कि.मी.] पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज- 3)।	11.268	16-12-22	342.29	16.06.2023	15.60%	13.80%	15-06-2025
18	रा.रा.-2, 29 को जोड़ते हुए कोहिमा-बायपास सड़क का डिज़ाइन 32.0 कि.मी. से 43.454 कि.मी. तक [डिज़ाइन लंबाई- 11.454 कि.मी.] पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज- 4)।	11.454	31-07-20	202.36	15-10-2020	26.96%	25.04%	17-04-2022
19	ईपीसी आधार पर कोहिमा-जेसामी सड़क का रा.रा.-29 (पुराना रा.रा.-150) पर मौजूदा कि.मी. 7.880 (चेडामा जंक्शन के पास) से मौजूदा 30.474 कि.मी. (चाकबामा के पास) तक (डिज़ाइन 7.88 कि.मी. से 29.60 कि.मी.) (डिज़ाइन लंबाई - 21.72 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज - I)।	21.72	11-03-20	320.97	01-07-2020	100%	94.02%	30-06-2022
20	रा.रा.(ओ) 2019-20 के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर कोहिमा-जेसामी सड़क का, रा.रा.-29 (पुराना रा.रा.-150) पर मौजूदा 30.474कि.मी. (किडवेमा सड़क चाकबामा के पास) से मौजूदा 53.220 कि.मी. (किकरुमा गांव के पास) तक (डिज़ाइन 29.60 कि.मी. से 51.50 कि.मी.) (डिज़ाइन लंबाई-21.90 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज II)	21.90	11-03-20	355.79	05-01-2024	01.44%%	0.00%	04-01-2026
21	रा.रा.(ओ) 2019-20 के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर कोहिमा-जेसामी सड़क का रा.रा.-29 (पुराना रा.रा.-150) पर मौजूदा 53.220 कि.मी. (किकरुमा गांव के पास) से मौजूदा 76.320 कि.मी. (मेसेलुमी गांव के पास) तक (डिज़ाइन 51.50 कि.मी. से 74.20 कि.मी.) (डिज़ाइन लंबाई-22.70 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज III)	22.70	15-03-20	361.53	01-07-2020	100%	95.82%	30-06-2022
22	ईपीसी आधार पर कोहिमा-जेसामी सड़क का रा.रा.-29 (पुराना रा.रा.-150) पर मौजूदा 76.320 कि.मी. (मेसेलुमी गांव के पास) से मौजूदा 98.380 कि.मी. (चिजामी गांव के पास) तक [डिज़ाइन लंबाई= 21.50 कि.मी.] हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज IV)।	21.50	30-03-20	330.78	01-07-2020	100%	93%	31-12-2021
23	ईपीसी आधार पर कोहिमा-जेसामी सड़क का, रा.रा.-29 (पुराना रा.रा.-150) पर मौजूदा 98.380 कि.मी. (चिजामी गांव के पास) से कि.मी. 120.367 (नागालैंड/मणिपुर सीमा) तक [डिज़ाइन 95.700 कि.मी. से डिज़ाइन 117.200 कि.मी.] [डिज़ाइन लंबाई= 21.500 कि.मी.] हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज V)।	21.50	30-03-20	330.80	23-11-2023	27.70%	23.90%	22-11-2025
24	भारतमाला- रा.रा. (ओ)-टीएसपी के अन्तर्गत कोहिमा से माओ तक मौजूदा सड़क का 185.540 कि.मी. से 211.709 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में निर्माण ।	26.794	01-10-20	315.63	22-10-2020	74.23%	72.13%	22-04-2022
25	रा.रा.129ए के पेरन-डिमापुर खंड पर डिज़ाइन 109.494 कि.मी. से 126.775 कि.मी. तक (लंबाई=17.281) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज-1)।	14.401	10-08-20	257.15	20-10-2020	100%	94%	22-04-2022
26	रा.रा.(ओ)-टीएसपी के अन्तर्गत रा.रा.129ए के पेरन-डिमापुर खंड पर डिज़ाइन 126.775कि.मी. से 146.208 कि.मी. तक हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज-2)।	19.433	18-01-21	258.52	10-09-2023	12.59%	9.15%	09-09-2025
27	रा.रा.(ओ)-टीएसपी के अन्तर्गत रा.रा.129ए के पेरन-डिमापुर खंड पर डिज़ाइन 146.208 कि.मी. से 163.592 कि.मी. तक (लंबाई-17.384 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज - 3)।	17.384	11-02-21	199.02	07-06-2023	20.02%	16.24%	06-06-2025
28	रा.रा.(ओ)-टीएसपी के अन्तर्गत रा.रा.129ए के पेरन-डिमापुर खंड पर डिज़ाइन 163.592 कि.मी. से 173.850 कि.मी. तक (लंबाई - 10.258 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज - 4)	10.258	30-03-21	116.54	24-02-2024	0.00%	0.00%	23-02-2026

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
29	नागालैंड राज्य में रा.रा.(ओ)-टीएसपी के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.129ए के पेरन-डिमापुर खंड पर डिज़ाइन 173.850 कि.मी. से 190.850 कि.मी. तक (लंबाई - 17.000 कि.मी.) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज-5)	17.00	11-02-21	207.33	-	-	-	-
30	रा.रा.-202 के अकेग्वो-जेसामी खंड का डिज़ाइन चेनिज़ 283.000 कि.मी. से 325.440 कि.मी. (पुराना अठेग्वो पांच रास्तों का जंक्शन से आकाश ब्रिज तक) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण (पैकेज-I)।	42.44	25-03-22	605.36	23-06-2022	79.89%	77.75%	20-12-2024
31	नागालैंड राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-202के अकेग्वो-अवांखू खंड पर पैकेज-I (डिज़ाइन चेनिज़ 0+000 कि.मी. से 34+795 कि.मी. तक) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण।	34.795	16-12-22	430.24	24-08-2023	17.83%	15.30%	23-02-2026
32	नागालैंड राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-202के अकेग्वो-अवांखू खंड पर पैकेज-II (डिज़ाइन चेनिज़ 34+795 कि.मी. से 69+875 कि.मी. तक) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण।	35.080	16-12-22	442.54	24-08-2023	10.57%	7.96%	23-02-2026
33	नागालैंड राज्य में रा.रा. (ओ)-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-202के अकेग्वो-अवांखू खंड पर पैकेज-III (डिज़ाइन चेनिज़ 69+875 कि.मी. से 106+816 कि.मी. तक) हार्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में चौड़ीकरण।	36.941	16-12-22	497.18	26-08-2023	25.78%	20.54%	25-02-2026

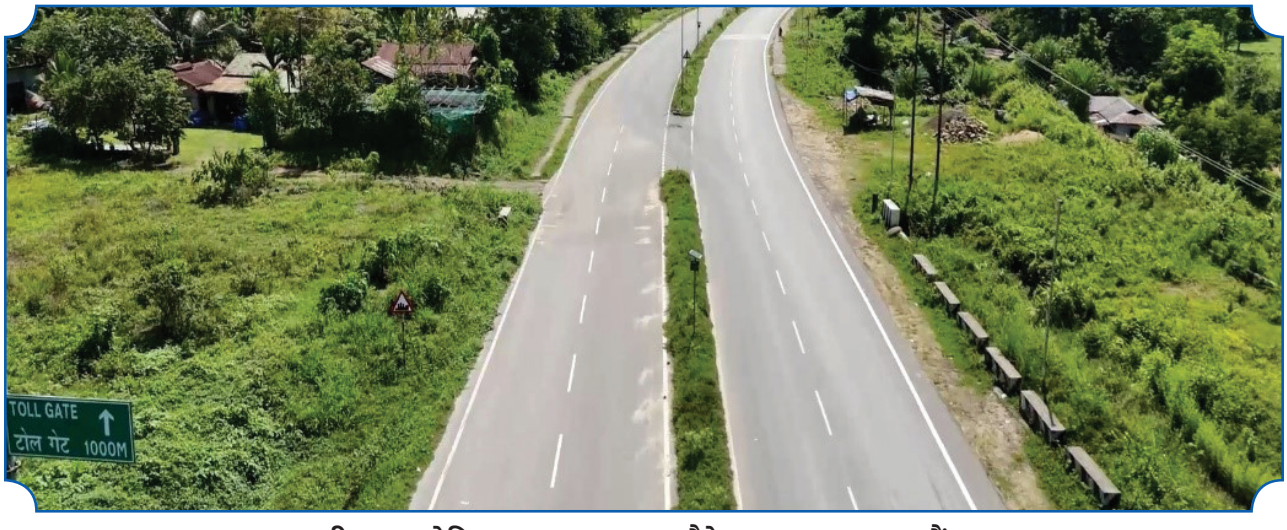

दीमापुर-कोहिमा सड़क रा.रा.-29, पैकेज-I का दृश्य, नागालैंड

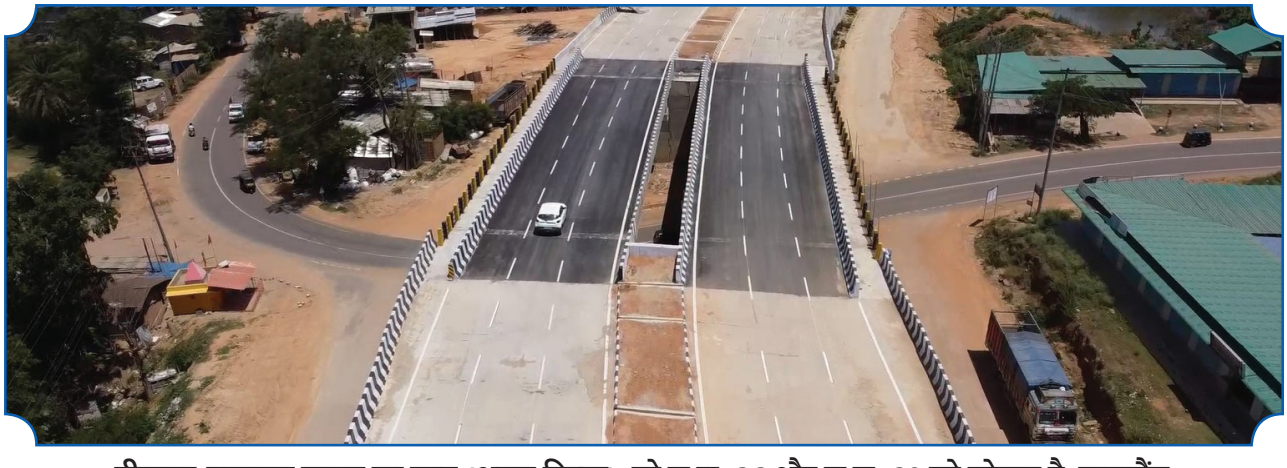

दीमापुर-बायपास सड़क का दृश्य (असम हिस्सा), जो रा.रा.-36 और रा.रा.-29 को जोड़ता है, नागालैंड

5.10 सिक्किम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	रा.रा.-510 सिंताम-तार्कु (0.000 कि.मी. से 16.000 कि.मी. तक) पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में सड़क निर्माण / उन्नयन।	16.0	30-03-17	376	05-10-19	95.26%	93.37%	05-04-22
2	रा.रा.-510 तार्कु-रवांगला (16.000 कि.मी. से 32.500 कि.मी. तक) पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में सड़क निर्माण / उन्नयन।	16.5	30-03-17	290	01-11-17	96.31%	94.22%	31-10-20
3	रा.रा.717ए का डिज़ाइन च: 0.00 (रा.रा.-10 का 77.800 कि.मी.) से डिज़ाइन च: 2.00 (रा.रा.-717ए का 3.100 कि.मी.) तक रणिपूल से पाक्योंग रोड पर 680 मीटर लंबा प्रमुख पुल (वाया डक्ट)सहित पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनः निर्माण।	2.0	10-02-23	381	10-04-21	57.25%	48.55%	09-04-23
4	एसएआरडीपी-एनई 'ए' के अन्तर्गत रणिपूल से पाक्योंग तक 2.000 से कि.मी. 16.167 कि.मी. तक (शेष कार्य) मौजूदा सड़क का पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2 लेन में निर्माण / उन्नयन।	14.17	10-02-23	381	05-01-23	39.52%	38.60%	06-07-24
5	एसएआरडीपी-एनई के अन्तर्गत मौजूदा सड़क का 20.340 कि.मी. (रॉन्गली बाजार) से 26.588 कि.मी. (रॉन्गली बाईपास अंत) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में निर्माण /उन्नयन। और रा.-717बी के रिंगोक - मेनला स्पर का 20.600 कि.मी. और 26.400 कि.मी. पर 0.520 कि.मी. और 0.554 कि.मी. लम्बाई का उन्नयन। (पैकेज-IIए) ।	7.32	11-02-21	332	10-03-21	37.78%	33.90%	08-09-23
6	रा.रा.-717बी के रिंगोक - मेनला स्पर मौजूदा सड़क का 27.200 कि.मी. (रॉन्गली बाईपास का अंत) से 37.600 कि.मी. (न्यू रोलप ब्रिज) तक 2-लेन में सड़क निर्माण और उन्नयन। (पैकेज-IIबी)	10.4	26-09-22	245	15-10-20	75.85%	74.66%	15-04-23
7	रा.रा. 717बी के रॉन्गली से छोचेनफेरी खंड में मौजूदा सड़क का 37.600 कि.मी. (न्यू रोलप ब्रिज) से 52.00 कि.मी. छोचेनफेरी तक 2-लेन में सड़क निर्माण और उन्नयन। (पैकेज-IIसी)	14.4	21-10-22	480	25-05-21	35.98%	34.30%	23-05-24
8	एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अन्तर्गत रा.रा.-717बी के रेहनोक मेनला स्पर नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का (52+000 कि.मी. छोचेनफेरी से 82+000 कि.मी. हेलिपैड के पास मेनला तक) पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सड़क निर्माण। (पैकेज-III ए)	30	26-09-22	787	10-12-20	33.26%	30.19%	09-12-23
9	एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अन्तर्गत रा.रा.-717बी पर रंगीन मेनला स्पर का (82.00 कि.मी. हेलिपैड मेनला से 94.030 कि.मी. मेनला तक) नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का निर्माण। (पैकेज-III बी)	12.03	06-09-22	379	25-02-21	38.49%	36.63%	24-02-24
10	एसएआरडीपी-एनई के अन्तर्गत रा.रा.-510 पर रॉबांगला में (सिंतम-तार्कु-रॉबांगला-लेगशिप-ग्यालसिंग) पैकेज-III (डिज़ाइन च.: 32.500 कि.मी. से 33.600 कि.मी. तक) 300 मीटर लंबी सुरंग सहित पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन का विशेष सड़क का निर्माण।	1.1	09-09-20	79	15-10-20	100%	98.43%	15-10-22
11	एसएआरडीपी-एनई चरण "ए" के अन्तर्गत रॉबांगला खंड 33.600 कि.मी. से 58.840 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर और ज्यामितीय सुधार के साथ 2-लेन में सड़क का निर्माण और उन्नयन (पैकेज-IV)	25.24	09-07-20	293	31-10-20	45.28%	44.11%	01-05-22
12	एसएआरडीपी-एनई चरण "ए" के अन्तर्गत रा.रा.-510 के लेगशिप-ग्यालसिंग पर मौजूदा खंड का (58.840 कि.मी. से 75.00 कि.मी. तक) पुनःनिर्माण पेव्ड शोल्डर के साथ (ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट) 2-लेन सड़क का निर्माण। (पैकेज-V)	16.16	22-03-23	414	10-11-20	42.72%	38.36%	09-05-23
13	एसएआरडीपी-एनई चरण "ए" के अन्तर्गत रा.रा.-510 के लेगशिप-ग्यालसिंग पर मौजूदा खंड का (75.00 कि.मी. से 90.210 कि.मी. तक) पुनःनिर्माण पेव्ड शोल्डर के साथ (ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट) 2-लेन सड़क का निर्माण (पैकेज-VI)	15.21	22-03-23	440	10-11-20	39.55%	39.12%	10-05-22

सिक्किम के सिंताम-तार्कु सड़क का दृश्य

सिक्किम के रेणोक-रोरथांग-पाकयोंग सड़क का दृश्य

5.11 त्रिपुरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	ईपीसी आधार पर रा.रा.-208 के कुमारघाट- कैलाशहर खंड का 0.00 कि.मी. से 18.600 कि.मी. (कुल लंबाई-18.600 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन।	18.6	20-02-20	302.03	15-07-20	96.2%	92.02%	13-01-22
2	रा.रा.-108ए के जोलैबारी - बेलोनिया खंड का (0.000 कि.मी. से 21.412 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार और चौड़ीकरण।	21.41	02-06-20	287.47	15-07-20	87.93%	79.9%	06-01-22
3	रा.रा.-208ए के कैलाशाहार- कुर्ती ब्रिज खंड का डिज़ाइन 25.250 कि.मी. से 36.460 कि.मी. (कुल लंबाई: 11.210 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन। (पैकेज-III)	11.21	26-02-20	174.43	कार्य अभी सौंपा जाना है।			
4	ईपीसी आधार पर रा.रा.-108B के अगरतला-खवाई खंड का 19.300 कि.मी. से 31.300 कि.मी. (कुल लंबाई: 12.000 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन। (पैकेज-II)	12.00	03-03-20	141.48	01-03-2024	0%	0%	31-08-2025
5	ईपीसी आधार पर रा.रा.-108B के अगरतला-खवाई खंड का डिज़ाइन 31.300 कि.मी. से 45.300 कि.मी. (कुल लंबाई: 14.000 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन। (पैकेज-III)	14.00	03-03-20	173.17	22-10-20	93.8%	87.25%	15-04-22
6	त्रिपुरा राज्य में ईपीसी आधार पर रा.रा.-8 (निकट अमताली) को रा.रा.-108B (निकट लेम्बुछेरा) से जोड़ते हुए अगरतला बाईपास (पश्चिमी दिशा, लंबाई- 25.402 कि.मी.) का 4-लेन का निर्माण।	25	22-03-23	2026	09-03-24	0%	0%	09-03-2027
7	रा.रा.-44ए के लालचरा-कांचनपुर खंड का 16.077 कि.मी. से 43.935 कि.मी. (कुल लंबाई: 27.858 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन। (मनु-सिमलंग- II)	27.86	24-02-22	456.88	10-01-23	30.5%	28.66%	09-01-25
8	रा.रा.-44ए (पैकेज-IV) के वाघमुन-सिमलंग खंड का 66.845कि.मी. से 85.125 कि.मी. (कुल लंबाई: 18.280 कि.मी.) तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में पुनरुद्धार और उन्नयन। (मनु-सिमलंग-IV)	18	31-03-21	354.79	25-06-21	17.2%	15.06%	24-12-22
9	कैलाशाहार - फुलताली खंड का 21.100 कि.मी. से 29.200 कि.मी. तक सुधार और चौड़ीकरण। (पैकेज-1)	8.10	08-01-21	105.27	29-12-20	86.25%	78.68%	30-06-22
10	बामांचरा - श्रीरामपुर खंड का 63.700 कि.मी. से 75.700 कि.मी. सुधार और चौड़ीकरण। (पैकेज-4)	12	08-01-21	171.50	29-12-20	96.45%	93.04%	30-06-22
11	गोमती और महुरी नदी पर 2 पुलों का निर्माण	1.80	09-07-20	86.54	23-09-20	55.87%	52.6%	25-03-22
12	एनएच(ओ)-एनई के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-08 के उदयपुर से श्रीमंतपुर खंड पर सड़क का 23 कि.मी. से 34.500 कि.मी. (11.5 कि.मी.) और 20.30 कि.मी. से 22.00 कि.मी. (1.7 कि.मी.) पर ओवरले, कुल लंबाई = 13.2 कि.मी. पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार और चौड़ीकरण।	13.20	05-01-23	195.95	29-05-23	9.4%	0%	27-11-24
13	त्रिपुरा राज्य में जेआईसीए ओडीए लोन फेज़-VI (पैकेज-1) के अन्तर्गत ईपीसी आधार पर रा.रा.-208 के अगरतला-टेलियामुरा-आमलपुर-हरिना-सभ्रूम खंड का 101.300 से कि.मी. 127.319 कि.मी. (कुल लंबाई: 26.019 कि.मी.) पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार और चौड़ीकरण। ,	26.02	09-01-24	431.78	12-02-24	प्रदान की जानी है		
14	त्रिपुरा राज्य में जेआईसीए ओडीए लोन फेज़-VI के (पैकेज-2) अन्तर्गत खवाई-टेलियामुरा-हरिना खंड पर रा.रा.-08 और रा.रा.-208 के बीच सड़क का 438.170 कि.मी. (खवाई चौमुखानी) से 439.410 कि.मी. (साउथ पुलिनपुर) और डिज़ाइन 0.000 कि.मी. (साउथ पुलिनपुर) से डिज़ाइन 36.00 कि.मी. (निकट रंगमाटी) तक, कुल लंबाई 37.24 कि.मी. पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार और चौड़ीकरण।	37.24	09-01-24	657.21	12-02-24	प्रदान की जानी है		
15	त्रिपुरा राज्य में जेआईसीए ओडीए लॉन चरण - VI (पैकेज-3) के अन्तर्गत रा.रा. 208 के तेलियामुरा से हरिना खंड का डिज़ाइन 36.000 कि.मी. (रंगमाटी) से डिज़ाइन 72.000 कि.मी. (पाटी छाड़ी) तक (कुल लंबाई 36.000 कि.मी.) कंक्रीट पट्टी के पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार और चौड़ीकरण।	36.00	09-01-24	670.90	12-02-24	प्रदान की जानी है		

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
16	त्रिपुरा राज्य में जेआईसीए ओडीए लॉन चरण - VI (पैकेज-4) के अन्तर्गत रा.रा. 208 के तेलियामुरा से हरिना खंड का डिज़ाइन 72.000 कि.मी. (पाटी छाड़ी) से डिज़ाइन 107.654 कि.मी. (हरिना) तक (कुल लंबाई 35.654 कि.मी.) कंक्रीट पट्टी के पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन में सुधार और चौड़ीकरण।	35.65	09-01-24	726.90	12-02-24	प्रदान की जानी है		
17	त्रिपुरा राज्य में ईपीसी आधार पर रा.रा. 08 के चंपकनगर से खयरपुर तक (डिज़ाइन 242+500 कि.मी. से 261+610 कि.मी. तक) कंक्रीट पट्टी के पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन में सुधार और चौड़ीकरण।	19.11	21-12-23	920.66	15-03-24	प्रदान की जानी है		

त्रिपुरा की सड़क अगरतला-खोवाई का दृश्य

5.12 उत्तराखंड

31-03-2022 तक की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	ईपीसी आधार पर निकासी मार्गों सहित 2-लेन द्वि-दिशात्मक सिल्क्यारा बेंड-बड़कोट सुरंग का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण जिसमें रा.रा.-134 (पुराना रा.रा.-94) पर पड़ने वाले धारसू-यमुनोत्री खंड के बीच चेनिज 25.400 कि.मी. और 51.00 कि.मी. के पहुंच मार्ग शामिल हैं।	5	09-03-18	1384	09-07-18	59%	58%	14-05-24
2	लामेरी से कर्णप्रयाग तक मौजूदा सड़क के कि.मी. 368.000 से कि.मी. 399.000 (कि.मी. 379.000 से कि.मी. 380.275 को छोड़कर) पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का निर्माण और उन्नयन रुद्रप्रयाग से जोशीमठ पैकेज -I	29	23-03-18	274	23-05-18	99%	96%	20-11-20
3	कर्णप्रयाग से चमोली तक मौजूदा सड़क के कि.मी. 399.000 से कि.मी. 430.000 (कि. मी. 420.250 से कि.मी. 420.500 और किमी 423.300 से 423.650 को छोड़कर) रुद्रप्रयाग से जोशीमठ पैकेज-II पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का निर्माण और उन्नयन।	29	23-03-18	403	24-05-18	95%	94%	21-11-20
4	चमोली से पैनी तक मौजूदा सड़क के कि.मी. 430.000 से कि.मी. 468.000 (कि.मी. 437.625 से कि.मी. 437.775, कि.मी. 458.900 से कि. मी. 459.475 और कि.मी. 464.425 से कि.मी. 464.525 को छोड़कर) पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का निर्माण और उन्नयन रुद्रप्रयाग से जोशीमठ पैकेज III।	37	22-03-18	417	23-05-18	99%	99%	20-11-20

सिल्क्यारा सुरंग, उत्तराखंड का अंदरूनी दृश्य

5.13 पश्चिम बंगाल

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति की तिथि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	कार्य प्रारंभ की तिथि	भौतिक प्रगति %	आर्थिक प्रगति %	मूल समाप्ति तिथि
1	रा.रा.-717ए बागराकोट काफेर IVए के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 13.00 तक मौजूदा राजमार्ग का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में निर्माण / उन्नयन	15.24	22-03-18	403	04-10-19	68.07%	67.99%	03-04-22
2	रा.रा.-717ए बागराकोट काफेर IVबी के कि.मी. 13.00 से कि.मी. 25.600 तक मौजूदा राजमार्ग का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में निर्माण/उन्नयन	12.6	22-03-18	296	05-10-20	90.73%	90.03%	05-04-23
3	रा.रा.-717ए बागराकोट काफेर IVडी के कि.मी. 26.10 से कि.मी. 40.00 तक मौजूदा राजमार्ग का पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन में निर्माण/उन्नयन	13.9	22-03-18	243	11-06-20	100%	99.42%	10-06-22
4	एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत रा.रा.-717ए के काफेर-लावा मोरे खंड के कि.मी. 40.00 से कि.मी. 61.100 तक की मौजूदा सड़क का ईपीसी आधार पर ज्यामितीय सुधार के साथ पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में निर्माण एवं उन्नयन (पैकेज ए)	21.1	13.10.22	274	05-10-20	91.65%	89.47%	05-04-23
5	एसएआरडीपी-एनई-ए के अंतर्गत गंगटोक के लिए वैकल्पिक सड़क संपर्कता (कनेक्टिविटी) के रूप में रा.रा.-717ए के पेडोंग बाईपास रेशी सीमा के कि.मी. 79.700 से कि.मी. 96.254 तक के खंड की मौजूदा सड़क का ज्यामितीय सुधार के साथ ईपीसी आधार पर पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में निर्माण एवं उन्नयन (लावा मोड़-रेशी सीमा) (पैकेज बी)	16.55	30-09-22	396	20-10-20	86.43%	84.77%	17-04-22

मेची पुल का दृश्य, पश्चिम बंगाल

6. रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की दसवीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की सूचना

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
प्रथम तल, टावर ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029,
National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India
First Floor, Tower A, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029, Tel: +91 11 26768950, www.nhidcl.com
CIN: U45400DL2014GOI269062
(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

संक्षिप्त सूचना

यह सूचित किया जाता है कि **राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड** की दसवीं वार्षिक आम बैठक **गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को दोपहर 1:00 बजे**, समिति कक्ष, पाँचवीं मंजिल, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर विचार एवं निर्णय लिया जाएगा:

सामान्य कार्य:-

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उनको अंगीकृत करना।
2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर 5.30 रुपये का लाभांश घोषित करना, जो कंपनी की चुकता पूंजी का 53% है, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया है, जो कुल मिलाकर 54.59 करोड़ रुपये होगा।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पिछले वर्ष के निर्धारित शुल्क का 5% बढ़ाकर लेखा शुल्क में वृद्धि की निदेशक मंडल की सिफारिश को स्वीकृति प्रदान करना, और साथ ही 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

(अंशु मनीष खलखो)
निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)
डीआईएन: 10052036

दिनांक: 23 सितंबर, 2024
स्थान: नई दिल्ली

टिप्पण:

1. वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में उपस्थित होने ओर मतदान करने के लिए परोक्ष (प्रॉक्सी) को नियुक्त करने का हक है और इस प्रकार नियुक्त किए गए परोक्ष (प्रॉक्सी) को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्ष (प्रॉक्सी) की नियुक्ति करने वाले दस्तावेज को वैध और प्रभावी होने के लिए बैठक के प्रारंभ होने के कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक रिक्त परोक्ष (प्रॉक्सी) फॉर्म इसके साथ संलग्न है।

2. बैठक का संयोजन, अधिनियम की धारा 101 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी के 95 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, अल्प सूचना पर किया जा रहा है।

3. कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बयालीसवीं बैठक में, जो 9 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई थी, वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने के लिए 54.59 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश अनुशंसित किया। यदि इसे वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो यह लाभांश शेयरधारकों (भारत सरकार के राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से) को भुगतान किया जाएगा।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की जानी चाहिए। और, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, उनकी पारिश्रमिक को कंपनी की सामान्य बैठक में या सामान्य बैठक में तय की गई प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।सी एंड एजी ने रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड मुख्यालय कार्यालय के लिए एम/एस जी.के. केडिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सनदी लेखाकार)को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 13 अलग-अलग लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया। निदेशक मंडल ने अपनी बयालीसवीं बैठक में उनके लेखा परीक्षा शुल्क में 5% वृद्धि की अनुशंसा की। सदस्यों से अनुरोध है कि इसे अनुमोदित करें।

   सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करें।

5. वार्षिक आम बैठक के स्थल तक पहुँचने के लिए मार्ग मानचित्र, जिसमें आसान पहचान के लिए प्रमुख स्थलचिह्न (प्रॉमिनेंट लैंडमार्क) शामिल हैं, सूचना के साथ संलग्न किया गया है।

6. वार्षिक आम बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nhidcl.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

7. परोक्ष (प्रॉक्सी) प्रारूप

परोक्ष (प्रॉक्सी) प्रारूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 19(3) के अनुसार]

सीआईएन: यू45400डीएल2014जीओआई269062

कंपनी का नाम: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम और द्वितीय तल, टावर-ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली-110029

सदस्य (सदस्यों) का/के नामः .....
पंजीकृत पता: .....
ई-मेल आईडी: .....
फोलियो सं./ग्राहक आईडी डीपी आईडी: .....

मैं, ... उपर्युक्त नाम वाली कंपनी.....
के शेयरों का/के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करता हूँ:

1. नाम:.....पता:.....
   ई-मेल आईडी:..... हस्ताक्षर:..... अथवा उनके न आने की स्थिति में
2. नाम:.....पता:.....
   ई-मेल आईडी:..... हस्ताक्षर:..... अथवा उनके न आने की स्थिति में
3. नाम:.....पता:.....
   ई-मेल आईडी:..... हस्ताक्षर:..... अथवा उनके न आने की स्थिति में
4. नाम:.....पता:.....
   ई-मेल आईडी:..... हस्ताक्षर:..... अथवा उनके न आने की स्थिति में

दिनांक 26 सितंबर, 2024,गुरुवार को दोपहर 1:00 बजे, समिति कक्ष, पाँचवीं मंजिल, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली में होने वाली कंपनी की दसवीं वार्षिक आम बैठक या नीचे दिए गए ऐसे संकल्पों के संबंध में इसके किसी स्थगन के लिए मेरे/हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने (मतदान होने पर) के लिए मेरे / हमारे परोक्षी (प्रॉक्सी) के रूप में

क्र.सं.	संकल्प	पक्ष में	विपक्ष में
1.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को स्वीकृत करना।		
2.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा करना।		
3.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षा शुल्क में, पिछले वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्धारित शुल्क के 5% की वृद्धि की निदेशक मंडल की सिफारिश को अनुमोदित करने और साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करने का अनुमोदन करें।		

2024 की ..... तारीख को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर: .....

परोक्षी (प्रॉक्सी) धारक (धारकों) के हस्ताक्षर: .....

रसीदी टिकट चिपकाएं

नोटः इस परोक्ष (प्रॉक्सी) प्रारूप के प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि इसे विधिवत रूप से भरकर बैठक के प्रारंभ होने के कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाए।

वार्षिक आम बैठक के स्थल (परिवहन भवन) का मार्ग मानचित्र

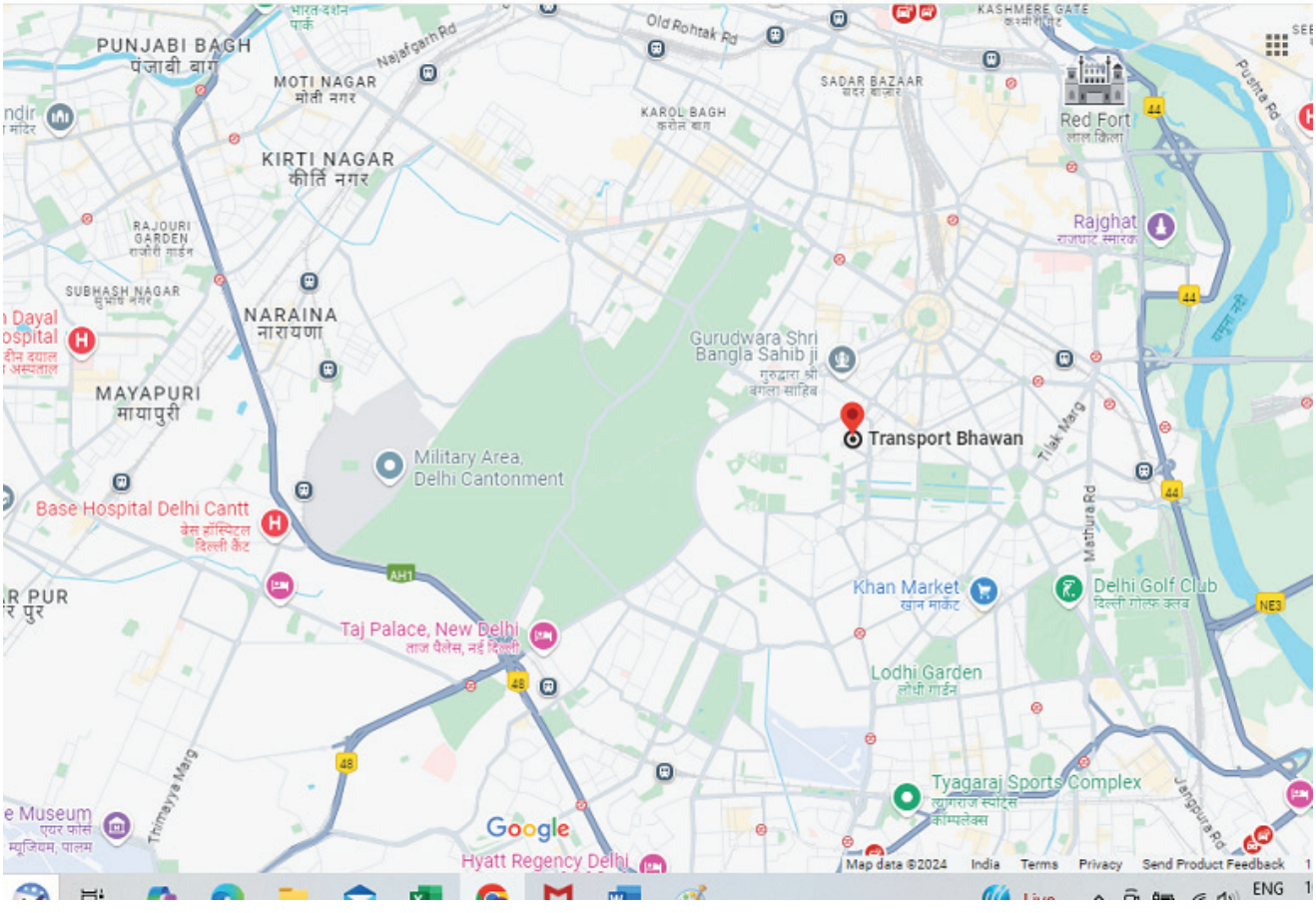

8. निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

अगस्त 2024 में, कंपनी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और आपकी कंपनी को वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा श्रेणीबद्ध कर श्रेणी 'ए' कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएँ संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

1. परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

1.1 निर्माण परियोजनाएँ

पिछले तीन वर्षों में आपकी कंपनी द्वारा पूरी की गई निर्माण परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल डीबीएम पूर्ण (रेखीय लंबाई) (किलोमीटर में)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार	39	25	11
2	अरुणाचल प्रदेश	96	88	66
3	असम	169	214	170
4	जम्मू और कश्मीर	148	125	82
5	लद्दाख	3	51	81
6	मणिपुर	154	214	196
7	मेघालय	17	49	114
8	मिज़ोरम	179	173	203
9	नागालैंड	194	204	114
10	सिक्किम	28	36	55
11	त्रिपुरा	168	189	47
12	उत्तराखंड	17	2	0
13	पश्चिम बंगाल	16	37	21
	कुल योग	**1,229**	**1,407**	**1,160**

1.2 जारी परियोजनाएँ

31 मार्च, 2024 तक आपकी कंपनी की जारी परियोजनाओं के संबंध में विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	लंबाई (किलोमीटर में)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
1.	अंडमान और निकोबार	8	179	1,459
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	363	5,552
3.	असम	51	1,062	39,672
4.	जम्मू	13	140	5,178
5.	श्रीनगर	3	53	9,786
6.	लद्दाख	10	213	2,250

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	लंबाई (किलोमीटर में)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
7.	मणिपुर	44	893	14,078
8.	मेघालय	17	393	7,219
9.	मिज़ोरम	30	782	17,870
10.	नागालैंड	28	572	10,178
11.	सिक्किम	13	181	4,494
12.	त्रिपुरा	17	326	7,883
13.	उत्तराखंड	7	104	3,205
14.	पश्चिम बंगाल	5	77	1,611
	कुल योग	**262**	**5,338**	**1,30,435**

1.3 कंपनी का निष्पादन

पिछले चार वर्षों में स्वीकृत और संपन्न की गई परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाएँ		पूर्ण की गई परियोजनाएँ (संख्या में)
	लंबाई (किलोमीटर में)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	
2023-24	796	23,055	29
2022-23	1,000	27,742	25
2021-22	746	13,699	15
2020-21	1,683	35,096	15

1.4 अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क (कनेक्टिविटी) स्थापित करना

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड निम्नलिखित परियोजनाओं के साथ नेपाल, बाग्लादेश और म्यामार के लिए सीमा पार कनेक्टिविटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है:

- त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सबरूम में फेनी नदी पर पुल का निर्माण। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरी हो गई है।
- शिलांगटू डाउकी सड़क का निर्माण मेघालय को बांग्लादेश से कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- मेघालय में रा.रा 51 पर तुरा-डालू रोड का निर्माण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है, जो मेघालय और पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- 73 किमी के उदयपुर से सबरूम खंड और लगभग 49 किलोमीटर के अगरतला उदयपुर खंड के साथ-साथ रा.रा. 8 पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर सबरूम में फेनी नदी पर अतिरिक्त आरसीसी पुल का निर्माण पूरा हो गया है और त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों के साथ बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
- इफाल-मोरेह सड़क और मोरेह बाईपास सड़क के निर्माण से म्यांमार के साथ व्यापार में आसानी होगी। मोरेह में भूमि बंदरगाह भूमि बंदरगाह और सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्माणाधीन है।
- मणिपुर में इंफाल-जिरीबाम रोड के निर्माण से म्यांमार के साथ व्यापार में आसानी होगी।

- मिजोरम में आइजोल से तुइपांग तक रा.रा.-54 की 351 किलोमीटर लंबी 2 लेन कलादान मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक बनाएगी, जो म्यांमार में सिटवे बंदरगाह को पूर्वोत्तर क्षेत्र से भी जोड़ेगी, जिससे मिजोरम और म्यांमार के बीच सीमा पार व्यापार उपलब्ध होगा।
- एशियाई राजमार्ग (रा.रा.-02) पर 4-लेन मेची पुल के निर्माण से पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल के पार व्यापार में सुधार होगा। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूरी हो गई है।
- भारतीय सीमाओं के निकट नेपाल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए 305.58 किमी फीडर/पोस्टल सड़कों का निर्माण पूरा किया गया। इन परियोजनाओं की लागत 7.53 अरब अमेरिकी डॉलर थी और इन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कर लिया गया।
- करिमगंज (भारत) और झिकगंज (बांगलादेश) के बीच कुसियारा नदी पर प्रस्तावित पुल के लिए डिज़ाइन, ऑपरेशन और निर्माण (डीओआर) कार्य प्रारंभ किया गया है।
- पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों को बांगलादेश के माध्यम से मेघालय के महेन्द्रगंज से जोड़ने के लिए सिलिगुरी कॉरिडोर के माध्यम से रास्ते का बाईपास करने के लिए संभाव्यता अध्ययन किया गया है।

2. वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित इंड एएस (इंड एएस) के अनुपालन में हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आपकी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रु. में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22
कुल आय	487.67	500.55	347.82
कुल व्यय	247.05	195.77	195.61
कर देने से पूर्व लाभ	240.62	304.78	152.21
कर व्यय	58.96	80.08	38.92
कर देने के बाद लाभ	181.66	224.70	113.29

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2023-24 में कंपनी का निष्पादन 2022-23 की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 2021-22 की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि 2022-23 में कंपनी का प्रदर्शन असाधारण रूप से उच्च था।

3. आरक्षित निधियों का अंतरण

कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष के लाभ से 'रिजर्व और अधिशेष' खाते में कोई राशि स्थानांतरित नहीं करने का निर्णय लिया है।

4. लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के लिए, बोर्ड ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक 10.00 रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर 5.30 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 53% है, और इसका कुल योग 54.59 करोड़ रुपये है।

5. पूंजी संरचना

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 120,00,00,000 (एक सौ बीस करोड़ रुपये) को प्रत्येक 10/- रुपये के 12,00,00,000 (बारह करोड) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है. जिसके बदले में भुगतान की गई शेयर पूंजी 103,00,00,000 (एक सौ तीन करोड़ रुपये) रुपये है। प्रत्येक 10/- रुपये के 10,30,00,000/- (दस करोड़ और तीस लाख) रुपये के इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

6. निदेशकगण और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण

6.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इसके जो नीचे विस्तारपूर्वक उल्लेखित है:

- श्री अनुराग जैन, आईएएस (मध्य प्रदेश 1989) को 26 अप्रैल, 2023 से आपकी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश संख्या 36/01/2023-ईओ(एसएम-I) दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के अनुरूप की गई। इस नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्रीमती अल्का उपाध्याय, आईएएस (मध्य प्रदेश 1990) 24 अप्रैल, 2023 से कंपनी के अध्यक्ष पद से मुक्त हो गईं।
- श्री कृष्ण कुमार, आईएएस (ओडिशा 2002) को 14 फरवरी, 2024 से आपकी कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति डीओपीटी के आदेश संख्या 33/03/2024-ईओ(एसएम-I) दिनांक 9 फरवरी, 2024 के अनुसार हुई। इसके साथ ही, श्री महमूद अहमद, जो 1 अगस्त 2023 से डीओपीटी के आदेश संख्या 36/02/2023 दिनांक 14 अगस्त, 2023 के तहत आपकी कंपनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे, 13 फरवरी, 2024 से इस पद से मुक्त हो गए।
- श्री अंशु मनीष खलखो (आईडीएएस 1994) को 9 जनवरी, 2023 से आपकी कंपनी के निदेशक (लेखा एवं वित्त) तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति डीओपीटी के आदेश संख्या 33/10/2022-ईओ(एसएम-I) दिनांक 30 दिसंबर, 2022 के अनुरूप हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वे कंपनी के निदेशक (लेखा एवं वित्त) के रूप में कार्यरत रहे।

6.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन के पश्चात कंपनी के निदेशक मंडल की संख्या बल में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन के उपरांत और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी के निदेशक मंडल की संख्या बल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

6.3 इस रिपोर्ट की तिथि तक निम्नलिखित निदेशक अपने पद पर कार्यरत हैं

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री अनुराग जैन	सरकारी नामिती निदेशक एवं अध्यक्ष
2.	श्री कृष्ण कुमार	प्रबंध निदेशक
3.	श्री महमूद अहमद	सरकारी नामिती निदेशक
4.	श्री अंशु मनीष खलखो	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी
5.	श्री प्रदीप कुमार सरावगी	स्वतंत्र निदेशक

7. स्वतंत्र निदेशकगण एवं स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा तथा आचार संहिता का पालन करने का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल में श्री प्रदीप कुमार सरावगी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

क. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में निर्धारित स्वतंत्रता के सभी मानदंडों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं।

ख. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

स्वतंत्र निदेशकों के बीच कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, क्योंकि श्री प्रदीप कुमार सरावगी कंपनी के निदेशक मंडल में एकमात्र स्वतंत्र निदेशक हैं।

8. निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल चार (04) बैठकें आयोजित कीं, जो क्रमशः 26 जून, 2023, 28 जुलाई, 2023, 26 सितंबर, 2023 और 22 दिसंबर, 2023 को सम्पन्न हुईं। निदेशक मंडल की किसी भी दो बैठकों के बीच का अंतराल, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं था।

9. समितियाँ

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनीअधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित विभिन्न समितियों की संरचना तथा वर्षभर में इन समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और तिथियाँ, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में विस्तार से दी गई हैं, जो अनुलग्नक-घ में संलग्न है।

10. निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि-

क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री विचलन के उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

घ) निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।

ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी थीं।

11. जमा राशि

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान न तो कोई जमा राशि आमंत्रित की और न ही स्वीकार की। इस प्रकार, तुलन-पत्र की तिथि तक किसी भी जमा राशि के मूलधन या उस पर देय ब्याज की कोई भी राशि बकाया नहीं थी।

12. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो कोई नया व्यवसाय आरंभ किया और न ही अपने किसी मौजूदा व्यवसाय को बंद किया, बेचा, हस्तांतरित किया या उसका निस्तारण किया। साथ ही, कंपनी ने अपने किसी भी खंड या प्रभाग को अलग नहीं किया है।

13. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच हुई हों।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च, 2024) और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच उत्पन्न हुई हों।

14. सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियाँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी की न तो कोई सहायक कंपनी थी, न ही कोई संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी कंपनी।

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत न तो कोई ऋण दिया, न ही गारंटी प्रदान की और न ही कोई निवेश किया। अतः, इस अधिनियम के तहत 'ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण' से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

16. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या समझौतों के विवरण

समीक्षाधीन अवधि में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत उल्लिखित किसी भी प्रकार के संविदा या व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया। अतः, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत संबद्ध पक्ष लेनदेन के प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

17. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के विरुद्ध दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत न तो कोई आवेदन दायर किया गया और न ही ऐसी कोई कार्यवाही लंबित रही।

18. एक बार के निपटान और मूल्यांकन का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, जिससे यह आवश्यक हो कि एक बार के निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्ति के समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

19. सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के स्वतंत्र वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में एम/एस जी.के. केडिया एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) को नियुक्त किया। उनकी रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है, कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत की गई है।

20. सचिवालयी लेखा परीक्षक

परीक्षक मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों को वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2023-24. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न की गई है।

21. अपनी रिपोर्टें में लेखापरीक्षक और सचिवालयी लेखापरीक्षक द्वारा अर्हताओं. आपत्तियों या प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरणों पर दिये गये स्पष्टीकरण या टिप्पणियां

क) सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में शामिल वित्तीय विवरणों का हिस्सा है। वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ तथा उन पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-क-1 के रूप में संलग्न की गई हैं।

ख) सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें उनकी सभी टिप्पणियाँ और निष्कर्ष सम्मिलित हैं, इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन द्वारा दी गई विस्तृत प्रतिक्रियाएँ इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-क-1 के रूप में संलग्न हैं।

22. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर पूरक लेखा परीक्षा की है, और वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ वार्षिक रिपोर्ट में वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ शामिल की गई हैं।

23. लेखा परीक्षक द्वारा सूचित धोखाधड़ी

कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई है।

24. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी पर्याप्तता

कंपनी ने अपने व्यापार की प्रकृति और आकार के अनुसार उपयुक्त तंत्र विकसित किया है, ताकि आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके और उसकी पर्याप्तता बनी रहे।

25. सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी ने सभी लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है, सिवाय बोर्ड की उप-समितियों की संरचना से संबंधित कुछ मानकों के।

26. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अंतर्गत, कंपनी का वार्षिक विवरणी (रिटर्न) वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वेबसाइट www.nhidcl.com पर अपलोड कर दिया गया है।

27. निदेशक मंडल द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन और निदेशक मंडल की समितियों तथा वैयक्तिक निदेशकों के द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने के तरीके को इंगित करने वाला विवरण।

एमसीए ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के माध्यम से सरकारी कंपनियों को उपरोक्त प्रावधान की प्रयोज्यता से छूट दी है। आपकी कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। नियुक्ति के नियम और शर्तें तथा सभी निदेशकों का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्यात्मक निदेशकों के साथ-साथ सरकारी निदेशकों के मूल्यांकन के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया है।

28. विनियामकों और न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नियामक संस्थाओं/न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जो कंपनी की संचालन स्थिति या भविष्य की गतिविधियों को प्रभावित करता हो।

29. कॉर्पोरेट अभिशासन

कंपनी अधिनियम, 2013 की लागू प्रावधानों के तहत और सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है और अनुलग्नक - घ में संलग्न की गई है।

30. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। नीति को कंपनी की वेबसाइट https://nhidcl.com/csr/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने गतिविधियों पर कुल 393.03 लाख रु. खर्च किए, जो कि निर्धारित बजट 380.35 लाख रु. (पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%) से अधिक है। गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

31. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कंपनी (लेखापरीक्षा) नियम, 2014 की धारा 8(3) के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाती है:

	विवरण	उठाए गए कदम
	क. ऊर्जा संरक्षण	
i.	ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम और उनका प्रभाव:	कंपनी की सभी संचालन प्रक्रियाओं और गतिविधियों में ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
ii.	वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम:	कंपनी की संचालन प्रक्रियाएँ अभी विकासशील अवस्था में हैं, और जहां भी सम्भव होगा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे।

iii.	ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश:	कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया है।
ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण		
i.	प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए किए गए प्रयास:	कंपनी कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है, जिसमें सीमेंटयुक्त बेस और सब-बेस संरचना के साथ बिटुमिनस सतह के नीचे क्रैक रिलीफ लेयर के रूप में एग्रीगेट इंटर-लेयर का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, ढलान सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें साधारण वृक्षारोपण, तैयार घास के गट्ठों का स्थानांतरण, मुल्च, वेटिवर घास, जूट नेटिंग, कोयर नेटिंग, सिंथेटिक जियोग्रिड्स, मैट/रॉटन इरोशन कंट्रोल उत्पाद, प्रदर्शन पॉलिमर जियोग्रिड्स या वेब्स और आर्मर सिस्टम जैसी मृदा स्थिरीकरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है।
ii.	प्राप्त लाभ जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापन:	लागू नहीं है।
iii.	आयातित प्रौद्योगिकी से संबंधित विवरण:	लागू नहीं है, क्योंकि एनएचआईडीसीएल आयातित प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहा है।
iv.	अनुसंधान और विकास पर व्यय:	नहीं।
ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय		
i.	वास्तविक अर्जन:	शून्य
ii.	वास्तविक व्यय:	4.54 लाख रुपये

32. जोखिम प्रबंधन

कंपनी का प्रबंधन निरंतर कंपनी द्वारा सामना किए गए सभी महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और उनके प्रबंधन में संलग्न रहता है। बोर्ड के अनुसार, सरकारी नीतियों और विनियमों में परिवर्तन को छोड़कर कंपनी के लिए कोई महत्वपूर्ण बाह्य जोखिम मौजूद नहीं हैं।

33. सतर्कता तंत्र की स्थापना का ब्योरा

सतर्कता प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने और जवाबदेही और पारदर्शिता बनाने की जिम्मेदारी किसी संगठन में संपूर्ण प्रबंधन की होती है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 'व्हिसल ब्लोअर नीति/तंत्र, 2019' को अनुमोदित किया है।

वास्तव में सतर्कता को किसी संगठन की समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीति के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे सिस्टम और प्रक्रियाओं को इस तरह से संरचित किया जाता है कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम से कम हो और निर्णय लेने में मनमानी से बचा जा सके। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड में सतर्कता की भूमिका विविध है। यह निवारक सतर्कता, दंडात्मक सतर्कता गतिविधियाँ और विभिन्न प्रणाली सुधार करता है। सतर्कता इकाई विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करती है। सतर्कता इकाई सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करती है।

34. कंपनी (प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 की धारा 5(2) के तहत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष में, कंपनी (प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 की धारा 5(2) के तहत जिन कर्मचारियों का विवरण देने की आवश्यकता थी, उसे 'शून्य' माना जा सकता है, क्योंकि वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

35. अन्य प्रकटीकरण

क) सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार कंपनी में सूचना का अधिकार लागू किया गया है। आरटीआई अधिनियम के अनुसार आवश्यक खुलासे कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किए गए हैं।

ख) राजभाषा (अधिकारिक भाषा)

कंपनी राजभाषा के प्रयोग पर भारत सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रयास कर रही है। कंपनी की वेबसाइट द्विभाषी है और यह नियमित रूप से अपडेट की जाती है। कंपनी जहां भी संभव हो, नोट्स और पत्रों का मसौदा तैयार करने में राजभाषा के उपयोग को बढावा दे रही है।

ग) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013

'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013' के अनुपालन में कंपनी ने एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति को दो शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी जांच जारी है।

घ) दिवालियापन और धन शोधन समाधान प्रक्रिया के तहत प्रारंभ की गई प्रक्रिया

दिवालियापन और धन शोधन समाधान प्रक्रिया (आई.बी.सी 2015) के तहत कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है।

36. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट कंपनी के समग्र मामलों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है, जिसमें इसके व्यवसायिक वातावरण, मिशन, उद्देश्यों, दृष्टिकोण, संचालन प्रदर्शन, संसाधन और प्रणालियाँ, ताकत, अवसर, सीमाएँ, जोखिम, चिंताएँ, रणनीतियाँ और संभावनाएँ आदि शामिल हैं। यह रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है और इसे अनुलग्नक-ग में संलग्न किया गया है।

37. आभार

आपकी कंपनी के निदेशक, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कंपनी मामलों मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, जीएसटी प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, और राज्य सरकारों से प्राप्त सहयोग के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन संस्थाओं का सक्रिय समर्थन, इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।बोर्ड, कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में ठेकेदारों, विक्रेताओं और सलाहकारों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की गहरी सराहना करता है। हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और विधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों को भी आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम एनएचआईडीसीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके निरंतर प्रयासों और योगदान के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कंपनी की सतत वृद्धि और उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने में हर स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निदेशक मंडल के लिए से एवं उनकी ओर से

दिनांक: 26 सितंबर, 2024	(अंशु मनीष खलखो)	(कृष्ण कुमार)
स्थान: दिल्ली	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	प्रबंध निदेशक
	डी.आई.एन: 10052036	डी.आई.एन: 06502080

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

ए के जी एंड कंपनी.

कंपनी सचिव

पता: A-16, जितर नगर, परवाना रोड, दिल्ली-110051

फोन: 9312210264 **ई-मेल:** guptaashish75@gmail.com

फॉर्म संख्या एमआर-3

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में

सदस्यगण,
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
पीटीआई भवन, तीसरा तल , 4 - संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

हमने, मैसर्स राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, (जिसे आगे "कंपनी/कंपनी की" कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया। सचिवीय लेखा परीक्षण इस प्रकार संचालित किया गया, जिसने हमें कॉरपोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक यथोचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त संचिका, फॉर्मों और दाखिल विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित दूसरे अभिलेखों और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारियों के क्रम में हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम यह रिपोर्ट देना चाहते हैं कि हमारी राय में कंपनी की लेखापरीक्षा अवधि, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ वित्त वर्ष शामिल है, निम्नलिखित सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इस प्रयोजनार्थ कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली है, जैसा कि उस तरीके से तथा इसमें इसके बाद की जाने वाली रिपोर्ट के अधीन है।

हमने, मैसर्स राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संचिकाओं, फॉर्मों और दाखिल विवरणियों और कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य अभिलेखों की 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए निम्नलिखित नियमों / विनियमों के प्रावधानों के तहत जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम

(ii) प्रतिभूति संविदा (सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और इसके तहत बनाए गए नियम - लागू नहीं है;

(iii) अमानतदार अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए नियम और उपविधियां, जितनी भी अनुपस्थित कंपनी के लिए डिमैट रूप में शेयर रखने के लिए लागू हैं - लागू नहीं है;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, जितने तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी से संबंधित हैं - लागू नहीं है;

(v) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

(vi) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशा-निर्देश;

(vii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश, जो लागू होते हैं:

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर ट्रांसफर एजेंट) अधिनियम, 1993, अनुपस्थित सार्वजनिक सीमित कंपनियों के सिक्योरिटीज के डिमैटेरियलाइजेशन के संदर्भ में (कृपया कंपनियों (प्रॉस्पेक्टस और सिक्योरिटीज) नियम 2014 के नियम 9ए के उप-नियम 7 का संदर्भ लें।

(viii) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण समझौता - लागू नहीं है;

(ix) कंपनी पर लागू अन्य कानून, जैसा कि प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुतियों में उल्लिखित हैं:

1. वस्तु और सेवा कर अधिनियम;
2. समान वेतन अधिनियम, 1976;
3. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952;
4. बोनस अधिनियम;
5. ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम;
6. वेतन भुगतान अधिनियम और न्यूनतम वेतन अधिनियम;
7. संविदा श्रमिक (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;
8. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम;
9. फैक्ट्री अधिनियम और अन्य संबद्ध औद्योगिक अधिनियम, जो फैक्ट्रियों पर लागू होते हैं;
10. पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम;
11. जल प्रदूषण अधिनियम;
12. वायु प्रदूषण अधिनियम;
13. राष्ट्रीय एवं त्योहार अवकाश अधिनियम;
14. अग्नि सुरक्षा अधिनियम;
15. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;
16. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम;
17. बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रेडमार्क अधिनियम/पेटेंट अधिनियम/कॉपीराइट/डिज़ाइन);
18. आयकर अधिनियम;
19. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम;
20. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
21. भारतीय स्टाम्प अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम;
22. कोई अन्य कानून, नियम और विनियम, जो सामान्य रूप से निर्माण इकाइयों पर लागू होते हैं।.

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक के अनुपालन की भी जांच की है, जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू होते हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत रूप से गठित किया गया है, जिसमें कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन सुनिश्चित किया गया है, सिवाय इसके कि नीचे उल्लिखित किसी विशेष प्रावधान के अनुसार:

i. कंपनी के पास जनवरी, 2023 के बाद डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक का उचित गठन नहीं है;

ii. कंपनी के पास कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के तहत आवश्यकतानुसार लेखा समिति (ऑडिट कमिटी) का उचित गठन नहीं है;

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षा अवधि के दौरान जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम की प्रावधानों के अनुरूप संपन्न किए गए थे।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक की योजना और एजेंडा के बारे में पर्याप्त समय पूर्व उचित सूचना दी गई थी, और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स भी अग्रिम रूप से भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, बैठक से पहले एजेंडा आइटमों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली विद्यमान है, ताकि बैठक में समुचित और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए बोर्ड बैठकों के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि जैसा कि हमें प्रबंधन द्वारा दी गई व्याख्याओं और प्रस्तुतियों के आधार पर, और जिन पर हमने भरोसा किया, कंपनी में उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ लागू हैं, जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं, ताकि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की अनुपालना की प्रभावी निगरानी और सुनिश्चितता की जा सके।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया और प्रस्तुत किया गया, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के संदर्भ में कोई विशिष्ट घटनाएँ या क्रियाएँ नहीं हुईं, जिनका कंपनी के मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो।

आशीष कुमार गुप्ता
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एम. सं..: 6433
सी.पी. सं..: 6859यू
डी.आई.एन: एफ006433एफ001133570
पीयर रिव्यू सं.: 766

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 04.09.2024

ए के जी एंड कंपनी.

कंपनी सचिव

पता: A-16, जितर नगर, परवाना रोड, दिल्ली-110051

फोन: 9312210264 **ई-मेल:** guptaashish75@gmail.com

"अनुलग्नक क" सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा

सेवा में

सदस्यगण,
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
पीटीआई भवन, तीसरा तल , 4 - संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

हमारी रिपोर्ट, जो समान तिथि की है, इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए:

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. कंपनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों को बनाए रखे, सभी लागू कानूनों और नियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को विकसित करे, और यह सुनिश्चित करे कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम करती हैं।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों का परावर्तित होना हो। हमें विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारे मत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. जहाँ भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के पालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।
4. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का पालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रिया की सत्यापन तक सीमित थी।

अस्वीकरण

5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों के पालन और वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों के रख-रखाव की समीक्षा इस ऑडिट में नहीं की गई है, क्योंकि इन्हें अन्य नियुक्त पेशेवर द्वारा किए जाने वाले वैधानिक ऑडिट के तहत समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट कंपनी की भविष्य की स्थिति की कोई गारंटी नहीं है, न ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन देती है।

आशीष कुमार गुप्ता
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एम. सं.: 6433
सी.पी. सं.: 685यूडीआईएन: एफ006433एफ001133570
पीयर रिव्यू सं.: 766

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 04.09.2024

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-ए

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन की सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया
क.	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12(3) के अनुसार, उन सेवाओं का स्थान आपूर्ति, जो सीधे किसी अचल संपत्ति से संबंधित होती हैं, जिसमें वास्तुकारों, इंटीरियर डेकोरेटरों, सर्वेयरों, इंजीनियरों और अन्य संबंधित विशेषज्ञों या संपत्ति एजेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं, किसी अचल संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार देने या निर्माण कार्य के संचालन या समन्वय के लिए प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा, वह स्थान होगा जहां अचल संपत्ति या नाव या पोत, जैसा कि मामला हो, स्थित है या स्थित होने का इरादा है। समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्माण गतिविधि संचालित करती है, जहाँ सड़कें, पुल और राजमार्गों सहित निर्माण परियोजनाएँ की जाती हैं, जिसके खिलाफ उपर्युक्त एजेंसी आय स.प.रा.मं. से प्राप्त की गई थी और इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, जीएसटी देयता को उन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ही पूरा किया जाना चाहिए। हालाँकि, कंपनी ने अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीजीएसटी और एसजीएसटी देयता को पूरा करने के बजाय, अपनी जीएसटी देयता, जो कि 32.46 लाख रुपये सीजीएसटी और 32.46 लाख रुपये एसजीएसटी थी, दिल्ली स्थित अपने मुख्य कार्यालय से पूरी की।	कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्षेत्रीय कार्यालयों से एजेंसी शुल्क के लिए चालान जारी करना प्रारंभ कर दिया है।

क्र.सं.	सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन की सचिवालयी लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया
ख.	कंपनी के पास जनवरी 2024 के बाद डीपीई दिशानिर्देशों के तहत बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की उचित संरचना नहीं है।	महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हेतु स.प.रा.मं. को अनुरोध पत्र प्रेषित किए गए हैं, और यह मामला वर्तमान में स.प.रा.मं.के विचाराधीन है।
ग.	कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत आवश्यकतानुसार ऑडिट समिति की उचित संरचना नहीं है।	स्वतंत्र निदेशक की अनुपलब्धता के कारण संबंधित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ख

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में स्वीकृति दी गई है कि सीएसआर का अर्थ महज नियमों का अनुपालन नहीं, बल्कि ऐसी पहलों/उपायों को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता है. जिनसे वंचित वर्ग के जीवन में सुधार आएगा। एक जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (रा.राअ.वि.नि. लिमिटेड) का प्रयास अपने शुरुआत से ही विभिन्न कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के माध्यम से अपने पास-पड़ोस के समुदाय में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। कम्पनी की सीएसआर नीति कम्पनी की वेबसाइट www.nhidcl.com पर उपलब्ध है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के तीन वर्ष के दौरान हुए औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा सीएसआर पर वार्षिक रूप से खर्च किया जाना अपेक्षित है।

2. 31.03.2024 तक सी.एस.आर. समिति की संरचना

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित की गई बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान भाग ली गई सीएसआर समिति बैठकों की संख्या
क.	श्री महमूद अहमद (सरकारी नामित निदेशक)	समिति के अध्यक्ष	03/03	03/03
ख.	श्री अंशु मनीष खलखो निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	समिति के सदस्य	03/03	03/03
ग.	श्री प्रदीप कुमार सरावगी स्वतंत्र निदेशक	समिति के सदस्य	03/03	03/03

3.	जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति का संघटन, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है, वह वेब-लिंक उपलब्ध कराएं।	:	www.nhidcl.com
4.	कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के आकलन का विवरण उपलब्ध कराएं।	:	समीक्षाधीन वर्तमान वर्ष के लिए लागू नहीं
5.	कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) : नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में मुआवजे के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए मुआवजे के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई है।	:	**शून्य**
6.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ	:	***19,017.46* लाख रुपये**

7. क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का 2% : 380.35 लाख रुपये

ख) गत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि : शून्य

घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग) : 380.35 लाख रुपये

8. क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खर्च की गई अथवा खर्च न की गई सीएसआर धनराशि।

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल धनराशि (लाख रुपये में)	खर्च न की गई धनराशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च नहीं किए गए सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई कुल धनराशि		धारा 135(5) के दूसरे परन्तुक (प्रवाइजो) की अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी निधि को हस्तांतरित		
	धनराशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	धनराशि	हस्तांतरण की तिथि
393.03	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर धनराशि का ब्योराः

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान – राज्य/जिला	परियोजना की अवधि (वर्षों में)	परियोजना के लिए आबंटित धनराशि (लाख रु. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई धनराशि (लाख रु. में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए खर्च नहीं की गई सीएसआर धनराशि (लाख रु. में)	सीधे कार्यान्वयन करने की विधि (हां/नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन करने की विधि	
										नाम	सी. एस. आर. पंजीकरण संख्या
1.	जिला अस्पताल के लिए स्कैन मशीन	अनुसूची VII (धारा i)	हां	सिक्किम	01	40.00	40.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	कला भोमोरा पुल के पास सुर्रियल पार्क की पुनर्स्थापना	अनुसूची VII (धारा iv)	हां	असम	01	37.19	37.19	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	अनुसूची VII (धारा i)	नहीं	उत्तर प्रदेश	01	12.00	12.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	स्वास्थ्य उपकरणों और मशीनों की खरीद	अनुसूची VII (धारा i)	हां	अंडमान और निकोबार	01	46.06	46.06	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	स्टेशनरी और सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण	अनुसूची VII (धारा i)	हां	नागालैंड	01	20.00	20.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

6.	शिक्षा और कौशल विकास	अनुसूची VII (धारा ii)	हां	असम	01	15.00	15.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	सौर ऊर्जा आधारित मिनी जल आपूर्ति योजना की आपूर्ति	अनुसूची VII (धारा i)	नहीं	उत्तर प्रदेश	01	13.89	13.89	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	अनुसूची VII (धारा i)	हां	असम	01	20.00	20.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	अनुसूची VII (धारा i)	नहीं	बिहार	01	10.00	10.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए डीजे सेट	अनुसूची VII (धारा x)	हां	आंजाव, अरुणाचल प्रदेश	01	6.00	6.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता (क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए सुधार)	अनुसूची VII (धारा i)	हां	बिश्वनाथ चैरियाली, असम	01	04.02	04.02	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	पिछड़े बच्चों को स्कूल बैग और शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा और कौशल विकास, भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	अनुसूची VII (धारा ii)	हां	नई दिल्ली	01	05.17	05.17	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	नाचो मल्टी-पर्पस कंवेशनल हॉल के लिए डिजी-सेट और सार्वजनिक उपयोगिता सामग्री	अनुसूची VII (धारा x)	हां	अरुणाचल प्रदेश	01	9.84	9.84	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
14.	शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्कूल बस	अनुसूची VII (धारा i)	हां	लद्दाख	01	22.00	22.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	एंबुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर	अनुसूची VII (धारा i)	हां	मिजोरम	01	14.92	14.92	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	विशेष अंध विद्यालयों में एनी स्मार्ट क्लास, शिक्षा और कौशल विकास	अनुसूची VII (धारा ii)	हां	जम्मू, असम, मिजोरम	01	50.43	50.43	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
17.	भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	अनुसूची VII (धारा i)	हां	असम	01	29.03	29.03	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	अनुसूची VII (धारा i)	हां	सिक्किम	01	4.00	4.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
19.	भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	अनुसूची VII (धारा i)	हां	त्रिपुरा	01	4.00	4.00	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं

20.	जन स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोगों से बचाव के लिए, भुखमरी और गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	अनुसूची VII (धारा i)	हां	अलीपुरदुआर, पश्चिम बंगाल	01	29.48	29.48	-	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल					**393.03**	**393.03**				

ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्योरा : शून्य.

घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि: शून्य.

ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य

च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड़): 393.03 लाख रुपये

छ) समंजन (सेट ऑफ) के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो :शून्य.

क्र.सं.	**विवरण**	**राशि (लाख रु. में)**
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	380.35
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	393.03
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	12.68
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	12.68

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

10. यदि पूंजीगत आस्ति का सृजन या अर्जन हुआ है. तो इस वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित की गई आस्ति से संबंधित व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करें।

(क) पूंजीगत आस्ति (आस्तियों) के सृजन या अर्जन की तिथिः शून्य

(ख) पूंजीगत आस्ति के सृजन या अर्जन के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशिः शून्य

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्योरा जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत आस्ति पंजीकृत है, उनका पता, आदिः शून्य

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत आस्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत आस्ति (आस्तियों) का ब्योरा प्रदान करेंः शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण (कारणों) विनिर्दिष्ट करें लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए से एवं उनकी ओर से

दिनांक: 26 सितंबर, 2024	(अंशु मनीष खलखो)	(कृष्ण कुमार)
स्थान: दिल्ली	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	प्रबंध निदेशक
	डी.आई.एन: 10052036	डी.आई.एन: 06502080

प्रबंधकीय विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

1. औद्योगिक संरचना और विकास

अवसंरचना क्षेत्र में सड़क अवसंरचना, रेल अवसंरचना और पत्तन सम्पर्क, विद्युत पुलों का विकास करना और शहरी अवसंरचना विकास शामिल है। सम्पर्क (कनेक्टिविटी) एक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा होती है। सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला. एसएआरडीपी-एनई, आदि के माध्यम से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष संपर्क को भरपूर बढ़ावा दिया है।

कंपनी को लगभग 6380 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग (रा. रा.) के सडक सम्पर्कों के विकास और उनमें सुधार करने और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 8021 किलोमीटर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम सौंपा गया है।

कंपनी द्वारा भौगोलिक प्रदेश की जटिलताओं जैसे मुद्दों का समाधान करने और सुरक्षा अभिकरणों के साथ समन्वय संबंधी व्यापक अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से आवश्यकतानुरूप और विशेषीकृत कौशल निर्माण की परिकल्पना की गई है। कम्पनी उन अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण कार्य हाथ में लेने और समस्त प्रकार का अवसंरचना विकास करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करने का प्रयास करेगी जिनमें शहरी अवसंरचना तो शामिल होगी. परंतु यह उसी तक सीमित नहीं होगा।

2. कंपनी की शक्ति

2.1 प्रौद्योगिकी पहले

रा.रा.अ.वि.नि लिमिटेड अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान कंपनी है और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने ढलान सरक्षण और पर्यावरण अनुकूलता पर जोर देते हुए नई तकनीक को अंगीकार करने के लिए कदम उठाए। रा.रा.अ.वि.नि लिमिटेड डीपीआर चरण से ही प्रावधान करती है. ताकि जहां भी लागू हो. निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सके:

- बिटुमिन सतह के नीचे एग्रीगेट इंटर लेयर के क्रैक रिलीफ लेयर के साथ सीमेंट वाले बेस और सब बेस का निर्माण।
- ढलान और साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके ढलान की सुरक्षा जैसे:-

क) आसान वैजीटेटिव टर्फिंग

ख) घास के तैयार (रेडिमेड) टर्फों का प्रत्यारोपण

ग) मल्च का अनुप्रयोग

घ) वेटीवर घास

ङ) जूट जाल का उपयोग करके वैजीटेटिव टर्फिंग को बढ़ावा

च) कयर नेटिंग का उपयोग

छ) द्विआयानी (2-0) सिंथेटिक जीयोग्रिड्स / नेटिंग का उपयोग करते हुए भूक्षरण नियंत्रण

झ) त्रिआयामी क्षरण नियंत्रण। मैट/रोटेड भूक्षरण नियंत्रण उत्पाद

ञ) पूर्वनिर्मित पॉलीमर जियोसेल्स अथवा वेबस

ट) कवच (आरमर) प्रणालियों द्वारा भूक्षरण नियंत्रण

स्थिर मार्ग एक आधुनिक और नवप्रयोगी मृदा स्थिरीकरण प्रौद्योगिकी है। मौजूदा भूमि को मशीनों की सहायता से डिजाइन किये गए प्रतिशत में सीमेंट एग्रीगेट और विशेष मिश्रण सामग्री (एडिटिव) के साथ प्रसंस्कृत किया जाता है। इससे भूमि संपीड़क सामथ्य के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होने और लचीली, वाटरप्रूफ और पाला (फ्रॉस्ट) प्रतिरोधी बन जाती है। निथरीकृत भूमि कतोर हो जाती है और एक एसएएमआई (स्ट्रेस एब्जॉर्डिंग मेब्रेन इंटर लेयर) परत का उपयोग करने के बाद इसके ऊपर सीधे बीसी डाली जा सकती है।

एग्रीगेट्स की कमी की वजह से. इस नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। 8 प्रतिशत सीबीआर वाली सबग्रेड के ऊपर 330 मिलीमीटर मोटे रसायन से स्थिरीकृत बेस डाला जाता है और इस बेस पर बीसी परत डालने से पहले 12 मिलीमीटर मोटी परत में 10 मिलीमीटर स्टोन चिप्स वाली एसएएमआई (स्ट्रेस एब्जॉर्डिंग मेंब्रेन इंटर लेयर) परत का प्रयोग किया जाता है।

2.2 दूरस्थ इलाकों में कंपनी की उपस्थिति

कपनी ने अत्यंत विषम मौसम की परिस्थितियों वाले दूरस्थ इलाकों में अपने कार्यालय स्थापित किए हैं, जो इसे उन क्षेत्रों में परियोजनाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। कंपनी ने स्थानीय व्यक्तियों और राज्य सरकार के साथ उत्कृष्ट संबंध बनाए हैं।

3. परियोजना कार्यान्वयन और प्रबंधन हेतु प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी पहल

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने अपनी परियोजनाओं और संबंधित व्यावसायिक कार्यों के प्रभावी प्रबंधन हेतु वेबसाइट, वेब अनुप्रयोगों और विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ किया है। यह संगठन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न अनुप्रयोगों का उपयोग करके प्रभावी सहयोग और साथ ही साथ एकीकरण सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना की शुरुआत, कार्यान्वयन और प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड को दो प्रमुख अनुप्रयोगों की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड अपनी कार्यकुशलता और प्रभावी प्रबंधन हेतु कई एनआईसी अनुप्रयोगों और सेवाओं का भी लाभ उठाता है।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग लगातार रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर विकास के लिए समर्पित रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विभाग की प्रमुख पहलें आगामी अनुभागों में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई हैं।

3.1 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के आंतरिक अनुप्रयोग

3.1.1 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड वेबसाइट

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की वेबसाइट को आईटी विभाग द्वारा आंतरिक रूप से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। यह वेबसाइट संगठन की जानकारी और प्रमुख गतिविधियों के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करती है, साथ ही रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के अनुप्रयोगों के साथ-साथ विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के अनुप्रयोगों से भी जोड़ती है। वेबसाइट पर नवीनतम अद्यतन, समाचार, परियोजना संबंधी गतिविधियाँ, निविदाएँ, नौकरी के अवसर और सोशल मीडिया के माध्यम से लक्षित दर्शकों तक सरल पहुँच प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सभी लागू परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट आरटीआई अधिनियम के तहत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। वेबसाइट में एकीकृत प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं:

क) कर्मचारी पोर्टल

कर्मचारी पोर्टल रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों का एक समृद्ध संग्रहालय है, जिसमें कार्यालय आदेश, परिपत्र, बैठक की कार्यवृत्तियाँ, आईएस कोड, आईआरसी प्रकाशन, नीतियाँ आदि सम्मिलित हैं। इस पोर्टल में रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के सभी शाखा कार्यालयों और कर्मचारियों का

विस्तृत विवरण भी उपलब्ध है।

ख) नौकरी पोर्टल

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने अपनी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक विशेष नौकरी पोर्टल विकसित किया है, जिसका उद्देश्य आवेदन पत्रों को सहजता से आमंत्रित करना है। यह पोर्टल उपयोगकर्ता-अनुकूल और संवेदनशील इंटरफेस है, जो विज्ञापित अवसरों के लिए आवेदन पत्र को त्वरित और सरल तरीके से भरने में सहायक है।

ग) बैंक गारंटी प्रबंधन प्रणाली

यह अनुप्रयोग रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा प्राप्त बैंक गारंटियों के डिजिटल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से एजेंसियाँ अपनी संबंधित परियोजनाओं से जुड़ी बैंक गारंटियाँ आसानी से जमा कर सकती हैं। यह प्रणाली आंतरिक सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है और बैंक गारंटी की स्थिति के बारे में सभी हितधारकों को समय पर सूचना प्रदान करती है।

घ) विचारों का बैंक

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजमार्गों और संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के प्रभावी और सुरक्षित निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए नए विचारों और नवाचारों में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अभिनव प्रणाली की परिकल्पना की है। विचार बैंक प्रणाली, पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त ऐसे विचारों को कागज रहित रूप में एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली के माध्यम से, उन नवोन्मेषी और परिवर्तनकारी विचारों का चयन किया जाता है, जो परियोजनाओं में व्यावहारिक, संभावित और लाभकारी पाए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है।

ङ) प्रतिक्रिया पोर्टल

सामान्य जनता या इच्छुक हितधारक रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया की गंभीरता के आधार पर, उसकी प्राथमिकता तय कर उन पर कार्रवाई की जाती है।

3.1.2 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

ई-दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) एक वेब-आधारित एप्लिकेशन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य परियोजना से संबंधित दस्तावेजों को भेजने, प्राप्त करने, ट्रैक करने, प्रबंधित करने और संग्रहीत करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। यह प्रणाली महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे परिवर्तन सीमा (सीओएस), जानकारी के लिए अनुरोध (आरएफआई), समय विस्तार (ईओटी), बिलों का प्रस्तुतीकरण, पूरक प्रमाणपत्र आदि को प्रबंधित करने में मदद करती है। ईडीएमएस सूचना और डेटा के शीघ्र पुनः प्राप्ति और लचीली खोज में सहायक है। यह मैन्युअल दस्तावेज़ प्रसंस्करण को कम करता है और अंततः इसे समाप्त करने में मदद करता है, जिससे कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि होती है।

ईडीएमएस पोर्टल को कार्यप्रवाह-आधारित अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाने और परियोजना-संबंधित निरीक्षण अनुरोध (आरएफआई) के लिए मापन पुस्तिका को डिजिटाइज़ करने हेतु एक प्रमुख उन्नयन के लिए सक्रिय रूप से विकसित किया जा रहा है। इस प्रणाली को और अधिक उन्नत बनाया गया है ताकि यह सभी हितधारकों को डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करने के लिए व्यापक डैशबोर्ड और रिपोर्ट निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराए। यह प्रणाली महत्वपूर्ण जानकारी तक त्वरित और सटीक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और सशक्त हो जाती है।

3.1.3 पीएमपी-रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड पोर्टल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशानुसार, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के लिए एनएचएआई का एक डेटा लेक इंस्टैन्स विकसित किया जा रहा है, जिसे पीएमपी-रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड पोर्टल के नाम से जाना जाएगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सड़क परिवहन और राजमार्ग अवसंरचना विकास परियोजनाओं के संपूर्ण जीवनचक्र को सुसंगत और सरल बनाना है। यह पोर्टल परियोजना की शुरुआत से लेकर पूर्व-निर्माण, निर्माणाधीन

और रखरखाव के चरणों तक की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटाइज़ करेगा। यह एनएचएआई के मौजूदा डेटा लेक पोर्टल का एक उन्नयन है, जो रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की परियोजनाओं की स्वचालित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी को सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही, यह प्रणाली अनुकूलित सजगता जारी करने, लंबित मुद्दों के समाधान और उनके त्वरित निस्तारण, रिपोर्ट निर्माण, और एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जैसी उन्नत सुविधाएँ प्रदान करेगी। यह परियोजनाओं के प्रबंधन और निगरानी को न केवल अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सशक्त करेगा।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के लिए एनएचएआई वन एप्लिकेशन का एकीकरण भी किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं की प्रगति के दौरान आवश्यक विशेषज्ञों की साइट पर उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और समयबद्ध निरीक्षण प्रक्रिया को सशक्त बनाया जा सके। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ संपन्न की गई हैं और पूर्व-निर्माण चरण हेतु आवश्यक मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।पीएमपी-रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड पोर्टल को 30 दिसंबर, 2024 तक रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड का डिफ़ॉल्ट परियोजना निगरानी पोर्टल बनाए जाने की संभावना है। यह पोर्टल परियोजनाओं की निगरानी और प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

3.1.4 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड डायरेक्टरी एंड्रॉइड एप्लिकेशन

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड डायरेक्टरी एप्लिकेशन को संगठन की महत्वपूर्ण संपर्क जानकारी को केंद्रीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। इस एप्लिकेशन में उपयोगकर्ताओं को पदनाम, विभाग, स्थान आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर संपर्कों को खोजने की सुविधा प्रदान की गई है। विशेष रूप से, इस एप्लिकेशन में सम्मिलित सभी फ़ोन नंबर और ईमेल पते संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन से सीधे जुड़े हुए हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को संपर्क स्थापित करने में त्वरितता और सहजता मिलती है। यह एप्लिकेशन संगठन के भीतर संचार को अधिक कुशल और व्यवस्थित बनाने में सहायक है।

3.2 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुप्रयोग

3.2.1 एसएपी – ईआरपी

एसएपी प्रणाली को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई-दिशा टीम द्वारा लागू किया गया है, और इसे रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के वित्त विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की कंफिगरेशन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई-दिशा टीम के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के देशभर में स्थित सभी कार्यालयों में परियोजना के जीवनचक्र को अब एसएपी प्लेटफॉर्म पर दर्ज और प्रबंधित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक निर्बाध पहुंच, साथ ही प्रणाली-आधारित परियोजना लेखांकन और प्रगति निगरानी को सक्षम बनाता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड एसएपी के सभी मॉड्यूल का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है, जिसमें लेखांकन, पेरोल, संपत्ति प्रबंधन और कर्मचारियों के पुनर्भुगतान अनुमोदन सम्मिलित हैं। इसी तरह, सभी विक्रेता भुगतान भी एसएपी पर किए जा रहे हैं। एसएपी के माध्यम से स्वचालित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पीएफएमएस भुगतान प्रणाली को एसएपी से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

3.2.2 परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली

परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पी.एम.आई.एस.) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई-दिशा टीम द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशानुसार इसे रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड को सौंपा गया है। यह पोर्टल रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें पूर्व-निर्माण गतिविधियाँ (डीपीआर, एलए, एफसी, आदि), निर्माणाधीन/ कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएँ (ईपीसी,बीओटी (एन्युटी), हाइब्रिड परियोजनाएँ, जिसमें विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ, एई गतिविधियाँ आदि सम्मिलित हैं), और पश्चात-निर्माण गतिविधियाँ (संचालन और रखरखाव से संबंधित परियोजनाएँ) सम्मिलित हैं।

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड पीएमआईएस का उपयोग परियोजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए करता है, ताकि पीएमआईएस पोर्टल द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट और विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाइयाँ की जा सकें, जो डैशबोर्ड पर उचित उपयोगकर्ता स्तर पर मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं। आईटी विभाग पीएमआईएस उपयोगकर्ताओं को पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाता है, इसके लिए वह ई-दिशा टीम के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान करता है और उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

3.2.3 भूमिराशि पोर्टल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज़ करने के लिए भूमिराशि पोर्टल का विकास किया है। भूमि अर्जन के सक्षम प्राधिकरण (सीएएलए) द्वारा ड्राफ्ट भूमि अर्जन अधिसूचनाएँ अब ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती हैं। मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के बाद, इन अधिसूचनाओं को ई-गजट के माध्यम से भारत सरकार प्रेस को ऑनलाइन भेजा जाता है, जिससे सम्पूर्ण भूमि अर्जन प्रक्रिया पूरी तरह से कागज़ रहित और पारदर्शी हो जाती है।

भूमिराशि पोर्टल के माध्यम से रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड परियोजनाओं के लाभार्थियों को सीएएलए द्वारा ऑनलाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं।

3.2.4 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एनओसी पोर्टल उपयोगिता अनुमति श्रेणी के तहत औद्योगिक और सार्वजनिक उपयोगिताएँ (जैसे ओएफसी पाइपलाइंस, तार, पेट्रोल पंप, आदि), मार्ग के किनारे की सुविधाएँ और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए पहुँच प्रदान करता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड इस पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करने के बाद, केंद्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सभी अनुरोधों को सक्रिय रूप से मंजूरी प्रदान करता है।

3.2.5 पीएमजी पोर्टल

पीएमजी एक संस्थागत तंत्र है जो उन परियोजनाओं में उत्पन्न हो रही देरी या राज्य और/या केंद्रीय मंत्रालयों से नियामक मंजूरी का इंतजार कर रही परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान में मदद करता है। यदि किसी कंपनी को केंद्रीय और/या राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त करने में कोई रुकावट आती है, तो वह परियोजना और उससे जुड़े मुद्दों को पीएमजी पोर्टल पर अपलोड कर सकती है, बशर्ते उसने पोर्टल पर खाता और लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाए हों। सत्यापन के बाद, पीएमजी संबंधित प्राधिकरणों के साथ इन मुद्दों को उठाता है और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड अपनी सभी परियोजना से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड करता है और अपनी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक इनपुट और समाधान प्राप्त करता है।

3.2.6 विधिक सूचना प्रबंधन और समीक्षा प्रणाली

विधिक सूचना प्रबंधन और समीक्षा प्रणाली (एल.आई.एम.बी.एस.) एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधायी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली एक ही मंच पर विधिक डेटा उपलब्ध कराती है, जिससे भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे सभी मुकदमेबाजी मामलों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड विभिन्न न्यायालयों में चल रहे सभी विधिक मामलों की सक्रिय रूप से निगरानी करता है, ताकि समय पर निर्णय और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

3.2.7 विधिक मामले प्रबंधन

विधिक मामले प्रबंधन (एल.सी.एम.), जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, विधिक मामलों की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखने की सुविधा प्रदान करता है और दस्तावेजों को सुव्यवस्थित करने तथा एक व्यवस्थित समय सारणी तैयार करने में सहायता करता है।

3.2.8 केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.) एक अत्याधुनिक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो नागरिकों को 24x7 अपनी शिकायतें सार्वजनिक अधिकारियों के पास दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सेवा वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। यह एक एकल पोर्टल है, जो भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से सीधे जुड़ा हुआ है। सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. में दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय प्राप्त अद्वितीय पंजीकरण आईडी के माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड इस प्रणाली का सक्रिय उपयोगकर्ता है, और इस पोर्टल पर सौंपे गए सभी शिकायतों का निवारण गंभीरता और समर्पण के साथ किया जाता है।

3.2.9 वीआईपी संदर्भ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 'ई-दिशा' के अंतर्गत एक ऑनलाइन वीआईपी संदर्भ प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों और केंद्रीय मंत्रालयों आदि द्वारा प्रेषित वीआईपी संदर्भों को सुगमता से ट्रैक करना और उनका निपटान सुनिश्चित करना है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड इस पोर्टल पर सौंपे गए सभी अनुरोधों और प्रश्नों का सक्रियता से अनुसरण करता है तथा इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

3.2.10 ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली

ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओ.सी.एम.एस.) एक ऐसा डेटाबेस है जिसे आईपीएमडी, एमओएसपीआई द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले सभी केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित डेटा का संग्रह, विश्लेषण और वितरण सुनिश्चित करना है।

3.3 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा प्रबंधित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अनुप्रयोग

3.3.1 इनामप्रो+

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अवसंरचना और सामग्री प्रदाताओं के लिए एक वेब पोर्टल इनाम-प्रो विकसित किया, जिसे औपचारिक रूप से 10.03.2015 को लॉन्च किया गया। केवल दो वर्षों की अल्प अवधि में इनाम-प्रो का उपयोग 800 से अधिक निर्माण एजेंसियों द्वारा किया जा चुका है। अपनी स्थापना के बाद से ही इनाम-प्रो ने मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन को प्रभावी रूप से रोकने, समय पर सामग्री आपूर्ति के माध्यम से परियोजना निष्पादन में देरी को कम करने, अधिकतम मूल्य सीमा तंत्र (सीलिंग प्राइस मेकैनिज़्म) के माध्यम से मूल्य हेजिंग द्वारा लागत वृद्धि को नियंत्रित करने, ऑनलाइन भुगतान तंत्र के माध्यम से आपूर्ति में विलंब को समाप्त करने और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कीमतों के कारण बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

इस पोर्टल को उन्नत करके इनाम-प्रो+ के रूप में विकसित किया गया है। इस उन्नत संस्करण में निर्माण सामग्री, उपकरण/मशीनरी और सेवाओं की खरीद, किराये या लीज़ पर उपलब्धता से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। इसमें नई और प्रयुक्त सामग्री एवं सेवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे सड़क चिह्न, एंबुलेंस, रूट पेट्रोलिंग, वृक्षारोपण/वृक्ष प्रत्यारोपण आदि, की खरीद/किराये/लीज़ की सुविधा उपलब्ध है।

3.3.2 इन्फ्राकॉन पोर्टल

इन्फ्राकॉन एक पोर्टल है जो विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र, विशेषकर सड़क और राजमार्गों के लिए कार्य कर रही परामर्श फर्मों और परामर्शकों के लिए है। इस पोर्टल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि परामर्श फर्में और प्रमुख कर्मी अपनी प्रमाणिकताएँ ऑनलाइन अपलोड कर सकें और उनकी तकनीकी प्रस्तावों का प्रणाली-आधारित मूल्यांकन किया जा सके। इस पोर्टल में फर्मों और कर्मियों के सीवी और प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन होस्ट करने की भी सुविधा है, जिसमें डेटा सत्यापन और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आधार से लिंकिंग की

व्यवस्था भी प्रदान की गई है।

350 क्लाइंट उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सरकारी संगठनों, जैसे स.प.रा.मंत्रालय, रा.रा.प्रा., रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड, भा.पु.इं.सं., सी.सी.स., के.लो.नि.वि., राज्य लो.नि.वि, और स्थानीय निकायों से पोर्टल पर जोड़ा गया है। 973 परामर्श फर्में अपनी पूरी प्रोफ़ाइल के साथ पंजीकृत हैं। स्थापना से अब तक कुल 2471 फर्मों और 43618 प्रमुख कर्मियों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस पोर्टल पर 10000 सक्रिय प्रोफ़ाइल्स हैं, जिनके सीवी पूर्ण हैं। 5300 टेंडर इस पोर्टल पर क्लाइंट द्वारा अथॉरिटी इंजीनियर और डीपीआर के लिए अपलोड किए गए हैं।

पोर्टल अब ई-साइन प्रमाणीकरण से सक्षम है, जो ऑनलाइन समझौतों या संविदाओं को औपचारिक रूप से वैध बनाता है, जिससे वे विधिक रूप से बाध्यकारी और सुरक्षित हो जाते हैं। आधार प्रमाणीकरण भी एकीकृत किया गया है, जो आधार विवरण का उपयोग करके व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करता है, जो देश में कई सरकारी और निजी सेवाओं के लिए आवश्यक है। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) टोकन का भी उपयोग किया जा रहा है, जो दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रूप से हस्ताक्षरित करने का एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है। सॉफ़्टवेयर में डीएससी टोकन का एकीकरण डिजिटल दस्तावेजों और लेन-देन की प्रामाणिकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है।

पोर्टल प्रमुख कर्मियों के पृष्ठभूमि सत्यापन के लिए स्वचालित अलर्ट उत्पन्न करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे संबंधित हितधारकों को किसी भी कमी या विसंगति की त्वरित जानकारी दी जा सके। प्रमुख कर्मियों की प्रोफ़ाइल की पुनरावृत्ति (डुप्लिकेट प्रोफ़ाइल) से बचने के लिए आधार कार्ड आधारित ई केवाईसी को भी एकीकृत किया जा रहा है, जो पहचान का त्वरित और प्रमाणित सत्यापन सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख कर्मियों की प्रोफ़ाइल की पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए उनके सीवी क्षेत्रों को और अधिक व्यापक और उन्नत बनाया गया है, जिससे आवश्यक डेटा का सटीक और विस्तृत संग्रह किया जा सके।

प्रणाली-चालित तकनीकी मूल्यांकन को और अधिक परिष्कृत और सक्षम बनाया गया है, ताकि सभी मापदंडों का पूर्णतः स्वचालित तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए अतिरिक्त इनपुट्स को सम्मिलित किया गया है। पोर्टल पर कई नए इनपुट फ़ॉर्म विकसित किए गए हैं और उन्हें मौजूदा मॉड्यूल्स के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

इन्फ्राकॉन की दक्षता बढ़ाने और सुरक्षा संबंधी कमजोरियों को दूर करने के उद्देश्य से विंडोज़-12 सर्वर से विंडोज़-16 सर्वर पर स्थानांतरित किया गया है।

राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए इन्फ्राकॉन को प्रथम सेमी-फाइनलिस्ट एसकेओसीएच अवार्ड - इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्ड 2024 से सम्मानित किया गया।

3.4 रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा उपयोग में लाए जा रहे एनआईसी अनुप्रयोग।

3.4.1 ई-मेल सेवाएँ

एनआईसी ने रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड को ई-मेल सेवाएँ प्रदान की हैं, जिसमें 'nhidcl.com' डोमेन पीएसयू के रूप में उपलब्ध कराया गया है। एनआईसी मेल खातों में समृद्ध विशेषताएँ हैं और यह उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त मेलबॉक्स स्टोरेज स्पेस सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्टोरेज स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार, कुल 1200 मेल अकाउंट्स का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें पर्याप्त मेल स्टोरेज क्षमता है। उच्च उपयोग वाले खातों के लिए अतिरिक्त 2 टीबी स्टोरेज भी प्राप्त किया गया है।

3.4.2 ई-ऑफिस

ई-ऑफिस का उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना है। ई-ऑफिस 'ओपन आर्किटेक्चर' प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जो इसे एक पुनः प्रयोज्य ढांचा बनाता है, जिसे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लागू किया जा सकता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ई-ऑफिस का उपयोग फाइलों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचलन और ट्रैकिंग के लिए कर

रहा है। यह प्रणाली कार्यक्षमता को बढ़ाती है, काम के समय को कम करती है, और पारदर्शिता तथा जवाबदेही स्थापित करती है।

3.4.3 ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली और जीईएम

ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत वस्तुएं, सेवाएं आदि इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदी जाती हैं। इस सुविधा से निविदा चक्र का समय काफी कम हो जाता है, अप्रत्यक्ष लागतों में कमी आती है और खरीदारी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थाओं और पीएसयू द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है। जीईएम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और गति को बढ़ावा देना है। यह ई-बिडिंग, रिवर्स ई-ऑक्शन और मांग समाग्रह के उपकरण प्रदान करता है, जिससे सरकारी उपयोगकर्ता सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। सीपीपी पोर्टल/ई-टेंडर पोर्टल और जीईएम पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की सभी निविदा और खरीदारी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो आईटी विभाग द्वारा पूरी तरह से समर्थित है।

3.5 सोशल मीडिया टीम

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने 29.03.23 को एक एजेंसी नियुक्त की थी, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया सेल टीम का गठन करना था, ताकि भारत के सबसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं को सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर उजागर किया जा सके और संगठन को एक ब्रांड पहचान मिल सके। यह संगठन अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में, सुदूर स्थानों पर सड़क निर्माण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। इस वर्ष के दौरान, सोशल मीडिया टीम ने अभियान और क्रिएटिव्स तैयार किए, जिससे सार्वजनिक रूप से रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा की जा रही अवसंरचना विकास गतिविधियों को उजागर किया गया और जनसमूह को इसके बारे में जागरूक किया गया।

निम्नलिखित अभियानों का आयोजन किया गया:

- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा चल रही परियोजनाओं की निर्माण संबंधी सूचनाएँ।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में नई तकनीकों के उपयोग पर अभियान।
- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा किए जा रहे अवसंरचनात्मक विकास की जानकारी।
- "मेरे दृष्टिकोण" और "सिटिजन्स कॉर्नर" अभियान के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया।
- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की उपलब्धियों पर अभियान।
- सड़क सुरक्षा पर अभियान।
- वाहन रखरखाव पर अभियान।
- पर्यटन स्थलों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रचार।
- सड़क संकेतों के प्रति जागरूकता अभियान।
- मीडिया द्वारा सड़क/परियोजनाओं से संबंधित गलत रिपोर्टिंग पर प्रतिक्रिया अभियान।
- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं पर अभियान।
- रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ब्लॉग
- हर घर तिरंगा, स्वच्छता अभियान, सतर्कता सप्ताह, सड़क सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय आयोजनों/अभियानों

की प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, परियोजना अनुवीक्षण एकक और मुख्यालय से कवरेज।

4. कमी

क) परियोजना निधियों के लिए निर्भरता

कंपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर निर्भर है जो कंपनी के भावी विकास और परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकता है।

ख) स्थायी संवर्ग (काडर) का न होना

कंपनी के पास अधिकारियों और कर्मचारियों का अपना संवर्ग (काडर) नहीं है और सभी स्वीकृत पदों को या तो केंद्र और राज्य सरकारों / पीएसयू / स्वायत्त निकायों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा या सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करके भरा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, संस्थागत निष्ठा और प्रतिभा की हानि होती है। कंपनी वर्तमान में स्थायी संवर्ग के गठन की प्रक्रिया में है।

ग) सीमित राजस्व स्रोत

वर्तमान में मंत्रालय, कंपनी को सौंपे गए विभिन्न राजमार्ग और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं पर एजेंसी प्रभार उपलब्ध कराता है। रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के लिए एजेंसी प्रभार राजस्व का एकमात्र स्रोत है। सरा वि.नि. लिमिटेड के राजस्व स्रोत का विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एजेंसी प्रभारों के रूप में राजस्व ग्रोत भविष्य में संगठन के विकास को सीमित कर देगा।

5. अवसर

कंपनी अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का प्रयास कर रहा है और हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक पार्को घाटों, सड़क के किनारे सुविधाओं आदि के निर्माण में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। सयोग से. हम मंत्रालय द्वारा किए जा रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में से एक की जिम्मेदारी ले रहे हैं। परिभाषित क्षेत्रों में परिवहन और रसद को अधिक कुशल बनाने के लिए भारत में एमएमएलपी परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। कंपनी को असम में ऐसे एमएमएलपी में से एक सौंपा गया है।

कंपनी को बस पोर्ट के विकास के लिए स.प.रा. मंत्रालय द्वारा केंद्रीय निष्पादन एजेंसी के रूप में सौंपा गया है। 13 राज्य सरकारों ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है और कंपनी इस पर आगे बढ़ने के लिए शेष 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समन्वय कर रही है। बस पोर्ट का विकास करना, जो हर राज्य में सेल्फ सस्टेनेबल स्मार्ट बस पोर्ट का एक नेटवर्क है, विकसित किया जाएगा, ताकि हर दिन बसों में राज्यों में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के यात्रा अनुभव को बदल दिया जा सके।

निकट भविष्य में,कंपनी सिंचाई परियोजना नियंत्रण कार्य सीवरेज उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ आवास परिसर के विकास, कोच्चि के स्मार्ट शहर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सभागार के अंदरूनी हिस्सों आदि के क्षेत्रों में काम करने के लिए तत्पर है।

6. कंपनी के लिए जोखिम

विनियामक बाधाएँ:

सड़क और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित विनियामक बाधाएँ: कंपनी के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं:

क) भूमि अर्जन:

(i) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम) की घोषणा के साथ, प्रभावित भूस्वामियों ने कुछ मामलों में भूमि का कब्जा सौंपने से इनकार कर दिया है और उच्च मुआवजे की भी मांग की है। ऐसे मामलों में जहा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की घोषणा से पहले पूरा हो गया था। बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी ने परियोजना कार्यक्रम को प्रभावित किया है।

(ii) नए अधिनियम के प्रावधानों के कारण, भूमि महंगी हो गई है और कुछ मामलों में भूमि की लागत परियोजना लागत से अधिक है।

ख) न्यायिक हस्तक्षेप:

न्यायिक हस्तक्षेप, विशेष रूप से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा और अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों की कार्रवाई, कभी-कभी परियोजना की प्रगति के लिए बाधा साबित होती है। इसी तरह की बाधा का सामना तब करना पड़ा जब कई राज्य सरकारों द्वारा समुच्चय के खनन और मिट्टी के बिलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। खराब कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उत्तर पूर्वी कुछ राज्य उग्रवाद की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

कंपनी बेहद कठिन और जटिल कई वातावरण में बेहद प्रतिकूल मौसम की स्थिति में कठिन और पर्याप्त उपरकर सहायता के बिना काम करती है।

7. खंड-वार निष्पादन

कंपनी के खंडवार निष्पादन का विस्तृत विवरण निदेशक की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

8. कंपनी का दृष्टिकोण

कंपनी को लगभग 8,857 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले सड़कों के विकास और सड़क संपर्क सुधार का दायित्व सौंपा गया है। इसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान-निकोबार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार गलियारे का विकास, साथ ही उत्तर बंगाल और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण शामिल है।

9. कंपनी के लिए जोखिम और चिन्ताएं

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, सीमावर्ती और रणनीतिक क्षेत्रों में, जहाँ कंपनी कार्यरत है, वहाँ प्रतिकूल मौसम स्थितियाँ परियोजनाओं में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। इन क्षेत्रों में कार्य को तेज़ी से पूरा करने के लिए अधिकतम छह महीने की समय-सीमा उपलब्ध होती है। सीमा राजमार्गों का एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों और वन्यजीव क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिसके लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है।अस्थिर भूवैज्ञानिक भू-भाग कंपनी के समक्ष और भी बड़ी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। इन क्षेत्रों में भूमि और भूमिगत परिस्थितियों में एकरूपता का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, राजमार्गों के लिए एक सतत और सभी मौसमों के अनुकूल रखरखाव प्रणाली विकसित करना भी एक प्रमुख चुनौती है।कंपनी इन समस्याओं का लॉजिस्टिक आकलन करने और समाधान प्रदान करने के लिए ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर कार्य कर रही है। इन तकनीकों का उपयोग न केवल भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी घटनाओं की निगरानी के लिए किया जा रहा है, बल्कि परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने के लिए भी संभावनाओं का विस्तार किया जा रहा है।

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है, जिसमें भौतिक और वित्तीय प्रगति की समय-समय पर समीक्षा शामिल है। व्यय की प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जाता है और इसे प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बजट संबंधी समीक्षाएँ भी निर्धारित समय पर आयोजित की जाती हैं।

कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, जो प्रभावी रूप से कार्यरत है। आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य बाहरी कंपनी द्वारा किया जाता है, जो नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता और व्यय की उपयुक्तता सुनिश्चित करता है। कंपनी के वार्षिक खातों का ऑडिट भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त

सांविधिक लेखा परीक्षकों के माध्यम से किया जाता है।

11. नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधनों, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास

कंपनी की स्थापना के समय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीति के तहत, दो वरिष्ठ प्रबंधन पद, अर्थात् प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त और प्रशासन), केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भरे जाने थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 31 ,जुलाई 2023 तक कंपनी का नेतृत्व श्री चंचल कुमार, आई.ए.एस (बी.एच:1992) ने किया। इसके पश्चात, 1 अगस्त, 2023 से 13 फरवरी, 2024 तक श्री महमूद अहमद ने प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, और 14 फरवरी ,2024 से श्री कृष्ण कुमार ने इस पद का कार्यभार ग्रहण किया। वहीं, श्री अंशु मनीष खलखो, आई.डी.ए.एस (1994), ने 9 जनवरी, 2023 को कंपनी के निदेशक (वित्त और प्रशासन) के रूप में कार्यभार संभाला।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी श्रेणियों के पदों की संख्या को कंपनी के निदेशक मंडल की स्वीकृति के साथ तर्कसंगत बनाया गया। 31 मार्च, 2024 तक स्वीकृत और भरे गए पदों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	पद/पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च, 2024 तक कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणियाँ
1.	प्रबंध निदेशक	01	**01**	-
2.	निदेशक (प्रशासन और वित्त)	01	01	-
3.	निदेशक (तकनीकी)	0	02	ई.डी (मानव संसाधन/प्रशासन) और ई.डी (वित्त/लेखांकन) के रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित किया गया
4.	कार्यकारी निदेशक	19	15	
5.	महाप्रबंधक	66	56	
6.	उप महाप्रबंधक	75	43	
7.	प्रबंधक	92	18	
8.	प्रधान निजी सचिव	01	-	
9.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	01	01	
10.	प्रबंध निदेशक के तकनीकी सहायक	01	01	
11.	कंपनी सचिव	01	01	
12.	उप प्रबंधक	77	07	
13.	सहायक प्रबंधक	19	02	
14.	निजी सचिव	02	02	
15.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	-	
16.	व्यक्तिगत सहायक	07	01	
17.	कनिष्ठ प्रबंधक	32	06	
	कुल	**396**	**157**	

कंपनी एक नव-स्थापित संस्था है और इसके पास अपना स्थायी कर्मचारी वर्ग नहीं है। स्वीकृत पदों को केंद्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), तथा स्वायत्त निकायों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जिनके पास समान योग्यताएँ होती हैं। प्रारंभ में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए तत्काल अवशोषण के सामान्य नियम से छूट प्रदान की गई थी, जो 21 श्रेणियों के स्वीकृत पदों के लिए लागू थी। यह छूट सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 3 वर्षों के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक मंजूर की गई थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया। हाल ही में, डी.पी.ई ने 342 (नवीन रूप से बनाए गए पदों सहित) बोर्ड स्तर से नीचे के 29 श्रेणियों के स्वीकृत पदों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक छूट देने की मंजूरी दी थी, जिसे डी.पी.ई का. ज्ञा. सं.. 23(1)/2015-एमजीएमटी दिनांक 26 सितंबर, 2023 द्वारा अनुमोदित किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डीपीई से उक्त छूट को एक और वर्ष के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। डीपीई से इसकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।

निदेशक मंडल ने अपनी 32वीं बैठक में 29 सितंबर, 2022 को स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाकर 394 करने का निर्णय लिया (इसमें प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त एवं प्रशासन) के पद शामिल नहीं हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया था)। स्थायी कर्मचारी वर्ग के निर्माण और भर्ती नियमों सहित एक प्रस्ताव जुलाई, 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अक्टूबर, 2023 में डी.पी.ई को प्रस्ताव भेजा। जनवरी, 2024 में डी.पी.ई ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय /कंपनी से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। डी.पी.ई के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अपनी श्रेणीकरण के लिए डीपीई से संपर्क किया। डी.पी.ई ने का. ज्ञा. सं. पी.डी-I-08/0001/2024-डी.पी.ई दिनांक 12 अगस्त, 2024 के माध्यम से कंपनी को अनुसूची ए. सी.पी.एस.ई के रूप में वर्गीकृत किया। कंपनी ने फरवरी, 2024 में केंद्रीय महंगाई भत्ता से औद्योगिक महंगाई भत्ता (आई.डी.ए) प्रणाली में स्विच करने की सूचना भी दी है। कंपनी में स्वीकृत पदों को पिरामिड संरचना में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विभिन्न स्वीकृत पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाती है, जिसमें रिक्तियों का विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों और रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रिक्ति संबंधी परिपत्र कंपनी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय करियर सेवा की वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाता है। विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि और समय तक प्राप्त आवेदनों की छानबीन अधिकारियों की स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाती है, और योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया जाता है। तत्पश्चात, एक खोज एवं चयन समिति चयनित किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करती है, ताकि उनके उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जा सके। प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की शर्तें और अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए कंपनी के सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

12. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा विकास

कंपनी में, आईआरसी संहिताबद्ध प्रावधानों द्वारा अनुमत हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुए विकसित की जा रही जलवायु अनुकूल और पर्यावरण अनुकूल सड़कों की संधारणीयता, विशेषतः उन इलाकों या क्षेत्रों में जहां निर्माण सामग्री की अत्यंत कमी हो, को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की गई हैं।

कम्पनी ने नई प्रौद्योगिकियां अपनायी हैं, जैसे-स्टेबिल रोड, जो ऐसे क्षेत्रों में लचीले पेवमेंट्स के निर्माण में एक नवप्रयोगी भूमि सुदृढ़ीकरण प्रौद्योगिकी है जहां सड़क निर्माण सामग्री की कमी है, नदी तटों के संरक्षण के लिए कंक्रीट इम्प्रेग्नेटेड फेब्रिक (कंक्रीट कैनवास), मौसम की प्रक्रियाओं और पर्वतीय ढलानों पर बहते पानी की वजह से पहाड़ों पर होने वाले भूस्खलन की रोकथाम के लिए पारम्परिक ब्रैस्ट वॉल्स के स्थान पर प्री-कास्ट पोस्ट टेन्शन्ड आरसीसी ब्रैस्ट वॉल्स, ढीले (लूज) क्षेत्रों/ चट्टानों की वैचिंग, ट्रिमिंग / स्केलिंग मुहैया कराकर ढलान का स्थिरीकरण और ग्राउट डीटी मैश, रोम्बोडल मैश, भूक्षरण / नियंत्रण मैट / हाईड्रो सीडिंग के साथ रॉक बोल्ट्स / एंकरों की विभिन्न गहराई का इस्तेमाल करते हुए इसका सुदृढ़ीकरण किया जाना, आदि।

इन नवप्रयोगी प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड की अनेक राजमार्ग परियोजनाओं में किया जा रहा है।

13. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों की एक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ख** पर संलग्न है।

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन पर कंपनी का सिद्धांत

कंपनी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को सर्वोत्तम स्तरों पर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समानता के माध्यम से प्राप्त करने में विश्वास करती है, जो उसके संचालन के सभी क्षेत्रों और लेन-देन में अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना, कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना, तथा मानकों के अनुरूप कार्य करना है, ताकि कंपनी के उद्देश्य पूरे किए जा सकें।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, हमारी कंपनी न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करती है, बल्कि यह नैतिकता, निष्पक्षता, पेशेवरिता और उत्तरदायित्व पर आधारित सशक्त निगमित प्रथाओं का पालन करते हुए अपने विभिन्न हितधारकों में विश्वास पैदा करती है, जिससे दीर्घकालिक सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं।

2. निदेशक मंडल

कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, आपके कंपनी के मंडल पर निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के राष्ट्रपति के पास है, जो इसे प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से निष्पादित करते हैं।

क) मंडल की संरचना

रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड, कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के अनुच्छेद 82 के अनुसार, राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करते हैं, जो तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं हो सकती है। कंपनी के अनुच्छेद 83 के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और अन्य निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव कंपनी और मंडल के अध्यक्ष के रूप में पदेन कार्य करेंगे।

ख) निदेशकों की संख्या

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के मंडल में कुल पांच (05) निदेशक हैं - पूर्णकालिक निदेशक, सरकारी नामांकित निदेशक (अल्प कालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में) और स्वतंत्र निदेशक। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के निदेशक मंडल की कुल संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री अनुराग जैन (डी.आई.एन: 01779759)	अध्यक्ष
2.	श्री कृष्ण कुमार (डी.आई.ए: 06502080)	प्रबंध निदेशक
3.	श्री अंशु मनीष खलखो (डी.आई.ए: 10052036)	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)
4.	श्री महमूद अहमद (डी.आई.ए 07694375)	सरकारी नामांकित निदेशक
5.	श्री प्रदीप कुमार सरावगी (डी.आई.एन: 03083365)	स्वतंत्र निदेशक

ग) निदेशकत्व मंडल में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, निदेशकत्व मंडल में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति/समाप्ति
1.	श्रीमती अल्का उपाध्याय (डी.आई.ए 02580977)	कंपनी के अध्यक्ष के रूप में 22 अक्टूबर, 2022 से नियुक्त की गई और 24 अप्रैल 2023 से कंपनी के अध्यक्ष के पद से मुक्त हो गई।
2.	श्री अनुराग जैन डी.आई.ए: 01779759)	कंपनी के अध्यक्ष के रूप में 26 अप्रैल, 2023 से नियुक्त किए गए।
3.	श्री चंचल कुमार डी.आई.ए: 06390383)	31 जुलाई, 2023 से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में मुक्त हो गए।
4.	श्री महमूद अहमद (डी.आई.ए: 07694375)	1 अगस्त, 2023 से प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया और 13 फरवरी 2024 से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में मुक्त हो गए।
5.	श्री कृष्ण कुमार (डी.आई.ए: 06502080)	14 फरवरी, 2024 से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।
6.	श्री अंशु मनीष खलखो (डी.आई.ए: 10052036)	9 जनवरी, 2023 से कंपनी के निदेशक (वित्त एवं प्रशासन) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए।

घ) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए उपस्थिति रिकॉर्ड और निदेशकता/समिति पदों की जानकारी

क्र.सं.	निदेशक का नाम और पद	डी.आई.एन	मंडल की बैठकों की संख्या (उनकी नियुक्ति के दौरान उपस्थिति)	अंतिम वार्षिक आम सभा (एजीएम) में उपस्थिति	31 मार्च, 2024 तक अन्य कंपनियों में धारण किए गए निदेशकों की संख्या	कार्यकाल	अन्य समिति पद	
							सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
1.	श्रीमती अलका उपाध्याय, अध्यक्ष	02580977	0/0	नहीं	शून्य	22.10.2022 से 24.04.2023 तक	शून्य	शून्य
2.	श्री अनुराग जैन, अध्यक्ष	01779759	4/4	हाँ	दस			
3.	श्री चंचल कुमार, प्रबंध निदेशक	06390383	2/2	हाँ	शून्य	31.01.2022 से 31.07.2023 तक	शून्य	शून्य
4.	श्री अंशु मनीष खलखो, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	10052036	4/4	हाँ	शून्य	09.01.2023 से वर्तमान तक	लेखा परीक्षा समिति और सी.एस.आर समिति	शून्य
5.	श्री महमूद अहमद, सरकारी नामांकित निदेशक	07694375	4/4	हाँ	शून्य	23.06.2021 से वर्तमान तक	लेखा परीक्षा समिति	सी.एस.आर समिति
6.	श्री प्रदीप कुमार सरावगी स्वतंत्र निदेशक	03083365	4/4	हाँ	01	05.01.2022 से वर्तमान तक	सी.एस.आर समिति	लेखा परीक्षा समिति, (26.09.2023 से प्रभावी)

कंपनी के किसी भी निदेशक के पास एक ही समय में बीस से अधिक कंपनियों/दस सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक के रूप में पद धारण करने का अधिकार नहीं है, जिसमें वैकल्पिक निदेशकीय पद भी शामिल हैं। इसके अलावा, किसी भी निदेशक के पास दस से अधिक समितियों का सदस्य बनने या पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष होने का अधिकार नहीं है, चाहे वह किसी भी कंपनी में निदेशक हों। कंपनी के निदेशकों के बीच आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।

ङ) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और तिथि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की चार (04) बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

क्र.सं.	निदेशक मंडल की बैठक संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तिथि	निदेशक मंडल की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल बैठक में उपस्थिति का प्रतिशत
01	37	26.06.2023	5	5/5	100
02	38	28.07.2023	5	5/5	100
03	39	26.09.2023	5	5/5	100
04	40	22.12.2023	5	5/5	100

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और रिपोर्ट की तिथि तक नियुक्त किए गए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

- श्री अनुराग जैन, भा.प्र.से. (एमपी:1989) को 26 अप्रैल, 2023 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव तथा रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पूर्व वे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आ.ईआ.ईटी) के सचिव थे, और इस पद पर रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री गतिशक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व किया, जिसे अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। उनके द्वारा निभाए गए महत्वपूर्ण पदों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव, प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त) के रूप में कार्य तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य शामिल हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में उन्होंने 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' को सफलतापूर्वक लागू किया, जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है और इसके लिए उन्हें विशेष श्रेय प्राप्त है।
- श्री कृष्ण कुमार, भा.प्र.से.(उड़ीसा: 2002) को 14 फरवरी, 2024 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस) हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्हें सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में भी व्यापक अनुभव है, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग में आयुक्त-कम-सचिव, पुरी के जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक, पुरी-कोणार्क विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, उड़ीसा पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष, भुवनेश्वर नगरपालिका निगम के नगर आयुक्त, स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक, और भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया गया है।
- श्री अंशु मनीष खलखो, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (1994) के अधिकारी, ने 9 जनवरी 2023 को रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड में निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व, वे रक्षा लेखा नियंत्रण कार्यालय, मुख्य रक्षा लेखा निदेशालय, नई दिल्ली में संयुक्त नियंत्रक जनरल के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से एम.एससी की उपाधि प्राप्त की है। अपने रक्षा लेखा विभाग में कार्य करते हुए उन्होंने वित्त एवं लेखा कार्यों के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। वे कोलकाता स्थित रेलटेल में महाप्रबंधक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और उन्होंने डब्ल्यू.एन.सी, सी.एस.डी, एस.सी (आर्मी), ई.सी (आई.एफ.ए), कारखानों के प्रमुख आंतरिक लेखा परीक्षक और विभिन्न आयुध कारखानों में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ

रिपोर्ट की तिथि पर, कंपनी के पास निम्नलिखित समितियाँ हैं:

क) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

ख) लेखा परीक्षा समिति

ग) कार्यकारिणी

क) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

i) विचारार्थ-विषयों का संक्षिप्त विवरण

समिति का कार्यक्षेत्र और शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों और डी.पी.ई गवर्नेंस दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप हैं, जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। कंपनी ने सी.एस.आर नीति तैयार की है, जो कंपनी की वेबसाइट https://nhidcl.com/सीएसआर/ पर उपलब्ध है। सी.एस.आर समिति के कार्यक्षेत्र के प्रावधान निम्नलिखित हैं।

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करने वाली सी.एस.आर नीति तैयार करना और मंडल को अनुशंसा करना।

(ii) कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों और उनके लिए प्रस्तावित व्यय राशि को मंडल को अनुशंसा करना।

(iii) समय-समय पर सीएसआर नीति की समीक्षा और निगरानी करना।

(iv) कंपनी द्वारा किए गए सी.एस.आर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना।

ii) संरचना - सदस्य और अध्यक्ष के नाम

31 मार्च 2024 तक, समिति में 3 सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य स्वतंत्र निदेशक है। कंपनी सचिव सी.एस.आर समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। 31 मार्च 2024 तक सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	सदस्य की स्थिति	पद
1.	श्री महमूद अहमद	निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अंशु मनीष खलखो	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	सदस्य
3.	श्री प्रदीप कुमार सरावगी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ख) लेखा परीक्षा समिति

i) कार्यक्षेत्र के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र और संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों तथा डी.पी.ई गवर्नेंस दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप हैं और उन्हीं के अंतर्गत शासित हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी, वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की मूल्यांकन, सी.ए.जी लेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर अनुसरण क्रिया की समीक्षा आदि शामिल हैं। लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

i. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन की निगरानी करना तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा करना;

ii. वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की परीक्षा करना;

iii. कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन की स्वीकृति या उसके बाद किए गए किसी भी संशोधन की समीक्षा करना;

iv. इंटर-कॉर्पोरेट लोन और निवेशों की विस्तृत जांच करना;

v. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करना;

vi. सीएजीलेखा परीक्षा की टिप्पणियों पर अनुसरण क्रिया की निगरानी और समीक्षा करना।

ii) संरचना,सदस्य और अध्यक्ष के नाम

31 मार्च, 2023 तक सीएसआर समिति में 3 सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य स्वतंत्र निदेशक है। कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। 31 मार्च 2023 तक सीएसआर समिति की संरचना निम्नलिखित है:

क्र.सं.	नाम	सदस्य की स्थिति	पद
1.	श्री प्रदीप कुमार सरावगी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री महमूद अहमद	निदेशक, रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड	सदस्य
3.	श्री अंशु मनीष खलखो	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड	सदस्य

कंपनी में वर्तमान में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है, और कंपनी के मंडल में एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रक्रियाधीन है।

ग) कार्यकारिणी

मंडल ने अपनी सातवीं बैठक, जो 28 मार्च, 2016 को आयोजित की गई थी, में कार्यकारिणी समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य बोली प्रक्रिया और अनुबंध प्रबंधन आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श और समाधान प्रस्तुत करना है।

i) संरचना - सदस्य और अध्यक्ष के नाम

31 मार्च, 2024 तक, कार्यपालक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र.सं.	सदस्य	पद
1.	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)	सदस्य
3.	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	मुख्यालय में सभी कार्यकारिणी निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है, इसलिए पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उन्हें सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित केंद्रीय महंगाई भत्ते (सीएडी) के वेतनमान के अनुरूप तथा सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। कंपनी के मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करते; वे केवल सरकारी अधिकारी के रूप में सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को वर्ष के दौरान मंडल/समिति बैठकों में भागीदारी के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

क्रम संख्या	नाम और पद	प्रदान किया गया पारिश्रमिक (लाख रुपये में)
1.	श्री कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक	05.83
2.	श्री चंचल कुमार, प्रबंध निदेशक (31 जनवरी ,2022 से)	20.07

3.	श्री अंशु मनीष खलखो, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)(9 जनवरी, 2023 से)	57.86
4.	सुश्री युक्ति अरोड़ा, कंपनी सचिव	11.44
5.	सुश्री मेघा जैन, कंपनी सचिव	02.70

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र निदेशक को दिए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	सदस्य	बैठक शुल्क (लाख रु. में)	कुल बैठकें (समिति बैठकों सहित), जिनमें कार्यकाल के दौरान भाग लिया गया
1.	श्री प्रदीप सरावगी, स्वतंत्र निदेशक	2.20	11/11

5. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे। डीपीई के का. ज्ञा. संख्या 16(4)/2012-जीएम दिनांक 28 दिसंबर, 2012 और का. ज्ञा. संख्या 16(4)/2012-जीएम दिनांक 20 जून, 2013 के अनुसार, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(8) और अनुसूची IV-भाग VII में निर्दिष्ट "गैर-सरकारी निदेशकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां" के तहत, स्वतंत्र निदेशकों की एक 'अलग बैठक' प्रत्येक वर्ष आयोजित की जानी चाहिए। इस बैठक में कंपनी प्रबंधन और मंडल के बीच जानकारी के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि मंडल अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी और उचित रूप से निर्वहन कर सके। चूंकि इस वर्ष केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे, अतः अलग से बैठक का आयोजन नहीं हो सका। हालांकि, स्वतंत्र निदेशक ने यह पुष्टि की कि उन्हें समय पर आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई, जैसा कि आवश्यकतानुसार मांगी गई थी।

6. सचेतक नीति

कंपनी ने 2019 में सचेतक नीति को अपनाया और तब से यह नीति उच्चतम नैतिक, कानूनी और आचारिक मानकों के अनुसार कंपनी के संचालन में लागू की जा रही है। यह नीति निदेशकों और कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या कंपनी के मंडल सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता और सीएडी नियमों के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंता को रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित चैनल प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे बिना किसी प्रकार के दंड, प्रताड़ना या अनुचित व्यवहार के अपने विचार व्यक्त कर सकें। किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया है।

7. अनुपालन प्रमाण-पत्र

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुपालन की स्थिति का प्रमाण है, इस रिपोर्ट का हिस्सा है और इसे इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-III के रूप में अंकित किया गया है।

8. लेखा परीक्षा की योग्यताएँ

एम/एस जी.के. केडिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

9. आचार संहिता

कंपनी के मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता एक व्यापक और समग्र संहिता है, जो कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू होता है।

कंपनी के मंडल ने सभी मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है, जिसे सभी संबंधित अधिकारियों को वितरित किया गया है। सभी मंडल सदस्य और नामित वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने आचार संहिता का

पालन करने की पुष्टि की है। प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा, जिसमें मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा 2023-24 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट-I में दी गई है।

10. सी.ई.ओ/सी.एफ.ओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी.एफ.ओ) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, जो निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में संलग्न है।

11. प्रकटीकरण

i) संबंधित पार्टी लेनदेनः वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ संविदा या व्यवस्था के रूप में कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई थी।

iii) कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है। हालाँकि, खातों का हिस्सा बनने वाले नोटों में विचलन, यदि कोई हो, की सूचना दी गई है।

iv) निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया गया है।

v) कंपनी के लेखा बहियों में डेबिट की गई व्यय की सभी वस्तुएं कंपनी को सौंपी गई परियोजना निष्पादन के उद्देश्य से हैं और परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

vi) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान किसी भी गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

12. आम बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का स्थान और समय निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान*
2022-23	22 दिसम्बर, 2023	शाम 05.30 बजे	परिवहन भवन, 1- संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2021-22	02 फरवरी, 2023	शाम 01.00 बजे	
2020-21	29 नवम्बर, 2021	शाम 03.30 बजे	

निदेशक मंडल की ओर से और उनकी प्राधिकृत दृष्टि से

दिनांक: 26 सितंबर, 2024
स्थान: दिल्ली

(अंशु मनीष खलखो)
निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी.आई.एन: 10052036

(कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन: 06502080

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, यह घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यापार आचार संहिता और नैतिकता आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 26 सितंबर, 2024

प्रबंध निदेशक और निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणन

हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई भी महत्वपूर्ण झूठी जानकारी नहीं है, न ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ा गया है, और न ही इसमें कोई ऐसा विवरण है जो भ्रामक हो सकता है;

(ii) ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू क़ानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं;

(iii) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं किया है जो धोखाधड़ी, अवैध हो, या कंपनी के आचार संहिता का उल्लंघन करता हो;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना और उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमने लेखा परीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन में किसी भी प्रकार की कमी के बारे में सूचित किया है, जिनसे हम अवगत हैं, और इन कमियों को सुधारने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी दी है;

(v) हमने लेखा परीक्षकों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

क. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि हुआ हो;

ख. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है उन्हें वित्तीय विवरणों में टिप्पणी के रूप में प्रकट किया गया है;

ग. वर्ष के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसमें हम अवगत हुए हों, और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारियों की संलिप्तता नहीं रही है।

निदेशक मंडल के लिए से एवं उनकी ओर से

दिनांक: 26 सितंबर, 2024 स्थान: दिल्ली	(अंशु मनीष खलखो) निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) डी.आई.एन: 10052036	(कृष्ण कुमार) प्रबंध निदेशक डी.आई.एन: 06502080

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का अनुलग्नक - III

ए के जी एंड कंपनी.

कंपनी सचिव

पता: A-16, जितर नगर, परवाना रोड, दिल्ली-110051

फोन: 9312210264 **ई-मेल:** guptaashish75@gmail.com

कॉर्पोरेट अभिशासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में

सदस्य,

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

पीटीआई भवन, तीसरा तल , 4 - संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

हमने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के अनुपालन की समीक्षा की है, जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशा निर्देशों में निर्धारित किया गया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है, और हमारी समीक्षा केवल उन प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी ने कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो एक लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी प्रकार की राय व्यक्त करने का प्रयास है।

हमारे विचार में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी ने डी.पी.ई दिशा निर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का आंशिक रूप से पालन किया है, सिवाय निम्नलिखित बिंदुओं के:

1. कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों का गठन कंपनी अधिनियम 2013 और डी.पी.ई दिशानिर्देशों के अनुसार उचित रूप से नहीं किया गया था;
2. कंपनी में लेखा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार उचित रूप से नहीं किया गया था;
3. कंपनी में महिलाओं के निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई थी, जैसा कि कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित है;
4. कंपनी ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक 02.02.2023 को आयोजित की, जो कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में नहीं की गई थी।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन कंपनी की भविष्य की स्थिरता या प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता के संबंध में कोई आश्वासन प्रदान नहीं करता है।

ए के जी एंड कंपनी.

कंपनी सचिव

सनदी लेखाकार (सीए) आशीष कुमार गुप्ता

सी.पी.नं.: 6859

यूनिक कोड: एस2009डीई537600

यू.डी.आई.एन: एफ006433ई000815331

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 04.09.2024

9. स्वतंत्र लेखा परीक्षको की रिपोर्ट

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

योग्य राय

हमने **राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड** [**सी.आई.एन नंबर: U45400DL2014GOI269062**] ("कंपनी या रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड") के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण, जिसमें अन्य व्यापक आय का विवरण, नकद प्रवाह विवरण, और वर्ष के समाप्त होने पर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण शामिल है, और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में भारत में स्थित तेरह (13) शाखा कार्यालयों (अर्थात क्षेत्रीय कार्यालयों) के लिए उस तिथि को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त शाखा लेखा परीक्षको द्वारा किया गया है।

हमारी राय में, और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण, हमारी रिपोर्ट के **'योग्य मत के आधार'** खंड में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से प्रदान करते हैं और भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के तहत निर्दिष्ट हैं, कंपनी की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, जिसमें अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय के आधार

कंपनी सड़कों, राजमार्गों, पुलों आदि के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एजेंट के रूप में कार्य करती है, जिसके बदले में इसे एजेंसी आय प्राप्त होती है। कंपनी ने इन निर्माण गतिविधियों को प्रभावी और कुशल तरीके से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित अपने 13 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूरा किया। 'एजेंसी आय' किसी परियोजना पर किए गए व्यय के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है। इसलिए, संबंधित वर्ष के दौरान, कंपनी की एजेंसी आय 36,068.95 लाख रुपये रही।

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12(3) के अनुसार, अचल संपत्ति से सीधे संबंधित सेवाओं, जिनमें वास्तुकारों, आंतरिक सज्जाकारों, सर्वेक्षकों, इंजीनियरों और अन्य संबंधित विशेषज्ञों या एस्टेट एजेंटों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ शामिल हैं, या अचल संपत्ति के उपयोग के अधिकार प्रदान करने अथवा निर्माण कार्य के निष्पादन या समन्वय के लिए प्रदान की गई किसी भी सेवा का आपूर्ति स्थान वही होगा जहाँ अचल संपत्ति, नौका या पोत स्थित है या स्थित होने का इरादा है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ संचालित कीं, जहाँ सड़कों, पुलों और राजमार्गों सहित निर्माण परियोजनाएँ की गईं। इन परियोजनाओं के लिए उपरोक्त एजेंसी आय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से एकत्र की गई। अतः उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, जीएसटी देयता को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चुकाया जाना चाहिए।

हालांकि, कंपनी ने अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीजीएसटी और एसजीएसटी की देयता को चुकाने के बजाय, अपनी जीएसटी देयता को 3,246.20 लाख रुपये के सीजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में दिल्ली स्थित अपने मुख्य कार्यालय से चुकाया।

हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उपधारा (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारे रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए

लेखा परीक्षको की जिम्मेदारियों के खंड में और अधिक विस्तृत रूप से वर्णित हैं। हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, जैसा कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत हमारे वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार है, और हमने इन आवश्यकताओं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षको द्वारा उनके रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, जो कि विचाराधीन पैराग्राफ में उल्लेखित हैं, पर्याप्त और उपयुक्त हैं, ताकि हम वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकें।

महत्वपूर्ण बिंदु

हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

1. नोट 38.1(बी)(ए) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जहाँ प्रदर्शन/आगामी बैंक गारंटी की राशि 15,753.73 लाख रुपये, जो एसएफएमएस के माध्यम से पुष्टि की गई थी, लेकिन जारी करने वाली बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है। कंपनी ने ठेकेदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है और यह मामला जांच एजेंसी के पास लंबित है। कंपनी के पुस्तकों में वसूली योग्य राशि 563.33 लाख रुपये दिखाई गई है, जो अंतिम मूल्यांकन/सुलह के अधीन है। कंपनी को उम्मीद है कि यह राशि बैंक/ठेकेदार से वसूली जाएगी, हालांकि इसके लिए एक प्रावधान भी किया गया है।

2. वर्ष के दौरान, कंपनी ने बिना बिल किए गए खर्चों से संबंधित कानूनी देयता को स्थगित करने की नीति अपनाई है, जैसा कि नोट संख्या 54 में उल्लेखित किया गया है। कंपनी 10 मई 2024 तक प्राप्त बिना बिल किए गए खर्चों पर टी.डी.एस देयता का भुगतान करती है, लेकिन जिन बिलों को इस तिथि तक प्राप्त नहीं किया गया है, उनके लिए अनुमानित आधार पर प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, टी.डी.एस अगले वित्तीय वर्ष में मान्यता प्राप्त किया जाएगा।

3. कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक का उपयुक्त गठन नहीं है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में निर्धारित है।

4. कंपनी के पास लेखा समिति का उचित गठन नहीं है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि इसके पास नियुक्त सभी निदेशकों में से स्वतंत्र निदेशकों की बहुमत नहीं है।

5. कंपनी ने इस वर्ष पहली बार इंड. ए.एस 116 'पट्टे', इंड. ए.एस 32 और इंड एएस 109 'वित्तीय उपकरण: वर्गीकरण, स्वीकृति और माप' को अपनाया है। इसके अनुसार 'राइट-ऑफ-यूज़ एसेट' और संबंधित 'पट्टे देयता' के रूप में 3,201.86 लाख रुपये की राशि सभी पट्टे समझौतों के लिए बनाई गई है, सिवाय उन पट्टों के जो बारह महीने या उससे कम की अवधि वाले हैं (अल्पावधि पट्टे)। अल्पावधि पट्टे के लिए, कंपनी पट्टे भुगतान को संचालन खर्च (किराया) के रूप में लाभ और हानि खाते में मान्यता देती है। सुरक्षा जमा की बकाया राशि को 73.64 लाख रुपये पर छूट दी गई हैं।

   इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लाभ पर कुल प्रभाव 171.51 लाख रुपये का है, जो नोट 28(क) में दर्शाया गया है।

हमारी राय इन मामलों के संदर्भ में बिना किसी संशोधन के है।

मुख्य लेखा परीक्षा संबंधी मामले

मुख्य लेखा परीक्षा संबंधी वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को हमने वित्तीय विवरणों के समग्र लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया, और इस पर अपनी राय बनाने में इन्हें ध्यान में रखा, और हम इन मामलों पर एक अलग राय नहीं प्रदान करते हैं। योग्य राय और मामले पर जोर देने के आधार पर वर्णित मामले के अतिरिक्त, हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले मुख्य लेखा परीक्षा संबंधी मामले मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र.सं.	मुख्य लेखा परीक्षा संबंधी मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	**इंड एएस-115 के अनुपालन में विफलता के संबंध में "एजेंसी शुल्क" के तहत आय के लिए स्थगित जी.एस.टी देयता निपटान :** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ 04.07.2016 की तिथि के समझौते और 17.11.2020 की ओ.एम. में एजेंसी आय की बुकिंग के लिए कोई परिभाषित अनुसूची नहीं है, साथ ही निगम द्वारा राजस्व की पहचान के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण ए.एस 115 के अनुसार राजस्व की बुकिंग में देरी होती है और जी.एस.टी अधिनियम, 2017 की धारा 13(5) के अनुसार जी.एस.टी देयता का निर्वहन करने में भी देरी होती है।	हमने इस मामले पर शासन के जिम्मेदार व्यक्तियों से चर्चा की और इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ हुई पत्राचार की समीक्षा की। निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजेंसी शुल्क की लेखांकन प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है, जिसका उद्देश्य किसी भी वैधानिक अनुपालन में विफलता को रोकना है।
2.	**टेंडर शुल्क और इन्फ्राकॉन सदस्यता शुल्क प्राप्ति के संबंध में जीएसटी चालानों का आपूर्ति समय:** कंपनी बोलीदाता से टेंडर शुल्क और इन्फ्राकॉन पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में शुल्क प्राप्त करती है। जब हम जी.एल-11800240 [सुलह के लिए लंबित प्राप्त राशि] और जीएल-11800241 [सुलह के लिए लंबित प्राप्त राशि (इन्फ्राकॉन)] की समीक्षा कर रहे थे, तो हमने यह समझा कि टेंडर शुल्क और पंजीकरण शुल्क से संबंधित सभी प्राप्तियां इस खाता में जमा की जाती हैं। इन जी.एल को आय बुक करने के समय डेबिट किया जाता है और साथ ही कंपनी चालान जारी करती है। यह देखा गया है कि चालान जारी करने में देरी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप सीजीएसटी अधिनियम/नियमों की धाराओं और/या नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिससे कंपनी पर ब्याज देनदारी उत्पन्न हो सकती है।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टेंडर शुल्क और पंजीकरण शुल्क की लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित कानूनी अनुपालन में कमी से बचाव करना है।
3.	**प्रारंभिक शेष राशियों का पुनर्वर्गीकरण:** प्रारंभिक शेष राशियों का पुनर्वर्गीकरण लेखा परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसका वित्तीय विवरणों की तुलनीयता, सटीकता और सम्पूर्णता पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष से प्रारंभिक शेष राशियों में किए गए पुनर्वर्गीकरण को खाता नोट्स में सही तरीके से प्रकट किया गया है। (क्षे.का. लद्दाख और क्षे.का. कोहिमा द्वारा रिपोर्ट किया गया)	हमारी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं: • लेखा नीतियों में किए गए परिवर्तनों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रारंभिक शेष राशियों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये संबंधित लेखा मानकों के अनुरूप हैं। • प्रारंभिक शेष राशियों में पुनर्वर्गीकरण से संबंधित लेन-देन का विस्तृत परीक्षा और विश्लेषण करना, उनके सटीकता, सम्पूर्णता और उचित वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। • कंपनी की "जारी रहने की क्षमता" का मूल्यांकन और प्रारंभिक शेष राशियों के मूल्यांकन पर इसके प्रभाव का आकलन।

क्र.सं.	मुख्य लेखा परीक्षा संबंधी मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
4.	**पूर्ण की गई परियोजनाओं का भारत सरकार को हस्तांतरण** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 जुलाई 2019 के अपने पत्र के माध्यम से यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जो रा.रा.अ.वि.नि. लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखे जा रहे हैं, भारत सरकार की संपत्तियाँ मानी जाएँगी और पूरा किए गए परियोजनाओं को भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए बाद में तय की जाने वाली कार्यविधि के अनुसार संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाएगा, और स्थानांतरित संपत्तियाँ वित्त मंत्रालय के संपत्ति रजिस्टर में अंकित की जाएँगी। रा. रा.अ.वि.नि. लिमिटेड ने 2023-24 के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 8 जुलाई 2019 के पत्र में सुझाई गई कार्यविधि को ध्यान में रखा गया है। (क्षे.का. शिलांग, क्षे.का. इंफाल और क्षे.का. अगरतला द्वारा रिपोर्ट किया गया)	हमने इस मामले पर शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ चर्चा की है और इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ हुई नवीनतम पत्राचार की समीक्षा की है। क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग के तहत, किसी भी परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।
5.	**परियोजना और अन्य प्राप्य** 31 मार्च, 2024 तक, अन्य वर्तमान संपत्तियों में प्रतिष्ठान या परियोजना ठेकेदारों/अन्य से वसूली के संबंध में कोई वसूली नहीं है। प्रबंधन जब ऐसे वसूली/अग्रिम पर कोई हानि का लेखा-जोखा करने का निर्णय लेता है, तो वह महत्वपूर्ण निर्णय क्षमता का प्रयोग करता है। (क्षे.का. शिलांग, क्षे.का. इंफाल और क्षे.का. अगरतला द्वारा रिपोर्ट किया गया)	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं: प्रबंधन से पूछताछ ताकि शासन की समझ और आकलन किया जा सके तथा प्रमुख शेष राशियों का अनुसरण/ निगरानी की जा सके; विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ और व्यापार क्षेत्र से पूछताछ; चयनित पक्षों के साथ दस्तावेज़ और पत्राचार की समीक्षा और शेष राशियों के न निपटने के कारणों के बारे में प्रबंधन से पूछताछ। हम प्रबंधन के दृष्टिकोण से सहमत हैं कि पुस्तकों में बकाया राशियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है।

क्र.सं.	मुख्य लेखा परीक्षा संबंधी मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
6.	**चालू मुकदमों से संबंधित आकस्मिक देनदारियाँ :** क. 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी (क्षे.का.-शिलांग) के पास वित्तीय विवरण के नोट 20 में दिखाई गई प्रावधान है। हमें सूचित किया गया है कि 31.03.2024 तक कोई आकस्मिक देनदारियाँ नहीं हैं। मेघालय उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय में परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सात मुकदमें लंबित हैं। कंपनी (क्षे.का.-शिलांग) के खिलाफ परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दावे, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों से प्राप्त/समायोज्य हैं, उन्हें आकस्मिक देनदारियाँ नहीं माना जाता है। (क्षे.का. शिलांग द्वारा रिपोर्ट किया गया) ख. 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई मुक्त विधिक मामले और अन्य आकस्मिक देनदारियाँ नहीं हैं। वर्तमान विधिक या निर्माणात्मक दायित्व की उपस्थिति का मूल्यांकन, संबंधित भुगतान की संभावना का विश्लेषण और एक विश्वसनीय अनुमान का विश्लेषण, प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है ताकि उचित लेखांकन या प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके। प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की पहचान, मूल्यांकन और प्रस्तुति से संबंधित निर्णय के स्तर के कारण, इसे मुख्य लेखा परीक्षा संबंधी मामला माना जाता है। (क्षे.का. इंफाल और क्षे.का. अगरतला द्वारा रिपोर्ट किया गया) ग. 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संलग्न वित्तीय विवरणों में चालू विधिक मामलों के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है। (क्षे.का. गुवाहाटी द्वारा रिपोर्ट किया गया)	हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए मुकदमे मामलों का सारांश पढ़ा और संबंधित विभागों के साथ चर्चा की। हमने प्रावधानों के निर्धारण के संबंध में नियंत्रणों के डिज़ाइन का मूल्यांकन किया और उनके संचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने यह निर्धारित किया कि नियंत्रणों का संचालन हमें प्रावधानों की पूर्णता, सटीकता और मूल्यांकन पर साक्ष्य प्रदान करता है। हमने मौलिक प्रक्रियाएं कीं, जिनमें कर प्राधिकरणों के साथ पत्राचार की जांच करना और कंपनी द्वारा तैयार किए गए खुले कर आकलनों पर रिपोर्टों की जांच करना शामिल है, साथ ही अन्य उचित दस्तावेजों की भी जांच की जो कंपनी द्वारा किए गए निर्णयों और निष्कर्षों को समझने के लिए आवश्यक माने गए। हमने उन अन्य लेखा परीक्षको की रिपोर्टों पर भी विचार किया जिन्होंने शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया है। हमने प्रबंधन के प्रावधान निर्धारण के स्तर पर किए गए निर्णय को उचित माना। हमने इन नोट्स में की गई प्रकटीकरणों की भी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, जिसे हमने उचित माना। (जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38.1(बी) (बी) में उल्लेख किया गया है)।

अन्य मामले

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल 13 शाखाओं (क्षेत्रीय कार्यालयों) के वित्तीय विवरणों/सूचना का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2024 तक कुल संपत्तियों का मूल्य 40,060.82 लाख रुपये (अंतर-क्षेत्रीय लेन-देन के निरस्तीकरण से पहले) और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 9,814.28 लाख रुपये है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना का लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है और हमारे अभिप्राय के अनुसार, इन शाखाओं से संबंधित राशि और प्रकटीकरणों के बारे में हमारी राय केवल उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में मंडलकी रिपोर्ट, जिसमें मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, और कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं हैं। हमारे वित्तीय विवरणों पर अभिप्राय अन्य जानकारी पर लागू नहीं होता है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन प्रदान नहीं करेंगे।

हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, या अन्यथा यह महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों में से अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष करते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हालांकि, इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासक संस्थाओं की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) ("अधिनियम") के तहत उन मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित हैं, ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही और उचित चित्र प्रस्तुत किया जा सके। यह चित्र भारत में प्रचलित सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानक और कंपनियों (लेखापरीक्षा) नियमावली 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखा मानक भी शामिल हैं।

यह जिम्मेदारी इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि अधिनियम की धाराओं के तहत कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखा रिकार्ड बनाए जाएं और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम के लिए उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं उनका अनुप्रयोग किया जाए। साथ ही, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने, अनुमान लगाने तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव किया जाए, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए सही और उचित चित्र सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से कार्य करें। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि लेखा रिकार्ड पूर्ण और सही हों, ताकि धोखाधड़ी या गलती के कारण कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण न हो।

इसके अतिरिक्त, प्रबंधन कंपनी के संचालन की निरंतरता के संदर्भ में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, निरंतरता से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने और निरंतरता के आधार पर लेखा सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या संचालन को बंद करने का इरादा न रखता हो या उसके पास ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए (स्टैंडर्ड ऑडिटिंग) के अनुसार किए गए लेखा परीक्षा में हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाया जाएगा, यदि वह मौजूद हो। एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, पेशेवर निर्णय लिया जाता है और लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखा जाता है। गलत विवरण धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि वे व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ता इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं।

एसए (स्टैंडर्ड ऑडिटिंग) के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या गलती के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण का जोखिम पहचानते हैं और मूल्यांकित करते हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन करते हैं और ऐसे पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम गलती से होने वाले गलत विवरण के मुकाबले अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में संलिप्तता, जालसाजी, जानबूझकर छूट, गलत प्रस्तुतियां या आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार किया जा सकता है।

- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और उन नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता कैसी है।

- लेखा नीतियों के उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमान और संबंधित प्रकटीकरणों की उचितता का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा निरंतरता के आधार पर लेखा सिद्धांतों के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष प्राप्त करते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण के आधार पर यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, जो कंपनी की निरंतरता की संभावना पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहेंगे, और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हम अपनी राय में संशोधन करेंगे। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित होते हैं जो हमारे लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त किए गए होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को निरंतरता के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं बना सकती हैं।

- वित्तीय विवरणों की कुल प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, और यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण उस अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं, जो एक निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करने में सहायक हो।

हम शासक संस्थाओं के साथ संवाद करते हैं, जिसमें अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा के निर्धारित दायरे और समयसीमा, महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष, और हम जो महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण की कमियों का पता लगाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। हम शासक संस्थाओं को यह भी सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनसे सभी रिश्तों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक - क" में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू होता है, एक विवरण प्रदान करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, हम "अनुलग्नक - ख" में भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और संबंधित मामलों पर आधारित एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) के तहत अनुलग्नक ए और बी में दी गई हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त

और क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उपरोक्त आधार पर योग्य राय एवं महत्वपूर्ण विषय अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों/प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमें हमारे द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं।

ख. उपरोक्त आधार पर योग्य राय एवं महत्वपूर्ण विषय अनुच्छेद में उल्लेखित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारे विचार में, कानून द्वारा आवश्यक सभी लेखा पुस्तकें सही तरीके से रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा की गई पुस्तकों की परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है।

ग. उपरोक्त आधार पर योग्य राय अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों के संदर्भ में, हमारे विचार में, इन मामलों का कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

घ. कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों (यानी शाखा कार्यालयों) के लेखों पर, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के तहत शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए हैं, रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी हैं और इन्हें इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उचित तरीके से निपटाया गया है।

ङ. उपरोक्त आधार पर योग्य राय एवं महत्वपूर्ण विषय अनुच्छेद में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, इस रिपोर्ट में उल्लिखित वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

च. उपरोक्त आधार पर योग्य राय अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, जैसा कि संशोधित हैं, के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

छ. चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के तहत निदेशकों से लिखित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आवश्यकता मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जी.एस.आर-463(ई) के तहत लागू नहीं है।

झ. खाता रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में, जो योग्य राय के आधार पर ऊपर वर्णित हैं, वही स्थिति है।

ञ. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उन नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावशीलता के संदर्भ में, कृपया हमारी अलग से रिपोर्ट "अनुलग्नक-ग " में देखें।

ट. मंत्रालय द्वारा 5 जून 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 197 के तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते।

ठ. कंपनी (ऑडिट और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारे विचार में और हमारी जानकारी के अनुसार, तथा जो स्पष्टीकरण हमें प्रदान किए गए हैं:

i) कंपनी ने लंबित मुकदमों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है, जो उसकी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सकते हैं;

ii) कंपनी के पास कोई भी लंबी अवधि के अनुबंध, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, नहीं थे, जिनमें कोई महत्वपूर्ण संभावित हानि हो;

iii) कंपनी को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, ऐसी राशि के हस्तांतरित में देरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

iv) क) प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था भी शामिल है, को (चाहे उधारी के रूप में हो, शेयर प्रीमियम से हो या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) कोई राशि उधार, उधारी या निवेश (चाहे वह लिखित समझौते के तहत हो या अन्यथा) नहीं दी है, इस समझ के साथ कि वह मध्यस्थ किसी भी प्रकार से (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करेंगे जिन्हें किसी भी रूप में कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया है ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोई वस्तु प्रदान करेंगे;

ख) प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था से (जिसमें विदेशी संस्था भी शामिल है) कोई राशि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ कि कंपनी (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करेगी जिन्हें किसी भी रूप में कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया है ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी प्रकार की कोई वस्तु प्रदान करेगी;

ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जो परिस्थितियों के अनुसार उचित और सटीक मानी गईं, हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है जिसने हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया हो कि उपधारा (i) और (ii) के तहत प्रबंधन की उक्त प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v) क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू होता है।

ख) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों की मंजूरी के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू होता है।

vi) कंपनी अपने लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एसएपी सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती है और वर्षभर सभी लेन-देन के लिए ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की विशेषताएँ प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारा यह मानना है कि प्रबंधन ने एस.ए.पी में बनाए गए ऑडिट ट्रेल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है और रिकॉर्ड संग्रहण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार इसे सुरक्षित रूप से संरक्षित किया है।

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

सनदी लेखाकार (सीए) कनिष्का अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 544129
यूडीआईएन: 24544129बीकेएबीएलयू2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - क

(स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक मामलों पर रिपोर्ट' खंड में पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के संदर्भ में:

क. (1) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पूरा विवरण, मात्रात्मक आंकड़े और स्थान सहित सटीक रिकॉर्ड बनाए हैं। हालांकि, संपत्तियों की पहचान को सक्षम बनाने के लिए संपत्ति टैगिंग कोड का रिकॉर्ड ठीक से अद्यतन नहीं किया गया है।

(2) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों (जिनमें सॉफ़्टवेयर और वेबसाइट शामिल हैं) का सही तरीके से रिकॉर्ड रखा है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं।

ख. जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सभी मदों की सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम है, जिसे कंपनी के आकार और उसकी संपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम उचित मानते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की भौतिक सत्यापन की गई और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग. वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सभी अविनाशी संपत्तियां (उन संपत्तियों को छोड़कर, जिनमें कंपनी पट्टेदार है और जिनके पट्टा अनुबंध पट्टेदार के पक्ष में वैधानिक रूप से निष्पादित किए गए हैं) के शीर्षक प्रमाण पत्र कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय निम्नलिखित के:

संपत्ति का विवरण	सकल मूल्य (लाख रु. में)	कंपनी के नाम पर धारण की गई	क्या यह प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम पर है	धारण अवधि - सीमा का उल्लेख करें, क्या यह उचित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जिसमें उपयोग अधिकार संपत्तियाँ शामिल हैं) और अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3 (i) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ङ. जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान या 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ बिनामी संपत्ति रखने के लिए बिनामी लेन-देन (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (संशोधित 2016) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही कोई लंबित है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3 (i) (ङ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ii. क. कंपनी का राजस्व मॉडल भारतीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो मुख्यतः प्रदान की गई सेवाओं के बदले एजेंसी शुल्क प्राप्त करती है। अत: कंपनी वर्ष के दौरान कोई भौतिक सामग्री सूची (इन्वेंट्री) नहीं रखती है। इस प्रकार, आदेश के अनुच्छेद 3(ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी भी समय बैंक या वित्तीय संस्थानों से चालू संपत्तियों के आधार पर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

iii. वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या अन्य किसी पक्ष को किसी भी प्रकार का निवेश, गारंटी, सुरक्षा या ऋण/अग्रिम (सुरक्षित या असुरक्षित) प्रदान नहीं किया है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iv. हमारे विचार में और हमें जो जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर कंपनी ने कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है, जो ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसा कि आदेश के अनुच्छेद 3(iv) में निर्दिष्ट किया गया है।

v. कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी (जमा स्वीकार करने) नियम 2016 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान जो जनता से जमा स्वीकार करने के संदर्भ में हैं, वे कंपनी पर लागू नहीं होते।

vi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पादों/सेवाओं के संबंध में लागत रिकॉर्ड रखने का कोई निर्देश नहीं जारी किया है। इस प्रकार, आदेश के अनुच्छेद 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

vii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वैधानिक देयताओं के संदर्भ में:

क. कंपनी सामान्यतः उचित प्राधिकृत अधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक देनदारियों, जैसे वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), आयकर, उपकर और अन्य लागू वैधानिक देनदारियों का समय पर भुगतान करती है। हालांकि, वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी) के भुगतान में कुछ मामलों में विलंब हुआ है। ऊपर उल्लिखित योग्य राय पैराग्राफ और लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मामले पर जोर दिए जाने के बावजूद, 31 मार्च, 2024 तक कोई राशि छह महीने से अधिक समय तक देय नहीं रही है।

ख. कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के संबंध में कोई विवादित देनदारियाँ लंबित नहीं हैं, सिवाय इसके कि वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी) की निम्नलिखित राशि विवादित है:

नामक कानून	देनदारियों का प्रकार	मांग की गई राशि (लाखों में)	आकलन वर्ष	मंच	टिप्पणियाँ
सी.जी.एस.टी/ एस.जी.एस.टी अधिनियम, 2017	धारा 73 के तहत मांग	489.47	2018-19	अपीलीय प्राधिकरण	कंपनी ने कर की मांग का 10% 23.31 लाख रु. का भुगतान करने के बाद अपील दाखिल की।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा परीक्षा किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (43 के 1961) के तहत कर मूल्यांकन में कोई पूर्व में रिकॉर्ड नहीं की गई आय नहीं सौंपी गई या आय के रूप में घोषित नहीं की गई है। अतः अनुच्छेद 3(viii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

ix. क. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण/ उधारी नहीं ली है और वर्ष की शुरुआत/समाप्ति पर कोई लंबित ऋण और ब्याज नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे द्वारा परीक्षा किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कोई जानबूझकर दिवालियापन घोषित नहीं किया गया है। अतः अनुच्छेद 3(ix)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निर्धारित ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई लंबित निर्धारित ऋण नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

घ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र परीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान कोई धनराशि अल्पकालिक आधार पर एकत्र नहीं की गई। अतः अनुच्छेद 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

ङ. कंपनी ने किसी भी संस्था या व्यक्ति से अपने सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है।

च. हमारे द्वारा रिकॉर्ड की परीक्षा और दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई सुरक्षा के खिलाफ कोई ऋण नहीं लिया। अतः अनुच्छेद 3(ix)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

x. क. कंपनी ने वर्ष के दौरान आईपीओ / एफपीओ (जिसमें ऋण उपकरण शामिल हैं) द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, अतः अनुच्छेद 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

ख. हमारे द्वारा परीक्षा किए गए रिकॉर्ड और दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्राथमिक आवंटन या निजी स्थानांतरण (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का आवंटन नहीं किया है।

xi. क. हमारे विचार में और हमें जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार और हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है।

ख. कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्रीय सरकार के पास फार्म ए.डी.टी-4 में दाखिल नहीं की गई है।

ग. जैसे कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की परीक्षा के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः अनुच्छेद 3(xi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

xii. हमारे विचार में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, अतः आदेश के अनुच्छेद 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की परीक्षा के आधार पर, हमारे विचार में सभी संबंधित पार्टी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुरूप हैं और वित्तीय विवरणों में इन्हें उचित रूप से प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों में आवश्यक है।

xiv. क. हमारे विचार में और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उसके अनुसार कंपनी में आंतरिक लेखा प्रणाली कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रावधानों के अनुसार समुचित है;

ख. हमने लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमारे विचार में और दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई बिना नकद लेन-देन नहीं किया है।

xvi. हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड की परीक्षा और दी गई जानकारी के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी न तो कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या हाउसिंग वित्तीय गतिविधियाँ कर रही है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो, न ही कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित है। अतः अनुच्छेद 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

xvii. हमारी लेखा पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं की है।

xviii. वर्ष के दौरान कानूनी लेखापरीक्षकों का इस्तीफा नहीं हुआ है। अतः अनुच्छेद 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xix. हमारी लेखा पुस्तकों की परीक्षा, वित्तीय अनुपातों, वित्तीय संपत्तियों के संपत्ति निर्धारण और वित्तीय दायित्वों के भुगतान और अन्य जानकारी के आधार पर, जो वित्तीय विवरणों के साथ उपलब्ध है, कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन योजनाओं का समर्थन करने वाली साक्ष्य सहित, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो यह बताता हो कि लेखा रिपोर्ट की तारीख पर कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो यह साबित करे कि कंपनी अपनी देनदारियों को पूरा नहीं कर पाएगी, जो तुलन शीट की तारीख से एक साल के भीतर देय हो सकती हैं। हम यह कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्यवाणी से संबंधित कोई आश्वासन नहीं है। हम और यह कहते हैं कि हमारी टिप्पणी लेखा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है

और हम किसी भी तरह का आश्वासन या गारंटी नहीं देते कि बैलेंस शीट की तारीख से एक साल के भीतर कंपनी द्वारा सभी देनदारियाँ चुकाई जाएंगी।

xx. हमारी लेखा पुस्तकों की परीक्षा के आधार पर, हम मानते हैं कि कंपनी के पास कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 135 के उपधारा (5) और (6) के तहत दूसरे उपबंध का पालन करने के लिए स्थानांतरित किया जाए। इसलिए अनुच्छेद 3(xx) लागू नहीं होता।

xxi. जैसा कि सूचित किया गया है, कंपनी एक स्वतंत्र कंपनी है और कोई समेकित वित्तीय विवरण नहीं तैयार करती। अतः यह आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

सनदी लेखाकार (सी.ए) कनिष्का अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 544129
यूडी.आ.एन: 24544129बीकेएबीएलयू2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ख

(हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के पैराग्राफ 2 में संदर्भित, इसी तिथि की रिपोर्ट में शामिल)

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों / उप-दिशानिर्देशों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लेखा पुस्तकों की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों / उप-दिशानिर्देशों पर आधारित है:

क्र.सं.	दिशानिर्देश/उप-दिशानिर्देश	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया, दिशानिर्देशों पर किए गए कार्यों के संबंध में	एकल वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास सभी लेखा लेन-देन को आई.टी प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया करने के लिए एक सुसंगत व्यवस्था है? यदि हाँ, तो लेखा लेन-देन को आई.टी प्रणाली के बाहर प्रक्रिया करने के कारण लेखों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों और यदि कोई वित्तीय परिणाम हो, तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाए।	कंपनी के पास सभी लेखा लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। कोई भी लेन-देन आईटी प्रणाली के बाहर प्रोसेस नहीं किया जाता, जो वित्तीय विवरणों की अखंडता को प्रभावित कर सके। कंपनी ने 28 नवम्बर 2019 से एक ईआरपी प्रणाली (एस.एपी) लागू की है। यह प्रणाली (एस.ए.पी) काफी हद तक स्थिर हो चुकी है, हालांकि व्यवसायिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली को पूरी तरह से स्थिर करने के लिए अभी भी प्रयास जारी हैं।	शून्य
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कर्जदाता ने कंपनी के ऋण/ब्याज आदि को माफ या लिखित रूप से क्षमा किया है? यदि हाँ, तो कृपया इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	चूंकि कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थाओं से कोई वित्तीय सुविधा प्राप्त नहीं की है, इसलिए ऋणों/ब्याज/कर्जों के माफ किए जाने/लिखित रूप से माफ करने/पुनर्गठन के कोई मामले नहीं हैं।	लागू नहीं
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि को उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से दर्ज किया गया और उपयोग किया गया? यदि कोई विचलन हुआ है, तो उनके मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को विभिन्न केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधियाँ विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार सही तरीके से लेखा-बद्ध की गईं और उपयोग की गईं। केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधियाँ जो परियोजनाओं के निष्पादन और संबंधित संपत्तियों एवं दायित्वों के लिए थीं, उन्हें वित्तीय विवरणों में नोट 19 के तहत अलग से दर्शाया गया है।	शून्य

क्र.सं.	दिशानिर्देश/उप-दिशानिर्देश	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया, दिशानिर्देशों पर किए गए कार्यों के संबंध में	एकल वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
4	कंपनी (ऑडिट और लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11(जी) के तहत 2023-24 से प्रभावी लेखा सॉफ़्टवेयर/ऑडिट ट्रेल मुद्दों पर रिपोर्ट, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) की लागू होने की स्थिति में, एक ही मुद्दे पर 2023-24 से संबंधित रिपोर्ट।	हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ़्टवेयर (एस. एपी) का उपयोग किया है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ हैं: • ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग सुविधा) को रिकॉर्ड करने की क्षमता, • वर्षभर में सभी लेन-देन के लिए ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा का सॉफ़्टवेयर में पूरी तरह से उपयोग किया गया है, • ऑडिट ट्रेल फीचर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, और • कंपनी ने ऑडिट ट्रेल को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप रिकॉर्ड संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा है।	शून्य

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

सनदी लेखाकार (सीए) कनिष्का अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 544129
यू.डी.आई.एन: 24544129बीकेएबीएलयू2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

(हमारे सम तारीख के प्रतिवेदन के ' अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाएं' खंड के अंतर्गत पैरा 3 (ज) में संदर्भित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा खंड 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार **राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड** (कम्पनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो कम्पनी व्यवसाय का व्यवस्थित और दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे और इनमें कम्पनी की संबंधित नीतियों का पालन करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी और गलतियों का निवारण करना और पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में मत व्यक्त करना है। हमनें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अन्तर्गत विहित लेखांकन संबंधी मानदण्ड, वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी टिप्पण) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पण तथा जिस सीमा तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पण में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और इसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी तात्विक दृष्टियों से प्रभावी रूप से काम किया।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, किसी प्रमुख कमजोरी के मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पना और प्रचालनगत प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित पद्धतियां लेखा परीक्षकों के निर्णय, जिनमें वित्तीय विवरणों की प्रमुख गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण हो, के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में अपनी लेखा परीक्षा मत के लिए आधार बनाने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि यह सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाहरी उद्देश्यों के लिए किया जा सके। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियों और प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है:

क. कंपनी की संपत्तियों के लेन-देन और उनके वितरण को उचित विवरण के साथ सही और निष्पक्ष रूप से दर्ज करने वाले रिकॉर्ड्स को बनाए रखने से संबंधित हैं;

ख. यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आश्वासन प्रदान किया जाता है कि लेन-देन उस प्रकार से दर्ज किए जाते हैं, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए उपयुक्त होते हैं, और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों की स्वीकृति के अनुसार किए जाते हैं;

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आश्वासन प्रदान किया जाता है कि कंपनी की संपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या वितरण समय पर रोका जाए या पहचाना जाए, जिससे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन द्वारा उन्हें नकारने की संभावना भी शामिल है, त्रुटियों या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलतियाँ हो सकती हैं, जिन्हें पहचान नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन में यह जोखिम होता है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण ये नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान किए गए परीक्षणों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावशीलता में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियाँ पाई गईं:

क) कंपनी को क़ानूनी देनदारियों के समय पर मिलान, भुगतान और सही कटौती के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। (यह भी आर.ओ- आइजोल शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई)

ख) कंपनी ने परियोजना विक्रेताओं, विविध लेनदारों, विविध देनदारों, जमा और अन्य संबंधित पक्षों से पुनः मिलान और शेष राशि की पुष्टि का अनुरोध किया था, लेकिन केवल कुछ पुष्टि प्राप्त हुईं। (यह भी आर.ओ- आइजोल शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई)

ग) रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के तहत स्व-चालान जारी करने के लिए उचित प्राधिकरण स्तरों पर कदमों की कमी है। इससे संचालन संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म चालान जारी करना शुरू किया है।

घ) कंपनी का अपना अधिकारी वर्ग नहीं है, और स्वीकृत पदों को केंद्रीय और राज्य सरकारों/पी.एस.यू.एस/स्वायत्त निकायों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भरा जाता है। इससे कार्यक्षमता की उपयुक्तता और निरंतरता की कमी के कारण जोखिम हो सकता है, और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित नहीं हो सकता है।

ङ) कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य में सुधार की आवश्यकता है, जिसमें दायरे का विस्तार और विस्तृत रिपोर्टिंग हो, ताकि यह कंपनी के आकार और संचालन की प्रकृति के अनुरूप हो सके। (यह भी आर.ओ- आइजोल शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई)

च) एन.एच.आई.डी.सी.एल के आर.ओ- आइजोल में व्यापार संचालन के पैमाने को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की वर्तमान तैनाती अपर्याप्त है। (यह भी आर.ओ- आइजोल शाखा लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई)

हमारी राय है कि उपरोक्त कमजोरियों के प्रभाव के अलावा, जो नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर हो सकते हैं, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, और यह 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी। यह राय कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर दी

गई है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के अनुरूप है।

हमने उपरोक्त पहचानी गई कमजोरियों को कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लागू किए गए परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने में विचार किया, और ये कमजोरियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करतीं।

अन्य विषय

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल 13 शाखाओं (क्षेत्रीय कार्यालयों) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया। इन शाखाओं की वित्तीय जानकारी में 31 मार्च, 2024 तक कुल संपत्ति 40,060.82 लाख रुपये और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 9,814.28 लाख रुपये है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में देखा गया। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्राप्त हुई हैं, और इस पर हमारी राय केवल शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

सनदी लेखाकार (सी.ए) कनिष्का अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 544129
यू.डी.आ.ईएन: 24544129बी.के.ए.बी.एल.यू2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

संदर्भ में,
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (अवसंरचना)
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
तीसरी मंजिल, ए विंग, इन्द्रप्रस्थ भवन
आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के खातों का लेखा परीक्षण 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किया है, जो भारतीय महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों/उपनिर्देशों के अनुरूप संपन्न किया गया। हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने सभी निर्देशों/उपनिर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया है जो हमें प्राप्त हुए थे।

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

सनदी लेखाकार (सी.ए) कनिष्का अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 544129
यूडीआईएन: 24544129बी.के.ए.बी.एल.यू2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी, जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा परीक्षक का कार्य अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा परीक्षण कर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है, जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप किया जाता है। यह कार्य उन्हें 09 जुलाई, 2024 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है।

मैं, भारत के महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में, **राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रकों तक पहुंच नहीं थी और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ करने, साथ ही कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित था।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, मुझे कोई महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात नहीं हुआ है, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत पूरा करने का कारण बने।

भारत के महालेखा परीक्षक की ओर से

विनीता मिश्रा

महानिदेशक, लेखा परीक्षा (अवसंरचना)

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 अगस्त, 2024

10. दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तक की तुलन पत्र

(लाख रु. में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्ति			
अवधि से जुड़ी परिसंपत्ति			
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	**3,247.44**	952.52
पूंजीगत कार्य प्रगति में	3	**2,287.79**	848.46
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति (गुडविल को छोड़कर)	4	**33.36**	45.93
वित्तीय परिसंपत्ति			
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	5	**279.24**	306.44
अस्थायी कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	6	**367.80**	52.23
अन्य अवधि से जुड़ी परिसंपत्ति	7	**27,618.01**	15,717.59
कुल अवधि से जुड़ी परिसंपत्ति		**33,833.64**	17,923.17
वर्तमान परिसंपत्ति			
वित्तीय परिसंपत्ति			
विक्रय देनदारियाँ	8	**13,974.35**	6,706.61
नगद और नगद समकक्ष	9	**53,497.88**	63,752.52
नगद और नगद समकक्ष को छोड़कर बैंक शेष	10	**11,909.00**	10,535.70
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	11	**249.00**	433.76
वर्तमान कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	20	**1,847.55**	-
अन्य वर्तमान परिसंपत्ति	12	**672.25**	704.42
कुल वर्तमान परिसंपत्ति		**82,150.03**	82,133.01
कुल परिसंपत्ति		**1,15,983.67**	1,00,056.18
इक्विटी और देनदारियाँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	13	**10,300.00**	10,300.00
अन्य इक्विटी	14	**61,229.52**	49,809.63
कुल इक्विटी		**71,529.52**	60,109.63
देनदारियाँ			
दीर्घकालिक देनदारियाँ			
वित्तीय देनदारियाँ			
पट्टा देनदारियाँ	15	**1,838.21**	-
कुल दीर्घकालिक देनदारियाँ		**1,838.21**	-

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्तमान देनदारियाँ			
वित्तीय देनदारियाँ			
पट्टा देनदारियाँ	16	**733.50**	-
व्यापार देनदारियाँ	17		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की शेष देनदारियाँ		**325.10**	401.06
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य कर्जदारों की शेष देनदारियाँ		**1,090.38**	1,794.66
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	18	**2,389.11**	1,393.57
अन्य वर्तमान देनदारियाँ	19	**38,077.85**	32,272.82
वर्तमान कर देनदारियाँ (शुद्ध)	20	**-**	4,084.44
कुल वर्तमान देनदारियाँ		**42,615.94**	39,946.55
कुल पूंजी और देनदारियाँ		**1,15,983.67**	1,00,056.18
सामग्री लेखा नीतियाँ	1		

संलग्न नोट्स 1 से 66 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

यह वह बैलेंस शीट है, जिसका संदर्भ हमारे समान तिथि की रिपोर्ट में दिया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

(मेघा जैन)
कंपनी सचिव
एम.नं. 49799

(अंशु मनीष खलखो)
निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी.आई.एन: 10052036

(कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन: 06502080

(कनिष्का अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
परिचालन से प्राप्त राजस्व	21	**45,793.05**	47,421.99
अन्य आय	22	**2,973.86**	2,632.65
कुल आय		**48,766.91**	50,054.64
व्यय			
निर्माण व्यय	23	**8,003.47**	2,983.72
कर्मचारी लाभ व्यय	24	**3,644.52**	3,797.66
वित्त लागत	25	**292.39**	42.30
मूल्यह्रास और अमूर्त व्यय	26	**1,102.61**	349.70
अन्य व्यय	27	**11,661.57**	12,403.41
कुल व्यय		**24,704.56**	19,576.79
कर पूर्व लाभ		**24,062.35**	30,477.85
कर व्यय	30		
वर्तमान कर			
वर्तमान वर्ष		**6,211.53**	8,017.86
स्थगित कर		**(315.57)**	(9.72)
कुल कर व्यय		**5,895.96**	8,008.14
वर्ष के लिए लाभ		**18,166.39**	22,469.71
अन्य समग्र आय / (व्यय)			
ऐसे मद जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		**-**	-
ऐसे मद जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जा सकते हैं		**-**	-
वर्ष के लिए कुल अन्य समग्र आय / (हानि)		**-**	-
वर्ष के लिए कुल समग्र आय		**18,166.39**	22,469.71
प्रति इक्विटी शेयर आय (10 रु. प्रत्येक अंकित मूल्य)	36		
मूलभूत (रु.)		**17.64**	21.82
घटित (रु.)		**17.64**	21.82

सामग्री लेखा नीतियाँ 1

यह वह लाभ-हानि विवरण है जिसका उल्लेख हमारी समान तिथि की रिपोर्ट में किया गया है।
संलग्न नोट्स 1 से 66 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन
(कनिष्का अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

(मेघा जैन)
कंपनी सचिव
एम.नं. 49799

(अंशु मनीष खलखो)
निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी.आई.एन: 10052036

(कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन: 06502080

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रु. में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल, 2023 को स्थिति	**10,300.00**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**
1 अप्रैल, 2023 को पुनः वर्णित शेष राशि	**10,300.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**
31 मार्च, 2024 को स्थिति	**10,300.00**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	कुल
1 अप्रैल, 2022 को स्थिति	10,300.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
1 अप्रैल, 2022 को पुनः वर्णित शेष राशि	10,300.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 को स्थिति	10,300.00

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रु. में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष		कुल
	संरक्षित उपार्जन	व्यवसाय प्रचार आरक्षित निधि	
1 अप्रैल, 2023 को	48,614.21	1,195.42	49,809.63
लेखा नीति में परिवर्तन या पिछले वर्षों की गलतियों के कारण परिवर्तन	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 को पुनर्निर्धारित शेष	48,614.21	1,195.42	49,809.63
वर्ष के लिए कुल समग्र आय	**18,166.39**	**-**	**18,166.39**
व्यवसाय प्रचार निधि में स्थानांतरण	**(2,032.37)**	**2,032.37**	**-**
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश भुगतान (नोट 14)	**(6,746.50)**	**-**	**(6,746.50)**
31 मार्च, 2024 को	**58,001.73**	**3,227.79**	**61,229.52**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (लाख रु. में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष		कुल
	संरक्षित उपार्जन	व्यवसाय प्रचार आरक्षित निधि	
1 अप्रैल, 2022 को	30,738.92		30,738.92
लेखा नीति में परिवर्तन या पिछले वर्षों की गलतियों के कारण परिवर्तन	-		-
1 अप्रैल, 2022 को पुनर्निर्धारित शेष	30,738.92		30,738.92
वर्ष के लिए कुल समग्र आय	22,469.71		22,469.71
व्यवसाय प्रचार निधि में स्थानांतरण	(1,195.42)	1,195.42	-
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश भुगतान (नोट 14)	(3,399.00)		(3,399.00)
31 मार्च, 2023 को	48,614.21	1,195.42	49,809.63

सामग्री लेखा नीतियाँ 1
संलग्न नोट्स 1 से 66 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

यह वह इक्विटी में बदलाव का विवरण है, जिसका उल्लेख हमारी समान तिथि की रिपोर्ट में किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

(मेघा जैन)
कंपनी सचिव
एम.नं. 49799

(अंशु मनीष खलखो)
निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी.आई.एन: 10052036

(कनिष्का अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 544129

(कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन: 06502080

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

वर्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(लाख रु. में)

	विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर से पहले लाभ		**24,062.35**		30,477.85
	समायोजन के लिए:				
	मूल्यह्रास और अमोर्टाइजेशन खर्च	**1,102.61**		349.70	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि/(लाभ)	**0.74**		(0.01)	
	संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान (निवल)	**-**		-	
	निवेश संबंधित नकदी प्रवाह के रूप में ब्याज आय	**(2,268.73)**		(1,646.90)	
	वित्तीय आय	**(6.90)**		-	
	पूर्व भुगतान का अमोर्टाइजेशन	**8.21**		-	
	पट्टा देनदारियों पर ब्याज	**263.29**		-	
			(900.78)		(1,297.21)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले संचालन लाभ		**23,161.57**		29,180.64
	समायोजन के लिए:				
	व्यापार देनदारियाँ	**(7,267.74)**		(5,514.55)	
	व्यापार देनदारियों का भुगतान	**(780.24)**		483.23	
	वित्तीय संपत्तियाँ	**(58.85)**		1,019.23	
	अन्य गैर-प्रचलित वित्तीय संपत्तियाँ	**27.23**		6.43	
	अन्य प्रचलित संपत्तियाँ	**23.96**		(141.93)	
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	**995.54**		813.97	
	अन्य प्रचलित देनदारियाँ	**5,805.03**		(2,04,261.90)	
	अन्य गैर-प्रचलित संपत्तियाँ	**(25.99)**		-	
			(1,281.06)		(2,07,595.52)
	संचालन से प्राप्त नकद प्रवाह		**21,880.51**		(1,78,414.88)
	आयकर का भुगतान		**(12,143.52)**		(5,618.56)
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद (प्राप्त)/ (उपयोग) - क		**9,736.99**		(1,84,033.44)
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अधिग्रहण के लिए भुगतान	**(12,078.57)**		(8,139.50)	
	पूंजीगत कार्य-प्रगति के लिए भुगतान	**(1,439.33)**		(803.87)	
	अमूर्त परिसंपत्ति की अधिग्रहण के लिए भुगतान	**(0.21)**		(28.77)	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय	**20.50**		-	
	स्थिर जमा में निवेश	**-**		-	
	ब्याज आय	**2,516.22**		1,256.44	
	नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष राशि में परिवर्तन	**(1,370.28)**		-	
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किए गए शुद्ध नकद - ख		**(12,351.67)**		(7,715.70)
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	लीज भुगतान	**(893.46)**			
	लाभांश का भुगतान	**(6,746.50)**		(3,399.00)	
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोग किए गए शुद्ध नकद - ग		**(7,639.96)**		(3,399.00)
	नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (घटाव) (क+ख+ग)		**(10,254.64)**		(1,95,148.14)
	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष		**63,752.52**		2,58,900.66
	नकद और नकद समकक्ष पर विनिमय दर परिवर्तनों का प्रभाव		**-**		-
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		**53,497.88**		63,752.52

नकद प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
उपरोक्त अनुसार नकद और नकद समकक्ष निम्नलिखित का समावेश करते हैं:		
बैंक में चालू खाता शेष राशि जिसमें फ्लेक्सी खाता शामिल है:		
सरकार भारत और अन्य परियोजनाओं के लिए रखे गए	**31,917.41**	21,706.40
निर्माण परियोजनाओं के लिए	**4,366.38**	7,566.88
अन्य	**17,214.09**	34,479.24
नकद प्रवाह विवरण के अनुसार शेष राशि	**53,497.88**	63,752.52

नोट्स:

(i) नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है, जैसा कि कंपनियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत इंड एएस-7 'नकद प्रवाह विवरण' में निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) भारत सरकार और अन्य से संबंधित परियोजना निधि और 31 मार्च, 2024 को उनकी बैंक शेष राशि 36,283.79 लाख रुपये (31 मार्च, 2023: 29,273.28 लाख रुपये) नकद प्रवाह विवरण में सम्मिलित की गई है।

(iii) सी.एस.आर गतिविधि पर व्यय की राशि के संदर्भ में कृपया नोट 46 देखें।

(v) वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए प्रारंभिक और समापन शेष राशियों के बीच मेल-जोल की जानकारी:

(लाख रु. में)

विवरण	पट्टा देनदारियाँ
1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभिक शेष राशि	-
वर्ष के दौरान नकद प्रवाह	**(893.46)**
गैर-नकद परिवर्तनों के कारण:	
अधिग्रहण	**3,201.86**
पट्टा देनदारियों पर छूट की पुनः गणना	**263.29**
31 मार्च, 2024 को समापन शेष राशि	**2,571.69**

सामग्री लेखा नीतियाँ 1

संलग्न नोट्स 1 से 66 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

यह वह नकद प्रवाह विवरण है, जिसका संदर्भ हमारी समान तिथि की रिपोर्ट में दिया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

(कनिष्का अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

(मेघा जैन)
कंपनी सचिव
एम.नं. 49799

(अंशु मनीष खलखो)
निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी.आई.एन: 10052036

(कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन: 06502080

नोट 1. कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क. रिपोर्टिंग इकाई

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) एक भारतीय कंपनी है, जो शेयरों द्वारा सीमित है (सी. आई.एन: U45400DL2014GOI269062)। यह कंपनी 18 जुलाई, 2014 को स्थापित की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पीटीआई भवन, तीसरी मंजिल, 4, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 में स्थित है। कंपनी का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों, रणनीतिक सड़कों, मार्गों, एक्सप्रेसवे और अन्य अवसंरचनाओं के प्रोत्साहन, विकास और निर्माण में है, जिसे वह अकेले या अन्य कंपनियों के साथ मिलकर करती है। कंपनी मुख्य रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है, जिनके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है, और इसके बदले कंपनी को निर्धारित दरों पर एजेंसी शुल्क प्राप्त होता है।

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण "जारी किए जाने की स्थिति" में तैयार किए गए हैं और भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हैं, जैसा कि कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है और कंपनियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में किए गए संशोधनों के साथ तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत। ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

यह वित्तीय विवरण 9 जुलाई, 2024 को निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

2. मापने का आधार

यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय और अन्य परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के, जिन्हें उचित मूल्य पर मापने की प्रक्रिया अपनाई गई है, जैसा कि संबंधित लेखांकन नीतियों में बताया गया है। उचित मूल्य मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर वित्तीय विवरणों में विस्तार से टिप्पणी दी गई है।

ऐतिहासिक लागत वह राशि है जो परिसंपत्ति को अधिग्रहित करते समय नकद या नकद समकक्ष के रूप में भुगतान की जाती है, या दी गई विचारधारा का मूल्य, अथवा वह राशि जो देनदारियों को सामान्य व्यापार प्रक्रिया में निपटाने के लिए भुगतान की जाने की अपेक्षा की जाती है। उचित मूल्य वह मूल्य है, जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने या किसी देनदारी को स्थानांतरित करने के लिए बाजार प्रतिभागियों के बीच सामान्य लेन-देन में माप तिथि पर प्राप्त किया जाएगा।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

यह वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रु.) में तैयार किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। सभी वित्तीय जानकारी भारतीय रुपये (रु.) में प्रस्तुत की गई है, जिसे सबसे निकटतम लाख (दो दशमलव तक) तक गोल किया गया है, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

4. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने बैलेंस शीट में वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है।

जब कोई परिसंपत्ति निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में आती है, तो उसे वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- इसे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में वास्तविक होने की उम्मीद होती है या इसे बेचा या खपत किया जाने का इरादा होता है;

- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;
- इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीने के भीतर वास्तविक होने की उम्मीद होती है; या
- यह नकद या नकद समकक्ष होता है, जब तक इसे कम से कम रिपोर्टिंग तिथि के बारह महीने बाद देनदारी को निपटाने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।

सभी अन्य परिसंपत्तियां गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

जब कोई देनदारी निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में आती है, तो उसे वर्तमान देनदारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- इसे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद होती है;
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;
- इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीने के भीतर निपटाने की उम्मीद होती है; या
- देनदारी के निपटान को बारह महीने के बाद बिना शर्त स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं होता। यदि किसी देनदारी की शर्तें ऐसी हैं कि काउंटरपार्टी के विकल्प से इसे शेयरों के जारी करने के द्वारा निपटाया जा सकता है, तो इसका वर्गीकरण प्रभावित नहीं होता।

सभी अन्य देनदारियां गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

स्थगित कर परिसंपत्तियां/देनदारियां गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

परिसंपत्तियां और देनदारियां 12 महीने की अवधि को सामान्य संचालन चक्र मानते हुए वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

5. भारत सरकार और अन्य की ओर से कंपनी द्वारा रखे गए निधि के लेखांकन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार और अन्य से प्राप्त निधि और पूर्ण/प्रवाहित परियोजनाओं पर संबंधित खर्चों को घटाकर वर्तमान देनदारी के रूप में लेखा किया जाता है। इन निधि का उपयोग 12 महीनों से कम अवधि में किए जाने की उम्मीद होती है और इसी कारण से भारत सरकार और अन्य से प्राप्त निधि (नेट) को वित्तीय विवरणों में 'वर्तमान देनदारी - अन्य वर्तमान देनदारी' के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

6. एक संस्था में निवेश, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए निधि से वित्तपोषित होते हैं, उन्हें वित्तीय विवरणों में 'भारत सरकार के लिए और उसकी ओर से आयोजित निवेश' के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश निम्नलिखित में दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए गए सभी अवधियों में निरंतर रूप से लागू किया गया है।

कंपनी ने 'भारतीय लेखांकन मानक 101 - भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अपनाना' के तहत विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक 16 'परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण' और भारतीय लेखांकन मानक 38 'अमूर्त परिसंपत्तियां' के प्रावधानों को पीछे की ओर लागू नहीं किया गया है और संक्रमण की तिथि अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व जीएएपी के तहत प्राप्य लागत के रूप में रखे गए मान को भारतीय लेखांकन मानकों के तहत निर्धारित मूल्य के रूप में जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

1. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1.1 स्वीकृति

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके अर्जन मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है। इस मूल्य में क्रय मूल्य, यदि पूंजीकरण के मानदंड पूरे होते हैं, तो उधारी लागत, और परिसंपत्ति को उसके उद्देश्य के लिए कार्यात्मक स्थिति में लाने हेतु सीधे संबंधित लागतें शामिल होती हैं। किसी भी व्यापारिक छूट, रिबेट्स तथा जी.एस.टी का इनपुट टैक्स क्रेडिट को अर्जन लागत की गणना करते समय घटाया जाता है।

1.2 मन्यता रद्द करना

जब परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का कोई घटक या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग, जिसे पहले पहचाना गया था, उसे त्याग दिया जाता है या जब इसके उपयोग या त्याग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की संभावना नहीं रहती, तब उसे निष्कासित कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के निष्कासन से उत्पन्न होने वाली कोई भी हानि या लाभ (जो परिसंपत्ति के शुद्ध निपटान प्राप्ति और उसकी बहीखाता मूल्य के बीच अंतर के रूप में परिकलित की जाती है) को लाभ और हानि विवरण में उसी समय शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति निष्कासित की जाती है।

1.3 मूल्यह्रास/अमोर्टाइजेशन

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से लिया जाता है, चाहे वह परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर हो, जैसा कि प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित किया गया हो, या कंपनियों के अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर लागू दरों के अनुरूप हो। निम्नलिखित उपयोगी जीवन को लागू किया जाता है:

परिसंपत्ति श्रेणियाँ	अनुमानित उपयोगी जीवन
कंप्यूटर और डेटा प्रसंस्करण इकाइयाँ	3 वर्ष
नेटवर्क उपकरण	6 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
विद्युत इंस्टॉलेशंस और उपकरण	10 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष

अधिकार-प्राप्त भूमि और भवनों का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से उनके संबंधित पट्टे अनुबंधों की पट्टा अवधि के दौरान पूर्ण रूप से किया जाता है।

वे परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी व्यक्तिगत लागत 10,000 रु. तक होती है, उन्हें अर्जन के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के न्यूनतम मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां आवश्यक हो, भविष्य में समायोजन किया जाता है।

2. अमूर्त परिसंपत्ति

2.1 मान्यता

अमूर्त परिसंपत्ति प्रारंभ में उनकी अर्जन लागत पर मापी जाती हैं। इस लागत में क्रय मूल्य, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे होते हैं, तो उधारी लागत और परिसंपत्ति को उसके प्रयोजन के लिए कार्यात्मक स्थिति में लाने के लिए सीधे संबंधित लागत शामिल होती है। किसी भी व्यापारिक छूट, जीएसटी एवं अन्य कर क्रेडिट और रिबेट्स को क्रय मूल्य की गणना करते समय घटा दिया जाता है।

2.2 मान्यता रद्द करना

अमूर्त परिसंपत्ति का कोई घटक या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग, जिसे पहले पहचाना गया था, उसे त्याग दिया जाता है या जब इसके उपयोग या त्याग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं रहती, तब उसे निष्कासित कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के निष्कासन से उत्पन्न होने वाली कोई भी हानि या लाभ को लाभ और हानि विवरण में तब शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति निष्कासित की जाती है।

2.3 मूल्यह्रास

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पहचानी गई सॉफ़्टवेयर की लागत को सीधी रेखा पद्धति से उसकी वैध उपयोग अवधि या 5 वर्षों में से जो भी कम हो, उस अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्ति सीधी रेखा पद्धति से उनकी वैध उपयोग अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवनकाल में से जो भी कम हो, उस अवधि में मूल्यह्रासित की जाती हैं।

अमूर्त परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास अवधि और मूल्यह्रास विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती

है और जहां आवश्यक हो, भविष्य में समायोजन किया जाता है।

3. पूंजीगत कार्य-प्रगति

उन परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण की लागत, जो रिपोर्टिंग तिथि तक उनके प्रयोजन के लिए तैयार नहीं हैं, पूंजीगत कार्य-प्रगति के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है।

स्वयं निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम की लागत, अन्य कोई लागत जो परिसंपत्ति को उसकी स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे संबंधित हो, ताकि वह प्रबंधन द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करने के योग्य हो, और योग्य परिसंपत्ति के अर्जन या निर्माण से संबंधित उधारी लागत शामिल होती है।.

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण में सीधे संबंधित खर्चों की पहचान की जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों की लागत पर व्यवस्थित रूप से आवंटित की जाती है।

जमा कार्य/लागत प्लस अनुबंधों को ठेकेदारों से प्राप्त खाता विवरण के आधार पर अभिलेखित किया जाता है।

अनुबंधों में मूल्य भिन्नता के लिए निपटान न किए गए दायित्वों को अनुबंधों की शर्तों के अनुसार अनुमानित आधार पर अभिलेखित किया जाता है।

4. सूची

सूचियाँ लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर मूल्यांकन की जाती हैं। लागत में क्रय लागत, रूपांतरण लागत और उन अन्य लागतों को शामिल किया जाता है जो सूची को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च होती हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत पद्धति से किया जाता है। खरीदी गई सूची की लागत, रिबेट्स, व्यापारिक छूट और अन्य समान वस्तुओं को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य वह अनुमानित विक्रय मूल्य होता है जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में होता है, जिसमें पूरा करने की अनुमानित लागत और विक्रय के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटा दिया जाता है।

पुरानी, अप्रचलित, अनुपयोगी और गतिहीन वस्तुओं की मूल्यह्रास की समीक्षा की जाती है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

5. नकद और नकद समकक्ष

संतुलन पत्र में नकद और नकद समकक्ष में बैंक में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल अवधि वाले संक्षिप्तकालीन जमा शामिल होते हैं, जो आसानी से ज्ञात नकद राशि में परिवर्तनीय होते हैं और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

6. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे प्राप्त किए जाएंगे और कंपनी अनुदान से संबंधित शर्तों का पालन करेगी। जो अनुदान कंपनी को मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की लागत के लिए प्रदान किए जाते हैं, उन्हें लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित रूप से उस अवधि के दौरान आय के रूप में मान्यता दी जाती है और जिस अनुपात में मूल्यह्रास शुल्क लिया जाता है, उसी अनुपात में वितरित किया जाता है। जो अनुदान कंपनी को खर्चों के लिए प्रदान किए जाते हैं, उन्हें उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित खर्चे किए जाते हैं और इसे संबंधित खर्चों से घटा दिया जाता है।

7. प्रावधान, संदिग्ध देनदारियाँ और संदिग्ध परिसंपत्ति

प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान कानूनी या निर्माणात्मक दायित्व होता है जिसे विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है और यह संभावना होती है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह आवश्यक होगा। यदि धन की समयमूल्यता का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधानों का निर्धारण अपेक्षित भविष्य नकद प्रवाहों को प्री-टैक्स दर पर छूट देकर किया जाता है, जो धन की समयमूल्यता और दायित्व से संबंधित जोखिमों के लिए वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि वह सर्वोत्तम अनुमान होती है जो रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए होती है, जिसमें दायित्व से संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है।

जब प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ तीसरे पक्ष से प्राप्त होने की उम्मीद होती है, तो प्राप्ति को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रावधान से संबंधित खर्च लाभ और हानि विवरण में शुद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, यदि कोई प्रतिपूर्ति है।

संदिग्ध देनदारियाँ संभावित दायित्व होती हैं जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनकी उपस्थिति केवल एक या एक से अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि होगी, जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होतीं। जब यह संभावना नहीं होती कि आर्थिक लाभ का बहिर्वाह आवश्यक होगा या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं किया जा सकता है, तो दायित्व को संदिग्ध देनदारी के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। संदिग्ध देनदारियाँ प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर घोषित की जाती हैं। इनका प्रत्येक संतुलन पत्र तिथि पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन के अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। सरकारी योजनाओं और अन्य संस्थाओं के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं से संबंधित संदिग्ध देनदारियाँ संदिग्ध देनदारियाँ नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इनका परिणाम भारत सरकार और अन्य द्वारा प्रदान किए गए धन से निपटाया जाएगा।

संदिग्ध परिसंपत्ति संभावित परिसंपत्ति होती हैं जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनकी उपस्थिति केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि होगी, जो कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होतीं। संदिग्ध परिसंपत्ति तब वित्तीय विवरणों में घोषित की जाती हैं जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित हो, प्रबंधन के निर्णय के आधार पर। इनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से दर्शाया जाए।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्राओं में होने वाली लेन-देन की प्रारंभिक रिकॉर्डिंग उस दिन के कार्यात्मक मुद्रा के स्पॉट विनिमय दरों पर की जाती है जब लेन-देन को पहली बार मान्यता प्राप्त होती है।

रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्राओं में व्यक्त मौद्रिक परिसंपत्ति और देनदारियाँ कार्यात्मक मुद्रा की स्पॉट विनिमय दरों पर अनुवादित की जाती हैं। मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जब वह उत्पन्न होता है।

जो गैर-मौद्रिक वस्तुएं विदेशी मुद्रा में व्यक्त होती हैं और जिनका मूल्य ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापा जाता है, उन्हें लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। यदि अग्रिम में विदेशी मुद्रा में विचार-विमर्श प्राप्त या भुगतान किया गया है, तो संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या उसका कोई हिस्सा) के प्रारंभिक मान्यता के लिए उपयोग की जाने वाली विनिमय दर निर्धारित करने के उद्देश्य से लेन-देन की तारीख वह होगी जब कंपनी अग्रिम विचार-विमर्श की प्राप्ति या भुगतान से उत्पन्न होने वाली गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देनदारी को पहली बार मान्यता देती है।

विदेशी संचालन

विदेशी संचालन के लिए सभी परिसंपत्ति और देनदारियाँ रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके भारतीय रुपये (रु.) में अनुवादित की जाती हैं और उनका लाभ और हानि विवरण लेन-देन की तारीख/रिपोर्टिंग अवधि के औसत दर पर अनुवादित किया जाता है। विनिमय अंतर को अन्य समग्र आय में आरोपित या क्रेडिट किया जाता है और इसे विदेशी मुद्रा अनुवाद आरक्षित में इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

कंपनी केवल नेपाली रुपया में विदेशी मुद्रा लेन-देन करती है। इसका विनिमय दर 1 के मुकाबले 1.60 नेपाली रुपये पर स्थिर और निर्धारित है।

9. राजस्व मान्यता

राजस्व उस लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है जिसे प्रदर्शन दायित्व को सौंपा गया होता है और यह तीसरे पक्ष के लिए एकत्र किए गए धन को बाहर कर दिया जाता है तथा परिवर्तनीय विचार-विमर्श के लिए समायोजित किया जाता है। लेन-देन मूल्य में किसी भी बाद में होने वाले बदलाव को तब प्रदर्शन दायित्वों में उसी आधार पर आवंटित किया जाता है जैसे कि अनुबंध की शुरुआत पर किया गया था। कंपनी उस परिवर्तनीय विचार-विमर्श के लिए राजस्व मान्यता करती है जब यह संभावना होती है कि संचित राजस्व में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। कंपनी परिवर्तनीय विचार-विमर्श पर राजस्व की मान्यता का अनुमान "सबसे संभावित राशि विधि" का उपयोग करके करती है। परिणामस्वरूप, संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित राशि को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है या राजस्व में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है, जब लेन-देन मूल्य में परिवर्तन होता है। अनुबंध संशोधन तब किए जाते हैं जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में जोड़े गए, हटाए गए या किए गए परिवर्तन को स्वीकृति मिलती है।

जब कोई अन्य पार्टी ग्राहक को निर्दिष्ट सेवाएँ प्रदान करने में शामिल होती है, तो संस्था यह निर्धारित करेगी कि क्या उसकी वचनबद्धता एक प्रदर्शन दायित्व है, जो अन्य पार्टी द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं को प्रदान कराने की है। एक संस्था यह निर्धारित करती है कि वह ग्राहक को दी गई प्रत्येक निर्दिष्ट सेवा के लिए प्रधान है या एजेंट। यदि ग्राहक के साथ अनुबंध में एक से अधिक निर्दिष्ट सेवाएँ हैं, तो एक संस्था कुछ निर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्रधान हो सकती है और अन्य के लिए एजेंट हो सकती है।

कंपनी, भारत सरकार या राज्य सरकारों के एजेंट के रूप में कार्य करती है, और वह राजस्व को उस शुल्क या कमीशन की राशि के रूप में मान्यता देती है, जो उसे एजेंसी या परामर्श सेवाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले अपेक्षित होती है। यह सेवाएँ अन्य पार्टी द्वारा प्रदान की जाती हैं। किसी संस्था का शुल्क या कमीशन वह निवल राशि हो सकता है, जो अन्य पार्टी को निर्दिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए भुगतान करने के बाद बची हुई राशि के रूप में प्राप्त होती है।

कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है और समय के साथ राजस्व की मान्यता करती है, यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड पूरा होता है:

- ग्राहक एक साथ प्राप्त करता है और संस्थान द्वारा किए गए प्रदर्शन से प्राप्त लाभों का उपभोग करता है जैसे-जैसे संस्थान प्रदर्शन करता है;
- संस्था का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति (उदाहरण के लिए, कार्य में प्रगति) उत्पन्न करता है या उसे बढ़ाता है, जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है जैसे ही परिसंपत्ति उत्पन्न या बढ़ाई जाती है;
- संस्था का प्रदर्शन एक ऐसी परिसंपत्ति उत्पन्न नहीं करता है जिसका अन्य उपयोग संस्था के लिए किया जा सकता है और संस्था को उस समय तक किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का कानूनी अधिकार होता है;
- कंपनी कार्य की प्रगति को इनपुट विधि का उपयोग करके मापती है, जहाँ परिणाम का अनुमान विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है, और प्रदर्शन दायित्व समय के साथ पूरा होता है। इनपुट विधि के तहत, अनुबंध का राजस्व उस समय के आधार पर मान्यता प्राप्त होता है जब रिपोर्टिंग तिथि तक लागत का अनुपात वास्तविक लागत की तुलना में जो अनुबंध दायित्व के लिए अनुमानित कुल लागत से है।
- उन परियोजनाओं से कोई आय मान्य नहीं की जाती है जहाँ एजेंसी शुल्क/सलाहकार शुल्क की दरें ग्राहकों के

साथ अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई हैं।

कंपनी अपने मुख्य रूप से भारत सरकार से विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित दरों पर एजेंसी शुल्क से राजस्व प्राप्त करती है।

ई.पी.सी अनुबंधों के लिए, लेन-देन मूल्य वह मूल्य होता है जो ग्राहक के साथ सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया गया है। राजस्व समय के साथ मान्यता प्राप्त होता है क्योंकि इस प्रकार के अनुबंधों में ग्राहक संस्था के प्रदर्शन के दौरान लाभ प्राप्त करता है और उपयोग करता है।

अनुबंध में दी गई पुनःपूर्ति योग्य व्यय को 'व्यय' के रूप में चार्ज किया जाता है और इसकी पुनर्प्राप्ति 'राजस्व' के रूप में दर्ज की जाती है और इसे प्रत्यय आधारित तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है।

10. अन्य आय

बैंक में जमा, भूमि अर्जन के लिए दी गई अग्रिम राशि, ग्राहक की ओर से दी गई कोई भी अग्रिम राशि, और भारतीय सरकार की ओर से की गई निवेशों पर मिलने वाले लाभांश और अन्य आय, ये सभी प्राप्ति के समय भारतीय सरकार को भुगतान किए जाते हैं (भारत सरकार के समेकित कोष में जमा किए जाते हैं) और इन्हें कंपनी की आय के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है। ऐसी प्राप्तियाँ परियोजना निधियों में अर्जन आधार पर दर्ज की जाती हैं।

कंपनी के अपने निधि मिलने वाली ब्याज आय आदि को अर्जन आधार पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अन्य आय की मदों को लाभ और हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है जब संबंधित वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को सौंपा जाता है।

टेंडर शुल्क को अर्जन आधार पर लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

11. रोजगार के बाद लाभ और अल्पावधि कर्मचारी लाभ

11.1 परिभाषित योगदान योजना

कंपनी सरकारी संगठनों से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करती है या सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अल्पावधि अनुबंध पर नियुक्त करती है या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से व्यक्तियों को नियुक्त करती है। कंपनी के कर्मचारी लाभ में कंपनी के साथ प्रतिनियुक्त कर्मचारियों और अनुबंधित कर्मचारियों को किए गए भुगतान और कंपनी का योगदान शामिल है, जो प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए निजी राशी, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, अवकाश वेतन, पेंशन योगदान, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में जाता है। ये लाभ तब चार्ज किए जाते हैं जब ये देय होते हैं और इन्हें लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है। कंपनी का कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। इसलिए, ग्रेच्युटी और अन्य टर्मिनल लाभों के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

11.2 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभों के लिए देयता, जब वे प्रतिनियुक्त या आउटसोर्स किए गए व्यक्तियों द्वारा कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में होते हैं, तो इन लाभों को बिना किसी छूट के व्यय के रूप में लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

12. पूर्व अवधि और अग्रिम खर्च/आय

पूर्व अवधि के खर्च/आय को इंड एएस 8 'लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ' के अनुसार दर्ज किया जाता है। हालांकि, वर्तमान वर्ष में पाई गई पूर्व अवधि से संबंधित त्रुटियाँ/अपेक्षाएँ, जिन्हें प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, उन्हें वर्तमान अवधि में प्राकृतिक खाता प्रमुख के तहत दर्ज किया जाता है।

50,000 रुपये या उससे कम के अग्रिम खर्चों को भुगतान के वर्ष में प्राकृतिक खाता प्रमुख के तहत दर्ज किया जाता है।

13. आयकर

आयकर खर्च में वर्तमान और स्थगित कर शामिल होते हैं। वर्तमान कर खर्च को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह उन मदों से संबंधित हो जो सीधे अन्य समग्र आय (ओ.सी.आई) या पूंजी में मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनकी स्थिति में इसे ओसीआई या पूंजी में दर्ज किया जाता है।

वर्तमान कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर अनुमानित कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू कर दरों के आधार पर गणना किया जाता है, और पिछले वर्षों में देय कर में कोई समायोजन।

स्थगित कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की निरंतर मूल्यांकन और कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर तुलन पत्र पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। स्थगित कर को उस कर दर पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतर के भरण के समय लागू होने की संभावना है, जो उस तारीख तक लागू या प्रभावी कानूनों पर आधारित है। स्थगित कर परिसंपत्ति और देनदारियों को तभी ऑफसेट किया जाता है जब एक कानूनी रूप से लागू अधिकार हो, जो वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ ऑफसेट करने की अनुमति देता है, और यह उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हो।

स्थगित कर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह उन मदों से संबंधित हो जो सीधे ओ.सी.आई या पूंजी में मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनकी स्थिति में इसे ओसीआई या पूंजी में दर्ज किया जाता है।

स्थगित कर देनदारी, सभी कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, सिवाय इसके कि जब स्थगित कर देनदारी गुडविल या एक परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उत्पन्न होती है, जो व्यापार संयोजन नहीं है और लेन-देन के समय यह न तो लेखांकन लाभ या हानि पर असर डालती है और न ही कर योग्य लाभ या हानि पर।

स्थगित कर परिसंपत्ति, सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, बशर्ते कि यह संभावित हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिनके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। स्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे घटा दिया जाता है, यदि यह अब संभव नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे ताकि स्थगित कर परिसंपत्तियों का सभी या कुछ हिस्सा उपयोग में लाया जा सके।

जब आयकर उपचार के बारे में अनिश्चितता होती है, तो कंपनी यह आकलन करती है कि क्या यह संभावना है कि कर प्राधिकरण किसी अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करेगा। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कर प्राधिकरण किसी अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार नहीं करेगा, तो कर योग्य आय, कर आधार और अप्रयुक्त कर हानि और अप्रयुक्त कर क्रेडिट पर अनिश्चितता का प्रभाव मान्यता प्राप्त किया जाता है। अनिश्चितता का प्रभाव उस पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो प्रत्येक मामले में अनिश्चितता के परिणाम को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है: सबसे संभावित परिणाम या अपेक्षित मूल्य। प्रत्येक मामले में, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर उपचार को अलग से या अन्य अनिश्चित कर उपचारों के साथ संयोजन में विचार किया जाए, यह उस दृष्टिकोण पर आधारित होता है जो अनिश्चितता के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त होता है।

14. पट्टे

14.1 पट्टेदार के रूप में

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या एक अनुबंध में पट्टे की शर्तें हैं, अनुबंध की शुरुआत में। एक अनुबंध पट्टे होता है, या उसमें पट्टे की शर्तें होती हैं, यदि वह अनुबंध किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को एक निश्चित समयावधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, और इसके बदले कुछ मुआवजा प्राप्त होता है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या एक अनुबंध किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि: (1) क्या अनुबंध में एक विशिष्ट परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है, (2) क्या कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से अधिकांश आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, और (3) क्या कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग का मार्गदर्शन करने का अधिकार है।

कंपनी सभी पट्टे व्यवस्थाओं के लिए एक उपयोगाधिकार परिसंपत्ति और एक संबंधित पट्टे देयता की पहचान करती है, जिसमें वह उपकिरायेदार होती है, सिवाय उन पट्टों के जो बारह महीने या उससे कम की अवधि के होते हैं (संक्षिप्त अवधि पट्टे) और उन पट्टों के जो कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के लिए होते हैं। इन संक्षिप्त अवधि की पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के लिए पट्टे भुगतान को कंपनी ऑपरेटिंग खर्च के रूप में समान रूप से पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में दर्ज करती है।

कुछ पट्टे व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प होता है। उपयोगाधिकार परिसंपत्ति और पट्टे देयताएँ इन विकल्पों को शामिल करती हैं जब यह अनुमानित होता है कि पट्टे को बढ़ाने का विकल्प प्रयोग में लाया जाएगा या पट्टे को समाप्त करने का विकल्प प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

उपयोगाधिकार परिसंपत्ति (भूमि और भवनों को छोड़कर) प्रारंभ में लागत पर पहचानी जाती हैं, जिसमें पट्टे देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, जो कि पट्टे की शुरुआत से पहले या उसके समय पर किए गए किसी भी पट्टे भुगतान और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष खर्च को समायोजित करती है, साथ ही किसी भी पट्टे प्रोत्साहन को घटाती है। इसके बाद इन्हें लागत से संचित अवमूल्यन/विभाजन और क्षति हानियों को घटाकर मापित किया जाता है और पट्टे देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर समायोजित किया जाता है।

उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों का अवमूल्यन/विभाजन उस परिसंपत्ति की उपयोगिता के जीवन की समाप्ति तक किया जाता है, यदि पट्टे के अंत में परिसंपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित हो जाता है या यदि उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों की लागत यह दर्शाती है कि खरीद का विकल्प प्रयोग में लाया जाएगा। अन्यथा, उपयोगाधिकार परिसंपत्ति पट्टे की अवधि और परिसंपत्ति की उपयोगिता जीवन में से जो भी कम हो, उस पर समान रूप से अवमूल्यन/विभाजन किया जाता है।

उपयोगाधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके पुनर्प्राप्ति के लिए किया जाता है, जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि उनकी पुस्तकीय मूल्य पुनःप्राप्ति योग्य नहीं हो सकती। अवमूल्यन परीक्षण के उद्देश्य से पुनःप्राप्ति योग्य राशि (यानि, उच्चतम मूल्य जिसमें विक्रय खर्चों को घटाकर बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य) का निर्धारण प्रत्येक परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है, जब तक कि वह परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र रूप से नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती हो।

पट्टे देयता प्रारंभ में ब्याज लागत पर मापी जाती है, जो भविष्य के पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बराबर होती है। वर्तमान मूल्य की गणना करते समय पट्टे भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर या, यदि यह आसानी से निर्धारित न हो, तो वृद्धि ब्याज दर का उपयोग करके छूट दिया जाता है। पट्टे देयताओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित उपयोगाधिकार परिसंपत्ति में समायोजन किया जाता है यदि कंपनी अपनी यह मूल्यांकन बदलती है कि क्या वह पट्टे बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करेगी।

14.2 पट्टादाता के रूप में

व्यवस्था की शुरुआत में, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था पट्टे है या उसमें पट्टे की शर्तें शामिल हैं। एक विशिष्ट परिसंपत्ति पट्टे के अधीन होती है यदि उस व्यवस्था की पूर्ति उस विशिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग पर निर्भर करती है। एक व्यवस्था परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करती है यदि वह व्यवस्था ग्राहक को उस परिसंपत्ति के उपयोग पर नियंत्रण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। ऐसी व्यवस्थाएँ जो कानूनी रूप से पट्टे की नहीं होतीं, लेकिन ग्राहक/आपूर्तिकर्ता को परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देती हैं और इसके बदले भुगतान या भुगतानों की एक श्रृंखला प्राप्त होती है, उन्हें वित्तीय पट्टे या संचालन पट्टे के रूप में पहचाना जाता है।

15. असंख्य वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि (लेखन राशि) का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है, जब आंतरिक या बाहरी संकेतों के आधार पर इसके ह्रास का कोई संकेत मिलता है। यदि कैरिंग राशि पुनर्प्राप्ति योग्य राशि से अधिक

होती है, तो ह्रास की हानि स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट एंड लॉस में स्वीकार की जाती है। यदि पुनर्प्राप्ति योग्य राशि में कोई परिवर्तन होता है और ह्रास की हानि अब मौजूद नहीं होती या घट चुकी होती है, या जिस संकेत के आधार पर ह्रास की हानि स्वीकार की गई थी, वह अब समाप्त हो जाता है, तो ह्रास की हानि को उलट दिया जाता है।

16. खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग खंडों की रिपोर्टिंग उस तरीके से की जाती है, जो इंड ए.एस108 के तहत मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग से मेल खाती है। कंपनी भारत सरकार/राज्य सरकार की ओर से परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इस प्रकार, इंड एएस108 "ऑपरेटिंग खंड" के तहत रिपोर्टिंग के लिए कोई अलग खंड नहीं हैं।

17. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है, जब इन्हें शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा क्रमशः स्वीकृत किया जाता है।

18. प्रति शेयर लाभ

बेसिक प्रति शेयर लाभ, कंपनी के शेयरधारकों को श्रेणीबद्ध शुद्ध लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके गणना किया जाता है।

डायल्यूटेड प्रति शेयर लाभ, कंपनी के शेयरधारकों को श्रेणीबद्ध शुद्ध लाभ या हानि को बेसिक प्रति शेयर लाभ के लिए विचारित किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी डायल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके गणना किया जाता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए किसी भी बोनस शेयर के लिए सभी प्रस्तुत की गई अवधि के लिए इक्विटी शेयरों और संभावित डायल्यूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या को पुनः समायोजित किया जाता है।

बेसिक और डायल्यूटेड प्रति शेयर लाभ का भी आकलन किया जाता है, जिसमें शुद्ध लाभ या हानि शामिल होती है, लेकिन इसमें विनियामक डिफरल खाता संतुलनों में होने वाले शुद्ध परिवर्तनों को बाहर रखा जाता है।

19. नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह का विवरण इंड ए.एस7- 'नकद प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

20. वित्तीय लिखत

वित्तीय लिखत एक ऐसा अनुबंध है जो एक पक्ष के लिए वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरे पक्ष के लिए वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत उत्पन्न करता है। कंपनी केवल तभी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को मान्यता देती है जब यह उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का हिस्सा बनती है।

20.1 वित्तीय परिसंपत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताएँ तब मान्यता प्राप्त होती हैं, जब कंपनी वित्तीय उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का हिस्सा बनती है, और इन्हें प्रारंभ में न्यायिक मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें लेन-देन लागत को समायोजित किया जाता है, सिवाय प्राप्तियाँ के, जिन्हें लेन-देन मूल्य पर पहचान किया जाता है।

बात की माप

ऋण लिखतों का परिमापित लागत पर माप

'ऋण लिखत' (सामान्यत: सुरक्षा जमा, व्यापारिक और अन्य प्राप्तियाँ) को परिमापित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- यह परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के तहत रखी जाती है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकद प्रवाह एकत्र करना है; और

- परिसंपत्ति की अनुबंध शर्तें निश्चित तारीखों पर ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल प्रमुख राशि और ब्याज के भुगतान होते हैं।

  प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति प्रभावी ब्याज दर (ई.आ.ईआर विधि) का उपयोग करके परिमापित लागत पर मापी जाती हैं। परिमापित लागत, अर्जन पर कोई छूट या प्रीमियम और शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है, जो ई.आई.आर का अभिन्न हिस्सा हैं। ई.आई.आर का अमॉर्टाइजेशन स्टेटमेंट में मुनाफा और घाटा में वित्तीय आय के रूप में शामिल किया जाता है। ह्रास से उत्पन्न हानियाँ स्टेटमेंट ऑफ सहल मुनाफा और घाटा में मान्यता प्राप्त होती हैं। यह श्रेणी सामान्यत: व्यापारिक और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

  सभी अन्य ऋण उपकरणों को कंपनी के व्यापार मॉडल के आधार पर 'फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेन्सिव इनकम' (एफ.वी.ओ.सी.आई) या 'फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस' (एफवीटीपीएल) पर मापा जाता है।

  इक्विटी लिखत

  - **सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश**

    कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को लागत पर ह्रास (यदि कोई हो) के साथ मान्यता दी है।

  - **अन्य इक्विटी निवेश**

    अन्य इक्विटी निवेशों को फेयर वैल्यू पर मापा जाता है, और मूल्य परिवर्तनों को स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट एंड लॉस में स्वीकार किया जाता है, सिवाय उन इक्विटी निवेशों के लिए जिनके लिए कंपनी ने 'अन्य कॉम्प्रिहेन्सिव इनकम' में मूल्य परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का चुनाव किया है। हालांकि, ऐसे इक्विटी निवेशों पर लाभांश तब स्टेटेटमेंट ऑफ प्रोफिट एंड लॉस में स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अपमूल्यन

वित्तीय परिसंपत्ति को मुख्य रूप से तब अपमूल्यन किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है या कंपनी ने अपनी परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

इंड-ए.एस 109 के अनुसार, कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ई.सी.एल) मॉडल को लागू करती है। ई.सी.एल वह अंतर है जो कंपनी को अनुबंध के अनुसार सभी देय नकद प्रवाह और वह नकद प्रवाह जो कंपनी को प्राप्त होने की उम्मीद है, के बीच होता है। नकद प्रवाह का अनुमान करते समय, कंपनी निम्नलिखित बातों पर विचार करती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी अनुबंध शर्तें (पूर्व भुगतान और विस्तार सहित) परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान।
- बंधक या अन्य क्रेडिट संवर्धन की बिक्री से नकद प्रवाह, जो परिसंपत्ति से संबंधित हैं।

  i) व्यापारिक प्राप्तियाँ

  व्यवहारिक सुविधा के रूप में, कंपनी ने 'सरलीकृत दृष्टिकोण' अपनाया है, जिसमें व्यापारिक प्राप्तियों पर अपेक्षित हानि की पहचान के लिए प्रावधान मैट्रिक्स विधि का उपयोग किया जाता है। प्रावधान मैट्रिक्स व्यापारिक प्राप्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान देखे गए डिफॉल्ट दरों पर आधारित होता है, और इसे भविष्य की दृष्टि से समायोजित किया जाता है। ये औसत डिफॉल्ट दरें व्यापारिक प्राप्तियों पर कुल ऋण जोखिम जोखिम पर लागू होती हैं और रिपोर्टिंग तिथि को एक वर्ष से अधिक बकाया व्यापारिक प्राप्तियों पर जीवनकाल अपेक्षित क्रेडिट हानि निर्धारित करने के लिए लागू की जाती हैं। पिछले वर्षों में,

व्यापारिक प्राप्तियों में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ था।

ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिमों पर ह्रास की हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या प्रारंभिक पहचान के बाद से ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और यदि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, तो ह्रास की हानि दी जाती है।

20.2 वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देयताएँ प्रारंभिक पहचान के समय उचित रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं: "फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस" और "परिमापित लागत पर वित्तीय देयताएँ"। सभी वित्तीय देयताएँ प्रारंभ में न्यायिक मूल्य पर मापी जाती हैं और यदि बाद में इन्हें परिमापित लागत पर मापा जाता है, तो सीधे संबंधित लेन-देन लागत को घटाकर मापा जाता है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापारिक और अन्य देयताएँ, बैंक ओवरड्राफ्ट और वित्तीय गारंटी अनुबंध शामिल हैं।

बात की माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

i) परिमापित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देयताएँ प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर विधि) का उपयोग करके परिमापित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ और हानियाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट एंड लॉस में तब मान्यता प्राप्त होती हैं, जब देयताएँ अपमूल्यन की जाती हैं, और साथ ही ईआईआर अमॉर्टाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से भी। परिमापित लागत को अर्जन पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है, जो ईआईआर का अभिन्न हिस्सा होते हैं। ईआईआर का अमॉर्टाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट एंड लॉस में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी सामान्यतः व्यापारिक देयताओं और अन्य अनुबंधात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ii) मुनाफा और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आधारित वित्तीय देयताएँ

"मुनाफा और हानि के माध्यम से उचित मूल्य" पर आधारित वित्तीय दायित्व उन वित्तीय दायित्वों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें या तो व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो या जिन्हें प्रारंभिक मान्यता के समय "मुनाफा और हानि के माध्यम से उचित मूल्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय दायित्वों को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट भविष्य में पुनर्खरीदी के उद्देश्य से अधिगृहीत की जाती हैं। इस श्रेणी में वे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल होते हैं जिन्हें कंपनी ने इंड एएस 109 के अंतर्गत हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि, लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होती है। प्रारंभिक मान्यता पर "मुनाफा और हानि के माध्यम से उचित मूल्य" (एफवीटीपीएल) के रूप में डिज़ाइन किए गए वित्तीय दायित्वों को उसी समय नामित किया जाता है, जब इंड एएस 109 में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं। उन दायित्वों के लिए, जिन्हें "एफवीटीपीएल" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, स्वयं ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न लाभ/हानि को अन्य समग्र आय में मान्यता दी जाती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे लाभ/हानि को बाद में लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता। हालांकि, कंपनी व्यय के दौरान संचित लाभ या हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे

दायित्वों के मूल्य परिवर्तन में अन्य सभी परिवर्तन लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होते हैं। कंपनी ने किसी भी वित्तीय दायित्व को "मुनाफा और हानि के माध्यम से उचित मूल्य" पर डिज़ाइन नहीं किया है।

अपमूल्यन

एक वित्तीय देयता तब अपमूल्यन की जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समाप्ति हो जाती है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को समान उधारकर्ता से मौलिक रूप से विभिन्न शर्तों पर बदल दिया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को मौलिक रूप से संशोधित किया जाता है, तो ऐसी अदला-बदली या संशोधन को मूल देयता का अपमूल्यन और एक नई देयता की पहचान के रूप में माना जाता है। संबंधित परिमापित राशि में अंतर स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट एंड लॉस में मान्यता प्राप्त होता है।

20.3 ब्याज दर बेंचमार्क सुधार

जब एक वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता के अनुबंधित नकद प्रवाह का निर्धारण करने के आधार को ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के परिणामस्वरूप बदला जाता है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रभावी ब्याज दर को अद्यतन करती है, ताकि सुधार के अनुसार आवश्यक परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया जा सके। जब ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के कारण अनुबंधित नकद प्रवाह का निर्धारण करने के आधार में परिवर्तन आवश्यक होता है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

– परिवर्तन सुधार का प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए; और

– नकद प्रवाह के निर्धारण के लिए नया आधार पुराने आधार के समान आर्थिक रूप से समकक्ष होना चाहिए, यानी परिवर्तन से ठीक पहले का आधार।

जब वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता में केवल ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के कारण अनुबंधित नकद प्रवाह के निर्धारण के आधार में परिवर्तन किया गया था, तो कंपनी पहले वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रभावी ब्याज दर को अद्यतन करती है, ताकि सुधार द्वारा आवश्यक परिवर्तन प्रतिबिंबित हो सके, और स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट एंड लॉस में संशोधन से उत्पन्न लाभ या हानि को मान्यता नहीं देती है। उसके बाद, कंपनी अतिरिक्त परिवर्तनों के लिए लेखांकन नीति लागू करती है।

20.4 वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का आपस में समायोजन

वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताएँ आपस में समायोजित की जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है, यदि कोई वैध कानूनी अधिकार है जिसे वर्तमान में लागू किया जा सकता है और यदि शुद्ध आधार पर समाधान का उद्देश्य हो, यानी परिसंपत्तियों को वास्तविकता में लागू करना और देयताओं को एक साथ निपटाना।

21. बिक्री के लिए धारित की गई गैर-चालू परिसंपत्ति

गैर-चालू परिसंपत्ति और निपटान समूह को बिक्री के लिए रखा गया तब वर्गीकृत किया जाता है यदि इनकी लेखन मूल्य का पुनः प्राप्ति मुख्यतः बिक्री (निरंतर उपयोग के बजाय) के माध्यम से की जानी हो, और जब परिसंपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के साथ जो इस प्रकार की परिसंपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री के लिए सामान्य और परंपरागत मानी जाती हैं। इसके अलावा, बिक्री अत्यधिक संभावना वाली हो और यह अपेक्षित हो कि इसे वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

गैर-चालू परिसंपत्ति और निपटान समूह जिन्हें बिक्री के लिए रखा गया है, उन्हें उनकी लेखन मूल्य और बिक्री लागत घटित करने पर उनके न्यायसंगत मूल्य के न्यूनतम में मापा जाता है। न्यायसंगत मूल्य घटित करने में बिक्री लागत का निर्धारण प्रबंधन के अनुमान और धारणाओं का उपयोग करके किया जाता है।

घ. लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरूप तैयार किया जाता है, जिसके तहत प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और संभावित देयताओं के बैलेंस, और आय तथा खर्च की रिपोर्ट किए गए राशियों को प्रभावित करती हैं। ये अनुमान और धारणाएँ, जो इन वित्तीय विवरणों में उपयोग की जाती हैं, प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तिथि पर प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्यांकन पर आधारित होती हैं, जिन्हें प्रबंधन के अनुसार विवेकपूर्ण और उचित माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन उस अवधि से आगे मान्यता प्राप्त होता है, जब परिणाम ज्ञात होते हैं/साकार होते हैं, जैसा कि लागू इंड एएसके अनुसार होता है। नीचे दिए गए हैं वे अनुमान और धारणाएँ जो परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और खर्च की पहचान और माप पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित वे प्रमुख प्रबंधन निर्णय हैं जो कंपनी की लेखांकन नीतियों के लागू करने के दौरान वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

1. लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियाँ इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि वे वित्तीय विवरणों में उन लेन-देन, घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करें जिन पर ये लागू होती हैं। जब इन नीतियों का लागू करने का प्रभाव महत्वहीन होता है, तो इन्हें लागू नहीं किया जाता।

2. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता जीवन

प्रबंधन परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की शेष उपयोगिता जीवन और शेष मूल्य का मूल्यांकन करता है और मानता है कि निर्धारित उपयोगिता जीवन और शेष मूल्य उचित हैं।

3. आस्थागत कर परिसंपत्तियों की पहचान

आस्थागत कर परिसंपत्तियों को पहचानने की सीमा इस आधार पर होती है कि कंपनी के भविष्य के कर योग्य आय का आकलन किया जाता है, जिसके खिलाफ आस्थागत कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

4. परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के संकेतों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के संकेतों की लागूता का मूल्यांकन बाहरी और आंतरिक कारकों के आधार पर किया जाता है, जो परिसंपत्ति के पुनः प्राप्त योग्य मूल्य में गिरावट का कारण बन सकते हैं।

5. अग्रिम प्राप्तियाँ और बकाए की वसूली

मुख्य कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकारी निदेशक समय-समय पर अग्रिम प्राप्तियों और बकाए की वसूली का पुनरीक्षण करते हैं। यह पुनरीक्षण कम से कम एक वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाता है और इसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है, जो प्रतिपक्षियों की वित्तीय स्थिति, बाजार जानकारी और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित होता है।

6. प्रावधान और संभावित देयताएँ

प्रावधानों और संभावित देयताओं को पहचानने में किए गए मूल्यांकन इंड ए.एस37-'प्रावधान, संभावित देयताएँ और संभावित परिसंपत्ति' के अनुसार किए गए हैं। संभावित घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन को सबसे अच्छा निर्णय लेना होता है, जो संभावित नुकसान के प्रति जोखिम का आकलन करते हैं। अगर परिस्थितियाँ अप्रत्याशित विकास के कारण बदलती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

7. अनिश्चितता का अनुमान

परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और खर्च की पहचान और माप पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और धारणाओं के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

8. राजस्व की पहचान

जहाँ राजस्व अनुबंधों में विलंबित भुगतान शर्तें होती हैं, वहाँ प्रबंधन प्राप्त करने योग्य राशि का उचित मूल्य निर्धारित करता है, जो उस लेन-देन के दिन की स्थिति और समान क्रेडिट रेटिंग वाले समान उपकरणों पर लागू ब्याज दर के आधार पर किया जाता है।

9. कानूनी रूप में पट्टे नहीं होने वाले पट्टे

इंड ए.एस116 के अनुसार पट्टे लेखांकन नियमों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, यह निर्धारित करने में कि क्या कोई व्यवस्था पट्टे को शामिल करती है। कंपनी द्वारा की गई व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते समय, प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि संबंधित परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार, लेन-देन की वास्तविकता, कानूनी रूप से लागू समझौते और व्यवस्थाओं की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें और शर्तों का मूल्यांकन किया गया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह व्यवस्था इंड एएस116 के अनुसार मानदंडों को पूरा करती है।

10. निर्णीत हर्जाने

निर्णीत हर्जानों के लिए प्राप्तियों का अनुमान और रिकॉर्ड अनुबंध शर्तों के अनुसार किया जाता है; यह अनुमान ठेकेदार पर शुल्क के रूप में भिन्न हो सकता है।

11. आयकर

वर्तमान और डिफर्ड टैक्स के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान होते हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की अपेक्षित राशि शामिल है।

2. गैर-चालू परिसंपत्ति - परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रु. में)

विवरण	भूमि	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	फर्नीचर और सजावट	कार्यालय उपकरण	बिजली स्थापना और उपकरण	उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति (भवन)*	कुल
सकल ब्लॉक							
1 अप्रैल, 2022 को	-	573.56	503.85	374.98	114.64	-	1,567.03
जोड़	45.00	88.04	62.28	49.46	29.70	-	274.48
विलंब/समायोजन		(18.75)	0.60	(7.44)	(3.81)	-	(29.40)
31 मार्च, 2023 को	45.00	642.85	566.73	417.00	140.53	-	1,812.11
जोड़		**111.90**	**36.44**	**50.73**	**5.07**	**3,201.86**	**3,406.00**
विलंब/समायोजन		**(70.21)**	**(5.20)**	**(26.60)**	**(1.45)**	**-**	**(103.46)**
31 मार्च, 2024 को	**45.00**	**684.54**	**597.97**	**441.13**	**144.15**	**3,201.86**	**5,114.65**
मूल्यह्रास, क्षय और ह्रास							
1 अप्रैल, 2022 को	-	238.69	166.75	123.80	17.38	-	546.62
वर्ष के लिए	-	169.42	67.16	69.00	18.46	-	324.04
कटौती/समायोजन	-	(8.54)	0.05	(2.32)	(0.26)	-	(11.07)
31 मार्च, 2023 को	-	399.57	233.96	190.48	35.58	-	859.59
वर्ष के लिए	**-**	**144.85**	**57.93**	**72.27**	**14.51**	**800.37**	**1,089.93**
कटौती/समायोजन		**(57.93)**	**(4.29)**	**(18.96)**	**(1.13)**	**-**	**(82.31)**
31 मार्च, 2024 को	**-**	**486.49**	**287.60**	**243.79**	**48.96**	**800.37**	**1,867.21**
मूल्यांकन मूल्य							
31 मार्च, 2023 को	45.00	243.28	332.77	226.52	104.95	-	952.52
31 मार्च, 2024 को	**45.00**	**198.05**	**310.37**	**197.34**	**95.19**	**2,401.49**	**3,247.44**

2.1 परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की भौतिक सत्यापन वार्षिक आधार पर की जाती है। इस वर्ष भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण भिन्नताएँ नहीं पाई गईं।

2.2 कंपनी के नाम पर गुवाहाटी में 3 बीघा ज़मीन का म्युटेशन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा हो चुका है। इसके अलावा, ऐसी कोई अन्य ज़मीन या भवन नहीं है जिसके शीर्षक पत्र कंपनी के नाम पर न हों।

*विस्तृत प्रकटीकरण के लिए कृपया नोट संख्या 44 देखें।

3. गैर-चालू परिसंपत्ति - पूंजीगत कार्य-प्रगति

(लाख रु. में)

विवरण	भूमि	भवन	कुल
1 अप्रैल, 2022 को	45.00	44.59	89.59
वृद्धि		803.87	803.87
पूंजीकरण	(45.00)	-	(45.00)
31 मार्च, 2023 को	-	848.46	848.46
वृद्धि	**-**	**1,439.33**	**1,439.33**
पूंजीकरण	**-**	**-**	**-**
31 मार्च, 2024 को	**-**	**2,287.79**	**2,287.79**

3.1 पूंजी कार्य-प्रगति की आयु निर्धारण

(लाख रु. में)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में राशि अवधि अनुसार				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
प्रगति में परियोजनाएँ					
31 मार्च, 2024 तक	**1,439.33**	**803.87**	**-**	**44.59**	**2,287.79**
31 मार्च, 2023 तक	803.87	-	16.24	28.35	848.46
1 अप्रैल, 2022 तक	45.00	16.24	24.32	4.03	89.59

3.2 अप्राप्त पूंजी-कार्य प्रगति जिसकी समाप्ति अपनी मूल योजना के मुकाबले निर्धारित समय से विलंबित है, इसके पूंजी-कार्य प्रगति पूर्णता अनुसूची के अनुसार दी जा रही है:

(लाख रु. में)

विवरण	समाप्त होने की अपेक्षाएँ				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	
भवन					
31 मार्च, 2024 को	**2,287.79**	**-**	**-**	**-**	**2,287.79**
31 मार्च, 2023 को	848.46	-	-	-	848.46

4. गैर-चालू परिसंपत्ति - अन्य अमूर्त परिसंपत्ति

(लाख रु. में)

विवरण	कुल
ग्रॉस ब्लॉक	
1 अप्रैल, 2022 को	133.76
जोड़ा गया	43.86
हटाया/समायोजन	(31.46)
31 मार्च, 2023 को	146.16
जोड़ा गया	**0.21**
हटाया/समायोजन	**(1.38)**
31 मार्च, 2024 को	**144.99**
अमोर्टाइजेशन	
1 अप्रैल, 2022 को	90.95
वर्ष के दौरान	25.65
हटाया/समायोजन	(16.37)
31 मार्च, 2023 को	100.23
वर्ष के दौरान	**12.69**
हटाया/समायोजन	**(1.29)**
31 मार्च, 2024 को	**111.63**
नेट कैरींग वैल्यू	
1 अप्रैल, 2022 को	42.81
31 मार्च, 2023 को	45.93
31 मार्च, 2024 को	**33.36**

अन्य अमूर्त परिसंपत्ति मुख्य रूप से सॉफ़्टवेयर को शामिल करती हैं।

5. गैर-चालू परिसंपत्ति - अन्य अमूर्त परिसंपत्ति

(लाख रु.में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
असुरक्षित, अच्छी मानी गई, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया:		
सुरक्षा जमा*	**279.24**	306.44
कुल	**279.24**	306.44

संदर्भित करें नोट संख्या 35।

6. गैर-चालू परिसंपत्ति - स्थगित कर परिसंपत्ति (नेट)

(लाखों रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
स्थगित कर परिसंपत्ति (क)		
परिसंपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	**118.89**	52.23
प्रावधान	**248.58**	-
अन्य	**0.33**	-
स्थगित कर देयताएँ (ख)		
परिसंपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	**-**	-
अन्य	**-**	-
नेट स्थगित कर परिसंपत्ति (क-ख)	**367.80**	52.23

6.1 इंड एएस 12 - 'आयकर' के अनुसार खुलासे नोट संख्या 30 में प्रदान किए गए हैं।

6.2 कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर घाटे / अप्रयुक्त कर क्रेडिट जो आगे स्थानांतरित किए गए हैं – शून्य स्थगित कर संतुलनों में परिवर्तन

क. **31 मार्च, 2024 को**

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2023 को	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता	ओसीआई में मान्यता	31 मार्च, 2024 को
परिसंपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	**52.23**	**66.66**	**-**	**118.89**
प्रावधान	**-**	**248.58**	**-**	**248.58**
अन्य	**-**	**0.33**	**-**	**0.33**
कुल स्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएँ)	**52.23**	**315.57**	**-**	**367.80**

ख. **31 मार्च, 2023 को**

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2023 को	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता	ओसीआई में मान्यता	31 मार्च, 2024 को
परिसंपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	42.51	9.72	-	52.23
कुल स्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएँ)	42.51	9.72	-	52.23

7. अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
असुरक्षित, जो अच्छा माना जाता है, जब तक अन्यथा न कहा गया हो:		
पूंजी अग्रिम	**27,592.02**	15,717.59
*पूर्वभुगतान	**25.99**	-
कुल	**27,618.01**	15,717.59

7.1 पूंजी अग्रिम वह राशि है जो एनबीसीसी को दिल्ली के नौरोजी नगर में मुख्य कार्यालय भवन के अधिग्रहण के लिए दी गई है।

* संदर्भित करें नोट संख्या 35।

8. चालू वित्तीय परिसंपत्ति - व्यापार प्राप्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ		
जो अच्छे माने गए हैं (अस्वीकृत)	**13,974.35**	6,706.61
विवादित व्यापार प्राप्तियाँ		
जिनका ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	**-**	-
उप-योगफल	**13,974.35**	6,706.61
कम: क्रेडिट में हानि हुई व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	**-**	-
कुल	**13,974.35**	6,706.61

8.1 व्यापार प्राप्तियों में मार्च, 2024 महीने के लिए 224.89 लाख रुपये की गैर-चालू राजस्व शामिल है (पिछले वर्ष रुपये शून्य), जिसे मार्च, 2024 के बाद ग्राहकों को बिल किया गया है।

8.2 **व्यापार प्राप्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची 31 मार्च, 2024 तक** (लाख रु. में)

विवरण	**देय नहीं**	**भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया**					**कुल**
		6 महीने से कम	**6 महीने से 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ							
सुरक्षित समझी गई	-	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित समझी गई	-	**13,974.35**	-	-	-	-	**13,974.35**
जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्तियाँ							
सुरक्षित समझी गई	-	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित समझी गई	-	-	-	-	-	-	-
जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग	-	**13,974.35**	-	-	-	-	**13,974.35**
कम करें: गैर-मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया राशि	-	-	-	-	-	-	-
कम करें: व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-
कुल वर्तमान व्यापार प्राप्तियाँ	-	**13,974.35**	-	-	-	-	**13,974.35**

8.3 व्यापार प्राप्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची 31 मार्च, 2023 तक (लाख रु. में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ							
सुरक्षित समझी गई	-	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित समझी गई	-	6,706.61	-	-	-	-	6,706.61
जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्तियाँ							
सुरक्षित समझी गई	-	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित समझी गई	-	-	-	-	-	-	
जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग	-	6,706.61	-	-	-	-	6,706.61
कम करें: गैर-मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया राशि	-	-	-	-	-	-	-
कम करें: व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-
कुल वर्तमान व्यापार प्राप्तियाँ	-	6,706.61	-	-	-	-	6,706.61

9. चालू वित्तीय संपत्ति - नकद और नकद समकक्ष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंक में चालू खातों में शेष राशि, जिसमें फ्लेक्सी खातें शामिल हैं:		
केंद्र सरकार और अन्य के लिए परियोजनाओं के तहत	**31,917.41**	21,706.40
निर्माण परियोजनाओं के खिलाफ	**4,366.38**	7,566.88
अन्य	**17,214.09**	34,479.24
कुल	**53,497.88**	63,752.52

10. चालू वित्तीय संपत्ति - नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक बैलेंस

(लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंक जमा		
तीन महीनों से अधिक की मूल मियाद वाले और एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले जमा (सहित अर्जित ब्याज)	**10,538.72**	10,535.70
तीन महीनों से अधिक की मूल मियाद वाले और एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले जमा (सहित अर्जित ब्याज) (प्रोजेक्ट फंड के विरुद्ध)	**1,370.28**	-
कुल	**11,909.00**	10,535.70

11. चालू संपत्ति - अन्य वित्तीय संपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अग्रिम:		
(जब तक अन्यथा न कहा जाए, तब तक उचित माने जाते हैं)		
असुरक्षित	**162.38**	94.08
कर्मचारी		
असुरक्षित	**0.22**	2.77
संशयात्मक रूप से विचारित	**987.67**	1,004.32
कम: बुरे और संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	**(987.67)**	(1,004.32)
ब्याज अर्जित:		
फ्लेक्सी खाता	**86.40**	336.91
कुल	**249.00**	433.76

12. चालू संपत्ति - अन्य वित्तीय संपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पूर्वभुगतान	**255.47**	323.43
अग्रिम:		
(जब तक अन्यथा न कहा जाए, तब तक उचित माने जाते हैं)		
ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता		
असुरक्षित	**385.52**	380.43
कर्मचारी		
असुरक्षित	**0.44**	0.56
	641.43	704.42
कर्मचारी लाभ और करों की प्राप्तियां	**30.82**	-
कुल	**672.25**	704.42

12.1 पूर्वभुगतान में ₹ 248.89 लाख (पिछले वर्ष 323.43 लाख रुपये) के पूर्वभुगतान खर्च और 6.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष: ₹ शून्य) के सुरक्षा जमा का ऋणमुक्ति लागत शामिल है। संदर्भ नोट संख्या 35।

12.2 कर्मचारियों लाभ और करों की प्राप्तियों में अपील के तहत भुगतान किया गया जीएसटी शामिल है।

13. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकार प्राप्त		
12,00,00,000 शेयरों का पार मूल्य 10 रु./- प्रत्येक	**12,000.00**	12,000.00
(31 मार्च, 2023 तक 12,00,00,000 शेयरों का पार मूल्य 10 रु./- प्रत्येक)		
जारी, सदस्यता प्राप्त और पूर्ण रूप से भुगतान किया गया	**10,300.00**	10,300.00
10,30,00,000 शेयरों का पार मूल्य 10/- प्रत्येक		
(31 मार्च, 2023 तक 10,30,00,000 शेयरों का पार मूल्य 10 रु./- प्रत्येक)		

13.1 साल की शुरुआत और अंत में उपलब्ध शेयरों की सामंजस्यता

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में	**10,30,00,000**	**10,300.00**	10,30,00,000	10,300.00
वर्ष के अंत में शेष	**10,30,00,000**	**10,300.00**	10,30,00,000	10,300.00

13.2 इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिनका पार मूल्य 10 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रत्येक शेयर पर एक वोट का अधिकार प्राप्त है। कंपनी लाभांश का वितरण भारतीय रुपए में करती है। मंडल ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रस्तावित लाभांश का अनुमोदन अगले वार्षिक सामान्य सभा में शेयरधारकों द्वारा किया जाएगा। यदि कंपनी का परिसमापन होता है, तो इक्विटी शेयरधारक वे शेष संपत्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे जो सभी प्राथमिक दावों के निपटान के बाद बची होंगी। इस वितरण का आधार शेयरधारकों के पास रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या होगी।

13.3 लाभांश

(लाख रु. में)

विवरण	समाप्त वर्ष के दौरान भुगतान किया गया	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च,2023 को
(i) वर्ष के दौरान भुगतान और मान्यता प्राप्त लाभांश	**6,746.50**	3,399.00
वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2023 के लिए 6.55 रु. (पिछले वर्ष: 3.30 रु.) प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश।		

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं लाभांश	**5,459.00**	6,746.50

उपर्युक्त लाभांश के अतिरिक्त, वर्ष समापन के बाद, निदेशकों ने 5.30 रु. (पिछले वर्ष: 6.55 रु.) प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश भुगतान की सिफारिश की है। यह प्रस्तावित लाभांश कंपनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा।

13.4 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	होल्डिंग का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामांकित व्यक्ति	**10,30,00,000**	**100.00**	10,30,00,000	100.00
कुल	**10,30,00,000**	**100.00**	10,30,00,000	100.00

14. अन्य इक्विटी

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संचित लाभ	**58,001.73**	48,614.21
व्यवसाय प्रोत्साहन रिजर्व फंड	**3,227.79**	1,195.42
कुल	**61,229.52**	49,809.63

14.1 रक्षित लाभ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**48,614.21**	30,738.92
जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अनुसार वर्ष का लाभ	**18,166.39**	22,469.71
कम करें: व्यवसाय प्रोत्साहन रिजर्व फंड में स्थानांतरण	**(2,032.37)**	(1,195.42)
कम करें: अंतिम लाभांश भुगतान	**(6,746.50)**	(3,399.00)
समाप्ति शेष	**58,001.73**	48,614.21

संचित लाभ वे लाभ होते हैं जो कंपनी ने अब तक अर्जित किए हैं, जिनमें सभी उपयुक्तताओं को ध्यान में रखते हुए शुद्ध किया गया है। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं के अनुसार निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

14.2 व्यवसाय संवर्धन आरक्षित निधि

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**1,195.42**	-
संचित लाभ से स्थानांतरण	**2,032.37**	1,195.42
समाप्ति शेष	**3,227.79**	1,195.42

व्यवसाय प्रोत्साहन रिजर्व फंड वह राशि होती है जो भूमि अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए फंड्स पर एजेंसी शुल्क के बराबर होती है और इसे संचित लाभ से 'व्यवसाय प्रोत्साहन रिजर्व फंड' में स्थानांतरित किया जाता है। इसे कंपनी के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए मंडल ऑफ डायरेक्टर्स की दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

15. गैर-चालू वित्तीय देनदारियाँ - पट्टा देनदारियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पट्टा दायित्व	**2,571.71**	-
कम करें: पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएँ	**733.50**	-
कुल	**1,838.21**	-

15.1 पट्टा दायित्वों को संबंधित पट्टा समझौतों की शर्तों के अनुसार किस्तों में चुकता किया जाता है, कृपया संदर्भ नोट संख्या 44 देखें।

16. चालू वित्तीय देनदारियाँ - पट्टा देनदारियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएँ	**733.50**	-
कुल	**733.50**	-

16.1 गैर-प्रवर्तनीय पट्टा दायित्वों के संबंध में विवरण के लिए कृपया संदर्भ नोट संख्या 15 देखें।

17. चालू वित्तीय देनदारियाँ - व्यापार देय राशि

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सामान्य और सेवाओं के लिए व्यापारिक देनदारियाँ		
नियत बकाया:		
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम	**325.10**	401.06
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर्स	**1,090.38**	1,794.66
कुल	**1,415.48**	2,195.72

17.1 संबंधित पक्षों को देय राशियाँ संदर्भ नोट संख्या 33 में प्रकट की गई हैं।

17.2 **31 मार्च, 2024 तक अविवादित व्यापारिक देनदारियों की आयुकरण**

(लाख रु. में)

विवरण	सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए देय राशि	अन्य
भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया		
नियत नहीं	**-**	**-**
1 वर्ष से कम समय में देय	**325.10**	**965.72**
1-2 वर्षों में देय	**-**	**10.71**
2-3 वर्षों में देय	**-**	**11.07**
3 वर्षों से अधिक समय में देय	**-**	**102.88**
कुल	**325.10**	**1,090.38**

17.3 31 मार्च, 2023 तक अविवादित व्यापारिक देनदारियों की आयुकरण

(लाख रु. में)

विवरण	सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए देय राशि	अन्य
भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया		
नियत नहीं	-	-
1 वर्ष से कम समय में देय	401.06	1,195.21
1-2 वर्षों में देय	-	218.59
2-3 वर्षों में देय	-	80.29
3 वर्षों से अधिक समय में देय	-	300.57
कुल	401.06	1,794.66

18. चालू देनदारी - अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
जमानत राशि / बोली सुरक्षा	**112.64**	294.45
भुगतान योग्य व्यय	**1,362.61**	784.92
रोकथाम / धारित राशि	**913.86**	314.20
कुल	**2,389.11**	1,393.57

18.1 अन्य वित्तीय दायित्वों में 290.51 लाख रु. (पिछले वर्ष: 135.60 लाख रु.) की राशि शामिल है, जो एम.ए.सएम.ई विक्रेताओं को 45 दिनों की वैधानिक अवधि के बाद देय है और अभी भुगतान के लिए बकाया नहीं है। यह राशि संबंधित अनुबंधों की शर्तों और नियमों के अनुसार इन विक्रेताओं को भुगतान की जाएगी।

19. चालू देनदारी - अन्य वित्तीय देनदारियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भारत सरकार और अन्य की ओर से रखे गए परियोजना निधि (नोट 19.1 देखें)	**35,329.68**	24,101.26
निर्माण परियोजनाओं के लिए ग्राहकों से अग्रिम (शुद्ध) (नोट 19.2 देखें)	**2,207.03**	7,664.00
सरकारी अनुदान	**39.87**	57.78
इन्फ्राकोन सदस्यता शुल्क	**77.74**	(137.14)
अन्य देनदारियाँ		
वैधानिक देनदारियाँ	**420.02**	574.87
अन्य	**3.51**	12.05
कुल	**38,077.85**	32,272.82

वैधानिक देनदारियों में **4,602.28 लाख रु.** (पिछले वर्ष: 4,222.89 लाख रु.) की जी.एसटी देय राशि शामिल है, जो **4,365.38 लाख रु.** (पिछले वर्ष: 3,804.90 लाख रु.) के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से शुद्ध है, 181.56 लाख रु. (पिछले वर्ष: 137.55 लाख रु.) का स्रोत पर कर कटौती और 1.56 लाख रु. (पिछले वर्ष 19.33 लाख रु.) की अन्य वैधानिक देनदारियाँ शामिल हैं।

19.1 प्रोजेक्ट धनराशि जो भारत सरकार और अन्य के पक्ष में रखी गई है

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31मार्च , 2023
भारत सरकार और अन्य की ओर से रखे गए परियोजना निधि		
परियोजनाओं के लिए भारत सरकार और अन्य से प्राप्त निधियाँ (शुद्ध)		
(i) भारत सरकार और राज्य सरकारों से निधियाँ		
सड़क परिवहन मंत्रालय से निधियाँ:		
विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	**32,08,460.65**	26,58,460.65
बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	**9,57,266.00**	7,03,700.00
राष्ट्रीय राजमार्ग	**37,37,787.00**	26,03,787.00
राष्ट्रीय राजमार्ग (भारतमाला)	**2,22,019.00**	1,12,019.00
भारतमाला परियोजना - जनजातीय उप योजना	**80,000.00**	-
मल्टी लेवल कार पार्किंग (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)	**1,749.00**	1,749.00
बस पोर्ट	**1,504.20**	1,504.20
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जोगीघोपा	**2,500.00**	2,500.00
अप्रयुक्त निधि पर ब्याज और अन्य आय	**6,945.14**	8,139.53
स्वच्छता क्रियावली योजना निधि	**4,746.50**	4,746.50

विवरण	31 मार्च, 2024		31मार्च , 2023	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से निधियाँ	**22,500.00**		22,500.00	
गृह मंत्रालय से निधियाँ - भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना निधि	**1,00,344.81**		67,600.81	
रक्षा मंत्रालय से निधि	**27.55**		3,706.45	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से निधि - इटानगर	**1,470.41**		-	
गृह मंत्रालय परियोजना के लिए निधि	**482.02**		482.02	
पर्यटन मंत्रालय से निधि	**2,706.00**		444.00	
कम: समर्पित निधियाँ	**(2,58,162.41)**		(1,19,283.00)	
उप कुल (i)		**80,92,345.87**		60,72,056.16
(ii) अन्य से प्राप्त निधियाँ				
रेल विकास निगम लिमिटेड से निधि	**3,094.69**		2,854.03	
मल्टी लेवल कार पार्किंग	**1,447.98**		1,085.98	
उत्तराखंड राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों से निधि	**6,673.19**		83.72	
केंद्रीय सिविल सेवाओं सांस्कृतिक एवं खेल मंडल से निधि	**77.65**		77.65	
इनलैंड जलमार्ग प्राधिकरण, भारत से निधि	**5,298.00**		3,298.00	
उप कुल (ii)		**16,591.51**		7,399.38
(iii) परियोजनाओं से संबंधित अन्य देनदारियाँ				
परियोजना ठेकेदारों और अन्य को देय	**1,20,268.19**		1,03,714.29	
ठेकेदारों के खिलाफ रोकथाम	**1,49,110.65**		1,36,961.67	
वैधानिक देनदारियाँ	**12,939.67**		11,984.66	
पूर्व-आवेदन जमा / निविदा सुरक्षा	**3,508.31**		1,191.00	
उप कुल (iii)		**2,85,826.82**		2,53,851.62
उप कुल 1 = (i+ii+iii)		**83,94,764.20**		63,33,307.16
कम :				
भारत सरकार और अन्य के लिए परियोजनाओं के लिए लागू निधियाँ				
(i) पूर्ण परियोजनाएँ - सड़क और राजमार्ग				
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**19,86,356.46**		12,07,862.04	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय	**22,696.74**		-	
(ii) जारी निर्माण परियोजनाएँ		**20,09,053.20**		12,07,862.04
डीपीआर, सिविल कार्य और आकस्मिकताएँ				
डीपीआर, सिविल कार्य और आकस्मिकताएँ (भारत-चीन सीमा सड़क परियोजना)	**42,14,771.06**		35,36,524.62	
डीपीआर, सिविल कार्य और आकस्मिकताएँ (लद्दाख परियोजनाएँ)	**86,334.46**		59,968.25	
डीपीआर, सिविल कार्य और आकस्मिकताएँ (गृह मंत्रालय)	**-**		-	
डीपीआर, सिविल कार्य और आकस्मिकताएँ (पर्यटन मंत्रालय)	**54.54**		54.54	
भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति और उपयोगिता स्थानांतरण	**2,970.94**		-	
भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति और उपयोगिता स्थानांतरण (भारत-चीन सीमा सड़क परियोजनाएँ)	**15,11,593.83**		11,44,302.41	
अन्य (जारी)	**11,927.00**		10,908.84	
अन्य (भारत-चीन सीमा सड़क परियोजनाएँ)	**59,645.45**		44,464.77	
अन्य (लद्दाख परियोजनाएँ)	**4,702.72**		3,312.47	
रेल विकास निगम लिमिटेड परियोजनाओं पर व्यय	**-**		-	
स्वच्छता क्रियावली योजना निधि पर व्यय	**2,851.56**		2,489.26	

विवरण	31 मार्च, 2024		31मार्च , 2023	
इनलैंड जलमार्ग प्राधिकरण, भारत के तहत परियोजनाओं पर व्यय	**904.78**		696.58	
मल्टी लेवल कार पार्किंग (अरुणाचल प्रदेश) पर व्यय	**5,809.68**		-	
उत्तराखंड राज्य में परियोजनाओं पर व्यय	**339.65**		-	
उप कुल (ii)	**265.11**		54.63	
(iii) अन्य परियोजना शेष		**59,02,170.78**		48,02,776.37
संचालन और अन्य अग्रिम				
संचालन और अन्य अग्रिम (परियोजनाएँ)	**47,146.83**		87,412.60	
कम: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**		-	
भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण जमा	**(563.33)**		(563.33)	
अन्य वसूली योग्य	**3,73,690.47**		1,81,766.88	
उच्च न्यायालयों में जमा	**7,294.36**		8,770.24	
कैनरा बैंक में निश्चित जमा	**3,302.02**		3,302.02	
आयकर जमा (अपील के तहत)	**-**		1,112.00	
कॉर्पोरेट निकाय में निवेश	**4,206.43**		4,206.43	
उप कुल (iii)	**0.47**		0.50	
उप कुल 2 = (i+ii+iii)		**4,35,077.25**		2,86,007.34
राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य की मरम्मत और रखरखाव के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधि (शुद्ध)		**83,46,301.23**		62,96,645.75
(i) मरम्मत और रखरखाव				
(ii) मल्टीमीडिया केंद्र निधि				
उप कुल (i+ii)	**1,50,017.00**		1,15,017.00	
कम: iii) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव, मल्टीमीडिया केंद्र आदि के लिए लागू निधियाँ	**556.00**		443.00	
उप कुल 3 = (i+ii-iii)		**1,50,573.00**		1,15,460.00
कुल		**(1,63,706.29)**		(1,28,020.16)
उप कुल 3 = (i+ii-iii)		**(13,133.29)**		(12,560.16)
कुल		**35,329.68**		24,101.25

19.2 **निर्माण परियोजनाओं के लिए ग्राहकों से अग्रिम(नेट)**

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च,2023 को
लद्दाख स्कूल शिक्षा विभाग से अग्रिम	**705.66**	1,517.44
लद्दाख शहरी स्थानीय निकाय से अग्रिम	**1,698.45**	2,826.20
लद्दाख पुलिस से अग्रिम	**420.30**	1,613.08
लद्दाख आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग से अग्रिम	**213.19**	1,941.02
लद्दाख सामाजिक जनजातीय कल्याण विभाग से प्राप्तियाँ	**(797.37)**	(207.20)
लद्दाख ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्तियाँ	**(33.20)**	(26.54)
कुल	**2,207.03**	7,664.00

19.3 इन्फ्राकोन सदस्यता शुल्क **(नेट)**

(लाख रु. में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 को**	31 मार्च, 2023 को
इन्फ्राकोन सदस्यता शुल्क	**611.03**	319.36
कम: इन्फ्राकोन के खिलाफ व्यय	**(533.29)**	(456.50)
कुल	**77.74**	(137.14)

19.4 भारत सरकार के अनुदान के लिए नोट संख्या 32 भी देखें।

19.5 बैंक में रखे गए भारत सरकार के निधियों और संचारण अग्रिम पर अर्जित ब्याज **11,526.26 लाख रूपये (**पिछले वर्ष: 11,150.75 लाख रूपये) 31 मार्च, 2024 तक भारत के समेकित कोष में जमा किया गया है।

19.6 कंपनी ने 31.03.2024 तक **150,573.00 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 1,15,460 लाख रूपये) राशि प्राप्त की है, जो "राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य की मरम्मत एवं रखरखाव" के तहत आती है। इसके बदले में कंपनी ने **163,706.29 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 1,28,020.16 लाख रूपये) तक व्यय किया है। **13,133.29 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 12,560.16 लाख रूपये की अनावश्यक राशि) का घाटा नोट संख्या 19 में 'भारत सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए प्राप्त निधि' के तहत वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है।

19.7 कंपनी को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राजमार्गों और अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के लिए निधियाँ प्रदान की जाती हैं, जबकि भारत सरकार प्रत्येक परियोजना/पैकेज के लिए स्वीकृतियाँ (प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति) जारी करती है। परिचालन आवश्यकताओं के कारण, कंपनी स्वीकृतियों से परे भुगतान करती है, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए, भारत सरकार से संशोधित स्वीकृति की मंजूरी की उम्मीद में। इसके लिए कंपनी ने मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग को प्रस्ताव भेजे हैं/भेज रही है, जो विभिन्न अनुमोदन/परीक्षण के चरणों में हैं।

19.8 परियोजनाओं से संबंधित अन्य शेष राशि में **3,302.02 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 3,302.02 लाख रूपये) की राशि शामिल है, जो सम्माननीय उच्च न्यायालय में गैमन इंडिया लिमिटेड के मामले में जमा की गई है। इसके अतिरिक्त, 4,206.43 लाख रूपये (पिछले वर्ष: **4,206.43 लाख रूपये)** की राशि आयकर प्राधिकरणों के पास अपील के तहत जमा की गई है, जो परियोजना निधियों पर अर्जित ब्याज कर से संबंधित है, जो मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग के निर्देशानुसार भारत के समेकित कोष में जमा की गई है। इसके अलावा, कंपनी ने एक निश्चित जमा रसीद **0 रूपये** (पिछले वर्ष: 1,112.00 लाख रूपये) सम्माननीय उच्च न्यायालय में जमा की है, जो एक पार्टी द्वारा कंपनी के पास जमा की गई थी। उक्त जमा और निश्चित जमा को मई, 2023 में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बैंक गारंटी से प्रतिस्थापित किया गया।

19.9 कंपनी ने मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग से संबंधित **19,86,356.46 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 12,07,862.04 लाख रूपये), उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से **22,696.74 लाख रूपये** और रक्षा मंत्रालय से 3,678.90 लाख रूपये की परियोजनाएँ पूरी की हैं। मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित पूर्ण परियोजनाएँ कंपनी को सौंप दी गई हैं और ये दोष जिम्मेदारी अवधि में हैं। रक्षा मंत्रालय से संबंधित पूर्ण परियोजनाएँ पहले ही उन्हें सौंप दी गई हैं, अतः निधि और व्यय को समायोजित किया गया है।

19.10 कॉर्पोरेट निकाय में निवेश में **0.47 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 0.50 लाख रूपये) शामिल है, जो जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (जो एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जिसे भारत सरकार और असम सरकार की ओर से जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है) के **4,677 इक्विटी शेयरों** (पिछले वर्ष: 4,997 इक्विटी शेयर) के रूप में है, जिनका प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रु./- है। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्ण होने की संभावना है। परियोजना की पूर्णता पर, भारत सरकार के शेयरों को कंपनी के नाम पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, जो भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

20. वर्तमान कर देनदारियाँ / संपत्तियाँ (नेट)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्तमान कर देनदारियाँ		
आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस को छोड़कर)	-	4,084.44
कुल	-	4,084.44
वर्तमान कर संपत्तियाँ		
अग्रिम कर और टीडीएस (आयकर के लिए प्रावधान को छोड़कर)	**1,847.55**	-
कुल	**1,847.55**	-

21. संचालन से राजस्व

(लाखों रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री से राजस्व		
एजेंसी शुल्क	**37,594.83**	44,386.99
ठेके की बिक्री से राजस्व	**8,198.22**	3,035.00
कुल	**45,793.05**	47,421.99

22. अन्य आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से		
वित्तीय संपत्तियाँ जिनका अमोर्टाइज्ड लागत पर मूल्यांकन किया गया है		
बैंकों में जमा	**2,268.73**	1,646.90
वित्तीय आय*	**6.90**	-
अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय		
निविदा शुल्क	**256.41**	519.40
आर.टी.आई पूछताछ शुल्क	**0.11**	0.06
अन्य विविध आय	**441.71**	466.29
कुल	**2,973.86**	2,632.65

*नोट संख्या 28 देखें

अन्य विविध आय में मुख्य रूप से वे देनदारियाँ शामिल हैं जिन्हें वापस लिखा गया है, आई.सी.बी.आर परियोजनाओं पर स्थापना खर्च की पुनः वसूली, बी.जी.एस और बोली सुरक्षा की जमानत राशि की जब्ती आदि।

23. निर्माण खर्च

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्माण परियोजनाओं के लिए		
डी.पी.आर खर्चों का अमोर्टाइजेशन	**96.69**	2.74
नागरिक कार्य खर्च	**7,774.00**	2,968.61
अन्य खर्च	**132.78**	12.37
कुल	**8,003.47**	2,983.72

24. कर्मचारी लाभ खर्च

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और बोनस	**3,574.87**	3,755.01
कर्मचारी कल्याण खर्च	**69.65**	42.65
कुल	**3,644.52**	3,797.66

25. वित्तीय खर्च

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अमोर्टाइज्ड लागत पर मूल्यांकित वित्तीय देनदारियों पर वित्तीय खर्च		
पट्टे की देनदारियों पर छूट का पुनः मूल्यांकन*	**263.29**	-
अन्य उधारी खर्च		
प्रभार शुल्क	**8.72**	0.67
संविधिक देनदारियों पर ब्याज	**20.38**	41.63
कुल	**292.39**	42.30

* नोट संख्या 28 देखें

26. मूल्यह्रास और अमोर्टाइजेशन खर्च

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर - नोट संख्या 2	**289.56**	324.05
उपयोग अधिकार संपत्तियों पर - नोट संख्या 2	**800.37**	-
अमूर्त संपत्तियों पर - नोट संख्या 4	**12.68**	25.65
कुल	**1,102.61**	349.70

27. अन्य खर्च

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
*किराया	**1,246.50**	1,892.69
विज्ञापन और प्रचार	**26.51**	37.13
व्यवसाय विकास	**-**	16.77

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रखरखाव	**49.85**	53.09
वेबसाइट रखरखाव	**76.87**	8.18
संपर्क और सेमिनार	**28.84**	11.90
आउटसोर्स जनशक्ति	**6,231.52**	5,816.63
यात्रा तथा वाहन	**2,381.20**	2,338.53
व्यावसायिक तथा विधिक शुल्क	**314.61**	149.06
सदस्यता शुल्क	**4.47**	5.25
कार्यालय रखरखाव	**254.77**	216.96
विद्युत शुल्क	**200.90**	106.04
संचार तथा डाक खर्च	**72.31**	129.17
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	**176.51**	135.57
लेखा परीक्षक को वेतन	**10.24**	8.23
व्यापार प्राप्तियों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	**-**	1,004.31
दान	**-**	0.02
बीमा	**11.66**	21.12
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर हानि	**1.98**	(0.01)
प्रायोजन	**24.24**	13.36
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	**393.03**	261.18
विविध	**81.83**	166.01
सड़क सुरक्षा पर खर्च, प्राप्त अनुदान के खिलाफ	**17.91**	12.22
प्रशिक्षण और विकास	**12.45**	-
आई.आई.टी.टी.एम (एम.ओ.टी) के खिलाफ खर्च	**16.72**	-
परियोजनाओं के लिए निविदा और अन्य शुल्क	**26.65**	-
कुल	**11,661.57**	12,403.41

* नोट संख्या 28 देखें

27.1 **लेखा परीक्षक को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण**

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एक लेखा परीक्षक के रूप में		
लेखा परीक्षा शुल्क	**10.24**	8.23
कुल	**10.24**	8.23

28. इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के तहत प्रस्तुतीकरण

क) सामग्री लेखा नीतियों में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखा नीतियों में संशोधन किए गए हैं:

i) कंपनी ने इंड एएस 116 पट्टे' को लागू किया है। इसके तहत, 'राइट-ऑफ-यूज़ एसेट' और संबंधित 'पट्टा देनदारी' 3,201.86 लाख रु. (1 अप्रैल 2023 की स्थिति में) सभी पट्टे अनुबंधों के लिए मान्यता प्राप्त की गई है, सिवाय उन पट्टे के जिनकी अवधि बारह महीने या उससे कम है (अल्पकालिक पट्टे)। अल्पकालिक पट्टा के मामलों में, कंपनी पट्टा भुगतानों को ऑपरेटिंग व्यय - किराया व्यय के रूप में लाभ और हानि खाते में दर्शाती है।

ii) 1 अप्रैल 2023 तक पट्टे अनुबंधों के तहत भुगतान योग्य पट्टा राशि का गहन मूल्यांकन किया गया, और भविष्य के पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आधार परपट्टे देनदारी को मापा गया। इस मूल्यांकन में, पट्टा भुगतानों को कंपनी की प्रचलित उधारी दर का उपयोग करके छूट दी गई है।

iii) 'राइट-ऑफ-यूज़ एसेट्स' का मूल्यह्रास 1 अप्रैल, 2023 से या तो पट्टा की अवधि तक या अंतर्निहित परिसंपत्ति की उपयोगी आयु तक, इनमें से जो भी कम हो, सीधे-रेखा विधि से किया जाता है। (लेखा नीति 14.1, नोट संख्या 1 देखें)।

iv) इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इंड ए.एस 32 'वित्तीय उपकरण: प्रस्तुति' और इंड एएस 109 'वित्तीय उपकरण' को भी अपनाया है। तदनुसार, 1 अप्रैल, 2023 तक मकान मालिक के साथ लंबित सुरक्षा जमा की शेष राशि को छूट दी गई। ₹73.64 लाख की अमोर्टाइज़ की गई लागत 1 अप्रैल, 2023 की स्थिति में मान्यता प्राप्त की गई और इसे नोट संख्या 5 तथा नोट संख्या 22 में दर्शाया गया। सुरक्षा जमा की मूल शेष राशि और अमोर्टाइज़ की गई लागत के बीच का अंतर संबंधित पट्टा अनुबंधों की अवधि के दौरान अमोर्टाइज़ किया गया।

v) उपरोक्त लेखा नीतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के लाभ में **171.51 लाख रु.** की कमी हुई है। हालांकि, इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः, पिछले वर्षों की रिपोर्ट की गई राशि में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के दौरान लाभ पर प्रभाव
1	राइट-ऑफ-यूज़ परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास (नोट संख्या 2)	**800.37**
2	पट्टा देनदारियों पर छूट का समाप्तिकरण (नोट संख्या 25)	**263.29**
3	सुरक्षा जमा के विरुद्ध अमोर्टाइजेशन (किराए में शामिल) (नोट संख्या 27)	**8.21**
4	वित्तीय आय (नोट संख्या 22)	**(6.90)**
5	किराए के व्यय में कमी (नोट संख्या 27)	**(893.46)**
वर्ष के लाभ में हुई कमी		**171.51**

vi) इसके अतिरिक्त, कंपनी की प्रमुख लेखा नीतियों, जो नोट संख्या 1 में उल्लेखित हैं, को अधिक प्रभावी और स्पष्ट प्रकटीकरण के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। इन संशोधनों का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, सिवाय उन परिवर्तनों के जो 'पट्टा' और 'सुरक्षा जमा' से संबंधित लेखा नीतियों में किए गए हैं, जैसा कि ऊपर पैरा (i) से (v) में विस्तृत किया गया है।

ख) इसके अतिरिक्त, कंपनी की प्रमुख लेखा नीतियों, जो नोट संख्या 1 में उल्लेखित हैं, को अधिक प्रभावी और स्पष्ट प्रकटीकरण के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। इन संशोधनों का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, सिवाय उन परिवर्तनों के जो 'पट्टा' और 'सुरक्षा जमा' से संबंधित लेखा नीतियों में किए गए हैं, जैसा कि ऊपर पैरा (i) से (v) में विस्तृत किया गया है।

1 **31 मार्च, 2023 को पुनर्वर्गीकरण से पूर्व और पश्चात बैलेंस शीट की प्रविष्टियाँ** (लाखों रु. में)

क्र.सं.	विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पहले की राशि	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के बाद पुनः घोषित राशि	पुनर्वर्गीकरण का कारण
1	व्यापारिक प्राप्तियां (नोट संख्या 8 देखें)	5,718.94	987.67	6,706.61	नोट नं. क) देखें
2	बैंक शेष, नकद और नकद समकक्षों को छोड़कर (नोट संख्या 10 देखें)	10,300.00	235.70	10,535.70	नोट नं. ख) देखें

3	अन्य वित्तीय संपत्तियां (नोट संख्या 11 देखें)	1,657.13	(1,223.37)	433.76	नोट नं. ग) देखें
4	अन्य वर्तमान संपत्तियां (नोट संख्या 12 देखें)	4,507.47	(3,803.05)	704.42	नोट नं. घ) देखें
5	अन्य वर्तमान देनदारियाँ (नोट संख्या 19 देखें)	37,249.43	(4,976.61)	32,272.82	नोट नं. डी) देखें
6	वर्तमान कर देनदारियाँ (नेट) (नोट संख्या 20 देखें)	2,910.88	1,173.56	4,084.44	नोट नं. ङ) देखें

परिवर्तनों के कारण निम्नलिखित हैं:

क) 987.67 लाख रु. का 'बदली और संदिग्ध देनदारियों' के लिए आवंटन 'व्यापारिक प्राप्तियों' से 'अन्य वित्तीय संपत्तियों' में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ख) 235.70 लाख रु. की परिशोधित ब्याज राशि 'अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्तियों' से 'नकद और नकद समकक्षों को छोड़कर बैंक शेष' में पुनः वर्गीकृत की गई है, क्योंकि निश्चित जमा राशि को अमॉर्टाइज्ड लागत पर रखा जाता है, इसलिए परिशोधित ब्याज को निश्चित जमा में समाहित किया जाता है।

ग) 1,223.37 लाख रु. की पुनः वर्गीकरण में से 987.67 लाख रु. का संबंध ऊपर दिए गए बिंदु (क) से है, और 235.70 लाख रु. का संबंध ऊपर दिए गए बिंदु (ख) से है।

घ) 4,976.61 लाख रु. की अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों को 'अन्य वर्तमान संपत्तियों' से 'अन्य वर्तमान देनदारियों' में पुनः वर्गीकृत किया गया है और यह वैधानिक देनदारियों के साथ समायोजित किया गया है। चूंकि माल और सेवा कर क्रेडिट्स इस खाते पर देनदारियों के खिलाफ उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए कर देनदारियाँ और इनपुट कर क्रेडिट्स को समायोजित किया जाता है। आगे 1,173.56 लाख रु. का संबंध नीचे बिंदु (ङ) से है।

ङ) 1,173.56 लाख रु. की राशि 'वर्तमान कर देनदारियाँ ' से ' कुल अन्य वर्तमान देनदारियों' में पुनः वर्गीकृत की गई है।

2 तुलन पत्र आइटमों के पुनर्वर्गीकरण के कारण, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, प्रारंभिक शेष राशि में संबंधित परिवर्तन नकद प्रवाह विवरणों में समाहित किए गए हैं।

29. इंड ए.एस8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां' के अंतर्गत खुलासा

क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

कंपनी ने मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2023 को जारी अधिसूचना के तहत इंड एएस 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' में किए गए संशोधन को 1 अप्रैल, 2023 से लागू किया है। हालांकि इस संशोधन के परिणामस्वरूप लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी इसने वित्तीय विवरणों में प्रकाशित लेखांकन नीति जानकारी को प्रभावित किया है। इस संशोधन के तहत अब लेखांकन नीतियों का खुलासा 'महत्वपूर्ण' के रूप में किया जाएगा, न कि 'सार्वभौमिक'। यह संशोधन लेखांकन नीतियों के खुलासे में सामग्रीता के अनुप्रयोग पर मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, जिससे संगठनों को उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों में अन्य जानकारी समझने में सहायक, विशिष्ट लेखांकन नीति जानकारी प्रदान करने में मदद मिलती है।

ख) मानक/संशोधन जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुए:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय समय-समय पर कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2006 के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन की अधिसूचना जारी करता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में कोई संशोधन अब तक अधिसूचित नहीं किया है।

30. इंड ए.एस 12 'आयकर' के अंतर्गत खुलासा

(क) लाभ और हानि विवरण में आयकर की पहचान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आयकर व्यय संबंधी:		
वर्तमान वर्ष	**6,211.53**	8,017.86
उपयोग (क)	**6,211.53**	8,017.86
विलंबित कर व्यय		
स्थायी अंतरालों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन	**(315.57)**	(9.72)

उपयोग (ख)	**(315.57)**	(9.72)
कुल (ग = क + ख)	**5,895.96**	8,008.14

(ख) कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर से पहले लाभ और अन्य समग्र आय (ओसीआई)	**24,062.35**	30,477.85
लागू होने वाली आयकर दर (%)	**25.168**	25.168
अपेक्षित आयकर	**6,056.01**	7,670.67
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
गैर-कटौती योग्य खर्चे		
सी.एस.आर खर्चों की अस्वीकृति	**98.92**	65.73
अन्य	**5.13**	10.48
पिछले वर्ष और अन्य कारणों से अन्य समायोजन	**(264.10)**	261.26
लाभ और हानि विवरण में कुल कर व्यय	**5,895.96**	8,008.14

31. इंड ए.एस 19 'कर्मचारी लाभ' के तहत खुलासा

कंपनी के सभी कर्मचारी अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर या ठेके पर कार्यरत हैं, इस कारण इंड ए.एस - 19 के अंतर्गत आवश्यक खुलासे लागू नहीं होते।

जो कर्मचारी अन्य संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऋण देने वाले विभागों) से प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके संदर्भ में कंपनी का योगदान अवकाश वेतन, पेंशन एवं ग्रेच्युटी और भविष्य निधि के लिए ऋण देने वाले विभागों को वार्षिक आधार पर उनकी शर्तों और समझौतों के अनुसार भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का योगदान एनपीएस के संदर्भ में ऐसे कर्मचारियों के लिए संबंधित प्राधिकरणों में मासिक आधार पर जमा किया जाता है। इस प्रकार, कंपनी को कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और अन्य समाप्ति लाभ के लिए प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं होती।

32. इंड ए.एस 20 'सरकारी अनुदान' के तहत खुलासा

कंपनी को मार्च 2021 में सड़क सुरक्षा पर शिक्षा और जागरूकता अभियान आयोजित करने हेतु 70.00 लाख रु. का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान, कंपनी ने इस अनुदान से **17.91 लाख रु.** (पिछले वर्ष ₹ 12.22 लाख) का उपयोग किया। शेष **39.87 लाख रु.** (पिछले वर्ष 57.78 लाख रु.) को अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसे वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत दिखाया गया है।

33. इंड ए.एस 24 'संबंधित पक्षों के खुलासे' के अंतर्गत खुलासा

33.1 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति:

नाम	संबंध	अवधि
श्री कृष्ण कुमार	प्रबंध निदेशक	14 फरवरी, 2024 से
श्री महमूद अहमद	प्रबंध निदेशक	1 अगस्त, 2023 से 13 फरवरी, 2024 तक
श्री चंचल कुमार	प्रबंध निदेशक	31 जुलाई, 2023 तक
श्री अंशु मनीष खलखो	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	9 जनवरी, 2023 से
श्री अतुल कुमार	निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	3 मार्च, 2022 से 8 जनवरी, 2023 तक
श्री मनोज सहाय	निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	2 मार्च, 2022 तक

सुश्री मेघा जैन	कंपनी सचिव	15 दिसंबर, 2023 से
सुश्री युक्ति अरोड़ा	कंपनी सचिव	14 दिसंबर, 2023 तक

33.2 एक ही सरकार के नियंत्रण में आने वाली संस्थाएँ:

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो केंद्रीय सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, जो 100% चुकता शेयर पूंजी (पिछले वर्ष: 100%) की मालिक है और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है। कंपनी अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन करती है, जिनमें मुख्य रूप से सड़कों, राजमार्गों और अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण एवं रखरखाव किया जाता है। इन संस्थाओं के साथ लेन-देन लागत-आधारित विधि से किया जाता है।

33.3प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के साथ लेन-देन

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति को मुआवजा		
संक्षिप्तकालिक कर्मचारी लाभ	**84.51**	63.31
अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	**13.39**	11.49
कुल मुआवजा	**97.90**	74.80

33.4 प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के साथ लेन-देन का विभाजन

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निदेशक का मुआवजा		
श्री कृष्ण कुमार	**5.83**	-
श्री चंचल कुमार	**20.07**	46.36
श्री अंशु मनीष खलखो	**57.86**	11.86
श्री मनोज सहाय	**-**	0.03
वेतन और भत्ते		
सुश्री युक्ति अरोड़ा	**11.44**	16.55
सुश्री मेघा जैन	**2.70**	-
कुल	**97.90**	74.80

33.5 **8.83 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 7.47 लाख रु.) की राशि मार्च 2024 के महीने के वेतन और भत्तों के रूप में प्र.प्र.व्य. को देय थी, जिसे अप्रैल 2024 में भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, **10.10 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 9.20 लाख रु.) की राशि प्र.प्र.व्य. के संबंधित विभागों को अवकाश वेतन और पेंशन योगदान के रूप में देय है।

34. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

मंत्रालय ने श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा को 15 जनवरी, 2020 से 14 जनवरी, 2023 तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और श्री प्रदीप कुमार सरावगी को 5 जनवरी, 2022 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को मंडल बैठकें, सीएसआर समिति की बैठकें और आकस्मिक लेखा समिति की बैठकों के संदर्भ में 2.20 लाख रु. (पिछले वर्ष 4.40 लाख रु.) का बैठने का शुल्क दिया गया। इसी के तहत विवरण निम्नलिखित हैं:

वर्ष	मंडल बैठकें	सीएसआर समिति की बैठकें	एड-होक ऑडिट समिति की बैठकें	कुल
2023-24	**0.80**	**0.60**	**0.80**	**2.20**
2022-23	2.00	1.60	0.80	4.40

35. इंड एएस 32 और इंड एएस 109 - 'वित्तीय उपकरण: वर्गीकरण, मान्यता और माप' के अनुसार खुलासा

इंड एएस 116 के तहत पट्टा लेखांकन को 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने के परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल, 2023 को कंपनी द्वारा पट्टेदारों को भुगतान की गई सुरक्षा जमा की लंबित गैर-वर्तमान राशि 114.42 लाख रु. की समीक्षा की गई और इंड एएस 109 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 73.64 लाख रु. के समायोजित लागत पर दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च,2024 को गैर-वर्तमान सुरक्षा जमा की समायोजित लागत **80.54 लाख रूपये** है (जिसमें वित्तीय आय **6.90 लाख रूपये**शामिल है जो वर्ष 2023-24 के लिए है)।

इंड ए.एस 109 के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 को सुरक्षा जमा के निष्पक्ष मूल्य समायोजन के लिए प्रीपेमेंट राशि 40.78 लाख रु. थी (114.42 लाख रु. - 73.64 लाख रु.)। इसमें से **8.21 लाख रूपये** को वर्ष 2023-24 के दौरान 'किराया' (नोट संख्या 27) के रूप में लाभ और हानि विवरण में आरोपित किया गया, जिसके बाद 31 मार्च, 2024 को प्रीपेमेंट की शेष राशि **32.57 लाख रूपये** है, जिसे गैर-वर्तमान और वर्तमान प्रीपेमेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रीपेमेंट का गैर-वर्तमान हिस्सा **25.99 लाख रूपये** को नोट संख्या 7 में और वर्तमान हिस्सा **6.58 लाख रूपये** को नोट संख्या 12 में दर्शाया गया है।

36. इंड ए.एस 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार खुलासा

मूल प्रति शेयर आय को कंपनी के शेयरधारकों को सम्बद्ध शुद्ध लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान जारी औसत संख्या में विभाजित करके मापित किया जाता है।

विलयित प्रति शेयर आय को कंपनी के शेयरधारकों को सम्बद्ध शुद्ध लाभ या हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान मूल प्रति शेयर आय प्राप्त करने के लिए विचार की गई औसत संख्या में और साथ ही उन सभी विलयित संभावित शेयरों के रूप में जो सभी विलयित शेयरों के रूप में रूपांतरित हो सकते थे, द्वारा विभाजित करके मापित किया जाता है।

शेयरों और संभावित विलयित शेयरों की संख्या को किसी भी बोनस शेयरों के जारी होने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी प्रस्तुत किए गए अवधियों के लिए पूर्वव्यापी रूप से समायोजित किया जाता है।

36.1 मूल और विलयित प्रति शेयर आय (₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संचालन से [क/ख]	**17.64**	21.82
प्रति शेयर आदर्श मूल्य	**10.00**	10.00

36.2 समानधारा शेयरधारकों को आवंटित लाभ (जो अंशांक के रूप में उपयोग किया जाता है)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ऑपरेशन (क) से	**18,166.39**	22,469.71

36.3 समानधारा शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या (जो अंशांक के रूप में उपयोग की जाती है) (संख्या)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी किए गए समानधारा शेयरों का प्रारंभिक शेष	**10,30,00,000**	10,30,00,000
जारी किए गए समानधारा शेयरों का समापन शेष	**10,30,00,000**	10,30,00,000
बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस के लिए वेटेड एवरेज संख्या	**10,30,00,000**	10,30,00,000

37. इंड ए.एस 36 'संपत्ति का ह्रास' के अंतर्गत खुलासा

37.1 कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर यह मूल्यांकन करती है कि किसी संपत्ति और/या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई में ह्रास का कोई संकेत मौजूद है या नहीं। यदि ऐसा संकेत मिलता है, तो संपत्तियों का ह्रास किया जाता है, जिसके लिए प्रत्येक संपत्ति और/या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई के बहीखाते मूल्य की तुलना की जाती है और प्राप्त करने योग्य मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जो शुद्ध विक्रय मूल्य या उपयोग में मूल्य में से अधिक होता है। उपयोग में मूल्य का आकलन संपत्तियों के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है। मंडल के अनुसार, कंपनी को वर्तमान और

पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की ह्रास हानि का सामना नहीं हुआ है।

37.2 प्रबंधन के अनुसार, संपत्तियों का मूल्य, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा गैर-चालू निवेशों को छोड़कर, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में संपत्ति के बहीखाते मूल्य पर दर्ज की गई हैं, उन संपत्तियों को उनकी वास्तविकता में विक्रय के समय बहीखाते मूल्य से कम पर प्राप्त नहीं किया जाएगा।

38. इंड ए.एस 37 'प्रावधान, संभाव्य देनदारियां और संभाव्य संपत्तियाँ' के अंतर्गत खुलासा

38.1 संभाव्य देनदारी

क) विवादित कर मामले:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर मांग (नोट (क) देखें)	-	20,900.92
वस्तु एवं सेवा कर मांग (नोट (ख) देखें)	**489.47**	-

क) आयकर आकलन वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के लिए तुलन पत्र तिथि तक आकलन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें आकलन अधिकारी ने सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों पर अर्जित ब्याज को कंपनी की आय मानते हुए 20,900.92 लाख रु. की मांग की है। (चूंकि परियोजना निधियों पर सम्पूर्ण ब्याज राशि सरकार की है, अतः सरकार द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण ब्याज राशि मार्च 2024 तक भारतीय संकलित कोष में जमा कर दी गई है।) इन मांगों के खिलाफ, सी.आ.ईटी (अपील) के समक्ष अपीलें दायर की गई थीं, जिसमें अपील दायर करने के लिए न्यूनतम राशि 24,206.43 लाख रु. जमा की गई थी। सीआईटी (अपील) ने कंपनी के पक्ष में आदेश पारित किए। हालांकि, विभाग ने आयकर अपीलीय अधिकरण में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के लिए सीआईटी (अपील) के आदेश का विरोध किया था। आईटीएटी ने मामलों की सुनवाई की और कंपनी के पक्ष में अपीलों का निपटारा करते हुए आयकर विभाग द्वारा उठाई गई मांग पर राहत प्रदान की।

-आयकर रिटर्न के लिए वर्ष 2019-20 और 2021-22 का प्रसंस्करण/आकलन किया गया है और इसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।

-आयकर वर्ष 2022-23 का आकलन आकलन अधिकारी स्तर पर चल रहा था। इसे कंपनी के पक्ष में निर्णय लिया गया और शून्य मांग के साथ आदेश पारित किया गया।

ख) वस्तु और सेवा कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसका उत्तर वस्तु और सेवा कर अधिकारी को दिया गया। हालांकि, मामले का निर्णय कंपनी के खिलाफ लिया गया और **489.47 लाख रूपये** (जिसमें **233.08 लाख रूपये**का ब्याज और **23.31 लाख रूपये** का जुर्माना शामिल है) की मांग कंपनी पर की गई। वस्तु और सेवा कर अधिकारी द्वारा जारी आदेश के जवाब में, प्रबंधन और वस्तु और सेवा कर सलाहकार की राय के आधार पर यह मांग अनुचित मानी गई। अतः कंपनी ने अपील दायर की, जिसमें टैक्स मांग के 10% **(23.31 लाख रूपये)** का भुगतान किया गया, ताकि अपील दायर की जा सके।

वस्तु और सेवा कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एक नोटिस जारी किया और मामला वस्तु और सेवा कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां कंपनी द्वारा भरा गया उत्तर वस्तु और सेवा कर अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया और विभाग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया।

ख) अन्य:

क) पाँच ठेकेदारों ने **15,753.73 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 15,753.73 लाख रु.) की 24 निष्पादन/ अग्रिम बैंक गारंटी प्रस्तुत की, जिन्हें एस.एफ.एम.एस के माध्यम से पुष्टि किया गया। जारी करने वाले बैंक ने इन बैंक गारंटी की जारी करने से इनकार किया। कंपनी ने जारी करने वाले बैंक के खिलाफ दावा दायर किया है, ठेकेदारों के साथ अनुबंध समाप्त कर दिए हैं और बैंकों तथा संबंधित पांच ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामला जांच एजेंसी द्वारा जांचाधीन है। कंपनी की पुस्तकों के अनुसार वसूली योग्य राशि 563.33 लाख रूपये (पिछले वर्ष **563.33 लाख रूपये**) है, जो अंतिम मूल्यांकन/समझौते के अधीन है। कंपनी को इस राशि की वसूली बैंक/ठेकेदार से अपेक्षित है, लेकिन एहतियात के तौर पर इसके लिए प्रावधान किया गया है।

ख) कंपनी द्वारा भारत सरकार की ओर से उच्च मार्गों और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में, भूमि मालिकों/लाभार्थियों ने मुआवजे के संवर्धन के लिए विभिन्न न्यायिक मंचों में दावा दायर किया है। निपटारे लंबित हैं, इसके लिए कोई देनदारी प्रदान नहीं की गई है। निपटारे के बाद, संबंधित राशि सरकार से प्राप्त धन से लाभार्थियों को भुगतान की जाएगी। प्रबंधन को कंपनी की ओर से कोई देनदारी होने की संभावना नहीं है।

ग) संभाव्य देनदारियां उन दावों के संदर्भ में प्रदर्शित की जाती हैं जो कंपनी के खिलाफ दायर किए गए हैं और जो भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। मूल दावे पर किसी भी अतिरिक्त ब्याज की मांग भी संभाव्य देनदारी के रूप में नहीं मानी जाती, जहां कानूनी मामले लंबित हैं, क्योंकि दावा स्वयं सुनिश्चित नहीं है। उपलब्ध जानकारी, तथ्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और कानूनी पहलुओं के बारे में पिछले अनुभव के आधार पर यह संभावना नहीं है कि भविष्य में किसी आर्थिक संसाधन का बहाव होगा। उन परियोजनाओं के खिलाफ कंपनी के खिलाफ दावे जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धन से वसूलने/समायोज्य हैं, उन्हें संभाव्य देनदारियों के रूप में नहीं माना जाता।

घ) कंपनी अपने सभी दीर्घकालिक अनुबंधों की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि किसी भी सामग्री भविष्यवाणी योग्य नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। ऐसी समीक्षा के आधार पर, जहां भी लागू हो, कंपनी का मानना है कि किसी भी भविष्यवाणी योग्य नुकसान की कोई संभावना नहीं है जैसा कि किसी भी लागू कानून/लेखांकन मानक के तहत आवश्यक है।

ङ) कंपनी के लिए वर्ष के लिए निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरण करने के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

ग) कंपनी के खिलाफ दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (नीचे नोट क और ख देखें)

क) कंपनी के खिलाफ परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किए गए दावे, जो सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों से प्राप्त/समायोज्य हैं, उन्हें शर्तपूर्ण दायित्व के रूप में नहीं माना जाता है।

ख) शर्तपूर्ण दायित्व उन दावों के संदर्भ में प्रकट किए जाते हैं जो कंपनी के खिलाफ दायर किए गए हैं और जो भारत सरकार या अन्य द्वारा कंपनी को पुनः प्राप्त नहीं किए जाते हैं। कंपनी का मानना है कि ऐसे कोई मामले नहीं हैं सिवाय ऊपर पैराग्राफ ए में उल्लिखित वैधानिक देनदारियों के।

38.2 **पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ**

31 मार्च, 2024 तक गुवाहाटी में कार्यालय भवन के निर्माण और नई दिल्ली में कार्यालय भवन की खरीद से संबंधित पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ **3,282.04 लाख रु.** (जीएसटी को छोड़कर) थीं (पिछले वर्ष 14,588.72 लाख रु.)। नई दिल्ली में कार्यालय भवन की खरीद के संबंध में अग्रिम भुगतान को पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष को पूंजीगत प्रतिबद्धता के रूप में। गुवाहाटी में भवन के निर्माण के लिए ठेकेदार को किए गए भुगतान को पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

39. इंड ए.एस 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के संबंध में प्रकटीकरण

ऑपरेटिंग सेगमेंट को उसी तरीके से रिपोर्ट किया जाता है जैसा कि मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप है। कंपनी के प्रबंध निदेशक को सी.ओ.डी.एम के रूप में पहचाना गया है। कंपनी भारत में संचालित करती है और आर्थिक वातावरण में विभिन्न जोखिमों और लाभों वाले क्षेत्रों में संचालन नहीं करती है। इसलिए, इसे एकल ऑपरेटिंग सेगमेंट के रूप में माना जाता है। वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियाँ कंपनी के एकल संचालन खंड से संबंधित हैं।

40. (क) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के प्रमुख वित्तीय देनदारियों में पट्टा देनदारियाँ, व्यापार और अन्य देनदारियाँ शामिल हैं। ये वित्तीय देनदारियाँ व्यवसाय संचालन से संबंधित हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्तियाँ और नकद तथा नकद समकक्ष शामिल हैं, जो सीधे इसके संचालन से उत्पन्न होती हैं। कंपनी को बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी के वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल प्रत्येक जोखिम को प्रबंधित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति प्रदान करता है, जो नीचे सारांशित हैं:

कंपनी को वित्तीय उपकरणों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का सामना है:

ऋण जोखिम;

नकदी जोखिम;

बाजार जोखिम - ब्याज दर; और

बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा;

40.1 **(ख) जोखिम प्रबंधन ढांचा**

कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी की कुल जिम्मेदारी है। निदेशक मंडल ने

संबंधित व्यापार प्रबंधकों को प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए अधिकृत किया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यकारी प्रबंधन ठीक से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिमों को नियंत्रित करता है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ कंपनी द्वारा सामना किए गए जोखिमों की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएँ और नियंत्रण सेट करने और जोखिमों और सीमाओं के पालन की निगरानी करने के लिए स्थापित की गई हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियाँ और प्रणालियाँ समय-समय पर व्यापार प्रबंधकों द्वारा पुनः समीक्षा की जाती हैं ताकि बाजार स्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में परिवर्तन को दर्शाया जा सके। कंपनी, अपनी प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं के माध्यम से, एक अनुशासित और रचनात्मक नियंत्रण वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, जिसमें सभी कर्मचारी अपनी भूमिकाओं को समझते हैं।

40.2 ऋण जोखिम का अनावरण

क) तुलन पत्र में इन वित्तीय परिसंपत्तियों की कुल वहन राशि द्वारा ऋण जोखिम के अनावरण की अधिकतम सीमा का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्तियाँ	**279.24**	306.44
नकद और नकद समकक्ष	**53,497.88**	63,752.52
अन्य बैंक शेष	**11,909.00**	10,535.70
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	**249.00**	433.76
व्यापार प्राप्तियाँ (अनेकित राजस्व सहित)	**13,974.35**	6,706.61

ख) **अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान**

i) वे वित्तीय संपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के आधार पर मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी वित्तीय संपत्तियाँ हैं, जिनमें दूसरी पक्ष (काउंटरपार्टी) की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, और जहाँ डिफॉल्ट (चूक) का जोखिम नगण्य है। इसलिए, इन संपत्तियों के लिए हानि भत्ता की कोई मान्यता आवश्यक नहीं मानी गई है।

ii) वे वित्तीय संपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ता सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के आधार पर मापा जाता है

कंपनी के ग्राहकों, जिनमें मुख्य रूप से सरकारी विभाग और सरकारी कंपनियाँ शामिल हैं, की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने की क्षमता है। इसलिए, डिफॉल्ट (चूक) का जोखिम शून्य या नगण्य है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन का यह विश्वास है कि 30 दिनों से अधिक की अवधि के बाद भी जो अप्रभावित (अनइम्पेयर्ड) राशियाँ देय हैं, वे पूरी तरह से वसूल योग्य हैं। यह विश्वास ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहकों के ऋण जोखिम के व्यापक विश्लेषण पर आधारित है। इसलिए, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान व्यापार प्राप्तियों के संदर्भ में कोई हानि भत्ता मान्यता प्राप्त नहीं किया गया।पिछले वित्तीय वर्ष में 1,004.32 लाख रूपये के खराब और संदिग्ध अग्रिमों (बैड एंड डाउटफुल एडवांस) के लिए प्रावधान किया गया था, जो तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थे और जिनके भुगतान की कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। वर्तमान वर्ष में, 16.65 लाख रूपये की राशि प्राप्त होने के बाद उक्त प्रावधान को उसी राशि से समायोजित कर दिया गया है।

ग) ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि का जोखिम है, जो तब उत्पन्न होता है जब ग्राहक या वित्तीय साधन से जुड़ा दूसरा पक्ष अपनी संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुअल) बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहता है। यह मुख्य रूप से कंपनी के व्यापार प्राप्तियों से उत्पन्न होता है।कंपनी को व्यापार प्राप्तियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों सहित अपनी विभिन्न वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।कंपनी की वित्तीय संपत्तियों पर अधिकतम ऋण जोखिम उन संपत्तियों के वहन मूल्य (कैरींग वैल्यू) के बराबर होता है। काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का प्रबंधन करने का उद्देश्य वित्तीय हानियों से बचाव करना है।कंपनी दूसरी पार्टी की वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

घ) कंपनी का नकद और नकद समकक्ष तथा अन्य बैंक शेष का ऋण जोखिम सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर उन बैंकों में निवेश करती है, जिन्हें घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उच्च क्रेडिट रेटिंग दी गई होती है।'अन्य वित्तीय संपत्तियाँ' मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य से प्राप्त होने वाले सुरक्षा जमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन जमाओं से जुड़े ऋण जोखिम अपेक्षाकृत कम माने जाते हैं।

ङ) कंपनी मुख्य रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार, और सरकारी कंपनियों के लिए परियोजनाएँ निष्पादित करती है। इन

परियोजनाओं का निष्पादन अग्रिम भुगतान प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है, जिसके कारण यहाँ ऋण जोखिम नहीं होता।जहाँ ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान करना आवश्यक हो, वहाँ सभी भुगतान केवल बैंक गारंटी के आधार पर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने एक सुदृढ़ क्रेडिट नीति बनाई है। इसके तहत प्रत्येक नए ग्राहक (सरकार को छोड़कर) की क्रेडिट योग्यता का व्यक्तिगत रूप से आकलन किया जाता है, और कंपनी की मानक भुगतान एवं डिलीवरी शर्तों की पेशकश केवल उसी के बाद की जाती है।इस समीक्षा में ग्राहक की बाजार स्थिति, उद्योग से प्रतिक्रिया, पिछले वित्तीय आँकड़े, बाहरी रेटिंग (यदि उपलब्ध हो), और कुछ मामलों में बैंक संदर्भ शामिल होते हैं।

च) कंपनी के अधिकांश ग्राहक लंबे समय से कंपनी के साथ लेन-देन कर रहे हैं। इन ग्राहकों के खिलाफ अब तक कोई हानि भत्ता मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है।ग्राहकों के ऋण जोखिम की निगरानी करते समय, उनकी क्रेडिट विशेषताओं की समीक्षा की जाती है, जिसमें यह भी देखा जाता है कि वे व्यक्तिगत ग्राहक हैं या कानूनी इकाई। इसके अलावा, उनकी भौगोलिक स्थिति, उद्योग और उनके पिछले वित्तीय कठिनाइयों की उपस्थिति का भी ध्यान रखा जाता है।

40.3 नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है, जब कंपनी अपनी वित्तीय बाध्यताओं को निर्धारित समय पर पूरा करने में असमर्थ हो जाती है। कंपनी अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन इस प्रकार करती है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्य और अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में भी वह अपनी देयताओं को समय पर पूरा कर सके, बिना किसी अस्वीकार्य हानि या प्रतिष्ठा को खतरे में डाले।कंपनी के नकदी के प्रमुख स्रोत हैं - नकद और नकद समकक्ष और संचालन से उत्पन्न नकदी प्रवाह। कंपनी पर किसी प्रकार का बैंक उधार नहीं है। कंपनी का मानना है कि उसका कार्यशील पूँजी वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त है।जो भी अल्पकालिक अधिशेष नकदी कार्यशील पूँजी प्रबंधन और अन्य परिचालन आवश्यकताओं के लिए निर्धारित राशि से अधिक उत्पन्न होती है, उसे बैंक में अल्पकालिक जमा के रूप में सुरक्षित रूप से निवेश किया जाता है। ये निवेश उचित परिपक्वता और पर्याप्त नकदी वाले वित्तीय साधनों में किए जाते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में कंपनी को नकदी की कमी न हो।

40.4 वित्तीय दायित्वों की परिपक्वताएँ

निम्नलिखित वित्तीय दायित्वों की संविदात्मक परिपक्वताएँ हैं, जो संविदात्मक नकदी प्रवाहों के आधार पर निर्धारित की गई हैं:

31 मार्च, 2024 तक

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएँ	**संविदात्मक नकद प्रवाह**				**कुल**
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-5 वर्ष**	**5 वर्ष से अधिक**	
व्यापार देनदारियाँ	**1,415.48**	**-**	**-**	**-**	**1,415.48**
अन्य वित्तीय दायित्व	**2,389.11**	**-**	**-**	**-**	**2,389.11**

31 मार्च, 2023 तक

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएँ	संविदात्मक नकद प्रवाह				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
व्यापार देनदारियाँ	2,195.72	-	-	-	2,195.72
अन्य वित्तीय दायित्व	1,393.57	-	-	-	1,393.57

पट्टा दायित्वों की परिपक्वता विश्लेषण नोट 44 में दिया गया है।

40.5 बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है, जिसमें किसी वित्तीय उपकरण के भविष्य के नकदी प्रवाहों का वास्तविक मूल्य बाज़ार मूल्य में बदलाव के कारण परिवर्तित हो सकता है। बाज़ार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। वित्तीय उपकरण जो बाज़ार जोखिम से प्रभावित होते हैं, उनमें सुरक्षा जमा और बैंक जमा शामिल हैं।

क) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है, जिसमें किसी वित्तीय उपकरण के भविष्य के नकदी प्रवाहों का वास्तविक मूल्य बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण परिवर्तित हो सकता है। ऐसे वित्तीय उपकरण जो ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होते हैं, उनमें बैंकों में जमा किए गए धन शामिल हैं। इन वित्तीय उपकरणों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर इन उपकरणों की अवधि के लिए निर्धारित होती है।

ख) **मुद्रा जोखिम**

मुद्रा जोखिम वह जोखिम है, जिसमें किसी वित्तीय उपकरण के भविष्य के नकदी प्रवाहों का वास्तविक मूल्य विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के कारण परिवर्तित हो सकता है। कंपनी को अपने वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाहों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता है।

41. उचित मूल्य माप और वित्तीय उपकरण

41.1 वित्तीय उपकरण – श्रेणी के अनुसार

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी आई	अमोर्टाइज़्ड लागत	एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी आई	अमोर्टाइज़्ड लागत
वित्तीय संपत्तियाँ						
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	**13,974.35**	-	-	6,706.61
नकद और नकद समकक्ष	-	-	**53,497.88**	-	-	63,752.52
अन्य बैंक शेष	-	-	**11,909.00**	-	-	10,535.70
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	-	-	**528.24**	-	-	740.20
कुल	-	-	**79,909.47**	-	-	81,735.03
वित्तीय दायित्वें						
पट्टा दायित्वें	-	-	**2,571.69**	-	-	-
व्यापार देनदारियाँ	-	-	**1,415.48**	-	-	2,195.72
अन्य वित्तीय दायित्वें	-	-	**2,389.11**	-	-	1,393.57
कुल	-	-	**6,376.28**	-	-	3,589.29

ऐसे कोई वित्तीय उपकरण नहीं हैं जिन्हें एफवीटीपीएलऔर एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

41.2 **लागत पर अमोर्टाइज़्ड किए गए वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य ।**

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	लेन-देन की राशि	उचित मूल्य	लेन-देन की राशि	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्तियाँ				
व्यापार प्राप्तियाँ	**13,974.35**	**13,974.35**	6,706.61	6,706.61
नकद और नकद समकक्ष	**53,497.88**	**53,497.88**	63,752.52	63,752.52
नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक शेष	**11,909.00**	**11,909.00**	10,535.70	10,535.70
अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	**249.00**	**249.00**	433.76	433.76
कुल	**79,630.23**	**79,630.23**	81,428.59	81,428.59
वित्तीय दायित्वें				
पट्टा दायित्वें				
व्यापार देनदारियाँ	**2,571.71**	**2,571.71**	-	-
अन्य वित्तीय दायित्वें	**1,415.48**	**1,415.48**	2,195.72	2,195.72
कुल	**2,389.11**	**2,389.11**	1,393.57	1,393.57
कुल	**6,376.30**	**6,376.30**	3,589.29	3,589.29

41.3 वर्तमान व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयताओं, नकद और नकद समकक्ष, तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि उनके अल्पकालिक स्वरूप के कारण उनके वास्तविक मूल्य के समान मानी जाती है।

41.4 अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ सुरक्षा जमा के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जिनकी वहन राशि रिपोर्टिंग तिथि पर उनके वास्तविक मूल्य के निकट है।

41.5 **उचित मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन विधि**

सुरक्षा जमा का उचित मूल्य वर्तमान उधार दर का उपयोग कर छूटित नकदी प्रवाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन्हें

उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें अप्रत्याशित कारकों जैसे कि समकक्ष पक्ष का ऋण जोखिम शामिल होता है। चूंकि सुरक्षा जमा को वर्ष के दौरान उपलब्ध उधार दर के आधार पर मान्यता दी जाती है और उधार दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, इसलिए इन उपकरणों की वहन राशि को उनके उचित मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

42. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का पूंजी प्रबंधन करते समय मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- कंपनी की सतत व्यापार के रूप में कार्य करने की क्षमता को सुनिश्चित करना, जिससे यह अपने शेयरधारकों को अधिकतम लाभ और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी पर कोई उधार बकाया नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन कर करती है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कोई भी फंड-आधारित ऋण शेष नहीं है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च,2023 को कंपनी का पूंजी गियरिंग अनुपात शून्य है।

43. इंड एएस 115: 'ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण

43.1 राजस्व का वर्गीकरण

कंपनी का समूचा व्यवसाय 'सड़क, राजमार्ग और अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव' के एकमात्र परिचालन खंड के अंतर्गत आता है।संचालन से अर्जित राजस्व इन परियोजनाओं के लिए प्राप्त एजेंसी शुल्क के रूप में होता है, जो समयावधि में वितरित होता है। प्रबंधन का यह मानना है कि कंपनी के सभी अनुबंधों से अर्जित राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, मात्रा, समय, और अनिश्चितता समान होती है। अतः, इंड एएस 115 के तहत राजस्व को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

43.2 कंपनी ने संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख की सरकार के लिए ईपीसी मोड में परियोजनाओं को एक निश्चित एजेंसी शुल्क के आधार पर निष्पादित करना प्रारंभ किया है। इन परियोजनाओं के लिए कंपनी को अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध मूल्य के अनुसार बिलिंग करनी है, जैसा कि समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट है। इंड एएस 116: 'पट्टा' के संबंध में प्रकटीकरण

44. इंड एएस 116 'लीज' के संबंध में प्रकटीकरण

44.1 कंपनी की प्रमुख पट्टिंग व्यवस्थाएँ निम्नलिखित परिसंपत्तियों से संबंधित हैं:

कंपनी की प्रमुख पट्टिंग व्यवस्थाएँ निम्नलिखित परिसंपत्तियों से संबंधित हैं: कार्यालय भवन,पारगमन आवास। ये सभी पट्टा रद्द करने योग्य होती हैं और प्रायः परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती हैं।

44.2 पट्टेदार के रूप में कंपनी का विवरण:

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टा अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यालय भवनों का पट्टा शामिल है।इंड एएस 116 को अपनाने से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टा को आरंभिक तिथि पर 'ऑपरेटिंग पट्टा' के रूप में वर्गीकृत किया था।

ख) **रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की वहन राशि और उनके परिवर्तनों का सारांश इस प्रकार है:**

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान जोड़े गए पट्टा	**3,201.86**	-
वर्ष के दौरान ब्याज लागत	**263.29**	-
पट्टा भुगतान	**(893.46)**	-

समाप्ति शेष	**2,571.69**	-
वर्तमान पट्टा देनदारियाँ	**733.50**	-
गैर-वर्तमान पट्टा देनदारियाँ	**1,838.19**	-

ग) **पट्टा देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण**

संविदात्मक अवियुक्त नकद प्रवाह	**31 मार्च, 2024 को**	31 मार्च, 2023 को
3 महीने या उससे कम	**219.85**	-
3-12 महीने	**496.89**	-
1-2 वर्ष	**477.98**	-
2-5 वर्ष	**1,068.45**	-
5 वर्ष से अधिक	**1,387.11**	-
कुल	**3,650.28**	-

घ) **लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि निम्नलिखित हैं:**

विवरण	**31 मार्च, 2024 को**	31 मार्च, 2023 को
अधिकार-उपयोग परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास और अमूर्त व्यय	**800.37**	-
पट्टा देनदारियों पर छूट समाप्त होने का व्यय	**263.29**	-
अल्पकालिक पट्टा से संबंधित व्यय	**1,246.50**	1,892.69

ङ) **नकदी प्रवाह विवरण में प्रकटीकृत राशि इस प्रकार हैं:**

विवरण	**31 मार्च, 2024 को**	31 मार्च, 2023 को
पट्टा से संबंधित नकदी बहिर्वाह	**893.46**	-

44.3 कंपनी ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भवन, 4 संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 के भूतल, द्वितीय तल और तृतीय तल के लिए एक परिचालन पट्टा का रद्द करने योग्य पट्टा समझौता किया था। यह पट्टा समझौता 31 मई, 2024 से पूर्व समाप्त कर दिया गया है।इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मार्च, 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ जीवन तारा भवन, नई दिल्ली के प्रथम तल पर कार्यालय हेतु एक रद्द करने योग्य पट्टा समझौता किया था, जिसे 14 जून, 2023 को समाप्त कर दिया गया और परिसर को खाली कर दिया गया।उपरोक्त सभी पट्टा समझौतों को इंड एएस 116 के प्रावधानों के अंतर्गत अल्पकालिक पट्टा समझौतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

45. अतिरिक्त विनियामक जानकारी: अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपात	2023-24	2022-23	प्रतिशत में परिवर्तन	अंशकर्ता	अंशफल	25% से अधिक परिवर्तन के कारण
1	वर्तमान अनुपात	**1.93**	2.06	-6%	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देनदारियां	
2	ऋण-इक्विटी अनुपात	**0.00**	0.00	लागू नहीं	कुल ऋण*	कुल पूंजी	
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	**0.00**	0.00	लागू नहीं	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	
4	इक्विटी पर वापसी अनुपात (%)	**0.28**	0.44	-36%	वर्ष के लिए लाभ	औसत कुल पूंजी	कंपनी की परिचालन गतिविधियों में कमी
5	संग्रहण अनुपात	**0.00**	0.00	लागू नहीं	संचालन से प्राप्त राजस्व	औसत सूची	
6	व्यापार प्राप्ति अनुपात	**4.43**	12.01	-63%	संचालन से प्राप्त राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियां	कंपनी की परिचालन गतिविधियों में कमी और व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि
7	व्यापार देनदारी अनुपात	**4.43**	1.53	190%	खरीददारी	औसत व्यापार देयताएँ	यह लद्दाख परियोजनाओं के निर्माण खर्चों में वृद्धि के कारण हुआ है।
8	शुद्ध पूंजी परिचालन अनुपात	**1.16**	1.12	4%	संचालन से प्राप्त राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी	
9	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	**0.40**	0.47	-15%	वर्ष का शुद्ध लाभ	संचालन से प्राप्त राजस्व	
10	पूंजी में वापसी अनुपात (%)	**0.33**	0.51	-35%	कर और वित्तपोषण लागत से पहले का लाभ	पूंजी नियोजित =नेट वर्थ + लीज़ देनदारियां + स्थगित कर देनदारियां	कंपनी की परिचालन गतिविधियों में कमी
11	निवेश पर वापसी अनुपात (%)	**0.08**	0.05	60%	निवेशित धन से उत्पन्न आय	औसत निवेशित धन	वर्ष के अंत में निवेशित धन में कमी

46. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

46.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत, प्रत्येक कंपनी को अपने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार, कंपनी की सीएसआर संबंधित जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धताएँ, जो 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुईं, इस प्रकार हैं:

(लाख रु. में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
धारा 135(5) के तहत पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ	**19,017.46**	12,782.53
कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	**380.35**	255.65
धारा 135(5) के तहत पिछले तीन वर्षों के औसत लाभ का दो प्रतिशत		
पिछले वर्ष के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष (यदि कोई हो)	**-**	-
वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि (यदि कोई हो)	**-**	-
वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर प्रतिबद्धता	**380.35**	255.65

46.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान **393.03 लाख रु.** (पिछले वर्ष 261.18 लाख रु.) विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजनाओं पर व्यय किए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप हैं। इस संबंध में कोई संबंधित पक्ष से सीएसआर लेन-देन नहीं हुआ है, और अगले वित्तीय वर्ष के लिए कोई अभाव नहीं है जिसे स्थानांतरित किया जाए।

46.3 पिछले दो वर्षों में किए गए सीएसआर कार्यों और उस पर खर्च की गई राशि का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

(लाख रु. में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
(i) किसी संपत्ति के निर्माण/अर्जन पर	**-**	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	**393.03**	261.18

(लाख रु. में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
भ्रष्टाचार, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	**244.96**	86.12
पर्यावरणीय स्थिरता	**37.19**	0.38
खेल	**3.44**	-
शिक्षा और कौशल विकास	**91.60**	153.58
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	**6.00**	-
महिलाओं और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण	**9.84**	21.10
कुल	**393.03**	261.18

47. मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) से देनदारियाँ

कंपनी पर 31 मार्च, 2024 तक किसी भी मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम को 45 दिनों से अधिक समय से कोई बकाया शेष नहीं है (पिछले वर्ष: कोई नहीं)। यह जानकारी, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण के रूप में दी जानी चाहिए, कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन सभी संबंधित पक्षों की पहचान कर के निर्धारित की गई है।

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वर्ष के अंत में मुख्य राशि जो बकाया है	-	-
2	उस पर ब्याज जो वर्ष के अंत में बकाया है	-	-
3	कंपनी द्वारा एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत भुगतान की गई ब्याज राशि और आपूर्ति करने वाले पक्ष को निर्धारित दिनांक के बाद भुगतान की गई राशि	-	-
4	भुगतान में देरी के कारण देय ब्याज, लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज को जोड़े बिना	-	-
5	वर्ष के अंत में संचित ब्याज और जो बकाया है	-	-
6	इसके अतिरिक्त, आगामी वर्षों में भी देय और भुगतान योग्य ब्याज, जब तक कि उपरोक्त ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

नोट: उपर्युक्त जानकारी और नोट संख्या 17 'व्यापारिक देनदारियाँ' में दी गई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है।

48. भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि का खुलासा

48.1 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है। इस भूमि का मुआवजा संबंधित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सरकारी नीति और निर्णयों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकरणों के पास जमा की गई राशि का उपयोग उन प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें संबंधित सक्षम प्राधिकरणों/कंपनी की परियोजना टीम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का भारतीय सरकार के नाम पर अभिलेखन अभी प्रक्रिया में है।

48.2 वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए दो प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ एस्क्रो बैंक खाते खोले। इस व्यवस्था के तहत, संपूर्ण धनराशि एस्क्रो बैंक खातों में रखी जाती है और सक्षम प्राधिकरणों को आहरण अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये बैंक (जहां एस्क्रो बैंक खाते रखे जाते हैं) अगले महीने में ब्याज का भुगतान करते हैं। इस अर्जित ब्याज को अधिभार के आधार पर दर्ज किया गया है और इसे भारतीय संकलित कोष में जमा किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक **35,918.72 लाख रूपये** (पिछले वर्ष: 28,405.65 लाख रूपये) भारतीय संकलित कोष में जमा किए गए हैं।

48.3 फरवरी, 2023 में सीएजी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष से इन्फ्राकॉन पोर्टल के लिए पंजीकरण और सदस्यता शुल्क को कंपनी की आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और इन्फ्राकॉन पोर्टल पर किए गए व्यय को भी कंपनी के व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। बल्कि, इन्हें भारतीय सरकार की ओर से प्राप्तियों और भुगतान के रूप में दर्ज किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक संचित अधिशेष (आय में व्यय की तुलना में) **77.74 लाख रूपये** (पिछले वर्ष की कमी 137.14 लाख रु.) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से देय/वसूली योग्य के रूप में माना गया है।

49. कंपनी, भारतीय सरकार की एजेंसी के रूप में, राजमार्गों और अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन, निविदाओं का आमंत्रण, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श और अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर जैसे कार्य कंपनी के मुख्यालय दिल्ली में किए जाते हैं।

डीपीआर की तैयारी, कार्यों का क्रियान्वयन, कार्य की निगरानी और परामर्श (जिसमें डिजाइन, ड्राइंग, सिविल निर्माण कार्य, गुणवत्ता और मात्रा माप, और चरण भुगतान बिलों की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं) संबंधित राज्यों में सलाहकारों/ठेकेदारों के माध्यम से किए जाते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए एजेंसी शुल्क कंपनी के मुख्यालय में दर्ज किए जाते हैं। एजेंसी शुल्क पर जीएसटी मुख्यालय में दर्ज किया जाता है और दिल्ली में भुगतान किया जाता है। कंपनी इस अभ्यास का पालन शुरू से ही करती आ रही है। डीपीआर पर व्यय, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी तथा परामर्श सेवाओं पर व्यय विभिन्न राज्यों में दर्ज किए जाते हैं, जिसके लिए सलाहकार/ठेकेदार संबंधित राज्यों में जीएसटी पंजीकरण कराते हैं और इन सेवाओं पर जीएसटी संबंधित राज्यों में भुगतान किया जाता है।

एजेंसी शुल्क पर जीएसटी के मुख्यालय या विभिन्न राज्यों में लेखांकन के संबंध में यह मामला बाहरी विशेषज्ञ से राय के लिए भेजा जा रहा है। विशेषज्ञ की राय के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

50. बकाया राशियों की पुष्टि

50.1 कंपनी के पास बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों से बकाया राशियों की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। बैंक खातों के संदर्भ में कोई अप्रमाणित बकाया राशि नहीं पाई जाती है। पक्षों के साथ समंजन सामान्यतः आवधिक आधार पर किया जाता है। जहां तक व्यापारिक/अन्य देनदारियों और अग्रिमों का सवाल है, इन बकायों के लिए पुष्टि पत्र/ईमेल नकारात्मक पुष्टि के साथ, जैसा कि लेखा परीक्षा मानक (एसए) 505 (संशोधित) 'बाहरी पुष्टि' में निर्दिष्ट किया गया है, संबंधित पक्षों को प्रेषित किए गए थे। इनमें से कुछ बकायियां पुष्टि/समंजन के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन आवश्यक होता है, तो वह पुष्टि/समंजन के बाद किया जाएगा, और प्रबंधन के अनुसार इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रबंधन के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा निर्माणाधीन कार्यों के अलावा अन्य संपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के तहत जब इनका निपटान किया जाएगा, तो यह बैलेंस शीट में उल्लिखित मूल्य से कम नहीं होगा।

51. आंतरिक लेखा परीक्षा

कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा कंपनी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्मों द्वारा संपन्न की गई है। इन फर्मों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा की ह

52. ईआरपी प्रणाली

कंपनी ने 28 नवम्बर, 2019 से एसएपी (ईआरपी प्रणाली) को लागू किया है। एसएपी प्रणाली पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है और इसमें 'मेकर्स' और 'चेकर्स' की प्रक्रिया भी प्रभावी रूप से लागू की गई है।

53. रद्द की गई कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी के पास केवल एक ऐसी कंपनी है, जिसका नाम (फैमिली एंड चौधरी ट्रांजिट सर्विस) है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत रद्द कर दिया गया है, और कंपनी उसके साथ लेन-देन करती है।

31 मार्च, 2024 तक इस कंपनी से देनदारी/प्राप्ति की राशि ₹ शून्य है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 12 अप्रैल, 2023 को इस कंपनी को **2.12 लाख रूपये** का भुगतान किया गया।

54. कंपनी ने 10 मई, 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खाता पुस्तकों में देनदारी का हिसाब लगाने हेतु कट-ऑफ दिन के रूप में निर्धारित किया है। निर्माण अनुबंधों के मामले में, जहाँ 31 मार्च, 2024 तक भुगतान की अवस्था पूरी हो चुकी है, लेकिन 10 मई 2024 तक बिल प्राप्त नहीं हुए हैं, उन मामलों में अनुमानित आधार पर प्रावधान किया गया है।

55. कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या ऋणदाता द्वारा जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।.

56. कंपनी के पास कोई बिनामी संपत्ति नहीं है और न ही कंपनी के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही चल रही है, जो किसी बिनामी संपत्ति को लेकर

57. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

58. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं, को कोई अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है, और न ही यह समझौता किया है कि ये इंटरमीडिएरी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थियों) को ऋण देंगे या निवेश करेंगे, या उनके लिए किसी प्रकार की गारंटी, सुरक्षा आदि प्रदान करेंगे।

59. कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण के दौरान वर्ष के भीतर आय के रूप में समर्पित या प्रकटीकृत किया गया हो, जैसे कि तलाशी ,सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम,1961 के अन्य संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत।
60. कंपनी ने किसी अन्य कंपनी में निवेश नहीं किया है, इसलिए अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (87) और कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के तहत परतों की संख्या से संबंधित अनुपालन लागू नहीं होता है।
61. कंपनी के पास ऐसा कोई प्रभार या संतोष प्रमाण नहीं है, जिसे वैधानिक अवधि से परे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत किया जाना शेष हो।
62. कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधारी नहीं ली है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित जानकारी लागू नहीं होती।
63. कंपनी के पास कोई ऐसी राशि नहीं है जिसे निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
64. कंपनी का संचालन चक्र 12 महीनों की अवधि के रूप में माना गया है।
65. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक अन्य प्रकटीकरण लागू सीमा तक किए गए हैं।
66. पिछले वर्ष के आंकड़े जहाँ आवश्यक समझे गए, उन्हें पुनर्गठित/संसाधित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है

यह वित्तीय विवरणों से संबंधित विवरण हैं, जिनका संदर्भ हमारी रिपोर्ट में उसी दिनांक को किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

जी. के. केडिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर. संख्या: 013016एन

(कनिष्का अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 544129

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 09.07.2024

(मेघा जैन)
कंपनी सचिव
एम.नं. 49799

(अंशु मनीष खलखो)
निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
डी.आई.एन: 10052036

(कृष्ण कुमार)
प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन: 06502080

खंड-IV

11. फोटोग्राफर की नजर से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं / घटनाओं की झलकियां

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) की समीक्षा बैठक, माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) और माननीय राज्य मंत्री के साथ, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) की समीक्षा बैठक, माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) और माननीय राज्य मंत्री के साथ, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) की समीक्षा बैठक, माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) और माननीय राज्य मंत्री के साथ, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

असम और नागालैंड राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा, माननीय राज्य मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा डिब्रूगढ़ में की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का लाभांश चेक, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को सम्मानपूर्वक सौंपा गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा जम्मू एवं कश्मीर स्थित चेनानी-सुधमहादेव खंड (रा.रा.-244) पर 0.000 से 16.990 किलोमीटर तक (चरण-1) 2-लेन सड़क के चौड़ीकरण एवं उन्नयन के साथ पेव्ड शोल्डर संरचना और भौगोलिक सुधार कार्य अत्यधिक समर्पण के साथ किया जा रहा है--।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 'हर घर तिरंगा' अभियान का आयोजन।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का आयोजन।

अवसंरचना निर्माण – राष्ट्र निर्माण

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी)

प्रथम तल, टावर-ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली- 110029

दूरभाष: 011-23461600 | ईमेल: info@nhidcl.com | www.nhidcl.com